इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स ,1952



आलोक श्रीवास्तव

इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स, 1952

लेखक

आलोक श्रीवास्तव

एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली

एडवोकेट इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रथम डिजिटल संस्करण: 2014

आमुख

न्यायालय की कार्यवाहियों का संचालन सुचारू रुप से हो सके इसलिये न्यायालय ने इसके लिये नियम बनायें हैं जिन्हें **"इलाहाबाद हाई कोर्ट रुल्स, 1952"** कहा गया है।

हाई कोर्ट रुल्स, पर कई लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं परन्तु वे सभी आंग्ल भाषा में हैं, अधिवक्ता के रुप में जब मैंने इस न्यायालय में अभ्यास प्रारम्भ किया था तो ऐसे कई अवसर आये जब मुझे एहसास हुआ कि ये नियम न्यायालयी कार्यप्रणाली में सिविल प्रक्रिया संहिता एवम् दण्ड प्रक्रिया संहिता के समान ही महत्वपूर्ण हैं जिनका कि ज्ञान होना, न केवल अधिवक्ताओं के लिये आवश्यक है अपितु न्यायालय से जुड़े हर व्यक्ति को इन्हें जानना आवश्यक है।

न्यायालय से जुड़ने वाले नये अधिवक्ताओं तथा निचले न्यायालय के अधिवक्ता-बन्धुओं को इस न्यायालय में आने पर तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें देखते हुये मैंने उपरोक्त विषय पर हिन्दी में पुस्तक लिखने का निश्चय किया जिसके परिणामस्वरुप यह पुस्तक आज आपके हाथों में है।

आशा है यह पुस्तक न केवल न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं एवम् अन्य कर्मचारियों के लिये उपयोगी साबित होगी अपितु साथ ही साथ जन-सामान्य, जो कि समय-समय पर न्यायालय की शरण में आते हैं, के लिये भी उपयोगी साबित होगी ।

अन्त में मैं, विद्वान पाठकों से निवेदन करता हूँ कि यदि वे इस पुस्तक में कहीं त्रुटि पातें हैं तो कृपया वे, उससे मुझे अवगत करायें जिससे कि भविष्य के संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर किया जा सके।

आलोक श्रीवास्तव

एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली

एडवोकेट इलाहाबाद उच्च न्यायालय

contact me at: aloksrivastava001@yahoo.co.in

इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स (न्यायालय के नियम, 1952)

इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स (न्यायालय के नियम, 1952)

भाग-1: <u>सामान्य</u>

<u>अध्याय I- VIII</u>

अध्याय I: प्रारम्भिक

1. <u>प्रारम्भिक</u>- इन नियमो को **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** द्वारा उसे संविधान के अनुच्छेद 225 के अधीन प्रदत्त एवम् अन्य शक्तियाँ जो कि न्यायालय को इस तरफ से समर्थ बनाती हैं, के प्रयोग द्वारा बनाया गया है।

2. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-</u> इन नियमो को न्यायालय के नियम, 1952 के रुप मे उदघृत किया जा सकेगा और ये सितम्बर, 1952 की पंद्रहवीं तिथि से प्रभावी होंगे । ये नियम न्यायालय मे प्रारम्भ हुई कार्यवाहियों एवम् मामलों में लागू होंगे, अथवा तदन्तर में उस तारीख को और जहाँ तक हो सके उस तारीख पर न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों और मामलों को भी लागू होंगे ।

3. <u>निर्वचन खण्ड- (1)</u> इन नियमो में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

"Bench" सम्मिलित करती है एकल पीठासीन न्यायाधीश को

"**प्रामाणित**" किसी प्रतिलिपि के संबंध मे प्रामाणित का अर्थ वही होगा जैसा कि **Indian Evidence Act, 1872** की धारा 76 में उपबंधित किया गया है ।

"मुख्य न्यायाधीश" में शामिल है, उसकी अनुपस्थिति मे वह न्यायाधीश जो उसकी तरफ से कार्य करने के लिये अधिकृत है।

"संहिता" से तात्पर्य **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** से है और संहिता के **"आदेश को संदर्भ"** से तात्पर्य उसकी प्रथम अनुसूची के आदेश से है।

"संविधान" का अर्थ भारत के संविधान से है ।

"न्यायालय" और "**इस न्यायालय"** पद का अर्थ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (एकीकरण) आदेश, 1948 द्वारा गठित, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से है।

"संपादक" का अर्थ मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अनुवादन एवम् प्रिन्टिग के लिये आवेदनो के सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिये और ऐसे अन्य दायित्वो को करने के लिये जो कि उसे इन नियमों के अधीन दिये जायें, नियुक्त व्यक्ति से है।

आलोक श्रीवास्तव

"न्यायाधीश" का अर्थ न्यायालय के न्यायाधीश से है।

"Judgment Clerk" से तात्पर्य न्यायालय द्वारा घोषित न्यायनिर्णयों या आदेशों की टिप्पणियों को लिखने के लिये नियुक्त न्यायालय के अधिकारी से है और इसमें शामिल हैं कोई व्यक्ति जो तत्समय इसके द्वारा घोषित किये गये न्यायनिर्णय या आदेश को लिखने के लिये अधिकृत हो या न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया हो।

"नोटिस" में समन सम्मिलित है।

"ओथ कमिश्नर" से तात्पर्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के खण्ड (ख) और [1][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 297की उपधारा (1)] के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसके समक्ष शपथपत्रों एवम् पुष्टिकथनो की शपथ ली जा सकेगी एवम् पुष्टिकरण हो सकेगा।

"पेपर बुक" से तात्पर्य मूल में कागजातों या उनकी प्रतियों, लिप्यान्तरणों या अनुवादों, जैसी भी स्थिति हो, का **Fly-leaf, Index** इत्यादि के साथ संग्रह जो इन नियमो के अनुसार वाद की सुनवाई के लिये न्यायाधीश के उपयोग हेतु तैयार किया गया हो।

"वर्णित" अर्थात इन नियमो द्वारा या के अधीन वर्णित से है।

"रजिस्टर्ड पता" से तात्पर्य न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर वाद के पक्षकार द्वारा दाखिल अंतिम पता जिस पर न्यायालय मे या निचले न्यायालय में उसे नोटिस, समन या अन्य प्रक्रिया की तामीली की जा सके।

[2][**"रजिस्ट्रार जनरल"** में शामिल हैं----

(i) लखनऊ बेन्च से संबंधित मामलों मे रजिस्ट्रार; ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार लखनऊ

(ii) रजिस्ट्रार; ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल के ऐसे कार्यों एवम् दायित्वो के संबंध मे जिन्हे मुख्य न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्रार; ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को सौंपा गया हो।

(iii) रजिस्ट्रार जनरल की अनुपस्थिति मे, रजिस्ट्रार; ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी जो कि उसकी तरफ से कार्य करने के लिये अधिकृत हो।]

"Sealed" का तात्पर्य न्यायालय की सील द्वारा मुद्रित

"स्पेशल अपील" से तात्पर्य एक न्यायाधीश के न्यायनिर्णय से अपील से है।

---

1 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

2 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/ VIII-C-2 दिनांक16.09.2005 (संशोधित पर्ची सं0235 द्वारा), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-24.09.2005 (w.e.f.10.04.2000)

"राज्य" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है।

"सुप्रीम कोर्ट रूल्स" से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 1966 से है।

"Taxing Officer" से तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त अधिकारी से है जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन Taxing Officer के दायित्वो का निर्वहन करे और खर्चों पर टैक्स लगाये।

"Vacation Judge" से तात्पर्य "वरिष्ठतम न्यायाधीश" जो कि अवकाश के समय, इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति हो, मे कार्यरत हो।

"वकालतनामा" से तात्पर्य संहिता के आदेश III नियम 4मे उल्लिखित एक दस्तावेज, अधिवक्ता की नियुक्ति, किसी व्यक्ति के लिये इस न्यायालय मे कार्य करने हेतु से है।

(2) General Clauses Act, 1897 इन नियमो के लिये उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि वह संसदीय अधिनियम और उन मामलो मे जो उस अधिनियम द्वारा समाविष्टित नहीं होते, के निर्वचन के लिये होता है। U.P. General Clauses Act, 1904 ऐसे लागू होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू होता है।

4. <u>समय की गणना-</u> जहाँ इन नियमो द्वारा किन्ही विशिष्ट दिनो की संख्या निर्धारित की गई है, उनकी गणना प्रथम दिन को छोड़कर और अंतिम दिन को शामिलकर की जायेगी जब तक कि अंतिम दिन उस तारीख को न पड़ता हो जिस दिन न्यायालय के कार्यालय बन्द हों, उस दशा में समय की गणना उस दिन को छोड़कर की जायेगी तथा अन्य उत्तरवर्ती दिन या दिनो जब कि न्यायालय के कार्यालय बन्द रहते हों को भी छोड़कर की जायेगी।

5. <u>निरसन-</u> न्यायालय एवम् लखनऊ की अवध मुख्य न्यायालय के अस्तित्ववान नियमो तथा अन्य अस्तित्ववान नियमो एवम् आदेशों जो कि इन नियमो द्वारा समाविष्टित मामलों को देखते हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, इन नियमो के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व ऐसे निरसित नियमों या आदेशों के अधीन या उनके अनुसार किसी डिक्री या आदेश के अधीन किये गये किसी कार्य या किये जाने वाले किसी कार्य पर, प्रभाव नहीं डालेगी।

6. <u>आदेशो का जारी किया जाना-</u> न्यायालय के कार्यालय से जारी किया गया प्रत्येक न्यायिक आदेश, सिविल या क्रिमिनल, लिखित मे किया जायेगा। ऐसा कोई आदेश टेलीग्राम या टेलीफोन द्वारा नहीं किया जायेगा।

[3]**[7. तारीख-**

(i) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक आवेदन, याचिका, आपत्ति या अपील का ज्ञापन, प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक, याची, आपत्तिकर्ता या अपीलकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा या उसकी तरफ से उपस्थित हो रहे अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और तारीखांकित किया जायेगा।

(ii) न्यायालय मे प्रस्तुत प्रत्येक शपथपत्र, शपथकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित किया जायेगा और तारीखांकित किया जायेगा।]

[4] [(iii) सभी संलग्नक जो कि याची, प्रार्थी या अपीलार्थी द्वारा याचिका, आवेदन, शपथपत्र, सम्पूरक (Supplementary) शपथपत्र या रिज्वाइन्डर (Rejoinder) शपथपत्र के साथ दाखिल किये जाते हैं उन्हें क्रमिक रुप से 1, 2, 3, 4...... इत्यादि संख्याकित किया जायेगा और सभी संलग्नक जो प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार द्वारा प्रतिक्रिया शपथपत्र, सम्पूरक प्रतिक्रिया शपथपत्र या आवेदन के साथ दाखिल किये जाते हैं यदि प्रथम प्रतिवादी या विपक्षी द्वारा दाखिल किया जाता है तो क्रमश: (A-1), (A-2), (A-3), (A-4) ..... इत्यादि के रुप मे और यदि उन्हें द्वितीय प्रतिवादी या विपक्षी द्वारा दाखिल किया जाता है तो क्रमश: (B-1), (B-2), (B-3), (B–4) ...... इत्यादि के रुप मे संख्याकित किया जायेगा, और ऐसे आगे भी क्रम जारी रहेगा।]

3 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 218/VIII-C-90 दिनांक27.07.1963द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-28.09.1963

4 संस्थित किया गया अधि0 सं0 24/VIII-C-141 दिनांक-08.01.1971द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I-A, दिनांक-20.03.1971

अध्याय II: रजिस्ट्रार के कार्य एवम् शक्तियाँ

1. <u>रजिस्ट्रार के कार्य शक्तियाँ एवम् दायित्व-</u> इन नियमो या अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रार के अन्य कार्यो, शक्तियों एवम् दायित्वो के अतिरिक्त न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में उसके निम्न कार्य शक्तियाँ एवम् दायित्व होगें, नामत:--

(i) नोटिस की तामीली एवम् अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों में जिसमे वारण्ट हस्ताक्षरित होना एवम् जारी होना और न्यायालय के आदेशों के अधीन नोटिस का जारी होना शामिल है, का व्ययनित करना।

(ii) किसी अपील या आपत्ति, के ज्ञापन, याचिका या आवेदान की औपचारिक त्रुटियों को दूर करने की अनुमति प्रदान करना।

(iii) किये गये निर्विवादित आवेदनो को स्वीकार करना, आवश्यक आदेशों को जारी करना और उन्हें व्ययनित करना--

संहिता के आदेश XXII के अधीन --

[5] [(क) आदेश XXII नियम4 (4), सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, मृतक पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना या छोड़ना, परन्तु यह कि उपशमन या समयसीमा का कोई प्रश्न उद्भूत न हो; अथवा]

(ख) वाद के लंबित रहने के दौरान किसी हित के, किसी को दिये जाने, अस्तित्व मे आने या हस्तांतरित होने को, अभिलिखित करना, अथवा

संहिता के आदेश XXXII के अधीन --

वाद के लिये, वादमित्र या संरक्षक के फीस एवम् खर्चों का निर्धारण शामिल करते हुये वादमित्र या संरक्षक की नियुक्ति या हटाये जाने के लिये कार्यवाही करना

(iv) उन सभी मामलो मे सुप्रीम कोर्ट मे अपील के लिये जाने के लिये आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव को निपटारा करना जिनमें कि नोटिस जारी करने के लिये आदेश नियमित कार्यवाही के रुप मे दिया जा सके।

[6][(iv-क) स्पेशल अपीलो को प्राप्त करना [7][∗∗∗]

---

5 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

(क) स्पेशल अपील की दशा मे जिसमें घोषणा, इन नियमों के **अध्याय VIII** के नियम 6के अधीन प्रदान की गई है; और

(1) न्यायनिर्णय के 60 दिनो के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है और अन्यथा क्रम मे है, स्वीकार करने और यह निर्देश देने के लिये कि नोटिस जारी हो,

(2) जहाँ ऐसी अपील 60 दिनो की कथित अवधि के बाद प्रस्तुत की गई है और **अध्याय IX** नियम 10 मे वर्णित कागजातों के साथ है और अन्यथा क्रम मे है, न्यायालय के प्रति इसे स्थगित करना

(ख) अन्य स्पेशल अपीलों की दशा मे, ऐसी अपीलों को न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आदेशों के लिये रखना]

(v) वादपत्र, [8][कैवियेट की प्रकृति का आवेदन], प्राप्त करना, न्यायालय के, साधारण या असाधारण, आरम्भिक क्षेत्राधिकार के भीतर/अधीन Chamber Judge के प्रति किसी मामले के स्थगन कि स्वतन्त्रता के साथ, नोटिस जारी करना या लिखित कथन दाखिल करने के लिये तारीख निर्धारित करना।

(vi) जूरी के सदस्यों एवम् गवाहों के खर्चों एवम् भत्तों से संबंधित सभी मामलों को देखना।

(vii) निर्देश देना यह कि संहिता के आदेश XLI के नियम 10के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये गये, Security Bond को निचले न्यायालय को पुष्टिकरण एवम् रिपोर्ट के लिये भेजा जाये।

(viii) न्यायालय द्वारा इसके, साधारण या असाधारण, आरम्भिक क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे दी गई डिक्रियों एवम् आदेशों को अन्य न्यायालयों को निष्पादन के लिये भेजना।

(ix) Indian Succession Act, 1925 के अधीन ---

---

6 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 345/VIII-C-150 दिनांक06.11.1963द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-05.12.1964

7 हटाया गया, अधि0 सं0 507/VIII-C-17 (संशोधन पर्ची सं0 152) दिनांक19.10.1973द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक-10.11.1973

8 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-11.04.1981

(क) मृतक की सम्पत्ति की **Inventory** (विस्तृत सूची), उसके Creditsएवम् Debits, जिसके लिये निष्पादक या प्रशासक अधिकृत हैं या भूसम्पत्ति का खाता जो परिसम्पत्तियों को दिखाता है और आवेदन, प्राप्त करना या उनका निस्तारण करना।

(ख) धारा 317के अधीन निष्पादक या प्रशासक से **Inventory** (विस्तृत सूची) या खातों को प्रदर्शित करने की माँग करना।

(ग) **Inventory** (विस्तृत सूची) या खाते को दाखिल करने के लिये समय की वृद्धि को प्रदान करना।

(घ) **Inventory** (विस्तृत सूची) या खाते को, जब क्रम में हों, अभिलेख पर रखना।

(ड़) उसके समक्ष दाखिल की गई **Inventory** (विस्तृत सूची) या खाते की प्रति को राजस्व बोर्ड को भेजना।

(च) खण्ड (क) और (ख) मे वर्णित मामलों से संबंधित आवश्यक नोटिसों को, संबंधित Bench को किसी मामले के स्थगन की स्वतन्त्रता के साथ, जारी करना।

(x) न्यायालय के आदेशों के अधीन, किसी समझौते को पुष्ट करना या किसी व्यक्ति के शपथ पर लिये गये कथन को अभिलिखित करना।

(xi) निचले न्यायालय द्वारा निष्कर्षों को पेश करने के लिये, उस मामले मे जिसमे संहिता के आदेश XLI के नियम 25 के अधीन विवाद्यको को विचारण के लिये उस न्यायालय को उल्लिखित किया जा चुका है, समय को बढाना।

(xii) न्यायनिर्णय कि प्रतियों को छोड़ देना, जहाँ ऐसी प्रतियाँ कम से कम एक Connected Appeal या Revision मे दाखिल की जा चुकी हैं।

(xiii) वाद की प्रगति से जुड़े हुये सभी मामलों का, न्यायालय के ऐसे आदेशों जो कि समय-समय पर किये जायें के प्रभावाधीन, जिनमें शपथपत्र प्राप्त करना और उन्हें दाखिल करने के लिये समय प्रदान करना शामिल है, का निपटारा करना।

[9] [(xiv) किसी प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार पर तामीली का न करवाया जाना, जो कि निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था या जिसने संहिता के आदेश **V** के नियम (4-क) के अधीन लिखित कथन नहीं दाखिल किया था।]

[10] [(xv) निर्देश देना यह कि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष रखा जाये; या

(xvi) ऐसा अन्य कार्य करना जो कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाये।]

2. अपील के ज्ञापन का संशोधन के लिये लौटाया जाना- संहिता के आदेश XLI के नियम 3 (1) के अधीन रजिस्ट्रार अपील के ज्ञापन को संशोधन के लिये लौटा सकता है। जहाँ अपील का ज्ञापन ऐसे संशोधित किया जा चुका है, वह संशोधन पर हस्ताक्षर करेगा। इस नियम के अधीन रजिस्ट्रार के दायित्व संहिता की धारा 128 के खण्ड (1) की उपधारा (1) के अर्थ मे अर्ध-न्यायिक प्रकृति के समझे जायेगें और उसका आदेश, न्यायालय के पुनरीक्षण के प्रभावाधीन होगा, पीड़ित पक्षकार द्वारा 2 माह के भीतर आवेदन पर या आदेश, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, की तिथि से ऐसे अतिरिक्त समय पर, जिसे कि न्यायालय अनुमत करे।

3. समय का विस्तार - जहाँ किसी कारण से, पूर्ववर्ती नियमों के अधीन रजिस्ट्रार ने समय बढाने की माँग को अस्वीकार कर दिया है, न्यायालय लिखित आवेदन पर और दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये उसे प्रदान कर सकता है।

व्याख्या- जहाँ पक्षकार अनुमत समय के भीतर कोई कदम नहीं उठाता है या जहाँ आवश्यक कदम उठाने के लिये समय की माँग हेतु कोई रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और रजिस्ट्रार निर्देशित करता है यह कि वाद को आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष रखा जाये, इस नियम के अर्थों मे समय वृद्धि का प्रदान किया जाना अस्वीकार कर दिया गया है समझा जायेगा।

4. अतिरिक्त शक्तियाँ-

(1) मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है --

---

9 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -II दिनांक-11.04.1981

10 खण्ड (xiv) तथा (xv) को पुन: संख्याकित किया गयाखण्ड (xv) तथा (xvi) के रुप में, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-11.04.1981

(क) अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री या आदेश से अपील के ज्ञापन को प्राप्त करने के लिये और उसे स्वीकार करने के लिये तथा निर्धारित करने के लिये कि क्या अन्य पक्षकार को तुरन्त नोटिस जारी की जाये या संहिता के आदेश XLI के नियम 11 के अधीन अथवा अन्यथा अपील को सुनवाई के लिये न्यायालय के समक्ष रखा जाये।

(ख) मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि पर वाद लाने के लिये Contested Application का निस्तारण करना।

(ग) अपील या सहमति से प्राप्त डिक्री या आदेश को वापस लेने के लिये आवेदन को, प्राप्त करना और निस्तारित करना।

(घ) दस्तावेज की वापसी के लिये आवेदन को, प्राप्त करना और निस्तारित करना।

(ड़) संहिता के आदेश XLI के नियम 5 के उपनियम (1) या नियम 6, 8 या 10 के अधीन आवेदन को, प्राप्त करना और निस्तारित करना।

[11][(च) आदेश में वर्णित किसी अन्य आवेदन को प्राप्त करना और ऐसे किसी आवेदन पर नोटिस जारी करने का निर्देश देना]

रजिस्ट्रार या इस नियम के अधीन प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी न्यायालय को उपरोक्त मामलों में से किसी को स्थगित कर सकता है।

जहाँ इस नियम के अधीन रजिस्ट्रार से भिन्न कोई अधिकारी प्राधिकृत किया गया है, उसकी अनुपस्थिति मे रजिस्ट्रार उसके कार्य को कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति मे जहाँ उसे इस नियम के अधीन प्राधिकृत किया गया है, या जहाँ रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी को ऐसे प्राधिकृत किया गया है, दोनो की अनुपस्थिति मे उपरोक्त मामलों में से किसी से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय मे लाया जा सकेगा और ऐसे सभी मामलों को निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

(3) इस नियम के खण्ड (ख) या (ड़) के अधीन रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश, न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के प्रभावाधीन होगा, पीड़ित पक्षकार द्वारा

---

11 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 99/VII-C-19 दिनांक 16.04.1956 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-02.06.1956

2माह के भीतर आवेदन किये जाने पर या आदेश, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, की तिथि से ऐसे अतिरिक्त समय पर, जिसे कि न्यायालय अनुमत करे।

[12]**[5. <u>ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना-</u>** मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार या ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को, इन नियमो के अधीन रजिस्ट्रार जनरल के ऐसे कार्यों, शक्तियों एवम् दायित्वो का इस्तेमाल करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कि वह आदेश द्वारा उसे सौंपे। उसकी अनुपस्थिति मे रजिस्ट्रार जनरल स्वयं ऐसे कार्यों, शक्तियों एवम् दायित्वो का इस्तेमाल करेगा।]

[13]**[6. <u>रजिस्ट्रार की शक्तियों का उसकी अनुपस्थिति मे इस्तेमाल किया जाना-</u>** रजिस्ट्रार जनरल की अनुपस्थिति मे, रजिस्ट्रार या ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, रजिस्ट्रार जनरल के कार्यो, शक्तियों एवम् दायित्वो का इस्तेमाल करेगा और उनकी अनुपस्थिति मे, ऐसे कार्यो, शक्तियों एवम् दायित्वो का इस्तेमाल डिप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा, नियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर, यदि कोई हो, किया जायेगा।]

[14][**7. <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहेगा-</u>** इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार या ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों और सौंपे गये कार्यों एवम् दायित्वो से, न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

---

12 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2 दिनांक16.09.2005द्वारा (संशोधन पर्ची सं0 235), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-24.09.2005 (w.e.f. 10.04.2000)

13 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2 दिनांक16.09.2005द्वारा (संशोधन पर्ची सं0 235), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-24.09.2005 (w.e.f. 10.04.2000)

14 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2 दिनांक16.09.2005द्वारा (संशोधन पर्ची सं0 235), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-24.09.2005 (w.e.f. 10.04.2000)

अध्याय III: न्यायालय के प्रबंधन एवम् प्रशासनिक कार्य

1.[15][[16][**<u>प्रशासनिक] न्यायाधीश</u>**-

मुख्य न्यायाधीश प्रत्येक मानद् न्यायाधीश को नामांकित करेगा और एक सेशन खण्ड, उस खण्ड के[17][प्रशासनिक] न्यायाधीश के रुप मे एक वर्ष के लिये सौंपेगा, तथापि दी गई परिस्थितियों मे मुख्य न्यायाधीश एक से अधिक सेशन खण्डों को एक ही [18][प्रशासनिक] न्यायाधीश को सौंप सकता है और एक से ज्यादा[19][प्रशासनिक] न्यायाधीशों को एक सेशन खण्ड का प्रभार सौंप सकता है।----

(क) किसी [20][प्रशासनिक] न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने, इन्कार करने या मृत्यु होने की दशा मे, एक अन्य मानद् न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जायेगा।

(ख) [21][प्रशासनिक] न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निरीक्षण के लिये आगे कार्यवाही करेगा। [22][प्रशासनिक] न्यायाधीश, वार्षिक निरीक्षणों के लिये 5कार्यदिवसो से ज्यादा का समय सामान्यत: नहीं देगा।]

[23]**[2. <u>प्रशासनिक समिति-</u>** एक समिति होगी जिसे, प्रशासनिक समिति कहा जायेगा, जो मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम् न्यायाधीशो तथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित 6 न्यायाधीशो से गठित होगी;

(क) दो वरिष्ठतम् न्यायाधीश इसके स्थाई सदस्य होगें और 6 न्यायाधीश जिन्हे मुख्य न्यायाधीश द्वारा सदस्यों के रुप मे नामांकित किया गया है, 3 वर्षो की अवधि के लिये होगें।

---

15 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

16 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

17 उसी स्थान पर

18 उसी स्थान पर

19 उसी स्थान पर

20 उसी स्थान पर

21 उसी स्थान पर

22 उसी स्थान पर

23 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

(ख) मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति मे, समिति का वरिष्ठतम् सदस्य, इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ग) समिति के किसी सदस्य के सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने, इन्कार करने या उसकी मृत्यु की दशा मे, एक अन्य न्यायाधीश, उसकी जगह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जायेगा।

(घ) ऐसी स्थिति मे जब कोई सदस्य अस्थाई रुप से छुट्टी पर होने की वजह से या अन्यथा अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश उसका कार्य किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(ड़) समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे प्रबंधकीय एवम् प्रशासनिक कार्यो, जो कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे आबंटित किये जाये, के निस्तारण हेतु ऐसे कार्यो का निर्वहन करेगा।

(च) प्रथम बार के लिये नामांकित 6सदस्यो मे से, दो सदस्य एक वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होगें और अन्य दो, मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार 2 वर्षो की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होगें।]

3 [24]**[***]**

4. <u>प्रशासनिक कार्यो का आबंटन-</u> प्रबंधन एवम् प्रशासनिक कार्य का मुख्य न्यायाधीश, [25][प्रशासनिक] न्यायाधीश, प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय, में आबंटन निम्न प्रकार से होगा।---

(क) मुख्य न्यायाधीश के लिये मामले

1. इन नियमो के प्रभावाधीन, अधीनस्थ न्यायालयो और **Vigilance Cell** की सामान्य निगरानी एवम् नियन्त्रण

2. विभिन्न समितियों एवम् [26][प्रशासनिक] न्यायाधीशो के कार्यो का समन्वय

24 हटाया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

25 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

26 उसी स्थान पर, संस्थित किया गया

3. किसी विनिर्दिष्ट मामले का परीक्षण करने के लिये न्यायाधीशों की समितियाँ गठित करना।

4.[27][प्रशासनिक] न्यायाधीशों को जिले सौंपना।

5. [28]**[**प्रशासनिक समिति के दो सदस्यों] के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों की उनके कार्यकाल के दौरान तैनाती एवम् स्थानान्तरण करना।

[29]**[6.** अधीनस्थ न्यायालयो के कर्मचारी का अन्तर जिलायी स्थानान्तरण करना।]

[30]**[7].**सभी अवशिष्ट मामले जो कि किसी समिति या [31][प्रशासनिक] न्यायाधीशों को आबंटित नहीं किये गये हैं।

(ख) [32][[33][प्रशासनिक] न्यायाधीशों के लिये मामले

1.अधीनस्थ न्यायालयो, अधिकरणों, जिला उपभोक्ता फोरमों एवम् सभी अन्य विशेष न्यायालयो, के न्यायिक कार्यों का पुनर्विलोकन और उनके कार्यो का नियन्त्रण करना जिसमे उनका निरीक्षण शामिल है, [34][प्रशासनिक] न्यायाधीश को सौंपे गये खण्ड मे नियुक्त अधिकारियो की वर्ण-नामावाली मे प्रविष्टियाँ अभिलिखित करना।

2.रिटर्नस् (Returns), कैलेन्डर्स (Calenders), Presiding Officers के द्वारा उनके कार्यालयों के संबंध मे बनायी गई निरीक्षण रिपोर्टों के मूल्यांकन, उन न्यायालयों, अधिकरणो, इत्यादि से प्राप्त Audit Reports, का अवलोकन करना तथा उन पर आदेश देना।

---

27 उसी स्थान पर, संस्थित किया गया

28 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

29 उसी स्थान पर, संस्थित किया गया

30 पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

31 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

32 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

33 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

34 उसी स्थान पर, संस्थित किया गया

3.[35][प्रशासनिक] न्यायाधीश द्वारा उसके प्रभार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी के न्यायिक कार्य, आचरण, या सत्यनिष्ठा पर की गई किसी प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना, संबंधित अधिकारी को संसूचित की जायेगी, जो कि अपना पक्ष, यदि कोई हो, एक माह के भीतर प्रस्तुत कर सकता है और जिसे प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारण एवम् निर्णय के लिये रखा जायेगा.।

4. [36][प्रशासनिक] न्यायाधीश के प्रभार के अधीन सेशन खण्ड मे नियुक्त अधिकारियों को अर्जित छुट्टी को प्रदान करना।

5. आकस्मिक अवकाश (जिसमे विशिष्ट आकस्मिक अवकाश शामिल है।) का प्रदान किया जाना और जिला तथा सेशन न्यायाधीश, अधिकरणों और विशेष न्यायालयो, इत्यादि के Presiding Officers, जो भी नियुक्त किये गये हों, के आवासों के निकट अवकाश की अनुमति।

6. अधीनस्थ न्यायालयो, के कर्मचारियों पर लगाये गये दण्ड के आदेशों एवम् उनके पक्ष प्रस्तुतिकरणो इत्यादि के विरुद्ध अपीलों का निस्तारण।

(ग) प्रशासनिक समिति के लिये मामले

1. अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों की वार्षिक तैनाती और स्थानांतरण।

2. अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवम् उनका वापस लिया जाना।

3.अनुशासनिक मामलों मे प्रारम्भिक रिपोर्ट का विचारण और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक पड़ताल कराने के लिये निर्देशित करना।

4. अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों का, अनुशासनिक पड़ताल के लंबित रहने पर, निलंबन।

[37]**[5].**अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टियाँ देना।

---

35 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

36 उसी स्थान पर

37 पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

[38]**[6].** अधिकारियों को Civil Judge और Chief Judicial Magistrate के Cadre का अल्पकालिक प्रमोशन देना।

[39]**[7].** [40][अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों का पुष्टिकरण करना, Selection grade पर प्रमोशन करना, उनके स्थान बदलना और वापस उसी स्थान पर लाना।]

[41]**[8].** अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों पर शक्तियों का मानाभिषेक करना।

[42]**[9].** पदों का सृजन एवम् उन्मूलन

[43]**[10].** अधीनस्थ न्यायालयो के मार्गदर्शन के लिये **'General letters'** तथा **'Circulars'** जारी करना। ऐसे **'Circulars'** तथा **'General letters'** की प्रतियाँ न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को भेजी जायेगी।

[44] **[11].** Working Hours को तय करना, अधीनस्थ न्यायालय के **Calenders** के लिये अवकाश और न्यायालयों के लिये छुट्टियों की सूची को तय करना।

[45]**[12].** मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक समिति को उल्लिखित मामले।

[46]**[13].** [47]**[**मामले, जिनमें केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय का मत माँगा गया हो।]

[48][**14].** अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों को Efficiency Bar को पार करने की अनुमति देना।

---

38 उसी स्थान पर

39 उसी स्थान पर

40 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

41 पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

42 उसी स्थान पर

43 पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

44 उसी स्थान पर

45 पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

46 उसी स्थान पर

47 खण्ड (घ) का खण्ड (10) पुन: संख्याकित किया गया नियम 13के रुप मे खण्ड (ग) में अधि0 सं0 8/VIII-C-151 दिनांक 06.04.1978, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक03.06.1978 (w.e.f. 03.06.1978)

15. छुट्टियों की सूची, Working Hours, अवकाश और न्यायालय के Calender को अंतिम रुप देना।

16. [49][प्रशासनिक] न्यायाधीश, की रिपोर्टो का निर्णय, जिसमे उसके द्वारा उसके प्रभार मे अधिकारी के संबंध मे अभिलिखित वार्षिक गोपनीय टिप्पणियाँ, शामिल हैं।

17. प्रतिकूल टिप्पणियों एवम् आलोचना से संबंधित समिति के निर्णयो के विरुद्ध Representations के लिये विचारण।

(घ) पूर्ण न्यायालय के लिये मामले

1. जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती और जिला न्यायाधीशों के Cadre पर प्रमोशन से संबंधित अनुशंसा सरकार को भेजना।

[50]**[2.** उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ' Super-time pay scale' प्रदान करना, पद अवनति करना, समय से पूर्व retirement देना और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों की आयु को 58वर्ष के बाद विस्तार देने से इन्कार करना।]

3. अधीनस्थ न्यायपालिका के अस्थाई अधिकारियों और Probationers की सेवाओ की समाप्ति करना।

4. [51][खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) तथा (ग) के उपखण्ड 4 (क) [52] के प्रभावाधीन], अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के संबंध मे अनुशासनिक पड़ताल की अन्तिम रिपोर्टो का विचारण और दण्ड और आगे कार्यवाही, से संबंधित निर्णय लेना।

5. विधायन या विधि मे परिवर्तन के लिये प्रस्ताव देना।

6. न्यायालय के नियमो को, बनाना और संशोधित करना।

---

48 संस्थित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

49 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151 (संशोधन पर्ची सं0 230) दिनांक14.02.2000द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-19.02.2000

50 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

51 जोड़ा गया अधि0 सं0 257/IV-F-46 दिनांक27.03.1979द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-26.04.1980

52 अब उपखण्ड (5) पढा जायेगा द्वारा, अधि0 सं0 C-1572 JR (S)/VIII-C-151, दिनांक01.08.1994द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, भाग-4 (Ka), दिनांक-01.08.1994

7. अधीनस्थ न्यायालयो के मार्गदर्शन के लिये नियमो को, बनाना और संशोधित करना।

8. सामान्य नीतिगत मामले और मामले जो न्यायालय की शक्तियों एवम् स्थिति को प्रभावित करते हों।

9. न्याय के प्रशासन की सामान्य वार्षिक रिपोर्ट का विचारण, सरकार को भेजी जायेगी।

[53]**[10.** मामले, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनिक समिति या कोई अन्य पाँच न्यायाधीश ठीक समझें, कि उन्हें पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिये।**]**

[54]**[5. <u>प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय का आचरण एवम् कार्य-व्यवहार (Business) -</u>**

प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय के कार्य-व्यवहार (Business) का प्रबंधन या तो 'Meeting' मे या 'Circulation' द्वारा किया जा सकेगा, परन्तु यह कि समिति से संबंधित मामलों की दशा मे और कोई तीन न्यायाधीश पूर्ण न्यायालय से संबंधित मामलों की दशा मे, इच्छुक हैं कि मामले को 'Meeting' मे रखा जाये, तो इसे ऐसे रखा जायेगा।]

[55]**[6]. <u>सर्क्ययुलेशन 'Circulation' के लिये प्रक्रिया-</u>**

व्यवहारत: जहाँ तक हो सके सर्क्युलेशन 'Circulation' के लिये Papers रजिस्ट्रार द्वारा इलाहाबाद एवम् लखनऊ के न्यायाधीशों को, कनिष्ठ न्यायाधीश से प्रारम्भ करते हुये उनकी वरिष्ठता के क्रम मे भेजे जायेगें। व्यवहारत: जहाँ तक हो सके रजिस्ट्रार प्रत्येक न्यायाधीश से ऐसे Papers उस तारीख से जब वे उसे भेजे गये हैं, तीन दिनो के भीतर प्राप्त करेगा। रजिस्ट्रार Papers पर उस तारीख का पृष्ठांकन करेगा जब वे भेजे गये है और उस तारीख का जब प्रत्येक न्यायाधीश से वापस प्राप्त हुये है। कोई न्यायाधीश, जो तत्समय इलाहाबाद या लखनऊ मे नहीं है, को Papers भेजना आवश्यक नही होगा।

[56]**[7. <u>न्यायाधीश का मत-</u>**

---

53 खण्ड (10) के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 8/VIII-C-151 दिनांक 06.04.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-03.06.1978

54 नियम 11 को हटाया गया और इसके स्थान पर नियम 5 संस्थित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

55 नियम 12 को नियम 6 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151 दिनांक 09.08.1977द्वारा,

56 नियम 13 को हटाया गया और इसके स्थान पर नियम 7 संस्थित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

जब कोई न्यायाधीश, अपना मत लिखित रुप मे, Papers जो उसके मत के लिये भेजे गये थे, उनकी प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, नहीं भेजता, उसने मामलो मे कोई मत व्यक्त करने से इन्कार कर दिया है समझा जायेगा।**]**

[57]**[8.<u>सर्क्युलेशन 'Circulation' के पश्चात कागजातों (Papers) को, मुख्य न्यायाधीश को जमा किया जायेगा</u>-**

किन्ही Papers को मत के लिये 'Circulate' किये जाने के बाद, उन्हें पुन:[58][∗∗∗] मुख्य न्यायाधीश, को जमा किया जायेगा [59][∗∗∗] और वह या तो निर्देश देगा यह कि उसके मत को शामिल करते हुये बहुमत के न्यायाधीशों के मत को प्रभाव मे लाया जाये या मामले को विचारण के लिये, न्यायाधीशों की मीटिंग या प्रशासनिक समिति की मीटिंग के समक्ष रखा जाये, जैसी भी स्थिति हो।]

[60]**9. <u>पूर्ण न्यायालयी मीटिंग-</u>**

मुख्य न्यायाधीश, जब कभी कार्य-व्यवहार (Business) जिसका निस्तारण किया जाना हो, पूर्ण न्यायालयी मीटिंग बुला सकता है।

परन्तु ----

(1) यह कि ग्रीष्मअवकाश को छोड़कर, पूर्ण न्यायालयी मीटिंग प्रत्येक तीन माह मे एक बार बुलायी जायेगी; और

(2) यह कि यदि पाँच से अन्यून न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश से ऐसी मीटिंग को बुलाने के लिये प्रार्थना की जाती है, तो यह प्रार्थना के एक सप्ताह के भीतर बुलायी जायेगी।**]**

[61]**[10. <u>प्रशासनिक समिति की मीटिंग-</u>**

---

57 नियम 14 को नियम8 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151 दिनांक 09.08.1977द्वारा,

58 हटाया गया, अधि0 सं0 19/VIII-C-151 दिनांक 09.08.1977द्वारा,

59 हटाया गया, अधि0 सं0 19/VIII-C-151 दिनांक 09.08.1977द्वारा,

60 नियम 15 को हटाया गया और नियम 9 को संस्थित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151 दिनांक 09.08.1977द्वारा,

61 संस्थित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक समिति के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक समिति की मीटिंग, जब कभी कार्य-व्यवहार (Business) जिसका निस्तारण किया जाना हो, बुलायी जा सकती है।**]**

[62]**[11. <u>न्यायाधीशो को मीटिंग की नोटिस-</u>**

(क) आपातकालिक दशा को छोड़कर रजिस्ट्रार संबंधित न्यायाधीशो को मीटिंग की तिथि, स्थान और जब ऐसी मीटिंग होनी है और ऐसी मीटिंग के समक्ष लाये जाने वाले कार्य-व्यवहार (Business) को, प्रशासनिक समिति की मीटिंग की दशा मे कम से कम एक स्पष्ट दिन की नोटिस और न्यायाधीशो की_मीटिंग की दशा मे कम से कम तीन स्पष्ट दिनो की नोटिस, पर देगा। आपातकालिक स्थिति मे रजिस्ट्रार वह सर्वोत्तम नोटिस जो वह दे सकता है, देगा। कोई न्यायाधीश, जो तत्समय इलाहाबाद मे नहीं है उसे प्रशासनिक समिति की मीटिंग की नोटिस दिया जाना आवश्यक नही होगा।

(ख) प्रशासनिक समिति की मीटिंग और पूर्ण न्यायालयी मीटिंग का **Agenda (**कार्यसूची) सामान्यत: मीटिंग से पूर्व, प्रशासनिक समिति की मीटिंग की दशा मे इसके सदस्यों, को और पूर्ण न्यायालयी मीटिंग की दशा मे सभी न्यायाधीशो को, 'Circulate' किया जायेगा और वे, यदि आवश्यक हो, अपने विचार समिति या पूर्ण न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष, विचारण के लिये रखे जाने वाले किसी मामले मे, लिखित रुप से रख सकते हैं।

(ग) जैसे ही, प्रशासनिक समिति किसी कार्य-व्यवहार (Business) को निस्तारित कर लेगी एक कथन, जो दर्शायेगा कि समिति के समक्ष क्या मामले रखे गये थे और मामला जिसे उसने निस्तारित किया है, सभी न्यायाधीशो की जानकारी के लिये 'Circulate' किया जायेगा।]

[63]**[12]. <u>कोरम (Quorum) -</u>** प्रशासनिक समिति की मीटिंग की दशा मे तीन व्यक्तियों तथा [64][पूर्ण न्यायालयी] की दशा में [65][20] व्यक्तियों का कोरम कार्य-व्यवहार (Business) के प्रबंधन के लिये आवश्यक होगा।

---

62 पुन: संख्याकित किया गया नियम 11 के रुप मे एवम् खण्ढ (क), (ख), (ग) इसके बाद जोड़े गये द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

63 नियम12के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

64 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

[66]**[13]. <u>मत की भिन्नता की दशा मे निर्णय-</u>** [67][पूर्ण न्यायालयी] मीटिंग या प्रशासनिक समिति की मीटिंग मे मत की भिन्नता की दशा मे, निर्णय उपस्थित न्यायाधीशो के बहुमत के मत के अनुसार लिया जायेगा और उस दशा मे जब उपस्थित न्यायाधीश बराबर मतों मे विभाजित हैं, मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति मे उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश के पास निर्णायक मत होगा।

[68]**[14]. <u>कार्यवाहियाँ अभिलिखित की जायेगीं-</u>**

रजिस्ट्रार, सभी [69] [पूर्ण न्यायालयी] मीटिंगों और प्रशासनिक समिति की मीटिंगों, मे उपस्थित होगा और संबंधित कार्यवृत्त पुस्तिकाओं मे ऐसी मीटिंग की कार्यवाहियों को अभिलिखित करेगा।कार्यवाहियों के अभिलेख से पहले रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एक कथन होगा जो दर्शायेगा कि कौन से न्यायाधीश मीटिंग मे उपस्थित थे और कार्य-व्यवहार (Business) जिसके लिये मीटिंग बुलायी गई थी।

[70]**[15]. <u>कार्यवृत्त पुस्तिकाओं की अभिरक्षा-</u>**कार्यवृत्त पुस्तिकायें, न्यायालय की आलमारी मे रखी जायेगीं और न्यायालय परिसर से, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से पूर्ववर्ती नियम मे दिये उद्देश्य के लिये सिवाय रजिस्ट्रार के, नहीं हटायी जायेगीं।

[71]**[16]. <u>इस अध्याय मे दी गई प्रक्रिया के अनुसरण मे किसी अनियमितता या चूक का प्रभाव-</u>** इस अध्याय मे दी गई प्रक्रिया के अनुसरण मे किसी अनियमितता या चूक का, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश या किसी किये गये कार्य की वैद्यता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

65, संख्या (20) को प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-2, दिनांक 16.02.1990द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.04.1991

66 उसी स्थान पर नियम 13 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया

67 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

68 नियम 14के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

69 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

70 नियम 15 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

71 नियम 16 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

[72][17]. <u>अवकाश के दौरान न्यायालय के प्रबंधन एवम् प्रशासनिक कार्य-व्यवहार</u> <u>(Business)</u> <u>का निस्तारण-</u>

न्यायालय के अवकाश के दौरान, अर्जेन्ट (Urgent) और रुटीन (Routine) मामले जो मुख्य न्यायाधीश या [73][प्रशासनिक] न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार मे आते हैं, उन्हें कार्यरत और इलाहाबाद मे उपस्थित Senior Vacation Judge के समक्ष आदेशों के लिये रखा जायेगा।

परन्तु यह कि अर्जेन्ट (Urgent) मामले, ऐसे Senior Vacation Judge के समक्ष, यदि मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनिक न्यायाधीश आसानी से उपलब्ध न हो, केवल तभी रखे जायेगें और यह कि मामले जिनमे 'Decision of policy' अपेक्षित हो उसके समक्ष नही रखे जायेगें।

<u>व्याख्या-</u> इस नियम के उद्देश्यों के लिये, अर्जेन्ट-रुटीन (Urgent-Routine) मामलों का अर्थ (1) विधान-सभा तथा संसद, प्रश्नों से, (2) अन्य राज्यो के उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली पूछताछ (3) राज्य और केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावित उत्तर (4) न्यायालय के स्टाफ के बिलों (Bills) को प्रतिहस्ताक्षरित (Countersign) करना (5) न्यायालय के स्टाफ और अधिकारियों तथा न्यायालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन न्यायिक अधिकारियों को एडवान्स (Advance), न्यायालय के अधिकारियों तथा न्यायियक अधिकारियों, को अर्जित (Earned) एवम् मेडिकल लीव (Medical leave) तथा शीर्षक'G-Works' के अधीन अधीनस्थ न्यायालयो के कोष को, अनुमत करना (6) अवकाश के दौरान प्रबन्ध के लिये जिला न्यायाधीशो द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव।

---

72 नियम 17 के रुप मे पुन: संख्याकित किया गया द्वाराअधि0 सं0 19/VIII-C-151, दिनांक 09.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.08.1977

73 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-C-151, दिनांक 14.02.2000द्वारा

अध्याय IV: शपथपत्र एवम् ओथ कमिश्नर

1. **ओथ कमिश्नर की नियुक्ति-**

मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों जिन्हें कि वह ओथ कमिश्नर होने के लिये ठीक समझे नियुक्त कर सकता है, अवधि या अवधियों को बताते हुये जिसके लिये उन्हें ऐसे नियुक्त किया गया हो।

2. **फीस-**

ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथपत्रों के सत्यापन के लिये ऐसी फीस का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा निर्धारित की जाये।

3. **रजिस्टर-**

ओथ कमिश्नर एक या अधिक रजिस्टरों का रखरखाव करेगा जिनमे पहले शपथ लिये गये प्रत्येक शपथपत्र के संबंध मे निम्न विवरण होगें, उनमें, नामत:-

(क) क्रम संख्या (Serial Number)

(ख) शपथपत्र बनाये जाने का समय और तिथि,

(ग) वाद का विवरण जिससे कि शपथपत्र सम्बंधित है,

(घ) शपथपत्र बनाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण,

(ड़) उसे पहचानने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण,

(च) भुक्त फीस,

(छ) ओथ कमिश्नर का नाम जिसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली गई है, और

(ज) ओथ कमिश्नर के हस्ताक्षर और टिप्पणियाँ, यदि कोई हों,

मुख्य न्यायाधीश, समय-समय पर रखरखाव किये जाने वाले रजिस्टरों की संख्या नियत कर सकता है और उसमे प्रविष्ट किये जाने वाले अपेक्षित विवरणों को बढा या परिवर्तित कर, सकता है।

रजिस्टरों को, रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा।

4. **शपथपत्र पर क्रम संख्या (Serial Number), इत्यादि होगें-**

प्रत्येक शपथपत्र, जिस पर अभिलिखित होगी संख्या, और रजिस्टर का वर्ष जिसमे इसे प्रविष्ट किया गया है और क्रम संख्या (Serial Number) और प्रविष्ट की तिथि। इस पर कूपन (Coupon) भी लगा होगा, जो कि न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है और इस पर ओथ कमिश्नर द्वारा चिपकाया गया है।

परन्तु यहकि अन्य राज्यों के ओथ कमिश्नरों द्वारा, [74][उत्तर प्रदेश राज्य मे जेल के ऑफिसर द्वारा], [75][उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) के कार्यालय के सुपरिटेन्डेन्ट-कम-एकाउन्टेन्ट द्वारा (Superintendent-cum-Accountant) द्वारा], [76] [और लखनऊ मे पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल (Inspector General) के कार्यालय मे पुलिस सब- इन्स्पेक्टर (Sub- Inspector) (पुरुष) द्वारा] सत्यापित शपथपत्र को, जिनको कि ओथ कमिश्नर की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, न्यायालय के समक्ष बगैर ऐसे कूपनो (Coupons) के प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. **<u>ओथ कमिश्नर के कर्तव्य-</u>**

ओथ कमिश्नर, उसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ लेने की अनुमति तब तक प्रदान नही करेगा जब तक कि यह इस अध्याय के उपबन्धों के अनुपालन मे न हो।

6. **<u>फीस का वितरण-</u>**

भुगतान की गई फीस सभी ओथ कमिश्नरो मे इस प्रकार बाँटी जायेगी जैसा कि मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर निर्देशित करे।

7. **<u>ओथ कमिश्नर का हटाया जाना-</u>**

मुख्य न्यायाधीश उसके विवेक से, ओथ कमिश्नर को उसके कार्यालय से हटा सकता है।

8. **<u>न्यायालय मे दाखिल या प्रस्तुत शपथपत्र-</u>**

अध्याय IX के नियम 5, 6, और 11के उपबन्ध, जहाँ तक सम्भव हो, न्यायालय मे दाखिल या प्रस्तुत किये गये शपथपत्र को लागू होगें। यह न्यायालय की भाषा मे होगा और जिसका सामान्य शीर्षक होगा ---

“In the High Court of Judicature at Allahabad “

शपथपत्र और उससे संलग्न प्रत्येक प्रदर्श को, वाद या कार्यवाही के विवरणों से, जिसमे की इस पर शपथ ली गई है, चिन्हित किया जायेगा।

शपथपत्र मे कोई ऐसा कथन नही होगा जो कि मत या बहस को व्यक्त करने की प्रकृति में हो।

9. **<u>व्यक्तियों और स्थानो के पूर्ण विवरणो को दिया जायेगा-</u>**

---

74 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 5/VIII-C-177, दिनांक 02.11.1976 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-04.12.1977

75 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 119/VIII-C-177, दिनांक22.02.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-09.09.1980

76 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-27.12.1984

शपथपत्र इस पर शपथ लेने वाले व्यक्ति का ऐसे विवरणो के साथ पूर्ण वर्णन करेगा, जो उसकी स्पष्ट पहचान को सुनिश्चित करेगें जैसे कि उसका पूरा नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसका धार्मिक विश्वास, जीवन मे उसका स्थान या उपाधि, उसका व्यवसाय, संबोधन, पेशा या व्यापार और उसका वास्तविक निवास स्थान। शपथपत्र मे उल्लिखित किसी व्यक्ति या स्थान को पूर्णरुप से ऐसे बताया जायेगा कि उसकी या इसकी, पहचान को स्पष्ट रुप से सुनिश्चित किया जा सके।

10. **<u>व्यक्ति जो शपथपत्र बना सकते हैं-</u>**

जब तक विधि या इन नियमो द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, शपथपत्र पर शपथ किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसमे शपथ के साथ कहे गये तथ्यों को जानता हो, ली जा सकेगी।

दो या अधिक व्यक्तियों को एक शपथपत्र मे एक साथ, जिनमे से प्रत्येक अलग-अलग शपथ के साथ ऐसे तथ्यों को जो उसके ज्ञान मे हैं का कथन करेगा, लाया जा सकता है।

11. **<u>शपथपत्र का प्रारुप-</u>**

जब शपथकर्ता तथ्यों को जो उसकी जानकारी मे है, कहता है वह ऐसा सीधे और पक्के तौर पर, "मैं पुष्ट करता हूँ "या "मैं शपथ लेता हूँ और कहता हूँ" शब्दों या इसी प्रभाव के शब्दों का इस्तेमाल करते हुये, कहेगा।

12. **<u>तथ्य शपथकर्ता की जानकारी में होंगे या स्त्रोत का कथन किया जायेगा-</u>**

अन्तर्वर्ती आवेदनो को छोड़कर, शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होंगे जिन्हें कि शपथकर्ता उसके निजी ज्ञान से साबित करने मे समर्थ हो।

अन्तर्वर्ती आवेदनो पर, जब एक विशिष्ट तथ्य शपथकर्ता के उसके निजी ज्ञान मे नहीं है किन्तु उसके विश्वास या दूसरों से प्राप्त जानकारी जिसे वह सत्य मानता हो, पर आधारित है, शपथकर्ता निम्न अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा ---

"मुझे सूचित किया गया है और निश्चित तौर पर विश्वास करता हूँ कि ऐसी सूचना सत्य है।" या उस प्रभाव के शब्दों का और व्यक्ति या व्यक्तियों जिससे उसकी सूचना प्राप्त हुई थी, को पहचानने के उद्देश्य से पर्याप्त वर्णन करेगा।

जब कोई तथ्य दस्तावेज से प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जाता है, दस्तावेज के पूर्ण विवरणो को दिया जायेगा और शपथकर्ता पुष्टि करेगा कि वह विश्वास करता है कि ऐसी जानकारी सत्य है।

13. **<u>शपथकर्ता की पहचान-</u>**

शपथपत्र पर शपथ लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि व्यक्तिगत तौर पर जिसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जानी है उस व्यक्ति द्वारा नहीं जाना जाता, उस व्यक्ति के समक्ष उसके द्वारा ज्ञातव्य व्यक्ति द्वारा पहचाना जायेगा; और ऐसी दशा मे व्यक्ति जिसके समक्ष शपथपत्र बनाया गया है, शपथपत्र के नीचे उस व्यक्ति के नाम, पते और वर्णन का, जिसके द्वारा ऐसी पहचान की गई थी, कथन करेगा।

एक व्यक्ति द्वारा ऐसी पहचान की जा सकेगी --

(क) जो व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति से परिचित हो जिसकी पहचान की जानी है।; या

(ख) जो तर्कसंगत रुप से उसकी पहचान के संबंध मे सन्तुष्ट हो गया हो।

परन्तु यह कि पश्चातवर्ती दशा मे, व्यक्ति जो ऐसे पहचान करता है शपथपत्र के नीचे घोषणा, जो निम्न प्रारुप मे होगी, पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद ऐसी घोषणा पर उसकी उपस्थिति मे ऐसे पहचाने गये व्यक्ति के अँगूठे का निशान लगाया जायेगा, नामतः

घोषणा का प्रारुप

मैं (नाम, वर्णन और पता) घोषणा करता हूँ यहकि मैं नीचे दिये गये आधारों पर सन्तुष्ट हूँ और यह कि व्यक्ति जो यह शपथपत्र बना रहा है और स्वयं को अ.ब. घोषित कर रहा है वही व्यक्ति है।

(यहाँ आधार कहें)

14. **<u>पर्दानशीन महिला द्वारा शपथपत्र-</u>**

कोई शपथपत्र जिस पर, महिला, जो उस व्यक्ति जिसके समक्ष शपथपत्र बनाया गया था की उपस्थिति मे बगैर पर्दे के प्रकट नही हुई थी, के द्वारा शपथ लिया जाना अभिप्रायित है तब तक प्रयुक्त नही किया जायेगा जब तक कि नियम 13 मे बताये गये तरीके से वह पहचान न ली गयी हो और शपथपत्र के साथ उसकी पहचान करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पहचान करते समय परिस्थतियों, जिसमे वह व्यक्तिगत रुप से उसके द्वारा जानी गई थी, का वर्णन करने वाला या वह सन्तुष्ट हुआ था यहकि वह ऐसी महिला है जैसा कि वह स्वयं को उसके शपथपत्र मे होना कह रही है, एक अलग से शपथपत्र न दिया हो।

15. **<u>शपथकर्ता को शपथपत्र का समझाया जाना-</u>**

व्यक्ति जिसके सम्मुख शपथपत्र पर शपथ ली गई है, शपथकर्ता से पूछेगा कि क्या उसने शपथपत्र पढ लिया है और उसकी अन्तर्वस्तुओं को समझ लिया है। यदि शपथकर्ता कहता है कि उसने इसे नही पढा अथवा प्रतीत होता है कि अन्तर्वस्तुओं को नहीं समझता है अथवा वह इसकी भाषा नहीं जानता, वह इसे पढेगा और इसकी व्याख्या करेगा या उसकी उपस्थिति मे ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से इसे पढवायेगा और व्याख्या करवायेगा। जब तक

कि वह सन्तुष्ट न हो जाये यह कि शपथकर्ता इसकी अन्तर्वस्तुओं को पूरी तरह समझता है वह शपथपत्र पर शपथ लिये जाने को अनुमत नही करेगा।

16. **<u>शपथपत्र का जब्त किया जाना-</u>**

जब ओथ कमिश्नर को प्रतीत होता है यह कि शपथपत्र कि अन्तर्वस्तुओं को शपथकर्ता नही बना सकेगा या नही समझेगा, वह इसे जब्त कर लेगा और इसे रजिस्ट्रार को ऐसा कदम, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उठाने के लिये अग्रसारित करेगा। जब इस नियम के अधीन शपथपत्र जब्त कर लिया जाता है, तब व्यक्ति जो इसे जब्त करता है उस पर, तिथि जिस पर और परिस्थितियों जिनमे इसे जब्त किया गया था को लिखित मे सत्यापित करेगा।

17. **<u>शपथकर्ता द्वारा शपथ अथवा पुष्टि-</u>**

शपथपत्र बनाने वाले व्यक्ति को शपथ या पुष्टि देने वाला व्यक्ति, **Indian Oaths Act, 1873** के उपबन्धों का अनुसरण करेगा।--

निम्न प्रारुप निर्धारित किये गये है नामतः ---

शपथ

मैं शपथ लेता हूँ कि यह, मेरी घोषणा सत्य है; यह कि इसमे कुछ भी नही छिपाया गया है और यह कि इसका कोई भी भाग असत्य नही है। अतः ईश्वर मेरी मदद करे।

पुष्टि

मैं सत्यनिष्ठा के साथ पुष्ट करता हूँ कि यह मेरी घोषणा सत्य है इसमे कुछ भी नही छिपाया गया है और यह कि इसका कोई भी भाग असत्य नही है।

18. **<u>शपथपत्र मे संशोधन-</u>**

शपथपत्र मे सभी Interlineations, Alterations या Erasures, इस पर शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा तथा जिसके समक्ष शपथ ली गई है उस व्यक्ति द्वारा, अद्याक्षरित होगें। ऐसे Interlineations, Alterations या Erasures ऐसे तरीके से किये जायेंगे कि मूल मामला मिटने न पाये या इसे पढना असम्भव या मुश्किल न हो जाये। उस दशा मे जब ऐसे मामले को मिटा दिया गया है जिससे इसे पढना असम्भव या मुश्किल हो जाये, इसे पुनः रिक्त स्थान पर, उस व्यक्ति द्वारा जिसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली गई है, लिखा एवम् अद्याक्षरित किया जायेगा।

कोई Interlineation, Alteration या Erasure, शपथपत्र पर शपथ लेने के बाद नही किया जायेगा।

19. **<u>पुष्टिकरण का प्रमाणपत्र--</u>**

व्यक्ति जिसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली गई है, शपथपत्र के नीचे के स्थान पर, शपथपत्र पर उसके समक्ष शपथ लिये जाने के तथ्य को, उस तरीके से कि उसने नियम 15का अनुपालन किया है प्रमाणित करेगा और शपथपत्र पर शपथ लेने की तारीख और समय को डालेगा और उसमे उल्लिखित किन्ही प्रदर्शो को चिन्हित, अद्याक्षरित और तारीखांकित करेगा।

20. **बहुत ज्यादा संशोधनो वाले शपथपत्र को नही स्वीकारा जायेगा--**

न्यायालय या रजिस्ट्रार, शपथपत्र को लेने से इन्कार कर सकता है जिसमे इतने ज्यादा Interlineations, Alterations या Erasures दिखाई पड़े कि इसे व्यवहारिक बनाने के लिये उचित होगा यह कि शपथपत्र को पुनः लिखा जाना चाहिये।

21. **निर्वचन**

इस अध्याय मे “शपथपत्र” मे, याचिका या अन्य दस्तावेज जिनमे शपथ लिया जाना अपेक्षित है, शामिल है और “शपथ” मे “पुष्टि” शामिल है।

अध्याय V: एकल आसीन होने वाले या खण्ड न्यायालयों मे आसीन होने वाले न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार

1. **<u>बेन्च (Bench) का गठन-</u>**

न्यायाधीश अकेले या ऐसे खण्ड न्यायालयों मे जैसी कि समय-समय पर गठित की जाये, बैठेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जैसा की मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा या उसके निर्देश के अनुसार, उन्हें सौंपा जाये।

2. **<u>एकल न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार</u>**-

जब तक कि इन नियमों या अन्य विधि द्वारा उपबन्धित न हो, निम्न वाद एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुने एवम् निस्तारित किये जायेंगे। नामतः --

(i) अपील या प्रति-आपत्ति, के ज्ञापन या आवेदन य़ा एकपक्षीय अंतरिम आदेश के लिये आवेदन की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव।

[77] [(ii) (क) डिक्री से सिविल [78][***] द्वितीय अपील (Second Appeal), जिसमें राजस्व न्यायालय मे संस्थित वाद से उत्पन्न अपील, जिसमें अपील का मूल्य क्षेत्राधिकार के उद्देश्य के लिये [79][एक लाख] रुपये से ज्यादा नही है, शामिल है।

[80] [(कक) डिक्री से प्रथम अपील, जो कि संस्थित कि गई है[81] [the U.P. Civil Laws Amendment Act of 1991 (U.P. Act No.17 of 1991)] के प्रारम्भ के पहले [82][या बाद] में, जिसमे, राजस्व न्यायालय मे संस्थित वाद से उत्पन्न अपील, जिसमे अपील का मूल्य क्षेत्राधिकार के उद्देश्य के लिये [83][दो लाख] रुपये से ज्यादा नही है, शामिल है।]

---

77 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं037/VIII-C-150 दिनांक18.02.1958द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-22.02.1958

78 हटाया गया अधि0 सं0360/IV-G-24दिनांक 22.08.1969द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.09.1969

79 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C.S. 221 दिनांक31.05.1991द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक-24.08.1991

80 संस्थित किया गया अधि0 सं0 360/IV-C-24 दिनांक-22.08.1979द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.09.1979

81 संस्थित किया गया अधि0 सं0 322/IV-C-2 दिनांक-02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.10.1984

82 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 C.S. 221 दिनांक31.05.1991द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक-24.08.1991

83 उसी स्थान पर

(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अधीन अपील

(ग) कोई अन्य सिविल अपील जिसमे अपील का मूल्य [84][दो लाख] रुपये से ज्यादा नही है। [85][परन्तु यह कि जहाँ मूल्य के आधार पर न्यायालयी फीस (Court fee) का भुगतान किया जा चुका है ऐसा मूल्य समझा जायेगा, राशि जिस पर ऐसी न्यायालयी फीस (Court fee) का भुगतान किया गया है।]

(iii) सिविल पुनरीक्षण

(iv) आवेदन, अपील या आवेदन को वापस लेने के लिये या सहमति डिक्री या आदेश के लिये, जो कि अविवादित है या जो कि एक वाद मे बनायी गई है, जिसे कि इन नियमों के अधीन एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकता है।

(v) कोई अन्य आवेदन जो कि नही है --

(क) एक वाद, जो एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा नही सुना जा सकता, मे Indian Limitation Act, 1963 की धारा 5के अधीन आवेदन [86][∗∗∗]

(ख) [87][∗∗∗]

(ग) आवेदन [88] [अंतरिम आदेश के लिये आवेदन को छोड़कर], जिस पर अध्याय XXII, भाग IV लागू होता है।

(घ) आवेदन [89] [अंतरिम आदेश के लिये आवेदन को छोड़कर], जिनका इन नियमो या अन्य विधि द्वारा दो या अधिक न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा सुना जाना अपेक्षित है।

(ड़) आवेदन [90] [अंतरिम आदेश के लिये आवेदन को छोड़कर], जो कि अध्याय IXनियम10 के अधीन किया जाये।; या

(च) [91][∗∗∗]

---

84 उसी स्थान पर

85 संस्थित किया गया अधि0 सं0138/VIII-C-150 दिनांक-01.06.1959द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-09.04.1960

86 हटाया गया अधि0 सं020/VIII-C-150, दिनांक 18.08.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.08.1977

87 हटाया गया अधि0 सं0261/VIII-C-17, दिनांक 29.04.1975 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-24.01.1976

88 संस्थित किया गया अधि0 सं0 20/VIII-C-150, दिनांक-18.08.1977, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.08.1977

89 संस्थित किया गया अधि0 सं0 20/VIII-C-150, दिनांक-18.08.1977, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.08.1977

90 उसी स्थान पर

(vi) न्यायालय के, उसके, साधारण या असाधारण, आरंभिक सिविल वसीयती या वैवाहिक क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे जिसमें Indian Trusts Act, 1882: [92][Companies Act, 1956] या Indian Patents and Designs Act, 1911; के अधीन कार्यवाही शामिल है, समक्ष आने वाले वाद या वाद की प्रकृति की कार्यवाही।,

(vii) क्रिमिनल (Criminal) अपील, आवेदन या निर्देश, निम्न को छोड़कर

(क) वाद, जिसमे मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा चुका है, मे अपील या निर्देश की [93][स्वीकृति की स्थिति से जिसमे जमानत के बाद विचारण शामिल है।]

[94] [(ख) दोषमुक्ति के आदेश से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील [95][उस अपराध के संबंध मे जिसके लिये अधिकतम दण्ड या तो आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड है।]

(ग) [96][***]

(घ) वाद जिसमे [97][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के अधीन] आरोपी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये और कारण प्रदर्शित करने के लिये कि क्यों न उसकी सजा बढा दी जाये, नोटिस जारी की जा चुकी है।

(ड़) [98][***]

(च) आवेदन जिन पर अध्याय XXI, भागIV लागू होता है।

(viii) न्यायालय के इसके, साधारण या असाधारण, आरंभिक आपराधिक क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे इसके समक्ष आने वाला वाद।

---

91 हटाया गया उसी स्थान पर

92 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

93 जोड़ा गया, अधि0 सं0140/VIII-C-2 दिनांक16.05.2006, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.05.2006 (w.e.f.27.05.2006)

94 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

95 जोड़ा गया, अधि0 सं0552, दिनांक21.11.1995, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-4 (Ka) दिनांक-29.11.1995

96 हटाया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

97 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

98 हटाया गया उसी स्थान पर

(ix) [99][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340, 341 या343 के अधीन पारित आदेश] से अपील या पुनरीक्षण परन्तु यह कि

(क) मुख्य न्यायाधीश निर्देशित कर सकता है यह कि कोई वाद या वादों का वर्ग, जो कि एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकेगा दो या अधिक न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा सुना जायेगा [100][या यह कि कोई वाद या वादों का वर्ग जो दो या अधिक न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा सुना जा सकेगा एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जायेगा।]

(ख) कोई न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, किसी वाद को जो एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकेगा या उसमे उद्भूत किसी विधि के प्रश्न को निर्णय के लिये वृहद बेन्च को निर्देशित कर सकता है, और

(ग) कोई न्यायाधीश जिसके समक्ष, Indian Trusts Act, 1882: [101]**[Companies Act, 1956] या Indian Patents and Designs Act, 1911; के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से,** एक या अधिक न्यायाधीशों का सहयोग ऐसी कार्यवाही या उसमें उद्भूत किसी प्रश्न या प्रश्नो की, सुनवाई और विनिश्चयन के लिये प्राप्त कर सकेगा।

[[102]**<u>3. तीन न्यायाधीशों द्वारा निर्णीत किये जाने वाले वाद-</u>**

Indian Stamp Act, 1899, की धारा 57 या 60 के अधीन निर्देश को, उस बेन्च द्वारा, जिसमे तीन से कम न्यायाधीश नहीं होंगे, सुना और निस्तारित किया जायेगा।]

4. <u>लीगल प्रैक्टिसनर्सएक्ट, 1879 (Legal Practitioners Act, 1879) के अधीन कार्यवाही-</u>

(1) किसी प्लीडर या मुख्तार के विरुद्ध Legal Practitioners Act, 1879 के अधीन किसी कदाचार या किसी आपराधिक कृत्य के लिये उसकी दोषसिद्धि के संबंध मे की गई कार्यवाही बेन्च, जिसमे दो से कम न्यायाधीश नहीं होंगे, के द्वारा सुनी और निस्तारित की जायेगी।

(2) Legal Practitioners Act, 1879 की धारा 36 के अधीन कोई पड़ताल बेन्च, जिसमे दो से कम न्यायाधीश नहीं होंगे, के द्वारा की जायेगी।

5. <u>संविधान के अनुच्छेद 228 के अधीन वापस लिये गये वाद -</u>

---

99 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

100 उसी स्थान पर

101 उसी स्थान पर

102 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

एक वाद जो कि न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 228 के अधीन वापस लिया गया है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रुप से नियुक्त दो या अधिक न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा सुना जायेगा।

6. लार्जरबेन्च (Larger Bench) को निर्देश-

मुख्य न्यायाधीश, दो या अधिक न्यायाधीशों की बेन्च, किसी वाद या किसी विधि के प्रश्न, जो कि वाद को सुनने वाली बेन्च द्वारा सूत्रित किया गया है, के विनिश्चय के लिये गठित कर सकता है। पश्चातवर्त्ती दशा मे ऐसे सूत्रित प्रश्न पर ऐसी बेन्च का निर्णय वाद को सुनने वाली बेन्च को वापस भेजा जायेगा और यह कि बेन्च ऐसे प्रश्न पर दिये गये निर्णय का अनुसरण करेगी और शेष प्रश्नों, यदि कोई उसमे उत्पन्न हों, का निर्धारण करने के बाद वाद का निस्तारण करेगी।

7. न्यायालय के समक्ष या की उपस्थिति में अवमानना--

जहाँ अवमानना जैसा कि [103][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345] के द्वारा विचारणीय है, न्यायालय के समक्ष की जाती है, न्यायाधीश या न्यायाधीशों जिनके समक्ष ऐसी अवमानना की गई है, उस अधिनयम की पश्चातवर्त्ती धाराओं के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

8. दो न्यायाधीशों द्वारा सुने जाने वाले वाद-

जब तक कि इन नियमों या अन्य विधि या मुख्य न्यायाधीश के किसी सामान्य या विशेष आदेश से, अन्यथा उपबन्धित न हो, प्रत्येक अन्य वाद [104][जिसमे रिट (Writ) याचिकायें जिनमें स्पेशल अपील पर रोक नही है, शामिल है।] दो न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा सुना और निस्तारित किया जायेगा।

9. वरिष्ठ न्यायाधीश-

मुख्य न्यायाधीश के किसी सामान्य या विशेष आदेश के प्रभावाधीन, इलाहाबाद और लखनऊ के वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अपने-अपने स्थानों पर बेन्चों के प्रबन्ध, वादों के सूचीबद्ध किये जाने और अन्य समान मामलों के संबंध में उनके क्षेत्राधिकार इस्तेमाल करेंगे।

10. अवकाश के दौरान कार्यरत न्यायाधीश-

---

103 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

104 संस्थित किया गया अधि0 सं0 653/VIII-C-17, दिनांक-12.09.1975, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.09.1975

(1) ऐसे न्यायाधीशों द्वारा जिन्हे कि उद्देश्य के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाये, आपराधिक मामलों का कार्य कार्यवाही के लिये अवकाश के दौरान जारी रहेगा। [105][नवीन मामलों जिनमे उनके मत मे अविलम्ब ध्यान देना आवश्यक है, वे न्यायालय मे निहित आरम्भिक, अपीलीय, पुनरीक्षणय, सिविल या रिट (Writ) क्षेत्राधिकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।]

ऐसा क्षेत्राधिकार, उन मामलों मे भी जो नियमों के अधीन दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा संज्ञेय है, इस्तेमाल किया जा सकेगा जब तक कि किसी अन्य विधि द्वारा अपेक्षित न हो कि वाद को एक से अधिक न्यायाधीश द्वारा सुना जाये।

[106] [(2). मुख्य न्यायाधीश के किसी सामान्य या विशेष आदेश के प्रभावाधीन, इलाहाबाद या लखनऊ में, वरिष्ठतम अवकाशकालीन न्यायाधीश (Vacation Judge), जैसी भी स्थिति हो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति मे इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति है में बेन्चों के प्रबन्ध, वादों के सूचीबद्ध किये जाने, और अन्य समान मामलों के संबंध में उनके क्षेत्राधिकार इस्तेमाल करेंगे।]

11. [107]<u>[अर्जेन्ट आवेदनों] (Urgent Application) की चैम्बर मे सुनवाई-</u>

(1) Indian Trusts Act, 1882: [108][Companies Act, 1956] या Indian Patents and Designs Act, 1911; के अधीन कोई कार्यवाही या उसमे उदभूत कोई प्रश्न या उसमें किया गया कोई आवेदन, उसे सुनने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीशों, के विवेक पर चैम्बर मे सुना जा सकेगा। अन्य कोई आवेदन या एकपक्षीय प्रस्ताव न्यायालय मे किया जायेगा जब तक कि न्यायाधीश जिसके समक्ष इसे किया गया है, इसे चैम्बर मे करने की अनुमति प्रदान नही कर देता।

[109][उस दिन जब न्यायालय आसीन नहीं है, Urgent Applications को न्यायाधीश या बेन्च को गठित करने वाले न्यायाधीशों, जिसने ठीक पूर्व के कार्यदिवस पर उसी तरह के आवेदनों

---

105 संस्थित किया गया अधि0 सं0 10/VIII-C-150, दिनांक-06.05.1978, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-13.05.1978

106 संस्थित किया गया अधि0 सं0 39/VIII-C-150, दिनांक19.02.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-16.12.1965

107 उसी स्थान पर

108 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

109 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0973/VIII-C-19 दिनांक05.12.1974 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.01.1975

को उसकी या उनकी अनुमति से चैम्बर या उसके या उनके निवास पर प्राप्त किया था, प्रस्तुत किया जा सकेगा। परन्तु यहकि यदि न्यायाधीश या बेन्च को गठित करने वाले न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो मुख्य न्यायाधीश एक अन्य बेन्च गठित कर सकता है।]

(3) अवकाश के दौरान Urgent Application अवकाशकालीन न्यायाधीश (Vacation Judge) की अनुमति से चैम्बर या उसके निवास पर किया जा सकता है।

12. <u>पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-</u>

न्यायनिर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा, वह उस पर उस तिथि का जब उसे प्रस्तुत किया गया था, का पृष्ठांकन करेगा और उसे यथाशीघ्र उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों के समक्ष, जिन्होंने ऐसा न्यायनिर्णय दिया था, न्यायालयी फीस की पर्याप्तता और समयसीमा की ऑफिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों या उनमे से कोई एक या अधिक न्यायाधीश, अब न्यायालय से नहीं जुड़े हैं, तो आवेदन को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा, जो संहिता के आदेश XLVII के नियम 5 के उपबन्धों को ध्यान मे रखते हुये ऐसे आवेदनों को सुनने के लिये बेन्च नामांकित करेगा।

[110][परन्तु यह कि एक न्यायाधीश के न्यायनिर्णय से पुनर्विलोकन के लिये आवेदन, जिसे डिक्री या आदेश के विचारण के आवेदन जिससे कि आवेदन संबंधित है की प्रस्तुति के पश्चात अगले छः माह के लिये अनुपस्थिति या अन्य कारण से रोक दिया गया है, एकल न्यायाधीश द्वारा सुना और व्ययनित किया जायेगा। और यह कि दो या अधिक न्यायाधीशों के न्यायनिर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन, एक या अधिक या जिसे या जिनको, डिक्री या आदेश के विचारण के आवेदन जिससे कि आवेदन संबंधित है की प्रस्तुति के पश्चात अगले छः माह के लिये अनुपस्थिति या अन्य कारण से रोक दिया गया है, ऐसी बेन्च द्वारा सुना और व्ययनित किया जायेगा जिसमे समान या अधिक संख्या मे न्यायाधीश होंगे।]

[[111]**व्याख्या-** इस नियम के उद्देश्यों के लिये अभिव्यक्ति “अब न्यायालय से नहीं जुड़े हैं” के अर्थ मे स्थाई रुप से बैठने के स्थान से इस अध्याय के नियम 17 के अधीन निर्देशों के कारण, बीमारी या अन्य कारण से, अनुपस्थित होना शामिल है समझा जायेगा।]

13. <u>उसी विषय पर पश्चातवर्त्ती आवेदन उसी बेन्च द्वारा सुना जायेगा-</u>

110 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0436/VIII-C-2, दिनांक27.07.1983 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-13.08.1983

111 संस्थित किया गया अधि0 सं0 226/VIII-C-90, दिनांक13.05.1964 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-05.12.1964

पूर्ववर्त्ती आवेदन जैसे समान प्रभाव का या समान विषयवस्तु का कोई आवेदन, जिस पर कि बेन्च ने कोई आदेश, अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को निर्देशित करने के आदेश को छोड़कर, दिया है सामान्यतः अपील के माध्यम के अलावा किसी अन्य बेन्च द्वारा नहीं सुना जायेगा।

आवेदन जब उस व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति की तरफ से प्रस्तुत किया गया था जिसने या जिसकी तरफ से पहले ऐसा आवेदन किया गया था, ऐसे पूर्ववर्त्ती आवेदन के आवश्यक विवरणों, उस पर दिये गये आदेश की प्रकृति और तारीख तथा उस न्यायाधीश या न्यायाधीशों के नाम जिन्होंने ऐसा आदेश पारित किया था, देगा।

14. <u>टाइड-अप केसेज (Tied-up Cases) --</u>

(1) वाद, जो किसी बेन्च द्वारा आंशिक रुप से सुना गया है, सामान्यतः उसी बेन्च के सामने निस्तारण के लिये रखा जायेगा। एक वाद जिसमे बेन्च ने विपक्षी पक्षकार को केवल नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया है या एकपक्षीय आदेश पारित किया है ऐसा वाद ऐसी बेन्च द्वारा आंशिक रुप से सुना गया है, नहीं समझा जायेगा।

(2) जब आपराधिक पुनरीक्षण केवल दण्ड की कठोरता के प्रश्न पर स्वीकार किया गया है; इसे सामान्यतः उसी बेन्च, जिसने की इसे स्वीकार किया है; के द्वारा सुना जायेगा।

15. <u>टाइड-अप केसेज (Tied-up Cases) में आवेदन-</u>

वाद मे कोई आवेदन, जो पूर्ववर्त्ती नियम के अधीन एक विशिष्ट बेन्च द्वारा सुना जायेगा, सामान्यतः ऐसी बेन्च द्वारा सुना जायेगा।

16. <u>कॉज् लिस्ट (Cause List) मे प्रविष्टित वाद मे आवेदन-</u> वाद मे आवेदन, जो कि Cause Listमे एक बेन्च के समक्ष प्रकट होता है, सामान्यतः ऐसी बेन्च के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. <u>न्यायाधीशों के आसीन होने का स्थान-</u>

मुख्य न्यायाधीश, किसी न्यायाधीश के स्थाई रुप से बैठने के स्थान को सुनिश्चित करेगा और समय-समय पर इलाहाबाद के न्यायाधीश को ऐसी अवधि, जिसे वह निर्धारित करे, के लिये लखनऊ मे बैठने के लिये निर्देशित करेगा और विलोमतः/ विपरीत क्रम मे

आलोक श्रीवास्तव

अध्याय VI: वादों की सुनवाई और स्थगन

1. **<u>ऑर्डर शीट (Order Sheet) -</u>**

(1) जैसे ही, अपील, निर्देश या आवेदन, जो अध्याय IX के नियम (1) के उपनियम (1) के अधीन एक अलग वाद के रुप मे रजिस्ट्रीकृत और संख्याकित किया जा सकेगा, प्राप्त होता है उससे Order Sheet निर्धारित प्रारुप मे जोड़ी जायेगी।

(2) जहाँ अपील या आवेदन, न्यायालय मे या रजिस्ट्रार के समक्ष, प्रस्तुत किया जाता है, Order Sheet पर प्रथम प्रविष्टि संबंधित Reader (पेशकार) द्वारा बनायी जायेगी। निर्देश के मामले मे यह संबंधित क्लर्क द्वारा बनाई जायेगी।

(3) प्रविष्टि, तारीख जिस पर कि अपील या आवेदन प्रस्तुत किया गया था या ऑफिस मे निर्देश प्राप्त हुआ था, को प्रदर्शित करेगी। यह उस तिथि पर दिये गये आदेश, यदि कोई हो, को भी अभिलिखित करेगी।

2. **<u>ऑर्डर शीट (Order Sheet) कालानुक्रम मे होगी-</u>**

ऑर्डर शीट, कालानुक्रम मे वाद के इतिहास और वाद मे पारित किये गये सभी आदेशों और सभी ऑफिस रिपोर्टों, जिसमे प्रक्रिया फीस के भुगतान न किये जाने, नोटिस की तामीली आदि से संबंधित रिपोर्टों जो कि उस पर प्रविष्ट की जायेंगी, शामिल हैं, का सम्पूर्ण अभिलेख होना आशयित होगी।

3. **<u>अन्तर्वर्ती आवेदन पर आदेश-</u>**

जहाँ, जब न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा आदेश बनाया गया है Order Sheets, Reader (पेशकार) के पास नहीं हैं, वह फौरन इसके लिये भेजेगा और उस पर आवश्यक प्रविष्टि बनायेगा।

4. **<u>ऑर्डर शीट (Order Sheet) का रखरखाव-</u>**

(1) नयी ऑर्डर शीट पर तब तक कोई प्रविष्टि नही की जायेगी जब तक कि पूर्ववर्त्ती शीट पर उपलब्ध सभी स्थानों का उपयोग न कर लिया गया हो। ऑर्डर शीट में, निरन्तर क्रम में उतनी शीटें होगीं जितनी की आवश्यक हों।

(2) ऑर्डर शीट पर एक सामान्य संख्या होगी, उसकी विभिन्न शीटों को अलग से उपसंख्यायें दी जायेंगी।

(3) जब आदेश, न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा ऑर्डर शीट पर अभिलिखित किया जाता है, उसकी एक टिप्पणी, जिससे कि आदेश संबंधित है, कागज पर Reader (पेशकार) द्वारा

बनाई जायेगी। जब न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया आदेश कहीं और अभिलिखित किया जाता है, उसकी प्रविष्टि Reader (पेशकार) द्वारा ऑर्डर शीट पर बनाई जायेगी।

(4) न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा ऑर्डर शीट पर दर्ज किये गये सभी आदेशों और ऑर्डर शीट पर अन्यत्र अभिलिखित आदेशों की सभी प्रविष्टियों को क्रम से संख्याकित किया जायेगा।

(5) ऑर्डर शीट पर अभिलिखित सभी ऑफिस रिपोर्टें, संबंधित क्लर्क द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखांकित होगी, तारीख हस्ताक्षर के तुरन्त नीचे प्रविष्ट की जायेगी।

(6) ऑर्डर शीट को अलग आवरण में रखा जायेगा और यह संबंधित मुन्सरिम का दायित्व होगा कि वह देखे कि इसका ठीक ढंग से रखरखाव किया गया है और यह अच्छी दशा में संरक्षित की गयी है।

5. **<u>तैयार वादों की सूची-</u>**

मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के प्रभावाधीन, रजिस्ट्रार, सभी तैयार और संभवतः सुनवाई के लिये रखे जाने वाले वादों की सूची का प्रकाशन समय-समय पर कारित करवायेगा।

6. **<u>कारण सूची (Cause List) -</u>**

रजिस्ट्रार, ऐसे निर्देशों, जो मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर दे, के प्रभावाधीन, प्रत्येक दिन जिस पर न्यायालय आसीन होता है, के लिये Cause List (कारण सूची) तैयार करवायेगा, जिसमें वादों की सूचियाँ होंगी जो कि न्यायालय के भिन्न बेन्चों द्वारा सुनी जा सकेंगीं। सूची यह भी बतायेगी कि प्रत्येक बेन्च, किस समय और किस कक्ष में बैठेगी।

7. **<u>पार्ट-हर्ड केसेज् (Part-heard Cases) -</u>**

एक वाद, जो दिन के अन्त तक अंशतः सुने जाने से बच जाये, जब तक कि संबंधित न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा अन्यथा आदेशित न हो, Cause List (कारण सूची) मे दिन के लिये, जिस पर न्यायाधीश या न्यायाधीशों के आसीन होने के बाद, प्रकीर्ण वादों, यदि कोई हों, के बाद सर्वप्रथम लिया जायेगा। सूची मे प्रविष्टितः प्रत्येक अंशतः सुना गया वाद जब तक कि बेन्च अन्यथा आदेश न दे, आगे चल सकेगा चाहे वाद मे उपस्थित होने वाला उपस्थित हो या न हो।

परन्तु यह कि यदि कोई अंशतः सुना गया वाद, बेन्च गठित करने वाले किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों की अनुपस्थिति के कारण दो माह से अधिक समय के लिये नहीं सुना जा सकता, तो मुख्य न्यायाधीश ऐसे अंशतः सुने गये वाद को किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष नये सिरे से सुने जाने के लिये, रखने का आदेश दे सकता है।

8. **<u>वाद जिसमे, तारीख निर्धारित की गई है-</u>**

एक वाद जिसमें सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जा चुकी है, जहाँ तक संभव हो, Cause List (कारण सूची) में प्रकीर्ण और अंशतः सुने गये वाद के तुरन्त बाद रखा जायेगा।

9. **<u>यदि नोटिसों की तामीली की गई है, वाद को निर्धारित तिथि पर व्ययनित किया जा सकेगा -</u>**

यदि किसी वाद या अन्य मामले की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि पर, यह प्रतीत होता है कि अपेक्षित नोटिसों की ठीक ढंग से तामीली की जा चुकी है ऐसे वाद या अन्य मामले को उस दिन (निर्धारित तिथि पर) न्यायालय द्वारा व्ययनित किया जा सकेगा। किन्तु यदि इसे उस दिन (निर्धारित तिथि पर) व्ययनित नहीं किया जाता, सुनवाई की तिथि की कोई अतिरिक्त सूचना, Cause List (कारण सूची) मे उस दिन, जब इसे सुना जायेगा की प्रविष्टि को छोड़कर, आवश्यक नहीं होगी।

10. **<u>कारण सूची (Cause List) में, वादों को उनके क्रम मे बुलाया जायेगा-</u>**

बेन्च की Cause List (कारण सूची) मे वादों को, जब तक कि बेन्च द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये, उसी क्रम मे जिसमें कि वे सूची मे हैं बुलाया और व्ययनित किया जायेगा।

11. **<u>पक्षकार के आवेदन पर स्थगन-</u>**

सिविल वादों मे, उन्हें छोड़कर जहाँ पक्षकारों की सहमति से स्थगन किया जाता है या जहाँ नोटिस, की अपर्याप्तता से या के अभाव के कारण पक्षकार वाद कि सुनवाई के लिये इसे तैयार करने मे समर्थ नहीं हो पाया है, न्यायालय स्थगन प्रदान करते समय, पक्षकार जिसने कि ऐसे स्थगन के लिये आवेदन किया है को, विपक्षी पक्षकार या उसके अधिवक्ता को ऐसे खर्च देने के लिये निर्देशित कर सकता है जो इसे तर्कसंगत लगे।

12. **<u>न्यायालय, आवेदन पर किसी वाद को उसके स्थान पर बने रहने या स्थगित किये जाने का आदेश दे सकता है-</u>**

इसे किये गये आवेदन पर, बेन्च, इसके समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किसी वाद को, दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये उसके स्थान पर Cause List (कारण सूची) मे बने रहने के लिये या ऐसी अवधि, जिसे न्यायसंगत समझा जाये, के लिये स्थगन किये जाने का आदेश दे सकेगी। जहाँ स्थगन तीन दिनों से ज्यादा अवधि के लिये नहीं माँगा गया है, आवेदन मौखिक रुप से किया जा सकेगा। यह विचारित करने मे कि क्या कोई कारण पर्याप्त है, अन्य पक्षकार की तरफ से की गई किसी आपत्ति को ध्यान में रखा जायेगा।

इस नियम के अधीन किया गया प्रस्ताव, जैसे ही बेन्च दिन के लिये कार्य शुरु करती है, किया जायेगा और सामान्यतः यदि इसे किसी अन्य समय किया जाता है तो नहीं सुना जायेगा।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि दिन के लिये पर्याप्त कार्य न हो।

13. **<u>किसी पक्षकार को Cause List (कारण सूची) मे वाद के अपने स्थान पर रखे रहने के लिये, अधिवक्ता की व्यस्तता कहीं और होने के कारण, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा-</u>**

किसी पक्षकार को Cause List (कारण सूची) मे वाद को अपने स्थान पर रखे रहने के लिये, इस आधार पर कि उसका अधिवक्ता या ब्रीफहोल्डर, किसी अन्य बेन्च के समक्ष व्यस्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

फिर भी बेन्च किसी वाद को सूची मे उसके स्थान पर बने रहने के लिये आदेश दे सकेगी यदि ऐसा अधिवक्ता या ब्रीफहोल्डर, वाद मे अकेला है, और वास्तव में किसी अन्य बेन्च के समक्ष एक वाद मे बहस कर रहा है या वाद मे अकेला है, जो कि वास्तव में किसी अन्य बेन्च द्वारा सुना जायेगा और वाद मे बुलाये जाने से पूर्व Bench reader (बेन्च के पेशकार) को लिखित सूचना दे दी है कि वह किसी अन्य बेन्च के समक्ष ऐसे व्यस्त है।

फिर भी वाद को सामान्यतः ऐसे उसके स्थान पर नहीं रखा जायेगा जब तक कि सूची में कोई अन्य वाद न हो जिसमें पक्षकार या उनके अधिवक्ता न्यायकक्ष में तैयार एवम् उपस्थित हों, जिससे कि वाद को उसी समय आगे बढाया जा सके।

अधिवक्ता का यह दायित्व होगा कि जैसे ही वाद जिसमें वह उपरोक्त बताये तरीके से अन्य बेन्च में व्यस्त है, समाप्त हो जाये की सूचना Bench reader (बेन्च के पेशकार) को दे।

सामान्यतः वाद को एक बार से ज्यादा उसके स्थान पर इस नियम के अधीन Cause List (कारण सूची) मे रखे रहने नहीं दिया जायेगा।

14. **<u>यह आवेदन की वाद को किसी विशिष्ट दिन या दिनो पर सूचीबद्ध न किया जाये-</u>**

(1) मुख्य न्यायाधीश किसी पक्षकार के आवेदन पर आदेश दे सकता है कि वाद को Cause List (कारण सूची) मे किसी विशिष्ट दिन या दिनों पर नहीं रखा जायेगा।

(2) ऐसे आवेदन पर ठीक ढंग से स्टैम्प (Stamp) लगा होगा और यह आवेदक या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा और रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रजिस्ट्रार की इस टिप्पणी, जो यह दर्शायेगी कि वह मात्रा जिससे, यदि थोड़ी भी हो, न्यायालय के कार्य मे दखल पड़ेगा यदि आवेदन को प्रदान कर दिया होता, के साथ आदेशों के लिये रखा जायेगा।

15. **<u>अधिवक्ता का उसके वादों को आगे बढाने के लिये आवेदन -</u>**

(1) मुख्य न्यायाधीश, अधिवक्ता के आवेदन पर उसके वादों को ऐसे समय के लिये, जैसा कि वह उचित समझे, आगे बढा सकता है यदि वह सन्तुष्ट होता है कि ऐसे आगे बढाया

जाना, विवाह, मृत्यु या बीमारी या अन्य किसी अपरिहार्य या अतिआवश्यक कारण से आवश्यक है।

(2) इस नियम के अधीन आवेदन, उन वादों की सूची के साथ होगा जिनके विषय मे, अवसर या अवसरों, यदि कोई हों, जब ऐसे किसी वाद को इस नियम के अधीन पहले भी आगे बढाया गया था, को बताते हुये, उनका आगे बढाया जाना इच्छित है। यह वादों जिनमे सुनवाई की तिथि बेन्च द्वारा निर्धारित की गई है को भी दर्शायेगी। यदि बाद मे आवेदन में इस संबंध मे कोई लोप या अशुद्धि पाई जाती है या यदि कोई अधिवक्ता जिसके ऐसे आवेदन को अनुमति दी गई है, न्यायालय की बेन्चों मे किसी के समक्ष, या किसी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल मे उपस्थित पाया जाता है उन दशाओं को छोड़कर जहाँ आगे बढाये जाने का आदेश विशेष रुप से किसी विशिष्ट न्यायालय या ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थिति के आधार पर दिया गया है, किसी भी दशा मे, चाहे आदेशों, स्वीकृति या सुनवाई के लिये, वादों को आगे बढाने के लिये आवेदन स्वतः रद्द हो जायेगा।

16. **<u>न्यायाधीश द्वारा निर्धारित तिथि का परिवर्तन-</u>**

यदि किसी वाद मे सुनवाई की तिथि न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसी तारीख मे कोई भी परिवर्तन, जहाँ तक संभव हो, उससे परामर्श करने के बाद ही किया जायेगा।

17. **<u>कारण सूची (Cause List) पर वाद के अभिलेख का निरीक्षण-</u>**

वाद के सुनवाई के लिये बुलाये जाने से पूर्व, बेन्च या बेन्चरीडर की अनुमति के सिवाय, किसी अधिवक्ता को बेन्च की Cause List (कारण सूची) मे प्रविष्ट वाद के अभिलेख तक पहुँचने की अनुमति नहीं होगी। वाद मे बहस की प्रगति के दौरान, पक्षकारों के अधिवक्ताओ मे से कोई भी, जब यह वस्तुतः बेन्च को निर्देशित न किया गया हो या बेन्च द्वारा परीक्षित न किया जा रहा हो, अभिलेख तक पहुँच सकता है।

अध्याय VII: न्यायनिर्णय और डिक्री

1. <u>न्यायनिर्णय का घोषित किया जाना-</u>

(1) वाद के सुने जाने के पश्चात न्यायनिर्णय को या तो तुरन्त घोषित किया जा सकेगा या भविष्य की किसी तिथि पर, [112][जिसकी सूचना पक्षकारों के अधिवक्ताओं को दी जायेगी। परन्तु यह कि Cause List (कारण सूची) में अधिसूचना पर्याप्त नोटिस समझी जायेगी।]

(2) जहाँ वाद को दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्यायनिर्णय को सुरक्षित रखा जाता है, उनके न्यायनिर्णय या न्यायनिर्णयों को, उनमे से किसी एक के द्वारा घोषित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कोई न्यायधीश उपस्थित नहीं है तो ऐसे न्यायनिर्णय या न्यायनिर्णयों को किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा घोषित किया जा सकेगा।

[113] [(3) जहाँ वाद को एकल न्यायाधीश द्वारा सुना जाता है और न्यायनिर्णय को सुरक्षित रखा जाता है, उसके न्यायनिर्णय को, उसकी अनुपस्थिति मे, किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा घोषित किया जा सकेगा।]

2. <u>न्यायनिर्णय या आदेश को अभिलिखित किया जायेगा --</u>

न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक न्यायनिर्णय या आदेश को अभिलिखित किया जायेगा। जहाँ एक लिखित न्यायनिर्णय या आदेश दिया जाता है, ऐसा न्यायनिर्णय या आदेश अभिलेख का भाग तैयार करेगा। जहाँ न्यायनिर्णय या आदेश मौखिक रुप से खुले न्यायालय मे दिया जाता है यह Judgment Clerk द्वारा लिखा जायेगा और उसकी लिखित प्रतिलिपि अभिलेख का भाग तैयार करेगी।

3. <u>न्यायनिर्णय या आदेश की लिखित प्रतिलिपि, Judgment Clerk द्वारा तैयार की जायेगी-</u>

Judgment Clerk द्वारा तैयार की गई न्यायनिर्णय या आदेश की लिखित प्रतिलिपि, वाद की पेपरबुक जिससे कि वह संबंधित है के साथ, ऐसे न्यायनिर्णय या आदेश के दिये जाने की तिथि से एक सप्ताह में, उसके द्वारा दाखिल की जायेगी। वह लिखित प्रतिलिपि को अद्याक्षरित करेगा और उसके नीचे प्रविष्ट करेगा उस तिथि को जिस पर ऐसा न्यायनिर्णय

---

112 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 90/VIII-C-90 दिनांक30.03.1956द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-09.06.1956

113 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 1409 दिनांक03.02.1953द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-14.02.1953

या आदेश दिया गया था और उस तिथि को जिस पर की लिखित प्रतिलिपि को वाद की पेपरबुक के साथ दाखिल किया गया था।

4. न्यायनिर्णय या आदेश, को न्यायालय की Seal से मुद्रित किया जायेगा --

(1) जब Judgment Clerk द्वारा तैयार न्यायनिर्णय या आदेश की लिखित प्रतिलिपि, वाद की पेपरबुक के साथ दाखिल की जा चुकी है, Bench Reader, इसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों, जिन्होंने इसे दिया था, को पेश करेगा। ऐसे संशोधनों जिन्हें आवश्यक समझा जाये के किये जाने के बाद, ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा तब इसे हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित किया जायेगा। उसके पश्चात न्यायालय की Seal से Bench Reader द्वारा इसे मुद्रित किया जायेगा।

(2) जहाँ न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों मे से कोई, जिनके द्वारा न्यायनिर्णय या आदेश दिया गया था, मृत्यु, बीमारी या सेवा निवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है; वहाँ लिखित प्रतिलिपि को मुख्य न्यायाधीश को पेश किया जायेगा और इसे उसके आदेशों के अधीन ऐसे न्यायाधीश के हस्ताक्षर के बगैर मुद्रित किया जा सकेगा; ऐसे न्यायनिर्णय या आदेश पर उस प्रभाव का पृष्ठांकन रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन किया जायेगा।

(3) जहाँ एक लिखित न्यायनिर्णय या आदेश दिया जाता है, यह इसे देने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित किये जाने के पश्चात, Bench Reader द्वारा न्यायालय की Seal से मुद्रित किया जायेगा।

5. न्यायाधीशों के निजी सहायक-

प्रत्येक न्यायाधीश से एक निजी सहायक जुड़ा होगा, जो उसके Judgment Clerk की तरह कार्य करेगा। यदि निजी सहायक, उपस्थित नहीं है या न्यायाधीश को एक अन्य Judgment Clerk की जरुरत है, तो कार्यरत वरिष्ठतम निजी सहायक आवश्यक प्रबन्ध करेगा।

6. डिक्री या औपचारिक आदेश का तैयार किया जाना-

वाद या वाद की प्रकृति की कार्यवाही या डिक्री से अपील की सुनवाई किये जाने और निर्णीत किये जाने के बाद, डिक्री न्यायनिर्णय का अनुसरण करेगी। अन्य मामलों मे जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो औपचारिक आदेश, वाद का अंतिम रुप से निस्तारण करने वाले आदेश या अन्य आदेश, जिसके द्वारा खर्चों को प्रदान किया गया है, का अनुसरण करेगा।

7. वाद के खर्चों का करारोपण-

(1) जहाँ न्यायालय ने आदेश पारित किया है यह कि पक्षकार उनके वाद के खर्चों का भुगतान करेंगे या यह कि वाद का कोई खर्च अनुमत नहीं होगा या समान प्रभाव का आदेश या वाद के खर्चों के संबंध मे कोई आदेश पारित नहीं किया है, वाद के किसी खर्च पर करारोपण अनुमत नहीं किया जायेगा सिवाय ऐसी राशि के, जिसके भुगतान को किसी पक्षकार द्वारा किये जाने का आदेश वाद के परिणाम पर विचार किये बगैर दिया गया है।

(2) जहाँ एक पक्षकार केवल आंशिक रुप से सफल होता है और वाद के खर्चों का ऐसे पक्षकार की सफलता के अनुपात में भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है, इसे देय सभी कर योग्य खर्च की राशि अनुपाततः घटा दी जायेगी।

8. <u>डिक्री या औपचारिक आदेश की अन्तर्वस्तुयें-</u>

(1) डिक्री या औपचारिक आदेश को न्यायालय की भाषा में तैयार किया जायेगा और इस पर वह तारीख लिखी होगी जिस पर न्यायनिर्णय या आदेश, जिस पर इसे प्राप्त किया गया है दिया गया था।

[114][परन्तु यह कि हिन्दी को इंग्लिश के स्थान पर, वैकल्पिक आधार पर, न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में, इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसा न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश, उसके अधिकृत इंग्लिश अनुवाद के साथ होगा।]

(2) इसमें, वाद की प्रकृति, संख्या और वर्ष, पक्षकारों के नाम और वर्णन, उनके अधिवक्ताओं के नाम और प्रदान किये गये उपचार या दिये गये अन्य अधिनिर्णयन का स्पष्ट विवरण होगा।

(3) यह, वाद मे लगे खर्च की राशि का और किसके द्वारा और किस अनुपात मे ऐसे खर्चों या निचले न्यायालय के खर्चों, यदि कोई हों, का भुगतान किया जायेगा, कथन करेगा।

9. <u>आपत्ति के लिये डिक्री या औपचारिक आदेश की नोटिस-</u>

जैसे ही डिक्री या औपचारिक आदेश को तैयार कर लिया जाता है, रजिस्ट्रार नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस, जो कथन करेगी यह कि डिक्री या औपचारिक आदेश को तैयार कर लिया गया है, को प्रदर्शित करवायेगा। नोटिस आगे कथन करेगी यह कि इसका कोई पक्षकार या इसका अधिवक्ता नोटिस मे दी गई निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उसका अवलोकन और हस्ताक्षर कर सकता है या उस पर रजिस्ट्रार को, इस आधार पर कि डिक्री या आदेश में लिपिकीय त्रुटि या लोप है या यह कि वह न्यायनिर्णय या आदेश जिस पर इसे पाया गया है,

---

114 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 35/X-e-5दिनांक24.01.9172द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक-10.11.1973 (w.e.f. 10.11.1973)

के अनुसार नहीं है, आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी आपत्ति, यदि कोई है, स्पष्ट रुप से कथन करेगी कि कौन सी कथित लिपिकीय त्रुटि या लोप हुआ है या किस प्रकार से डिक्री या औपचारिक आदेश, या न्यायनिर्णय या आदेश के अनुसार नहीं है। इसे दाखिल करने वाले पक्षकार या अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवम् तारीखांकित किया जायेगा।

10. <u>आपत्ति की प्रक्रिया-</u>

जहाँ पूर्ववर्त्ती नियम के अधीन आपत्ति दाखिल की गई है, रजिस्ट्रार संबंधित पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात किसी मामले को न्यायाधीश को स्थगन की स्वतन्त्रता के साथ, जिसके द्वारा ऐसा न्यायनिर्णय या आदेश Chamber में दिया गया था, ऐसी आपत्ति का निर्धारण करेगा। यदि ऐसा न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो मामले को ऐसे न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा जिसे मुख्य न्यायाधीश नामित करे।

11. <u>डिक्री या औपचारिक आदेश को हस्ताक्षरित और मुद्रित किया जायेगा-</u>

(1) रजिस्ट्रार या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, के निर्देश के अनुसार डिक्री या औपचारिक आदेश के सुधारे जाने या परिवर्तित किये जाने के पश्चात, इसे डिप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और न्यायालय की Seal से मुद्रित किया जायेगा।

(2) यदि नोटिस मे निर्धारित की गई तिथि की समाप्ति तक कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार डिक्री या औपचारिक आदेश को हस्ताक्षरित करेगा और न्यायालय की Seal से इसे मुद्रित करेगा।

[115][लखनऊ बेन्च में, जैसे भी हो, उपनियम (1) और (2) में वर्णित डिप्यूटी रजिस्ट्रार के कार्य को असिसटेन्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा और उसकी अनुपस्थिति में बेन्च के ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार द्वारा।]

---

115 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 209/VIII-e-19दिनांक25.04.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग-II, दिनांक-29.06.1974.

अध्याय VIII: प्रकीर्ण उपबन्ध

खण्ड (क): न्यायालय की सील (Seal)

1. <u>न्यायालय की सील (Seal) -</u>

न्यायालय रखेगा और इस्तेमाल करेगा Seal को, जहाँ अवसर की माँग हो, जिस पर एक यन्त्र लगा होगा और "अशोक के स्तम्भ शीर्ष" की छाप होगी जो कि "The Seal of the High Court at Allahabad", और शब्दों "सत्यमेव जयते" जो कि देवनागरी लिपि मे लिखा होगा, के साथ उसका घेराव करते हुये Label के बाहर की ओर उठा होगा। कथित Seal, मुख्य न्यायाधीश को दी जायेगी और उसकी अभिरक्षा मे ऐसे तरीके से रखी जायेगी जो वह ठीक समझे और मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की रिक्तता की अवस्था मे या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के दौरान, यह दी जायेगी और रखी जायेगी उस व्यक्ति की अभिरक्षा में जिसे मुख्य न्यायाधीश के रुप मे कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है। सभी रिटों (Writs), समनों, सिद्घान्तों, नियमों, आदेशों तथा अन्य आज्ञापक प्रक्रियाओं, जो कि न्यायालय द्वारा इस्तेमाल, जारी या प्रदान किये जायेंगे, न्यायालय के नाम से एवम् ढंग से चलेंगे और कथित Seal से मुद्रित किये जायेंगे।

खण्ड (ख): एकल आसीन और खण्ड न्यायालयों मे आसीन न्यायाधीश

2. <u>एकल आसीन और खण्ड न्यायालय की शक्तियाँ-</u>

कोई कार्य जो न्यायालय द्वारा इसके आरम्भिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार मे किया जा सकेगा, किसी न्यायाधीश या खण्ड न्यायालय, जिसे कि संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुपालन मे ऐसे उद्देश्य के लिये नियुक्त या गठित किया गया है, के द्वारा किया जा सकेगा।

3. **<u>प्रक्रिया जब न्यायाधीशों के मत विभाजित हों-</u>**

जब एक वाद [116][जिसमे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.] खण्ड न्यायालय जो दो या अधिक न्यायाधीशों से बना है, के द्वारा सुना जाता है और न्यायाधीशों के मत, किसी बिन्दु पर जिस पर निर्णय दिया जाना है के संबंध में विभाजित हैं, ऐसा बिन्दु

---

116 जोड़ा गया द्वारा अधि0 सं0 220/VIII-C-90 दिनांक12.11.1955प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-03.12.1955[

बहुमत के मत के अनुसार निर्णीत किया जायेगा, यदि बहुमत होगा। यदि न्यायाधीश बराबर मतों मे विभाजित हैं वे उस बिन्दु जिस पर वे भिन्न मत रखते हैं, का कथन कर सकते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश उस पर अपना मत अभिलिखित करेगा। तब वाद को उस बिन्दु पर एक या अधिक, अन्य न्यायाधीशों, जैसा कि मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित किया जाये, के द्वारा सुना जायेगा और बिन्दु को न्यायाधीशों, जिन्होंने वाद को सुना है उन्हें शामिल करते हुये जिन्होंने इसे पहले सुना था, के बहुमत के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।

खण्ड (ग): न्यायालय का सिविल क्षेत्राधिकार

4. **<u>न्यायालय का असाधारण आरम्भिक सिविल क्षेत्राधिकार-</u>**

न्यायालय, किसी वाद जो होता है या आता है किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर जो न्यायालय के अधीक्षण के प्रभावाधीन है, असाधारण आरम्भिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रुप मे वाद को हटा सकता है और विचारण कर सकता है और निर्धारण कर सकता है, जब वह या तो पक्षकारों की सहमति से उस प्रभाव के लिये या न्याय के उद्देश्यों के लिये, ऐसा करना उचित है, समझता हो, ऐसा करने का कारण न्यायालय की कार्यवाहियों मे अभिलिखित किया जायेगा।

[[117]5 <u>स्पेशल अपील-</u>

एक न्यायाधीश के न्यायनिर्णय से अपील न्यायालय में लाई जायेगी, जो, न्यायालय के अधीक्षण के प्रभावाधीन रहने वाले न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश के संबंध मे अपीलीय क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे पारित न्यायनिर्णय नहीं है या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे या इसके अधीक्षण की शक्ति के इस्तेमाल में या आपराधिक क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे या [118] [(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन, संविधान की सातवीं अनुसूची मे राज्य सूची या समवर्ती सूची मे वर्णित किन्हीं मामलों के संबंध में, बनाये गये या इस्तेमाल मे लाने के उद्देश्य से या क्षत्राधिकार के इस्तेमाल के उद्देश्य से, एक अधिकरण, न्यायालय या सांविधिक माध्यस्थ के,

---

117 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 345/VIII-C-150, दिनांक 06.11.1963द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 05.12.1964

118 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 436/VIII-C-2, दिनांक 27.07.1983द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 13.08.1983

(ख) किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सरकार या किसी ऑफिसर या प्राधिकरण, जो बनाया गया है या इस्तेमाल मे लाने के उद्देश्य से या अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के उद्देश्य से, के

किसी न्यायनिर्णय या आदेश या अवार्ड (Award) के संबंध मे संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में], पारित आदेश नहीं हैं।]

6. <u>एक न्यायाधीश द्वारा न्यायनिर्णय के वाद में, वाद अपील के लिये उपयुक्त एक है की घोषणा के लिये आवेदन-</u>

[119][∗∗∗]

7. <u>गार्जियनशिप ज्युरिश्डिक्शन (Gaurdianship Jurisdiction) --</u>

न्यायालय, व्यक्तियों तथा नवजात, मूर्ख तथा उन्मत्त की भूसंपत्तियों, के संबंध मे, इसके क्षेत्रीय न्यायाधिकार मे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के प्रभावाधीन, समान शक्तियाँ और प्राधिकार रखेगा जैसे कि जो अब इसके द्वारा विधिपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है।

8. <u>वसीयती और गैर वसीयती क्षेत्राधिकार --</u>

न्यायालय, अंतिम इच्छापत्रों तथा वसीयतनामों के प्रोबेटों (Probates) के तथा गैर वसीयती मरने वाले व्यक्तियों के सामानों, चल संपत्तियों, ऋणों तथा अन्य सभी प्रभावों, जो भी हों, के प्रशासनपत्रों (letters of administration) के, प्रदान किये जाने के सम्बंध मे, समान शक्तियाँ तथा प्राधिकार रखेगा जैसे कि जो अब इसके द्वारा विधिपूर्वक इस्तेमाल की जाती हैं ताकि किसी विधि के उपबन्धों मे दखल न हो जिसके द्वारा किसी अन्य न्यायालय को ऐसे प्रोबेटों (Probates) तथा प्रशासनपत्रों (letters of administration) को प्रदान करने की शक्ति दी गई है।

9. <u>वैवाहिक क्षेत्राधिकार --</u>

न्यायालय इसके क्षेत्रीय न्यायाधिकार के भीतर पक्षकारों के बीच वैवाहिक मामलों मे क्षेत्राधिकार रखेगा ताकि ऐसे मामलों मे किसी क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल मे दखल न हो जो इसके क्षेत्राधिकार के भीतर किसी अन्य न्यायालय के पास विधिपूर्वक रुप से है।

---

119 हटाया गया द्वाराअधि0 सं0 345/VIII-C-150, दिनांक 06.11.1963द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 05.12.1964

खण्ड (घ): न्यायालय का आपराधिक क्षेत्राधिकार

10. **<u>साधारण आरम्भिक आपराधिक क्षेत्राधिकार --</u>**

न्यायालय, इसके क्षेत्रीय न्यायाधिकार के भीतर सभी व्यक्तियों के संबंध मे साधारण आरम्भिक आपराधिक क्षेत्राधिकार रखेगा और ऐसे क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल करते हुये सभी व्यक्तियों जो विधि के स्थापित तरीके से इसके समक्ष लाये जाते है के विचारण के लिये समर्थ होगा।

11. **<u>असाधारण आरम्भिक आपराधिक क्षेत्राधिकार --</u>**

न्यायालय, सभी व्यक्तियों, जो इसके अधीक्षण के प्रभावाधीन किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर किन्हीं स्थानों मे निवास करते है, पर असाधारण आरम्भिक आपराधिक क्षेत्राधिकार रखेगा और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों, जो इसके समक्ष, किसी मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा इस तरफ से विशेष रुप से अधिकृत अन्य ऑफिसर द्वारा दायित्व दिये जाने पर, लाये जाते हैं, का इसके विवेक पर विचारण करने के लिये प्राधिकार रखेगा।

खण्ड (ड़): नोटिस की तामीली

12. <u>डाक या प्रकाशन द्वारा नोटिस की तामीली ---</u>

कोई नोटिस विधि द्वारा या इन नियमों द्वारा बताये गये तामीली के अन्य तरीके के अलावा या के अतिरिक्त, यदि ऐसा आदेशित हो तो इसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस व्यक्ति को संबोधित कर जिस पर इसकी तामीली की जानी है, को भेजकर या इसे [120][एक दैनिक समाचारपत्र जो उस क्षेत्र में जिसमें प्रतिवादी अन्तिम बार वास्तव में और स्वैच्छिक रुप से, रहता हो, व्यापार करता हो या लाभ के लिये व्यक्तिगत रुप से काम करता हो, जाना जाता है, प्रसारित (Circulate) होता हो] मे प्रकाशित कर, तामील किया जा सकेगा।

[121][परन्तु यह कि जहाँ नोटिस के प्रकाशन का आदेश न्यायालय या रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिया जा चुका है, पक्षकार जिसकी तरफ से नोटिस प्रकाशित होनी है

---

120 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

121 संस्थित किया गया अधि0 सं0 118/VIII-C-2,, दिनांक 10.02.1981द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.06.1981

आदेश दिये जाने के सात दिनों के भीतर, नोटिस के निर्धारित प्रारुप पर जो कि पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा ठीक से भरा जायेगा, ऑफिस से अल्पकालिक तारीख प्राप्त करेगा और इसे, उस तिथि के पूर्व जो तय की गई है, एक दैनिक समाचारपत्र जो उस क्षेत्र जिसमें प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार अन्तिम बार वास्तव में और स्वैच्छिक रुप से, रहता हो, व्यापार करता हो या लाभ के लिये व्यक्तिगत रुप से काम करता हो, जाना जाता है, प्रसारित (Circulate) होता हो, मे प्रकाशित करवायेगा।

परन्तु आगे यह कि उपरोक्त कथित नोटिस, जो पक्षकार या उसके अधिवक्ता पाते हैं, को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि नोटिस, नोटिस मे निर्धारित तिथि से दस दिनों पूर्व प्रकाशित की गई है और समाचारपत्र जिसमें कि नोटिस है कि प्रति को रजिस्ट्रार के समक्ष निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व दाखिल किया जायेगा।

परन्तु यह भी, कि जहाँ समाचारपत्र की प्रति, कार्यवाही उपबन्ध मे दिये गये समय के भीतर आपूर्त नहीं कराई जाती, वाद या आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, जिस पर की नोटिस के प्रकाशन के लिये आदेश जारी किया गया था, न्यायालय के समक्ष ऐसे आदेशों के लिये जो न्यायालय ठीक समझे, सूचीबद्ध किया जायेगा।

<u>व्याख्या 1.</u>--जहाँ पक्षकार, समाचारपत्र की प्रति दाखिल करने मे असफल होता है, उसने नोटिस की आपूर्ति करने मे चूक कारित की है, यह समझा जायेगा और अध्याय XII के नियम4का उपबन्ध ऐसे मामलों मे आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा।]

[[122]<u>व्याख्या 2.-</u>] रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई नोटिस, जब तक कि यह डाकघर से, वैसे ही जैसे कि इसे दिया गया था, वापस न प्राप्त कर ली जाये, यह समझा जायेगा कि इसकी तामीली डाक के साधारण क्रम मे उस समय की जा चुकी है जब कि इसे दे दिया जाये।

13. [123][***]

खण्ड (च): शपथपत्रों का प्रारुप

14. <u>शपथपत्रों एवम् पुष्टियों के प्रारुप --</u>

---

122 पुनः संख्याकित किया गया व्यख्या 2के रुप में अधि0 सं0 118/VIII-C-2,, दिनांक 10.02.1981द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.06.1981

123 हटाया गया अधि0 सं0 253/VIII-C-37, दिनांक 13.10.1958द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-10.01.1959

[124]**[**Oaths Act, 1969 की धारा 6के अधीन शपथपत्रों एवम् पुष्टियों के निम्न प्रारुप निर्धारित किये गये हैं ; नामतः --

(1) शपथ या पुष्टि का प्रारुप, जो साक्षियों पर लागू होगा--

"मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सत्य होगा, पूर्ण सत्य और केवल सत्य "

(2) शपथ या पुष्टि का प्रारुप, जो निर्वचनकर्ता पर लागू होगा --

"मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं ठीक से और सही अर्थों में, सामने रखे गये सभी प्रश्नों का और साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्यों का, निर्वचन और व्याख्या करुँगा और मुझे अनुवाद के लिये दिये गये सभी दस्तावेजों का सही ढंग से और ठीक-ठीक अनुवाद करुँगा।]

खण्ड (छ): साक्ष्य का अभिलेख

15. साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना --

(1) उपस्थित गवाहों का परीक्षण मौखिक रुप से न्यायालय के निर्देशन और निरीक्षण के अधीन किया जायेगा और उनके साक्ष्य को प्रश्नोत्तर प्रारुप में या Judgment Clerkद्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया गया हो, विवरणात्मक रुप मे लिखा जायेगा।

(2) ऐसे लिखे गये साक्ष्य या यदि इसे आशुलिपि में लिखा गया है तो आशुलिपि नोट की लिखित प्रतिलिपि, को पढा जायेगा और जहाँ आवश्यक हो, गवाह को उसका अर्थ समझाया जायेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और न्यायाधीश भी, इसमें ऐसे संशोधनों जो कि आवश्यक पायें जायें के करने के बाद, हस्ताक्षर करेगा।

16 . अन्य न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित साक्ष्य --

विधि द्वारा उपबन्धित होने के सिवाय, जहाँ वाद या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई के किसी स्तर पर, किसी न्यायाधीश या बेन्च गठित करने वाले न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा बदला जाता है, ऐसा न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीशों, इन नियमों के अधीन लिये गये किसी साक्ष्य पर ऐसे कार्यवाही करेंगे जैसे कि ऐसा साक्ष्य उनके निर्देश तथा

---

124 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

अधीक्षण के अधीन लिया गया था और वाद या अन्य कार्यवाही में उस स्तर से आगे बढ़ेंगे जिस पर यह होता जब वाद उनके द्वारा लिया गया होता।

खण्ड (ज): कमीशन का जारी किया जाना

17. कमीशन के खर्चों का जमा किया जाना-[125][∗∗∗][126][कोई] भी कमीशन न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि पक्षकार जिसके कहने पर या जिसके लाभ के लिये ऐसा कमीशन [127][या आपराधिक मामलों में अभियोजन] जारी किया जाना है, Cashier को ऐसे समय के भीतर, जो कि निर्धारित किया जाये, ऐसी राशि जिसे न्यायालय कमीशन के खर्च के लिये उचित समझे, को जमा नहीं कर दिया जाता है।

खण्ड (झ): प्रतिभूति का उपलब्ध कराया जाना

18. **प्रतिभूति का प्रारुप-**

संहिता के आदेशXLV के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा, न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, नगद या सरकारी प्रतिभूतियों या पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविन्ग सर्टिफिकेट (P.O.N.S. Certificate) या अचल संपत्ति के रुप मे उपलब्ध करायी जायेगी।

19. **सरकारी प्रतिभूतियों या P.O.N.S. Certificates की पर्याप्तता का निर्धारण --**

प्रतिभूति, जब कि वह सरकारी प्रतिभूति या P.O.N.S. Certificates के रूप में उपलब्ध कराई गई है, की पर्याप्तता या के अन्यथा निर्धारण में, उस तिथि पर जिस पर ऐसी प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई है उसके मूल्य को और न कि उसके अंकित मूल्य (Face Value) को विचार में लिया जायेगा।

---

125 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

126 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

127 संस्थित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

20. **<u>सरकारी प्रतिभूति की दशा में पृष्ठांकन --</u>**

जहाँ प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति के रुप में उपलब्ध कराई गई है, वहाँ वे रजिस्ट्रार के नाम से पृष्ठांकित की जायेगीं।

21. **<u>प्रक्रिया, जब P.O.N.S. Certificates प्रतिभूति के रुप में दिये जाते हैं --</u>**

जहाँ प्रतिभूति, P.O.N.S. Certificates के रुप में उपलब्ध कराई जाती है, वे रजिस्ट्रार के नाम से होगीं। ऐसी दशा मे निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा, नामतः --

(क) यदि नये प्रमाणपत्रों को खरीदना होगा, तो ऐसे प्रमाणपत्रों को खरीदने के लिये आवेदन, गिरवीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जायेगा यह पुष्ट करने वाले शपथपत्र के साथ कि उसकी डाकघर मे कुल संपत्ति- प्रतिभूति के रुप मे गिरवी रखने के लिये प्रस्तावित प्रमाणपत्रों की राशि को मिलाकर, उस राशि से ज्यादा नहीं है जो कि Postal Rules के लिये निर्धारित की गई है।

(ख) यदि प्रमाणपत्र गिरवीकर्ता के नाम है, तो वह उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष, पोस्टमास्टर, इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति हो, को संबोधित करते हुये किये गये आवेदन जिसमें यह प्रार्थना होगी कि प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार के नाम हस्तांतरित कर दिया जाये, और शपथपत्र जैसा कि खण्ड (क) के द्वारा अपेक्षित है, के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ग) रजिस्ट्रार, यदि सन्तुष्ट होता है कि आवेदन ठीक क्रम में है, तो गिरवीकर्ता को अधिकार प्रदान करेगा कि वह पोस्टमास्टर, इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिभूति की राशि को निवेश कर सके,

निम्न प्रारुप में---

“I hereby sanction the investment of Rs. .... in Post Office National Savings Certificates on account of security pledged to the Registrar of the High Court of Judicature at Allahabad in .... No. ...... of 20 .....”

(घ) गिरवीकर्ता उसके बाद नगद राशि या प्रमाणपत्रों, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक कागजातों के साथ, संबंधित पोस्टमास्टर को प्रस्तुत करेगा, जो कि तब या तो रजिस्ट्रार के नाम प्रमाणपत्र जारी करेगा या उन्हें उसके नाम हस्तांतरित करेगा। प्रमाणपत्रों को उसके बाद गिरवीकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को जमा किया जायेगा।

(ड़) जब प्रतिभूति, मुक्त की जाने वाली है, रजिस्ट्रार प्रमाणपत्रों को गिरवीकर्ता को, कब्जे को पुनः ग्रहण करने का लिखित प्राधिकार देते हुये, वापस करेगा। गिरवीकर्ता उसके बाद ऐसे प्राधिकार को और प्रमाणपत्रों को संबंधित पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत कर सकता है और प्रमाणपत्रों को अपने नाम हस्तांतरित करवा सकता है।

22. <u>**ज्ञापन में प्रतिभूति के विवरणों का कथन किया जायेगा --**</u>

जहाँ प्रतिभूति नगद, सरकारी प्रतिभूतियों या P.O.N.S.Certificates के रुप में उपलब्ध कराई जाती है यह ज्ञापन, जिसमें सभी आवश्यक विवरण होगे, के साथ संलग्न की जायेगी।

23. <u>**अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति --**</u>

जहाँ प्रस्तावित प्रतिभूति मे अचल संपत्ति शामिल है, व्यक्ति जो ऐसी प्रतिभूति दे रहा है ठीक ढंग से रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति बांड (Security Bond), जो ऐसी संपत्ति को रजिस्ट्रार और ऑफिस में उसके उत्तराधिकारियों के नाम बन्धक करता हो, के साथ (1) बन्धककर्ता के हक की स्पष्ट व्याख्या, (2) उस व्यक्ति, जो कि प्रतिभूति बांड (Security Bond), का निष्पादन करता है का यह पुष्ट करने वाला शपथपत्र कि प्रतिभूत-संपत्ति, अपेक्षित प्रतिभूति राशि को समाविष्ट करने के लिये पर्याप्त मूल्य की है और (3) संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑफिस से प्राप्त आवश्यक प्रमाणपत्र जो दर्शाता है कि संपत्ति भारमुक्त है या उस दशा में जब संपत्ति भारित है तो उसका विवरण और ऐसे भार की सीमा, दाखिल करेगा। न्यायालय ऐसी प्रतिभूति को स्वीकार करने से पूर्व निर्देश दे सकता है यह कि जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा जिसके भीतर ऐसी अचल सम्पत्ति स्थित है, इसे सत्यापित किया जाये।

खण्ड (त्र): अपील का संक्षिप्त निर्धारण

24. <u>प्रथम अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिये आवेदन -</u>

(1) . प्रथम अपील से एक प्रतिवादी, [128][∗∗∗] जिसने प्रतिआपत्ति दाखिल नहीं की है, उसकी उपस्थिति के लिये नोटिस में निर्धारित तिथि के तीस दिनों के भीतर, उपस्थिति की नोटिस प्राप्त होने पर और अपील का उत्तर देने के लिये इस आधार पर कि यह तुच्छ एवम् परेशान करने वाली है या यह इसलिये दाखिल की गई है जिससे देरी कारित की जा सके या यह कि इसे प्रारम्भिक आधार पर व्ययनित किया जा सकता है और यह कि इसके व्ययन के लिये पेपरबुक की आवश्यकता नहीं है, अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिये आवेदन कर सकता है।

---

128 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

(2) . आवेदन के साथ इस तथ्य का दस्तावेजी साक्ष्य होगा कि आवेदन की प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता पर तामीली की जा चुकी है, ऐसे साक्ष्य में ऐसे अधिवक्ता, जिसने की प्रति प्राप्त की है, की अभिस्वीकृति या उस दशा में जब कि प्रति की तामीली उस पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जाने पर, डाक अभिस्वीकृति या यह दर्शाने वाले शपथपत्र द्वारा तामीली कैसे प्रभावी हुई थी, द्वारा होगी।

(3) . आवेदन को अपील के साथ सुनवाई के लिये, अपीलार्थी के अधिवक्ता पर आवेदन की नोटिस की तामीली के तिथि से, जब कि अपील में कोई प्रति-आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, तीस दिनों की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो, सूचीबद्ध की जायेगी। यदि न्यायालय अपील को संक्षिप्ततः खारिज नहीं करता, तो यह आवेदन को अस्वीकार करेगा और उसके बाद अपील ऐसे आगे चलेगी जैसे कि इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था। उस दशा में जब कि प्रति-आपत्ति दाखिल की जाती है, आवेदन के सुनवाई के लिये सूचीबद्ध होने से पूर्व; न्यायालय आवेदन को अस्वीकार करेगा।

खण्ड (ट): अपीलीय आदेशों से सिविल पुनरीक्षण और अपीलें

25. **<u>अपीलीय आदेशों से सिविल पुनरीक्षण और अपीलें</u>**-

इन नियमों के प्रभावाधीन, संहिता के[129][आदेश XLI][130][∗∗∗] में वर्णित प्रक्रिया अपीलों के संबन्ध में, जहाँ तक संभव हो अपीलीय आदेशों से पुनरीक्षणों एवम् अपीलों को जहाँ कि ऐसी अपीले किसी विधि द्वारा अनुमत हैं, लागू होंगी।

खण्ड (ठ): संयोजी मामले (Connecting Cases)

26. **<u>संयोजी मामले-</u>**

समान डिक्री, न्यायनिर्णय या आदेशों से उद्भूत संयोजी वादों के लिये कोई आवेदन आवश्यक नहीं होगा और ऐसे वादों को, चाहे कोई आवेदन किया गया हो या नहीं, जोड़ा जायेगा।

---

129 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

130 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

जब अन्य किन्हीं मामलों में संयोजन चाहा गया है, तो उचित रुप से स्टैम्प लगे आवेदन को, ऐसे मामलों के अन्य सभी पक्षकारों के अधिवक्ता को नोटिस देने के बाद, रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पर अधिवक्ता का हस्ताक्षर पर्याप्त रुप से दर्शायेगा कि उसे नोटिस दे दी गई है। कोई पक्षकार जो आवेदन का विरोध करने का इच्छुक है दस दिनों के भीतर आपत्ति दाखिल कर सकता है। जहाँ कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाती, वहाँ रजिस्ट्रार आवेदन पर आदेश दे सकता है। जहाँ आपत्ति को दाखिल किया जाता है, आवेदन को आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा।

खण्ड (ड): पेपरबुक

27. **<u>मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा पेपरबुक से कागजातों का निकाला जाना-</u>**
मुख्य न्यायाधीश सामान्य आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित कागजात पर कोई प्रति जो कि पेपरबुक में शामिल होनी चाहिये, इसमें शामिल नही होनी चाहिये। ऐसे मामले मे वाद के मूल कागजात जो अभिलेख पर हैं को General Indexमें प्रविष्ट एवम् स्पष्ट रुप से संकेतित किया जायेगा।

28. **<u>बेन्च के आदेश से कागजातों का पेपरबुक में शामिल किया जाना -</u>**
जहाँ वाद को सुनने वाली बेन्च अपेक्षा करती है कि कोई कागजात जो पेपरबुक पर नहीं है, की प्रति, ऐसे कागजात के लिप्यान्तरण या अनुवाद, टंकित प्रति या लिप्यान्तरित प्रति जोड़ी जानी चाहिये।ऐसे कागजात को पेपरबुक में शामिल किया जायेगा।

29. **<u>प्रति के स्थान पर लिप्यान्तरण या अनुवाद का पेपरबुक में शामिल किया जाना -</u>**
मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर, निर्देश जारी कर सकता है कि किस तरीके से और शर्तों जिनके अधीन, अभिलेख पर किसी वाद के कागजात के लिप्यान्तरण या अनुवाद, की प्रति के स्थान पर, जैसा कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, पेपरबुक में शामिल होने के लिये तैयार किया जा सकेगा।

खण्ड (ढ): आवेदन पर जानकारी

30. <u>आवेदन पर जानकारी-</u>

(1) कोई व्यक्ति जो वाद या कार्यवाही के संबंध में क्रमसंख्या या संस्थित करने की तिथि या अन्य रजिस्ट्रीकृत विवरणों, को सुनिश्चित करने का इच्छुक है, रजिस्ट्रार को एक लिखित आवेदन जिस पर [131] [5रुपये] मूल्य का न्यायालयी फीस लेबल होगा, बिल्कुल ठीक विवरण जो वह दे सकता है जैसे कि वाद की प्रकृति, उसके संस्थित होने का वर्ष और पक्षकारों के नाम देते हुये, प्रस्तुत करेगा या डाक द्वारा भेजेगा।[132] [यदि एक लंबित वाद में विस्तृत जानकारी की अपेक्षा की जाती है], तो ऐसी जानकारी माँगनेवाला व्यक्ति, उसी प्रकार से उस उद्देश्य के लिये आवेदन करेगा, जिस पर[133] [5 रुपये] मूल्य का न्यायालयी-फीस लेबल लगा होगा।

रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन को संबंधित विभाग के अधीक्षक को अग्रसारित करेगा, जो आवेदन पर उसकी क्रमसंख्या को चिन्हित करेगा और इसे आवश्यक जानकारी, यदि वह प्राप्य है, के साथ आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर या उससे पहले, यदि संभव हो, लौटा देगा। यदि ऐसी सूचना उपरोक्त कथित समयावधि के भीतर नहीं दी जा सकती, तो अधीक्षक, कथित समयावधि की समाप्ति पर, रजिस्ट्रार को अननुपालन का कारण तथा निश्चित तिथि जब कि यह संभव हो कि ऐसी जानकारी को प्रदान किया जा सकता है, की रिपोर्ट देगा। आवेदन को आवेदक को लौटा दिया जायेगा और जानकारी उसे प्रदान की जायेगी जब वह इसे, ऐसी तिथि के बाद रजिस्ट्रार को लौटा देता है।

(2) जहाँ आवेदक चाहता है कि जानकारी उसे डाक द्वारा भेजी जाये, वह उसके आवेदन के साथ अपेक्षित मूल्य का डाक टिकट लगायेगा जिससे कि आवेदन को उस तक प्रतिक्रिया के साथ लौटाने में समर्थ हुआ जा सके ।

(3) न्यायालय भवन के प्रत्यक्ष स्थान में नोटिस बोर्ड पर उस नियम का हिन्दी अनुवाद लगाया/चिपकाया जायेगा।

(4) न्यायिक एवम् आपराधिक विभागों के अधीक्षक, प्रत्येक, इस नियम के अधीन किये गये आवेदनों के रजिस्टर का नीचे दिये गये प्रारुप में रखरखाव करेंगे ---

जानकारी के लिये आवेदन

---

131 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/X-d--188, दिनांक 30.11.1996 (संशोधन पर्ची संख्या 224)द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-04.01.1997

132 संस्थित किया गया अधि0 सं0 24/VIII-C-189, दिनांक 01.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-31.12.1977

133 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/X-d--188, दिनांक 30.11.1996 (संशोधन पर्ची संख्या 224)द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-04.01.1997

(अध्याय VIII, नियम 30)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र०सं०	तारीख	आवेदक का नाम	वाद का वर्णन	पूछे गये प्रश्नों की सं०	लगाये गये न्यायालयी फीस लेबलों का मूल्य	आवेदन के वापसी की तिथि	टिप्पणी

31. **<u>पक्षकार द्वारा आवेदन पर जानकारी--</u>**

किसी लंबित या [134][निर्णीत] वाद या कार्यवाही का पक्षकार, ऐसे वाद या कार्यवाही के संबंध में, निर्धारित प्रारुप में लिखित आवेदन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पूछे गये प्रश्न के लिये [135][5रुपये] की फीस, आवेदन के साथ न्यायालयी-फीस लेबलों को लगाकर अदा की जायेगी।

पूछे गये प्रश्न साधारण प्रकृति के होने चाहिये जिनकी स्वीकृति संक्षिप्त उत्तर, में होगी और किसी भी परिस्थिति में, इस नियम द्वारा दिये गये अधिकार का, अभिलेखों के निरीक्षण द्वारा या प्रति के लिये आवेदन द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त करने के विकल्य के रुप में, ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

[136] [लंबित वाद या कार्यवाही में, इस नियम के अधीन एक विषय पर विस्तृत जानकारी, निर्धारित प्रारुप मे लखित आवेदन जिस पर [137][5रुपये] मूल्य का न्यायालयी फीस लेबल लगा हो, के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।]

---

134 संस्थित किया गया अधि0 सं0 14/VIII-C-175, दिनांक29.061977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-03.09.1977

135 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/X-d--188, दिनांक 30.11.1996 (संशोधन पर्ची संख्या 224)द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-04.01.1997

136 संस्थित किया गया अधि0 सं0 24/VIII-C-189, दिनांक01.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-31.12.1977

137 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/X-d--188, दिनांक 30.11.1996 (संशोधन पर्ची संख्या 224)द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-04.01.1997

इस नियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी, जहाँ तक हो सके, उस तरीके से जो कि इसके पूर्ववर्त्ती नियम में उपबन्धित है उस दशा को छोड़कर जब संबंधित अधीक्षक आवश्यक जानकारी, यदि संभव हो, उसी दिन जब आवेदन दोपहर से पहले प्रस्तुत किया गया हो और अगले दिन उस दशा में जब आवेदन दोपहर के बाद प्रस्तुत किया गया हो, प्रदान करेगा।

खण्ड (ण): अनुमोदित विधि पत्रिकायें (Approved Law Journals)

32. <u>अनुमोदित विधि पत्रिकाओं को न्यायनिर्णयों की प्रतियाँ प्रदान किया जाना --</u>

(1) अध्याय XL, भाग VIII के नियम 16, 17, 24, 25, 26, 27 तथा 28, जहाँ तक संभव हो, अनुमोदित विधि पत्रिकाओं (Approved Law Journals) के प्रतिनिधियों को न्यायनिर्णयों की प्रतियाँ जो कि रिपोर्टिंग के लिये अनुमोदित की गई हैं; जारी करने के लिये लागू होंगे। उस अध्याय में दिये गये अन्य नियम नहीं लागू होंगे।

(2) ऐसी पत्रिकाओं (Journals) के प्रतिनिधि को प्रतियों का जारी किया जाना, निम्न उपबन्धों से संचालित होगा, नामतः ---

(क) विधिपत्रिकाओं (Law Journals) की सूची का, जो इस नियम के अधीन रिपोर्टिंग के लिये अनुमोदित न्यायनिर्णयों की प्रतियों को प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन रखरखाव किया जायेगा।

(ख) किसी भी विधिपत्रिका (Law Journal) को सूची में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने यह वचन न दिया हो कि वह न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक न्यायनिर्णय, जिसे कि A.F.R. (Approved For Reporting) चिन्हित किया गया है, की प्रति के लिये आवेदन करेगा।

(ग) अनुमोदित सूची पर कोई विधिपत्रिका (Law Journal), ऐसे न्यायनिर्णय की एक से अधिक प्रति पाने के लिये, इस नियम के अधीन अधिकृत नहीं होगी।

(घ) जैसे ही, न्यायनिर्णय को रिपोर्टिंग के लिये न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, [138][बेन्च सेक्रेटरी], इसे, रजिस्टर जिसे “Register of judgments marked A.F.R. “कहा जायेगा में प्रविष्ट करेगा, प्रविष्टियों को क्रमबद्ध तरीके से बनाया जायेगा। वह ऐसे

138 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

न्यायनिर्णय को तुरन्त [139][संबंधित न्यायिक या आपराधिक विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के सेक्शन ऑफिसर को भेजेगा।]

(ड़) जैसे ही, न्यायनिर्णय, जिसे A.F.R. (Approved For Reporting) चिन्हित किया गया है, [140][संबंधित सेक्शन ऑफिसर] द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह इसे, उतनी प्रतियाँ तैयार करने के लिये जितनी की सूची में अनुमोदित विधिपत्रिकायें (Law Journals) हैं, Indian Law Reports (Allahabad Series) के लिये एक प्रति के साथ, [141][प्रतिलिपि (ई) विभाग के सेक्शन ऑफिसर] को भेजेगा।

(च) ऐसी प्रतियों के संबंध में, [142][प्रतिलिपि (ई) विभाग के सेक्शन ऑफिसर] द्वारा निर्धारित प्रारुप में दो रजिस्टरों, जिन्हें क्रमशः "Register of Copies of Judgments marked A.F.R." तथा" Register of Applications for Copies of Judgment marked A.F.R." कहा जायेगा, का रखरखाव किया जायेगा।

(छ) इस नियम के अधीन तैयार की गई प्रतियों में निम्न अतिरिक्त जानकारियाँ होंगी, नामतः --

(i) वाद में दोनो पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के नाम;

(ii) न्यायालय के निर्णय को देने वाले न्यायाधीशों के नाम;

(iii) निचले न्यायालय की पूर्ण पदवी, इसके निर्णय अथवा आदेश की तिथि के साथ;

ऐसी अतिरिक्त जानकारी [143][संबंधित न्यायिक या आपराधिक विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के सेक्शन ऑफिसर] द्वारा[144] [प्रतिलिपि (ई) विभाग के सेक्शन ऑफिसर] को, न्यायनिर्णय के साथ भेजी जायेगीं।

(ज) इस नियम के अधीन तैयार प्रतियों को, अन्य साधारण प्रतियों पर वरीयता दी जायेगी और जितनी जल्दी हो सके तैयार किया जायेगा।

(झ) जैसे ही प्रतियाँ तैयार होती हैं, प्रति के प्रथम संस्करण को Indian Law Reports (Allahabad Series) के प्रतिनिधि Law Reporter को, उसके, [145] [प्रतिलिपि (ई) विभाग

---

139 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

140 उसी स्थान पर

141 उसी स्थान पर

142 उसी स्थान पर

143 उसी स्थान पर

144 उसी स्थान पर

के सेक्शन ऑफिसर] को प्रतिलिपि के लिये आवेदन जमा करने पर, दिया जायेगा। ऐसे आवेदन में कोई स्टैम्प अपेक्षित नहीं होगा। शेष प्रतियाँ, सूची पर अनुमोदित अन्य पत्रिकाओं (Journals) के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा ठीक ढंग से स्टैम्प लगाये हुये आवेदन पर और इन नियमों द्वारा अपेक्षित आवश्यक शुल्क के भुगतान पर दिया जायेगा।

(ञ) यदि अनुमोदित सूची पर किसी विधिपत्रिका (Law Journal) का प्रतिनिधि, Law Reporter को छोड़कर, किसी चिन्हित “A.F.R.” न्यायनिर्णय की प्रति के लिये आवेदन, उस तिथि से जब कि इसे ऐसे चिन्हित किया गया था से तीन सप्ताह के भीतर, नहीं करता तो ऐसी विधिपत्रिका (Law Journal) का नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।

(ट) Law Reporter या उसके Clerk या अनुमोदित सूची पर किसी विधिपत्रिका (Law Journal) के प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिये “Register of Copies of Judgments marked A.F.R.” खुला रखा जायेगा।

खण्ड (त): प्रकीर्ण

33. <u>**विशेष आवेदनों को, आदेशों के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना--**</u> वाद कि सुनवाई के शीघ्र निस्तारण के लिये या असमय वाद के सूचीबद्ध करने के लिये या नियम 4 के अधीन न्यायालय द्वारा विचारण और निर्धारण होने से वाद हटाये जाने के लिये या संविधान के अनुच्छेद 228 के अधीन वाद वापस लेने के लिये, आवेदन, मुख्य न्यायाधीश[146][या अन्य किन्हीं न्यायाधीशों या किसी वाद या वादों के वर्ग के संबंध मे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित बेन्च] के समक्ष आदेशों के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

[147] [**(33-क)** मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, संबंधित बेन्च अपीलार्थी की जमानत याचिका की सुनवाई के साथ, अपील की सुनवाई शीघ्र करने के लिये आदेश पारित कर सकती है।]

34. <u>**अभिलेखों का परीक्षण-**</u>

---

145 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

146 संस्थित किया गया अधि0 सं0 20/VIII-C-150, दिनांक18.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.08.1978

147 जोड़ा गया अधि0 सं0 140/VIII-C-2, दिनांक16.05.2006द्वारा (संशोधन पर्ची सं0 236), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-27.05.2006 (w.e.f. 27.05.2006)

अभिलेखों के प्राप्त होने पर, तुरन्त ही ऑफिस इसकी दशा का परीक्षण करेगा और अभिलेख प्राप्ति के पारेषण के लिये फार्म (Form) पर, अभिलेख प्राप्ति की तिथि के साथ और इसकी दशा Note करेगा। उसके बाद अभिलेख का परीक्षण किया जायेगा और यदि ऐसे परीक्षण पर यह पाया जाता है कि अभिलेख से कोई कागजात गायब है या मिटा दिया गया है या अभिलेख किसी अन्य दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, तो उसकी एक टिप्पणी उपरोक्त फार्म के पृष्ठ भाग पर फौरन बनाई जायेगी और इसे रजिस्ट्रार के समक्ष, ऐसे आदेशो, जिन्हें वह देना ठीक समझे, के लिये, प्रस्तुत किया जायेगा।

35. **<u>दाखिल कागजातों की रसीद --</u>**

वाद का कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता, किसी कागजात, जिसमें आवेदन, वकालतनामा या प्रतिधारण-शुल्क (Retainer) या उपस्थिति परचा शामिल है, के लिये रसीद पाने का इच्छुक है, वह रसीद परचे को, ऐसे कागजात के साथ जोड़ेगा और उसके उपसंलग्नक के रुप में प्रस्तुत करेगा। [148][बेन्च सेक्रेटरी] या अन्य कर्मचारी द्वारा, जो ऐसे कागजात प्राप्त करता है, ऐसे कागजात की अभिस्वीकृति में परचा हस्ताक्षरित होगा और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा।

1	2	3	4
वाद का वर्णन	कागजात दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम और वर्णन	कागजात का वर्णन	कागजात प्राप्त करने अधिकारी का हस्ताक्षर एवम् प्राप्ति की तिथि

36. <u>न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों का लिप्यान्तरण या अनुवाद --</u>

(1) जहाँ किसी पक्षकार द्वारा, किसी वाद या कार्यवाही में दाखिल दस्तावेज देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में या न्यायालय की भाषा में नहीं हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय, के किसी सामान्य या विशेष आदेशों के प्रभावाधीन, यदि दस्तावेज हिन्दी में हैं किन्तु देवनागरी वर्णों में नहीं लिखा गया है, उसका ऐसे वर्णों में लिप्यान्तरण या यदि दस्तावेज

148 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

अन्य किसी भाषा में है तो उसका न्यायालय की भाषा में अनुवाद होने के बाद, यह दाखिल होगा।

(2) ऐसा लिप्यान्तरण या अनुवाद सही है, उसे दाखिल करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा या उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा, पुष्ट किया जायेगा। पश्चातवर्त्ती दशा में, ऐसा व्यक्ति अपना पूरा नाम पता, ऐसे विवरणों के साथ जो कि उसकी पहचान करने के लिये पर्याप्त हो सके, देगा और ऐसे लिप्यान्तरण या अनुवाद को निम्न तरीके से पुष्ट करेगा; नामतः --

"मैं, अ.ब., घोषित करता हूँ कि मैंने मूल के वर्णों को पढा है और भाषा को समझता हूँ और यह उपरोक्त, उसका सत्य और ठीक लिप्यान्तरण या अनुवाद है।"

ऐसे लिप्यान्तरण या अनुवाद को, यदि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेशित हो; [149][अनुवाद विभाग के सेक्शन ऑफिसर, द्वारा दुहराया और सही प्रमाणित किया जायेगा, दस्तावेज के साथ न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा।]

(3) पूर्वोक्त उपनियम में दिखाये गये तरीके के स्थान पर, पक्षकार जिससे दस्तावेज के लिप्यान्तरण या अनुवाद को दाखिल करने की अपेक्षा की गई है, रजिस्ट्रार को आवेदन पर, ऐसे दसतावेज के लिप्यान्तरण या अनुवाद, जैसी भी स्थिति हो, को न्यायालय के स्थापित अनुवादक द्वारा प्राप्त कर सकेगा और ऐसा लिप्यान्तरण या अनुवाद, सत्य लिप्यान्तरण या अनुवाद है, [150] [अनुवाद विभाग के सेक्शन ऑफिसर] द्वारा प्रमाणित होगा। इसे दस्तावेजों के साथ न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन दस्तावेजों के लिप्यान्तरण या अनुवाद के लिये शुल्क ऐसा होगा जिसे समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया जाये। जहाँ इन नियमों द्वारा लिप्यान्तरण या अनुवाद, [151] [अनुवाद विभाग के सेक्शन ऑफिसर] द्वारा ठीक प्रमाणित किया जा सकेगा, वहाँ व्यक्ति जो ऐसे प्रमाणपत्र के लिये आवेदन करता है, ऐसे शुल्क का जो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया गया हो, जो कि ऐसे दस्तावेज के लिप्यान्तरण या अनुवाद के लिये निर्धारित शुल्क के 60 % से ज्यादा नहीं होगा, का भुगतान करेगा।यदि लिप्यान्तरण या अनुवाद इस प्रकार त्रुटिपूर्ण है कि इसे दुहराने और सही करने का कार्य,

---

149 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

150 उसी स्थान पर

151 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

व्यवहार में इसके नये लिप्यान्तरण या अनुवाद कराने जैसा है तो रजिस्ट्रार के विवेक पर ऐसे कार्य के लिये पूरा शुल्क भारित किया जा सकेगा।

37. **अध्यायXV के नियम 14से21तक का, अन्य सिविल कार्यवाहियों में लागू होना -**

भागII के अध्यायXV के नियम14से 21 तक के नियम, सिविल कार्यवाहियों की स्थिति में, उन्हें छोड़कर जिन्हें कि उस अध्याय के नियम लागू होते हैं, भी प्रयुक्त होगें।

38. भाग III, IV, V या VIIमे अन्य नियमों का लागू होना --

(1) जहाँ भाग III, IV, V या VII का कोई नियम, किसी अन्य भाग के किसी नियम से असंगत है, पूर्ववर्त्ती, पश्चातवर्त्ती पर ऐसी असंगतता की सीमा तक प्रभावी होगा, जहाँ तक वह पूर्ववर्त्ती से संबंधित है वहाँ तक संशोधित या निरसित किया गया समझा जायेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के प्रभावाधीन, भाग II के नियम जहाँ तक हो सके, आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, कथित भागों के अधीन कार्यवाहियों को भी लागू होगें।

[152] **[(38-क) -**सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII औरXXXII के नियम 1 से6 तक और नियम 9 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, स्पेशल अपीलों, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिकाओं, टैक्स अधिनियमों के निर्देशों और [153][पुनरीक्षणों], जो कि इन नियमों के अध्याय IX, XXII और XXVII के अधीन आते हैं, को लागू होंगे।]

39. **प्रारुप -**

इन नियमों की अनुसूची III में उल्लिखित प्रारुप, प्रत्येक वाद की परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुसार ऐसे परिवर्तनों के साथ, उसमें दर्शाये गये संबंधित उद्देश्यों के लिये इन नियमों में जोड़कर प्रयुक्त किये जायेंगे।

40. न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में न्यायालयी फीस का भुगतान किया जायेगा --

---

152 संस्थित किया गया अधि0 सं0 310/VIII-C-169, दिनांक03.08.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-05.12.1964

153 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

न्यायालय द्वारा इसके साधारण आरम्भिक सिविल क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में या इसके द्वारा इसके साधारण सिविल क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में पारित न्यायनिर्णयों से अपीलों के संबंध में इसके क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में न्यायालय के समक्ष आने वाले वादों में, उस सीमा में और उस तरीके से जैसे कि इसके समक्ष न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 कि धारा 4 के उपबन्धों के अधीन आने वाले समान मामलों के वर्ग में वे (न्यायालयी फीस) देय हैं, न्यायालयी फीस देय होगी।

[[154]41. <u>हथियारों को लेकर चलने पर रोक --</u>

कोई व्यक्ति जो कार्यरत सुरक्षाबल का सदस्य नहीं है, न्यायालय परिसर में कोई हथियार जैसा कि Arms Act, 1959 की धारा 2की उपधारा (1) के उपखण्ड (ग) में परिभाषित है, को लेकर, सिवाय मुख्य न्यायाधीश के लिखित प्राधिकार के, नहीं चलेगा या उसके कब्जे में नहीं होगा।

व्याख्या- (1) अभिव्यक्ति **'सुरक्षा बल'** मे शामिल होंगे 'पुलिस बल, पी.ए.सी. या अन्य किसी समान बल का ऐसा सदस्य, जिसे न्यायालय के सुविधानुसार, सुरक्षा के उद्देश्यों के लिये, विधि और व्यवस्था, न्यायालय परिसर में बनाये रखने के लिये, लगाया जा सकता है।

व्याख्या- (2) अभिव्यक्ति **'न्यायालय परिसर'** से तात्पर्य होगा इलाहाबाद या लखनऊ में इसकी सीमा के भीतर सभी भूमि, इमारतें और निर्माण, बार के सदस्यों की व्यवसायिक इमारतें इसमें शामिल होंगी किन्तु इसमें इसकी सीमाओं के भीतर स्थित आवासीय घर, यदि न्यायाधीश के, ऑफिसर्स और स्टाफ के, शामिल नहीं होंगे।**]**

[155][42. <u>उच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ता क्लर्कों के लिये पोशाक -</u>

(1) <u>वर्ग I, II तथा III के कर्मचारी --</u>

वे काले रंग का गलाबंद कोट, अचकन या शेरवानी, काले जूतों के साथ पहनगें। वे उसके स्थान पर खुले गले की उसी रंग की कोट पहन सकते हैं और वे इसके साथ काले रंग की टाई पहनेंगे, कोट के साथ पतलून और अचकन या शेरवानी के साथ चूड़ीदार पैजामा या पतलून पहनी जायेगी।

---

154 जोड़ा गया अधि0 सं0 168/VIII-C-2, दिनांक 19.03.1982द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-17.04.1982

155 जोड़ा गया अधि0 सं0 35/VIII-C-187 प्रशा0 (G-1) (संशोधन पर्ची सं0 233), दिनांक 30.01.1993द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-30.01.1993

रजिस्ट्री में न्यायालय के अधिकारी, किसी सौम्य रंग की उपरोक्त कथित पोशाक पहन सकेंगे।

(2) <u>महिला कर्मचारी-</u>

वे काले कोट के साथ हल्के रंग की क्षेत्रीय पोशाक पहनेंगी।

(3) <u>अधिवक्ता के क्लर्क -</u>

वे काले रंग का गलाबंद कोट, अचकन या शेरवानी, काले जूतों के साथ पहनगें। कोट के साथ पतलून और अचकन या शेरवानी के साथ चूड़ीदार पैजामा या पतलून पहनी जायेगी।

(4) <u>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी--</u>

वे न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित Uniform पहनेंगे।

43. <u>न्यायालय भवन में प्रवेश --</u>

(1) अधिकारियों / कर्मचारियों / अधिवक्ता / अधिवक्ताओं के क्लर्क जिनके लिये पोशाक निर्धारित की गई है, न्यायालय भवन में निर्धारित पोशाक में प्रवेश करेंगे। अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं के क्लर्क उच्च न्यायालय कार्यालय द्वारा उन्हें जारी पहचानपत्रों को भी लेकर चलेगें और अधिवक्ता उनके साथ संबंधित बार कौन्सिल से जारी पहचानपत्र को लेकर चलेंगे।

(2) अन्य सभी व्यक्तियों का न्यायालय भवन में प्रवेश केवल **"Entry passes"** द्वारा संचालित होगा, जो न्यायालय के प्रोटोकाल सेक्शन से जारी किया जायेगा।

भाग II: सिविल क्षेत्राधिकार

<u>अध्याय IX- XVI</u>

अध्याय IX: अपीलें और आवेदन

1. <u>आवेदनों, अपील या आपत्ति, के ज्ञापन, का सामान्य शीर्षक --</u>

(1) प्रत्येक अपील या आपत्ति, का ज्ञापन और प्रत्येक आवेदन, उस आवेदन को छोड़कर जो न्यायालय में लंबित किसी वाद में किया गया हो, का सामान्य शीर्षक होगा --

"In the High Court of Judicature at Allahabad "

जिसके ठीक नीचे निम्न में से ऐसा शीर्षक लिखा जायेगा, नामतः --

(क) अपील या आपत्ति, के ज्ञापन या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये, आवेदन	वर्णन ऐसे होगा जैसे कि 'First Appeal', 'Execution First Appeal', 'First Appeal from Order', Execution Second Appeal', 'Second Appeal from Order', 'Special Appeal', 'Civil Revision' या 'Appliction for Review', जैसी भी स्थिति हो, जिसके आगे धारा का और अधिनियम या नियम का सन्दर्भ दिया जायेगा, जिसके अधीन इसे दाखिल किया गया है और इसके नीचे शब्दों में ' No. .... of .... (year) लिखा जायेगा; और
(ख) अन्य आवेदनो की दशा में	शब्दों में 'Civil Miscellaneous Cases No. ....of .... (year) जिसके आगे धारा का और अधिनियम या नियम का सन्दर्भ दिया जायेगा, जिसके अधीन इसे दाखिल किया गया है।

(2) प्रत्येक आवेदन जो लंबित वाद में किया गया है, कथन करेगा धारा का और अधिनियम या नियम का जिसके अधीन इसे दाखिल किया गया है। इसका निम्न सामान्य शीर्षक होगा --

"In the High Court of Judicature at Allahabad"

जिसके ठीक नीचे निम्न शीर्षक लिखा जायेगा, नामतः --

[156] [Civil Miscellaneous Application .... (No. .... and Year of the Application)

Under .... (State Law)

of .... (Name of Application)

IN .... (Nature, number and year of the Pending Case)

Versus

(Names of the Parties of the Pending Case)]

(3) प्रत्येक, अपील या आपत्ति, का ज्ञापन और प्रत्येक आवेदन, न्यायालय की भाषा में होगा।

प्रत्येक आवेदन[157] [उन्हें छोड़कर जो नियम 12में दिये गये हैं।] संक्षिप्त रुप मे संख्याकित पैराग्राफों में, तथ्यों जिन पर आवेदक निर्भर करता है और आधारों जिन पर न्यायालय से माँगे गये उपचार को प्रदान करने के लिये कहा गया है, का उल्लेख करेगा और प्रार्थना का समापन परिस्थितियों के द्वारा जैसा अनुमत हो, माँगे गये उपचार के वास्तविक स्वरुप को स्पष्ट रुप से बताते हुये किया जायेगा।

---

156 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0320/VIII-C-90 दिनांक07.08.1964 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-05.12.1964

157 संस्थित किया गया अधि0 सं0808/VIII-C-141 दिनांक18.11.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-03.04.1976

[158] [(4) अपीलकर्ता अथवा आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, अपील के ज्ञापन या आवेदन के नीचे एक टिप्पणी जो कि अपीलार्थी, आवेदक या उसकी तरफ से नियुक्त किये गये अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी संलग्न करके देगा जो स्पष्ट रुप से, उस व्यक्ति के नाम, कुलवंश, तथा पता, जिसे अपील या आवेदन में पक्षकार के रूप में व्यवस्थित किया गया है, किसने विचारण / निचले न्यायालय में लिखित कथन या आपत्ति दाखिल नहीं की या जिसने लिखित कथन या आपत्ति दाखिल किया है, उसके बाद वाद नहीं लड़ा है या जिसे केवल प्रारुप प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार के रुप में व्यवस्थित किया गया था, बतायेगी।]

2. <u>अपीलों, निर्देशों तथा प्रकीर्ण आवेदनों को रजिस्ट्रीकृत और संख्याकित किया जायेगा ---</u>

[159] [(1) नियम (1) में उल्लिखित अपीलों, निर्देशों और सभी आवेदनों, उन्हें छोड़कर जिन्हें व्यक्त रुप से छोड़ा गया है, को उनके प्राप्त किये जाने के तुरन्त बाद अलग-अलग रजिस्ट्रीकृत और संख्याकित किया जायेगा।]

(2) प्रत्येक त्रुटिपूर्ण (Defective) अपील या आवेदन, जिनका उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और संख्याकित किया जाना अपेक्षित है, उन्हें **'Register of Defective Cases'** में प्रविष्ट किया जायेगा। त्रुटि (Defect) दूर किये जाने के बाद इसे नियमित वाद के उपयुक्त रजिस्टर में प्रविष्ट और संख्याकित किया जायेगा।

3. <u>समय बढाने के लिये आवेदन --</u>

प्रतिभूति (Security) जमा करने के लिये या अनुवाद और प्रिन्टिग के खर्च के लिये या शपथपत्र दाखिल करने के लिये या वाद की प्रगति के लिये अन्य कोई कदम उठाने के लिये, समय प्रदान किये जाने के बाद समय बढाने के लिये आवेदन लिखित रुप में दिया जायेगा।

4. <u>पक्षकारों का पूर्ण विवरण --</u>

प्रत्येक व्यक्ति जो आवेदन प्रस्तुत करता है या उसे उसमें विरोधी पक्षकार के रुप में व्यवस्थित किया गया है, ऐसे विवरणों जो उसकी स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि

---

158 संस्थित किया गया अधि0 सं0680/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

159 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं090/VIII-C-90 दिनांक30.03.1956 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-09.06.1956

उसका पूरा नाम, उसके पिता का नाम, उसकी धार्मिक मान्यता, जीवन में उसका पद या डिग्री, उसका व्यवसाय, संबोधन, पेशा या व्यापार और उसके निवास का सही स्थान, के साथ वर्णित किया जायेगा।

5 <u>आवेदन, पैराग्राफों में विभाजित होगा --</u> प्रत्येक आवेदन, जिसमे तथ्यों के कथन है, पैराग्राफों मे विभाजित किया जायेगा, जिन्हें क्रमवार रुप से संख्याकित किया जायेगा और प्रत्येक पैराग्राफ, एक दूसरे के पास-पास, विषय के खण्ड विशेष तक सीमित होगा।

6. <u>वाटर-मार्कड् (Water-marked) पेपर प्रयोग किया जायेगा</u> - प्रत्येक अपील या आपत्ति, का ज्ञापन या आवेदन, सरकारी Water-marked पेपर पर केवल एक तरफ ' Quarter Margin' दूरी पर साफ एवम् पठनीय लिखित या टंकित या Lithographed या प्रिन्टेड किया गया होगा।

परन्तु यह कि न्यायालय, जब आवश्यक समझे, Foolscap size के किसी अन्य पेपर को या उद्देश्य के लिये दोनों तरफ पेपर इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है।

[160]**[6-क/**[161]**7. <u>अपील के ज्ञापन या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन की अन्तर्वस्तुयें</u>** -

(1) प्रत्येक अपील का ज्ञापन या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन वाद के संक्षेप के साथ तिथिवार/घटनाक्रम के अनुसार होगा और आगे कथन करेगा --

(क) प्रत्येक अपीलार्थी या आवेदक का नाम और पता तथा यह कि वह, प्रथम बार के न्यायालय में वादी या प्रतिवादी या आवेदक या विपक्षी पक्षकार था।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता, जिनके विषय में, उनका प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार के रुप में, शामिल किया जाना प्रस्तावित है तथा यह कि वह प्रथम बार के न्यायालय में वादी या प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार था।

(ग) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा और उसके अधिष्ठाता-अधिकारी (Presiding Officer) का नाम जिसके द्वारा डिक्री या आदेश, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है, बनाया गया है।

(घ) वाद की संख्या और विवरण

(ड़) डिक्री या आदेश दिये जाने की तिथि

---

160 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0115/VIII-C-2 दिनांक14.05.2007 (संशोधन पर्ची सं0 237) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-26.05.2007

161 जोड़ा गया अधि0 सं0127/VIII-C-90 दिनांक06.04.1973 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-07.04.1973 (w.e.f.07.04.1973)

(च) ऐसी डिक्री या आदेश की आपत्ति में, क्रम से संख्याकित आधार

(छ) माँगा गया स्पष्ट उपचार

(ज) (1) क्षेत्राधिकार और (2) न्यायालयी फीस के उद्देश्यों के लिये, अलग-अलग, वाद एवम् अपील का मूल्य

(झ) आरम्भिक डिक्री से अपील की दशा में, यह कि क्या वाद जिससे कि अपील उत्पन्न हुई है, अपीलीय न्यायालय के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

और अपीलार्थी या आवेदक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, या उसकी तरफ से न्यायालय की नामावली पर दर्ज अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(2) स्पेशल अपीलों में, अपीलार्थी सम्पूर्ण अभिवचनों के दो सेट (Set) अवश्य उपलब्ध करवायेगा जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थी।

(3) यदि अधिवक्ता किसी न्यायनिर्णय पर निर्भर करते हैं, उन्हें उनकी तीन फोटोप्रतियाँ, दो न्यायाधीशों के लिये और एक अन्य पक्षकार के लिये तैयार रखनी चाहिये।

जहाँ खण्ड (1), (2) तथा (3) में दर्शाये गये विवरण अपील के दाखिल करते समय उपलब्ध नही हैं, वे जैसे ही उपलब्ध होते हैं बेन्च द्वारा अपील की सुनवाई से पूर्व कभी भी आपूर्त किये जा सकेंगे।]

8. <u>अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन के साथ होने वाले दस्तावेज --</u>

प्रत्येक, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन के साथ होगा --

(क) डिक्री या औपचारिक आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या आवेदन निर्देशित है, उसकी प्रति।

(ख) न्यायनिर्णय की प्रति जिस पर ऐसी डिक्री या औपचारिक आदेश आधारित है।

(ग) प्रथम बार के न्यायालय के निर्णय की प्रति जहाँ अपीलीय [162][या पुनरीक्षण] डिक्री या आदेश के विरुद्ध, अपील या आवेदन को निर्देशित किया गया है।

(घ) न्यायालय फीस अधिनियम की धारा (6-क) के अधीन अपील की दशा में, वाद, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है और अपील का ज्ञापन, प्रत्येक की एक अतिरिक्त प्रति और जहाँ अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध जो लिखित कथन पर न्यायालयी फीस के भुगतान का निर्देश देता है, लिखित कथन की भी एक प्रति। ऐसी प्रतियों को या तो अपीलार्थी या तो

---

162 संस्थित किया गया अधि0 सं0127/VIII-C-90 दिनांक06.04.1972 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-07.04.1973 (w.e.f.07.04.1973)

उसके अधिवक्ता या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा, सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित किया जायेगा।

(ड़) अपील के ज्ञापन की दशा में, जिसे कि समय सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल किया गया है, आवेदन, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5के अधीन समय सीमा बढाने के लिये, शपथपत्र के साथ समर्थित होगा।

(च) संहिता के आदेशXLIII नियम (1) के अधीन आदेश से, अपील या मध्यवर्ती आदेश से पुनरीक्षण की दशा में; अन्य सभी कागजातों की प्रतियाँ जिन पर अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, निर्भर करता हो;

(छ) आदेश से प्रथम अपील की दशा में, जहाँ ऐसी अपील दो न्यायाधीशों के बेन्च द्वारा सुनी जानी है, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, ठीक ढंग से सही प्रमाणित प्रति, की अतिरिक्त प्रति

परन्तु यह कि न्यायाधीश, दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये खण्ड (क) के अधीन औपचारिक आदेश की प्रति या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन न्यायनिर्णय की प्रति या खण्ड (च) के अधीन कोई कागजात या खण्ड (छ) के अधीन आदेश की अतिरिक्त प्रति, छोड़ सकता है।

खण्ड (च) के अधीन किसी कागजात की किसी प्रति को, जैसे भी हो, तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि न्यायालय समझता है कि अपील या पुनरीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, की स्वीकृति के प्रस्ताव के विचारण के लिये ऐसी प्रति आवश्यक नहीं है।

[163] [परन्तु द्वितीयतः यह कि न्यायालय पर्याप्त कारणों के लिये, अपील के ज्ञापन को उस डिक्री जिससे की अपील की गई प्रति के बगैर स्वीकार कर सकेगा, प्रति के दाखिल किये जाने के प्रभावाधीन न्यायालय द्वारा बाद मे दिये गये समय के भीतर, यदि अपीलार्थी का अधिवक्ता प्रमाणित करता है कि प्रति के लिये आवेदन समय सीमा के भीतर किया जा चुका है और जारी नहीं की गई है।]

परन्तु [164][तृतीयतः] यह कि जहाँ खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रथम बार के न्यायालय के निर्णय की प्रति या खण्ड (च) में उल्लिखित कोई या किन्हीं कागजातों की प्रतियाँ, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, के साथ नहीं दाखिल की जा सकती, न्यायालय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किये गये आवेदन पर, दिखाये गये पर्याप्त कारणों के

---

163 संस्थित किया गया अधि0 सं0538/VIII-64 दिनांक31.10.1972 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-28.08.1976

164 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

लिये, उसके दाखिल करने के लिये ऐसे आगे समय देने की अनुमति दे सकता है जो कि वह ठीक समझे;

परन्तु[165][चतुर्थतः]यह कि जहाँ खण्ड (ड़) में उल्लिखित आवेदन के साथ शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है; यह अपील के दाखिल करने की तिथि से तीन माह के भीतर दाखिल किया जा सकेगा।

(8-क) [166][***]

9. <u>अपील के ज्ञापन के कुछ आधारों का प्रमाणित किया जाना --</u>

अपील में दिये आधारों मे से एक यदि यह हो कि डिक्री के समर्थन में कोई साक्ष्य या स्वीकृति, अभिलेख पर नहीं है, यह तथ्य ज्ञापन में कहा जायेगा, जो स्पष्ट रुप से महत्वपूर्ण निष्कर्ष या निष्कर्षों जिनके समर्थन में कोई साक्ष्य या स्वीकृति अभिलेख पर नहीं है, को भी बतायेगा।

ऐसे आधार को कहने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने हाथों से यह प्रमाणित न कर दिया हो कि अपील की सुनवाई के पूर्व उसने अभिलेख का परीक्षण किया है और यह कि आधार को अच्छी तरह से पाया गया है।

10. <u>स्पेशल अपील --</u>

[167] [(i) एकल न्यायाधीश द्वारा आरंभिक क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में दिये गये न्यायनिर्णय के विरुद्ध स्पेशल अपील में जाने के लिये इच्छुक व्यक्ति, ठीक ढंग से स्टैम्प लगे अपील के ज्ञापन को जिसके साथ उस निर्णय, जिससे अपील की गई है की प्रति, होगी, निर्णय दिये जाने की तिथि से [168][तीस] दिनों के भीतर[169][प्रति] प्राप्त करने में लगे अपेक्षित समय को कथित [170][तीस] दिनों की गणना में नहीं जोड़ा जायेगा, प्रस्तुत करेगा।

---

165 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

166 हटाया गया अधि0 सं0 507VIII-C-17, दिनांक 19.10.1973द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक-10.11.1973 (w.e.f. 10.11.1973)

167 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0309/VIII-90, दिनांक18.12.1956द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-12.01.1957

168 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं08/VIII-90, दिनांक11.01.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-18.09.1965

169 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0164/VIII-90, दिनांक14.05.1962 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-28.07.1962

170 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं08/VIII-90, दिनांक11.01.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-18.09.1965

[171] [(ii) जहाँ स्पेशल अपील खण्ड (i) में उल्लिखित समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की जाती है [172][∗∗∗] अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न शपथपत्र में देरी के कारण को बताया जायेगा और इसे अस्वीकार कर दिया जायेगा जब तक कि अपीलार्थी न्यायालय को सन्तुष्ट नहीं कर देता कि उसके पास पर्याप्त कारण था कि उपरोक्त कथित समय के भीतर वह अपील को वरीयता न दे।

(iii) अपील का ज्ञापन जहाँ तक हो सके, इस अध्याय के नियम 1, 6 और 7 के अनुसार तैयार किया जायेगा।]

[173] [(iv) अपील के ज्ञापन के साथ तामीली का शपथपत्र होगा जिसमें उस तिथि का कथन होगा जब कि अपील के ज्ञापन की प्रति और समन की तामीली, प्रतिवादियों के लिये एकल न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हुये अधिवक्ता पर की गई है और यह भी कथन किया जायेगा कि प्रति और समन, दी गई नियत तिथि पर उसके / उनके रजिस्ट्रीकृत पते (उन्हें छोड़कर जो भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हुये थे और वे भी जो अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं हुये थे।) पर भेज दी गई है। प्रारुप संख्या (18-क) के रुप में प्रतिवादियों या अधिवक्ता पर समन की तामीली की जायेगी।]

(v) यदि अपीलार्थी अन्तरिम आदेशों के लिये आवेदन दाखिल करने का इच्छुक है, तो वह आवेदन के साथ, आवेदन के प्रति की, विपक्षी पक्षकार के लिये एकल न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हुये अधिवक्ता पर तामीली का शपथपत्र दाखिल करेगा और यह कथन करेगा कि आवेदन के दाखिल करने की तिथि और समय उसे बताया गया है और यह भी कथन करेगा कि प्रति, उसमें दी गई तिथि पर, रजिस्ट्रीकृत पावती से उचित डाक द्वारा प्रत्येक प्रतिवादी को (उन्हें छोड़कर जो भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हुये थे और वे जो अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं हुये थे।) भेज दी गई है।

(vi) अपील के समन में उपस्थित होने की जो तिथि प्रविष्ट की जायेगी वह अपील के दाखिल होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद का अगला कार्यदिवस होगी।

---

171 उपनियम (ii) मिटाया गया तथा पुनः संख्याकित किया गया उपनियम (ii) तथा (iii) में अधि0 सं0345/VIII-150, दिनांक06.11.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-05.12.1964

172 हटाया गया उसी स्थान पर

173 जोड़ा गया अधि0 सं0507/VIII-17, दिनांक19.10.1973द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-10.11.1973

(vii) अपील के साथ, अपील का ज्ञापन या आवेदन की प्रति, समन और प्रतिवादियों या विपक्षी पक्षकारों, जो किसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं हुये थे, जैसी भी स्थिति हो, पर तामीली के लिये आवश्यक रजिस्ट्रीकृत डाक टिकट दाखिल किया जायेगा।

(viii) उस दशा में जब उसी पक्षकार के लिये एक से ज्यादा अधिवक्ता उपस्थित हुये थे, वहाँ प्रति उनमें जो कनिष्ठ होगा उस पर तामीली की जायेगी।

(ix) एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादी के लिये उपस्थित होने वाला अधिवक्ता, उपनियम (iv) और (v) के अधीन प्रति स्वीकार करने से मना नहीं करेगा।

(x) अधिवक्ता या उसके रजिस्ट्रीकृत क्लर्क पर, उपनियम (iv) और (v) के अधीन, प्रति की तामीली को यथेष्ट नोटिस समझा जायेगा।

(xi) "प्रति" का अर्थ है इसमें शामिल है, अपील का ज्ञापन या आवेदन के साथ के सभी संलग्नक या अनुच्छेदक

(xii) जब तक कि बेन्च अन्यथा निर्देशित न करे, अपील सुनवाई के लिये उस कार्यदिवस, जो उसके संस्थित होने के 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद तुरन्त पड़ता हो, पर सूचीबद्ध की जायेगी।

परन्तु यह कि जहाँ अन्तरिम उपचार के लिये आवेदन दाखिल किया गया है, वहाँ बेन्च, अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, अपील को स्वयं निरस्त कर सकती है या आवेदन को व्ययनित कर सकती है।

टिप्पणी- जहाँ आवेदन, अपील दाखिल करने के बाद दाखिल किया गया है, जब तक कि बेन्च अन्यथा आदेश न दे, इसे अपील के साथ आदेशों के लिये रखा जायेगा।

(xiii) त्रुटिपूर्ण अपीलों (जैसे कि, कम मूल्य के स्टैम्प का लगा होना, या समय द्वारा बाधित होना या जो, अकिन्चन के रुप में अपील करने की अनुमति के आवेदन, इत्यादि के साथ हैं) उनके संस्थित किये जाने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें आदेशों के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

(xiv) बेन्च किसी वाद में, अपील या आवेदन के समन को, प्रतिवादियों या उनमें से किसी पर, नये सिरे से तामीली करने का निर्देश दे सकती है।

(xv) बेन्च, अन्तरिम आदेशों के लिये आवेदन पर अन्तिम आदेशों को देगी।

(xvi) यदि अन्तरिम आदेशों के लिये आवेदन पर प्रतिवादी को उपनियम (xv) के अधीन आदेश पारित करते समय नहीं सुना गया है, तो उसे, अन्तरिम आदेश में संशोधन/ आंशिक परिवर्तन या अवकाश के लिये आवेदन करने की स्वतन्त्रता होगी।

(xvii) अधिवक्ता पर प्रति की तामीली उसे या उसके रजिस्ट्रीकृत क्लर्क को, इसे देने पर और मूल अपील के ज्ञापन या आवेदन पर उस संबंध में पृष्ठांकन लेने से और इन्कार करने की दशा में, रजिस्ट्रीकृत पावती से उचित डाक द्वारा अधिवक्ता को इसे भेजे जाने से, प्रभावी होगी।

11. <u>अपील या आपत्ति के ज्ञापन या आवेदन, उनकी प्रतियों के साथ होंगे --</u>

(1) प्रत्येक, अपील या आपत्ति, का ज्ञापन और प्रत्येक आवेदन, उनकी उतनी टंकित प्रतियों के, जितनी की पक्षकारों पर तामीली की जानी है, साथ ही साथ

(i) डिवीजन बेन्च (Division Bench) की दशा में, दो अतिरिक्त प्रतियाँ, [174][जो कि उसी समय दीं जायेगी]; और

(ii) एक अतिरिक्त प्रति, प्रत्येक अन्य मामले में, के साथ होगा।

[175] [परन्तु यह कि जब तक कि न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश न दे दिया हो, पक्षकारों पर प्रतियों की तामीली कराई जाये यह आवश्यक नहीं होगा।]

इस नियम का उचित रुप से अनुपालन किया गया है यह समझा जायेगा यदि अपील का ज्ञापन या आवेदन, प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति लिखित वचन देता है यह कि वह इसके स्वीकृत होने के चार दिनों के भीतर आवश्यक प्रतियाँ प्रदान करेगा। ऐसी प्रतियाँ, उन्हें देने वाले पक्षकार द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा सही प्रमाणित की जायेंगी।

[176][परन्तु आगे यह कि डिवीजन बेन्च के मामले में, सभी दस्तावेजों की एक अतिरिक्त प्रति (जिसमे निर्णयों या आदेशों जिनके खिलाफ अपील की गई है शामिल हैं), भी, जो कि अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सही प्रमाणित की जायेंगी, अपील या आपत्ति, के ज्ञापन या आवेदन, के साथ न्यायालय के उपयोग के लिये दाखिल की जायेगी। यद्यपि, यह कि, डिक्री या औपचारिक आदेश की अतिरिक्त प्रति प्रदान की जाये, यह आवश्यक नहीं होगा।]

---

174 संस्थित किया गया अधि0 सं0 90/VIII-C-90 दिनांक30.03.1956 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-09.06.1956

175 संस्थित किया गया अधि0 सं0 90/VIII-C-90 दिनांक30.03.1956 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-09.06.1956

176 संस्थित किया गया अधि0 सं0 164/VIII-C-9 दिनांक14.05.1962 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-28.07.1962

(2) यदि अपेक्षित प्रतियाँ, निर्धारित समय या आगे ऐसे समय, जो दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत हो, के भीतर प्रदान नहीं की जातीं, ज्ञापन या आवेदन को न्यायालय के समक्ष निरस्त होने के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

(3) ऐसे ज्ञापन या आवेदन पर न्यायालय द्वारा, कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतियाँ प्रदान न कर दीं गय़ीं हों।

[177] [(4) प्रतियाँ, सुस्पष्ट और पठनीय लिखित या टंकित या लिथोग्राफड् (Lithographed) या प्रिन्टेड (Printed) होंगी जो 'Quarter Margin' की दूरी पर, टिकाऊ कागज (Durable paper) पर एक तरफ लिखी जायेंगी।

परन्तु यह कि न्यायालय, जब आवश्यक समझे, Foolscap Size के किसी अन्य पेपर की या उद्देश्य के लिये दोनो तरफ पेपर इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है।]

12. <u>निश्चित आवेदनों के साथ शपथपत्र संलग्न होगा --</u>

[178] [(1) निम्न आवेदनों में, प्रार्थना में, माँगे गये उपचार की यथार्थ प्रकृति का स्पष्ट कथन होगा और जो महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों जिन पर आवेदक निर्भर करता है जिसमें जहाँ आवश्यक हो नाम और तारीखें शामिल हैं, का वर्णनात्मक रुप से कथन करने वाले शपथपत्र से समर्थित होगा।] --

(i) पुनर्विलोकन के लिये आवेदन, जो नये तथा महत्वपूर्ण तथ्य की खोज या साक्ष्य या अन्य किसी पर्याप्त कारण, के आधार पर बनाया गया हो।

(ii) निष्पादन या कार्यवाहियों को रोकने के लिये आवेदन।

(iii) 'Stay' के लिये आदेश को रद्द करने के लिये आवेदन।

(iv) प्रतिभूति के लिये आवेदन, जिसमें संहिता के आदेश XLI के नियम 6या 10 के अधीन आवेदन शामिल है।

(v) न्यायनिर्णय या व्यादेश या संहिता के आदेश XXXVIII या आदेश XXXIX के अधीन किसी अन्य आवेदन, से पहले कुर्की के लिये आवेदन।

(vi) रिसीवर (Receiver) की नियुक्ति या मुक्ति के लिये आवेदन।

---

177 संस्थित किया गया अधि0 सं0 88/VIII-C-127, दिनांक15.03.1971 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-07.08.1971

178 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 808/VIII-C-141, दिनांक18.11.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-03.04.1976

(vii) अपील या आवेदन, जो, उपस्थिति में चूक की वजह से या अभियोजन की कमी के कारण, खारिज हो गया है, को पुनः स्वीकृत या पुनः स्थापित करने के लिये या एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिये, आवेदन

(viii) पक्षकारों को प्रतिस्थापित करने के लिये, जिसमें संहिता के आदेश XXII के नियम1 या नियम 4 (1) के अधीन आवेदन शामिल है या अभिलेख पर टिप्पणी बनाने के लिये, कि मृतक पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि, पहले से ही अभिलेख पर है या पक्षकार की बगैर कोई विधिक प्रतिनिधि छोड़े, मृत्यु हो गई है, आवेदन।

(ix) वाद के लिये, संरक्षक या वादमित्र की नियुक्ति या को हटाये जाने के लिये आवेदन।

(x) संहिता के आदेश XXXII के नियम 12, 13, 14 या 15 के अधीन आवेदन।

(xi) वाद को स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन जिसमें संहिता की धारा 22 के अधीन आवेदन शामिल है।

[179][परन्तु यह कि वाद को स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन के साथ, जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश की प्रति, यदि कोई हो, का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।]

(xii) न्यायालय की अवमानना के लिये व्यक्ति को दण्डित किये जाने के लिये आवेदन।

(xiii) किसी विधि अभ्यासी के विरुद्ध परिवाद के माध्यम से कोई आवेदन

(xiv) परिसीमा अधिनियम, 1963की धारा 5के अधीन आवेदन

(xv) उपशमन को अपास्त करने के लिये आवेदन

(xvi) इन नियमों या किसी अन्य विधि द्वारा माँगा गया आवेदन, जो शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा; और

(xvii) कोई अन्य आवेदन, जिसके समर्थन में न्यायालय अपेक्षा करे कि शपथपत्र दाखिल होना चाहिये।

(2) न्यायालय या रजिस्ट्रार, इसके या उसके सामने आनेवाले किसी अन्य मामले में शपथपत्र की माँग कर सकेगा।

13. <u>प्रतिक्रिया में शपथपत्र --</u> कोई व्यक्ति जो आवेदन की अनुमति दिये जाने का विरोध करता है या नियम के विरुद्ध कारण प्रदर्शित करता है, कोई तथ्य जो कि दूसरे पक्षकार के

---

179 संस्थित किया गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-28.01.1978

आवेदन में नहीं है न्यायालय के समक्ष शपथपत्र द्वारा ला सकता है जिसमें वह महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कि वह निर्भर करता है वर्णनात्मक रुप में होंगे।

14. पुनर्विलोकन आवेदन की अन्तर्वस्तुयें -

पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किसी महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य की खोज के आधार पर किया जायेगा जिसमें स्पष्ट शब्दों में कथन होगा कि क्या ऐसा नया या महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य, जिसके प्रभाव या उद्देश्य, को डिक्री देते समय या आदेश बनाते समय, कैसे वह तथ्य / साक्ष्य उचित प्रयास को इस्तेमाल करने के बाद भी आवेदक के ज्ञान में नहीं था या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और कैसे और कब यह उसके ज्ञान में आया या वह उसे प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका और शपथपत्र जो इसके साथ होगा आवेदनकर्ता द्वारा स्वयम् बनाया जायेगा।

15. स्टे आवेदन (Stay Application) की अन्तर्वस्तुयें --

डिक्री या आदेश के अधीन निष्पादन या कार्यवाहियों को रोकने के लिये आवेदन में ऐसे आवेदन के लिये महत्वपूर्ण निम्न विवरण होंगे --

(क) डिक्री या ऑर्डर की तारीख;

(ख) वाद की प्रकृति और विवरण, जिससे की कार्यवाहियाँ संबंधित हैं; और न्यायालय जिसको ' Stay Order ' संसूचित किया जाना है,

(ग) विक्रय के लिये आदेश की तिथि, यदि कोई हो;

(घ) विक्रय के लिये नियत तिथि, यदि कोई हो;

(ड़) आधार जिन पर स्थगन चाहा गया है; और

(च) जहाँ स्थगन संहिता के आदेश XLI के नियम 5 (1) के अधीन चाहा गया है, उस नियम के उपनियम (3) में उल्लिखित मामलों के संबंध में, न्यायालय को सन्तुष्ट करने के लिये आवश्यक तथ्य।

16. न्यायालय फीस की पर्याप्तता के संबंध में अधिवक्ता का प्रमाणपत्र --

जहाँ डिक्री के अधीन, निष्पादन या कार्यवाहियों को रोकने के लिये आवेदन अधिवक्ता द्वारा अपील की स्वीकृति, जिसमें आवेदन किया गया है, से पहले प्रस्तुत किया जाता है, इस आवेदन के साथ ऐसे अधिवक्ता का एक प्रमाणपत्र भी होगा जिसमें कथन होगा कि अपील के ज्ञापन पर देय पूर्ण न्यायालय-फीस (full Court-fee) का उसके श्रेष्ठ ज्ञान एवम् विश्वास में भुगतान किया जा चुका है।

17. <u>एकपक्षीय डिक्री को पुनः स्वीकृत करने या अपास्त करने, के लिये आवेदन की अन्तर्वस्तुयें</u> --

(1) अपील या आवेदन, जो उपस्थिति की चूक के लिये खारिज हुआ है, की पुनः स्वीकृति के लिये आवेदन में उन परिस्थितियों का, जिनमें ऐसी चूक की गई थी और संबंधित पक्षकार ने ऐसे खारिज होने के पूर्व अधिवक्ता को ऐसी अपील या आवेदन, में काम करने के लिये नियुक्त किया गया था या नहीं, कथन होगा। जहाँ अधिवक्ता को ऐसे नियुक्त किया गया था, आवेदन में आगे ऐसे अधिवक्ता के नाम, उस तारीख जब उसे नियुक्त किया गया था, फीस की राशि जिसे देने के लिये सहमति हुई थी और क्या ऐसी खारिजी की तिथि के पूर्व, उसे पूर्ण फीस का भुगतान किया जा चुका था, का कथन होगा और इन तथ्यों के समर्थन में, यदि संभव हो तो शपथकर्ता के अपने निजी ज्ञान पर और न कि केवल उसकी सूचना और विश्वास पर, आधारित शपथपत्र दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में दिये उपबन्ध, आवश्यक अनुकूलनों और आंशिक परिवर्तनों के साथ, एकपक्षीय डिक्री या आदेश को अपास्त करने के लिये आवेदन पर लागू होंगे।

18. <u>प्रतिस्थापन के लिये आवेदन की अन्तर्वस्तुयें --</u>

मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिये, संबंधित पक्षकार की मृत्यु की तारीख का ठीक / यथावत् कथन आवेदन में होगा।

19. <u>संरक्षक या वादमित्र की नियुक्ति के लिये आवेदन की अन्तर्वस्तुयें --</u>

(1) अवयस्क के वाद के लिये संरक्षक या वादमित्र की नियुकि के लिये आवेदन में कथन होगा --

(क) **Guardian and Wards Act, 1890** के अधीन, अवयस्क के लिये संरक्षक नियुक्त किया गया है या नहीं, और यदि ऐसा है तो उसका नाम और पता;

(ख) अवयस्क के पिता या अन्य प्राकृतिक संरक्षक का नाम और पता;

(ग) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसकी देखभाल में अवयस्क रह रहा है।

(घ) व्यक्ति जो चाहता है कि उसे संरक्षक या वादमित्र नियुक्त किया जाये, अवयस्क से कैसे संबंधित है;

(ङ) यह कि, व्यक्ति जो चाहता है कि उसे संरक्षक या वादमित्र नियुक्त किया जाये विवादित मामले में अवयस्क के प्रतिकूल उसका कोई हित नहीं है और वह ऐसे नियुक्त किये जाने के लिये उचित व्यक्ति है।

(च) क्या, अवयस्क 10वर्ष से कम आयु का है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध शपथपत्र में आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उन व्यक्तियों के लिये जो विक्षिप्त मस्तिष्क के हैं, के वाद के लिये संरक्षक या वादमित्र की नियुक्त के लिये आवेदन, में लागू होंगे।

20. <u>अन्तर्वर्ती (Interlocutory) प्रकृति के आदेश के लिये प्रार्थना --</u>

निष्पादन या कार्यवाहियों को रोकने के लिये य़ा निष्पादन या कार्यवाहियों, के रोकने के आदेश को रद्द करने के लिये या अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के लिये या अन्य किसी अन्तर्वर्ती प्रकृति के आदेश के लिये, प्रार्थना, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन, जिससे कि यह संबंधित है, में नहीं होगी लेकिन अलग से आवेदन द्वारा की जायेगी।

21. <u>त्रुटिपूर्ण आवेदन या अपील या आपत्ति, के ज्ञापन नहीं स्वीकारे जायेंगे --</u>

(1) कोई आवेदन या अपील या आपत्ति, के ज्ञापन को नहीं स्वीकारा जायेगा यदि यह उचित प्रारुप में नहीं है या इसके साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।

परन्तु यह कि न्यायाधीश या रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन या ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है, इसे ले सकता है और दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये, ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराने या ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिये, ऐसे समय की अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझे;

परन्तु आगे यह कि प्रथम परन्तुक के अधीन की गई कोई बात, समयसीमा को बढाने का प्रभाव रखनेवाली, उस दशा में जब कि अपील का ज्ञापन, जहाँ कि न्यायनिर्णय या डिक्री या औपचारिक आदेश की प्रति निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं की गई है, नहीं समझी जायेगी।

(2) न्यायाधीश या रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत प्राप्त समय के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों के न दिये जाने पर या त्रुटियों के दूर न किये जाने पर, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन या अपील के ज्ञापन को निरस्त होने के लिये न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा।

22. <u>विशिष्ट प्रतियों का न लौटाया जाना --</u>

अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन के साथ दिये गये किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या औपचारिक आदेश की प्रति नहीं लौटाई जायेगी जब तक कि ऐसे ज्ञापन या आवेदन को स्वयम् लौटाये जाने का आदेश न दिया गया हो।

अध्याय X: विधिक प्रतिनिधियों, समनुदेशतियों आदि के, द्वारा या विरुद्ध अपील या आवेदन

1. <u>विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशती आदि द्वारा अपील-</u>

जहाँ डिक्री या आदेश द्वारा, जो न्यायालय को लागू हो --

(क) ऐसी डिक्री या आदेश में मृतक पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि उसी रूप में; या

(ख) ऐसी डिक्री या आदेश में पक्षकार का समनुदेशती, जो डिक्री या आदेश की तिथि के बाद नियुक्त किया गया है। या

(ग) ऐसी सम्पत्ति में लाभभोगी, जो ऐसी डिक्री या आदेश की तिथि पर ट्रस्टी (Trustee), निष्पादक या प्रशासक या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर (Receiver) या मैनेजर के पास निहित थी या कब्जे में थी, जो कि उसी रुप में ऐसी डिक्री या आदेश में पक्षकार था; या

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसका हित ऐसी डिक्री या आदेश की तिथि के बाद, इस कारण से कि ऐसी डिक्री या आदेश के किसी पक्षकार से / के माध्यम से / द्वारा किसी हित के सृजन अथवा हस्तान्तरण, किये जाने से उद्भूत हुआ है।

का हित प्रभावित होता है और ऐसा विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशती, लाभभोगी या व्यक्ति, उससे अपील करने का इच्छुक है, वह अपना नाम अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी के रुप में दे सकता है।

स्वयम् को अपीलार्थी बनाने की अनुमति के लिये वह ऐसे अपील के ज्ञापन के साथ, एक आवेदन को भी शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आवेदन में ऐसे तथ्यों का कथन होगा जो इसका समर्थन करने के लिये आवश्यक हों।

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आवेदन अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसा विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशती, लाभभोगी या व्यक्ति, पहले से ही किसी कार्यवाही का जो कि डिक्री या आदेश जिससे की अपील की गई है उसके अधीन, उसके पश्चातवर्त्ती तिथि से जब कि इसे दिया गया था, पक्षकार बनाया जा चुका है। ऐसी दशा में इस प्रभाव की एक टिप्पणी अपील के ज्ञापन में बनायी जायेगी।

2. **<u>मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अपील --</u>** जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु, अपीलीय डिक्री या आदेश की तिथि के बाद, जिसका की वह पक्षकार था, हो गई है, डिक्री या आदेश का कोई अन्य पक्षकार जो कि उससे अपील करना चाहता है, मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का नाम अपील के ज्ञापन में प्रविष्ट कर सकेगा, यदि वह व्यक्ति जीवित

होता तो अपील में आवश्यक या उचित पक्षकार बनाया गया होता। अपीलार्थी अपने अपील के ज्ञापन के साथ ऐसे विधिक प्रतिनिधि को अपील में प्रतिवादी बनाने की अनुमति के आवेदन को भी प्रस्तुत करेगा। आवेदन में उन तथ्यों जो इसे समर्थित करने के लिये आवश्यक हों, का कथन होगा और इसके साथ शपथपत्र संलग्न होगा।

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आवेदन आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को पहले से ही किसी कार्यवाही, जो कि डिक्री या आदेश जिससे की अपील की गई है उसके अधीन, उसके पश्चातवर्ती तिथि से जब कि इसे दिया गया था, का पक्षकार बनाया जा चुका है। ऐसी दशा में इस प्रभाव की एक टिप्पणी अपील के ज्ञापन में बनाई जायेगी।

3. अपील दाखिल करने के पश्चात मृतक के विधिक प्रतिनिधि की नियुक्ति -- जहाँ अपील के ज्ञापन को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के बाद, कोई अपीलार्थी या कोई पक्षकार, संहिता के आदेश XLI के नियम22के अधीन दाखिल आपत्ति के पोषण का इच्छुक है, उसको सूचित किया जायेगा कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसी अपील या आपत्ति में पक्षकार के रुप में व्यवस्थित किया गया है, उसकी मृत्यु जब अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना था उससे पहले किन्तु डिक्री या आदेश जिससे अपील होनी है के दिये जाने के बाद, हो गई थी, वह परिसीमा विधि के प्रभावाधीन ऐसे आदेश के लिये कि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसके स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि को रखा जाये, अपील के ज्ञापन को संशोधित करने के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन में उन तथ्यों, जो इसे समर्थित करने के लिये आवश्यक हों, का कथन होगा और इसके साथ शपथपत्र संलग्न होगा।

4. सुनवाई के पश्चात किन्तु निर्णय से पूर्व पक्षकार की मृत्यु -- नियम1, 2और3 के उद्देश्यों के लिये, व्यक्ति जो सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात किन्तु निर्णय या आदेश, जिससे अपील की गई है, की घोंषणा के पूर्व मर जाता है, उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसकी मृत्यु डिक्री या आदेश की तिथि के बाद हुई है।

5. शपथपत्र दाखिल करने के लिये समय अनुमत किया जा सकता है -- जहाँ नियम1, 2और3 के अधीन आवेदन बगैर शपथपत्र के प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय ऐसे शपथपत्र को प्रस्तुत करने के लिये युक्तियुक्त समय की अनुमति दे सकता है यदि वह सन्तुष्ट होता है कि आवेदक सम्यक प्रयासों को करने पर भी इसे आवेदन के साथ प्रस्तुत करते समय उपलब्ध नहीं करा सकता था।

6. प्रतिस्थापन, वाद की भविष्य की सभी कार्यवाहियों के संबंध में प्रभावी होगा -- जहाँ मृतक के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नियम1, 2और3 के अधीन आवेदन पर लाया

जाता है, ऐसा प्रतिस्थापन वाद की भविष्य की सभी कार्यवाहियों के संबंध में भी प्रभावी होगा।

7. <u>पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिये स्पेशल अपीलें और आवेदन</u> - नियम1से 6तक, आवश्यक आंशिक परिवर्तनों और रुपान्तरणों / अनुकूलनों के साथ, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिये स्पेशल अपीलों और आवेदनों, को भी लागू होगें।

अध्याय XI: अपीलों और आवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1. **<u>अपीलों और आवेदनों का प्रस्तुतिकरण-</u>**

संहिता के आदेश XLI के नियम22 या 26के अधीन प्रत्येक अपील या आपत्ति, का ज्ञापन, स्वीकृति के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

यह नियम उन अपीलों एवम् आवेदनों के प्रति लागू नहीं होगा, जो इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रार या अन्य ऑफिसर के समक्ष दाखिल कियें जायेंगे।

2. **<u>प्रतिदिन आवेदन न्यायाधीशों को अधिसूचित किया जायेगा --</u>**

ऑफिस द्वारा मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, न्यायाधीश या न्यायाधीशों जिनके समक्ष अपीलों, आपत्तियों या आवेदनों को प्रस्तुत किया जा सकेगा और वादों के विभिन्न वर्गों के लिये प्रस्ताव लाया जा सकेगा, प्रतिदिन अधिसूचित किया जायेगा।

3. **<u>ऑफिस रिपोर्ट -</u>**

आदेश XLI के नियम22 या 26के अधीन कोई भी अपील या आपत्तियों का ज्ञापन या पुनरीक्षण का कोई भी आवेदन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि इसकी ऑफिस रिपोर्ट में निम्न बातें न हों। --

(क) अपील या आपत्तियों के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन के मामलों में, यह कि यह समयसीमा के भीतर है या यदि यह समयसीमा के बाहर है तो वह समय जिसके द्वारा यह बाहर है।

(ख) एकल न्यायाधीश द्वारा क्या वाद सुना गया अथवा नहीं सुना गया, जैसी भी स्थिति हो।

(ग) क्या यह सभी आवश्यक कागजातों के साथ है, यदि कोई हों,

(घ) क्या कोई न्यायालयी फीस देय है या नहीं,

(ड़) जहाँ न्यायालयी फीस देय है, वहाँ क्या भुगतान की गई न्यायालयी फीस पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ यह अपर्याप्त है, वह कितनी अपर्याप्त है; और

(च) क्या यह इन नियमों या अन्य विधि के अनुसार तैयार की गई है और यदि नहीं तो यह किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है।

जहाँ रिपोर्ट खण्ड (ड़) के अधीन अभिलेख के परीक्षण के बिना नहीं बनाई जा सकती वहाँ ऑफिस कथन करेगा यह कि अभिलेख की प्राप्ति पर आगे रिपोर्ट बनाई जायेगी।

4. **न्यायालयी फीस के संबंध में आपत्ति Taxing Officer द्वारा निर्धारित की जायेगी --**

यदि अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, या उसका अधिवक्ता न्यायालयी फीस को लेकर ऑफिस रिपोर्ट का प्रतिवाद करता है, वह अपना आवेदन या अपील या आपत्तियों का ज्ञापन, प्रस्तुत करने से पूर्व Taxing Officer के सामने ले जायेगा कि वह उसकी आपत्ति का निर्धारण करे और Taxing Officer उसका तुरन्त निर्धारण करेगा।

यदि Taxing Officer यह निर्धारित करता है कि भुगतान की गयी न्यायालयी फीस में कमी है, तो अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, ज्ञापन या आवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व कमी को दूर करेगा।

परन्तु यह कि यदि समय सीमा समाप्त होने वाली है और कमी को दूर करने मे कम ही समय बचा है, तो वह अपील के ज्ञापन या आवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा और कमी को उतने समय के भीतर जितने की न्यायालय अनुमति दे, दूर कर सकेगा।

यदि Taxing Officer ऐसी आपत्ति को तुरन्त निर्धारित करने में असमर्थ है, और समयसीमा समाप्त होने वाली है, वहाँ अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, उससे उस प्रभाव का पृष्ठांकन प्राप्त कर सकेगा और उसके पश्चात ज्ञापन या आवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

5. **प्रथम अपील में न्यायालयी फीस के संबंध में अंतिम रिपोर्ट -**

प्रत्येक प्रथम अपील में अभिलेख का परीक्षण ऑफिस द्वारा जितनी जल्दी हो सके उसके प्राप्त होने के बाद किया जायेगा और न्यायालयी फीस की पर्याप्तता के संबंध में अंतिम रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

6. **दस्तावेजों पर अपर्याप्त रुप से Stamp लगे होने की दशा में प्रक्रिया -**

(1) जब कभी, पूर्ववर्णित नियम के अन्तर्गत अभिलेख के परीक्षण पर या अन्यथा, Stamp Reporter या किसी अन्य ऑफिसर, जो इसके लिये नियुक्त किया गया है, पाता है कि दस्तावेजों को पर्याप्त Stamp लगाये बगैर दाखिल किया गया है, वह उस प्रभाव की रिपोर्ट बनायेगा जो अपर्याप्तता की सुनिश्चित राशि को प्रदर्शित करेगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकार के अधिवक्ता को दर्शायी जायेगी।

(2) अधिवक्ता रिपोर्ट को तुरन्त अद्याक्षरित करेगा और उस पर यह टिप्पणी लिखेगा कि वह उसकी उपयुक्तता का प्रतिवाद करता है या नहीं करता है। यदि वह उसका प्रतिवाद करता है तो वह तीन सप्ताह या आगे ऐसे समय, जितने की Taxing Officer, अनुमति प्रदान करे, के भीतर अपनी आपत्ति के आधार को दाखिल करेगा। यदि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं बनाई जाती है या ऐसी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाती है, तो यह माना जायेगा कि उसने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

(3) जहाँ न्यायालय मे प्राप्त दस्तावेज से अपर्याप्तता संबंधित है, वहाँ Taxing Officer ऐसी आपत्ति को निर्धारित करेगा।

(4) जहाँ निचले न्यायालय मे प्राप्त दस्तावेज से अपर्याप्तता संबंधित है, स्थाई अधिवक्ता को नोटिस के देने के बाद, आपत्ति के साथ रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिये रखी जायेगी।

7. **त्रुटिपूर्ण आवेदन या अपील या आपत्ति, का ज्ञापन -**

यदि बेन्च, जिसके समक्ष आवेदन या अपील या आपत्ति, के ज्ञापन की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लाया गया है, पाती है कि आवेदन, अपील या आपत्ति, का ज्ञापन, जैसी भी स्थिति हो, या शपथपत्र या अन्य कागजात जो इसके साथ है, सही क्रम में नहीं है या ऐसा आवेदन या अपील या आपत्ति, का ज्ञापन आवश्यक कागजातों के साथ नहीं है, तो बेन्च या तो इसे वापस कर देगी या इन नियमों या अन्य किसी विधि के उपबन्धों के प्रभावाधीन, इसे ले लेगी और त्रुटियों को दूर करने के लिये समय प्रदान करेगी। ऐसी त्रुटियों को दूर करने के बाद इसकी स्वीकृति के लिये पुनः प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

परन्तु इस नियम की कोई भी बात समयसीमा को बढाने का प्रभाव रखने वाली नहीं समझी जायेगी।

8. **त्रुटियों को न मिटाने का परिणाम -**

प्रत्येक दोषपूर्ण आवेदन या अपील या आपत्तियों, का ज्ञापन जो पूर्ववर्ती नियम के अधीन प्राप्त किया गया है, उनके दोषों को दूर किये जाने के फौरन बाद आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा तथा जहाँ न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात बाद वाली दशा में इसे निरस्त कर दिया जायेगा जब तक कि न्यायालय लिखित आवेदन पर दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये अतिरिक्त समय का प्रदान किया जाना निर्धारित नहीं करता है।

9. **<u>संहिता के आदेश XLIके नियम11 के अधीन सुनवाई --</u>**

यदि बेन्च, जिसके समक्ष आवेदन या अपील या आपत्तियों, के ज्ञापन की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लाया गया है, पाती है यह कि यह सभी कागजातों के साथ है, यदि कोई हो और अन्यथा क्रम में है और समयसीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है, वहाँ यह --

(क) First Appeal की दशा में (Execution First Appeal को छोड़कर) या आपत्तियों के ज्ञापन की दशा में, इसे स्वीकृत करने का आदेश एवम् नोटिस जारी करने का निर्देश देगी।;

(ख) किसी अन्य अपील की दशा में इसे स्वीकृत करेगी और इसकी स्वीकृति के पश्चात --

(i) यदि यह उचित समझती है, संहिता के आदेश XLIके नियम11 के अधीन इसे उसी दिन सुन सकती है और यदि यह संहिता के नियम के अधीन इसे खारिज नहीं करती, निर्देश देगी कि नोटिस को जारी किया जाये।

(ii) निर्देश देगी यह कि संहिता के आदेश XLIके नियम11 के अधीन सुनवाई के लिये अपील को भविष्य की एक तिथि पर रखा जाये।

(ग) आवेदन की दशा में, ऐसा आदेश जो समुचित होगा पारित कर सकेगी।

परन्तु यह कि इस नियम की कोई भी बात --

(i) बेन्च को, यदि अपीलार्थी की सहमति हो, संहिता के आदेश XLIके नियम11 के अधीन, किसी First Appeal की सुनवाई, उसी दिन या उस नियम के अधीन भविष्य की किसी तिथि पर सुनवाई के लिये रखने का निर्देश देने से निवारित करने वाली नहीं होगी।

(ii) ऐसी बेन्च से, आवेदन या ज्ञापन या आपत्ति की नोटिस जारी की जाये, का निर्देश देने की अपेक्षा करने वाली नहीं होगी जहाँ कि ऐसे आवेदन या आपत्तियों के ज्ञापन की नोटिस की दूसरे पक्षकार या उसके अधिवक्ता पर पहले से ही तामीली की जा चुकी है।

10. **<u>समय बढाने के लिये आवेदन -</u>**

यदि बेन्च पाती है कि अपील या आपत्तियों, का ज्ञापन [180][या पुनरीक्षण के लिये आवेदन] समयसीमा के बाहर प्रस्तुत किया गया है, अन्यथा यह क्रम में है और सभी आवश्यक कागजात, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न है और यह भी कि समय बढाने की माँग के लिये आवेदन शपथपत्र के साथ दिया हुआ है तो वह ऐसे आवेदन का विचारण करेगी। यदि

---

180 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 8/VIII-C-90 दिनांक 11.01.1965 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-18.09.1965

आवेदन अस्वीकृत होता है तो ज्ञापन [181][या पुनरीक्षण के लिये आवेदन] भी अस्वीकृत हो जायेगा किन्तु यदि आवेदन की नोटिस को जारी करने का निर्देश दिया जाता है तो ज्ञापन को समय बढाने के लिये आवेदन के साथ न्यायालय के आदेशों के लिये यथासमय रखा जायेगा।

11. **<u>अपील का ज्ञापन रजिस्ट्रार को कब प्रस्तुत किया जा सकेगा --</u>**

[182] [(1) किसी कार्यदिवस पर जब न्यायाधीश पद आसीन न हो, अपील या आपत्तियों, का ज्ञापन या पुनरीक्षण का आवेदन या पुनर्विलोकन का आवेदन, Court Hours (न्यायालय के खुले रहने के समय) में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। समयसीमा समाप्त होने के अंतिम दिन रजिस्ट्रार Court Hours के बाद भी अपील या आपत्ति, का ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन या पुनर्विलोकन के लिये आवेदनों को ले सकता है जहाँ पर अपीलार्थी या आवेदक इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ था।
परन्तु यह कि रजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन या आवेदन को, यदि यह उचित क्रम में नहीं है, नहीं ले सकता है।

(2) रजिस्ट्रार निर्देश देगा यह कि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त अपील या आपत्ति के ज्ञापन या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन को न्यायालय के समक्ष या उसके समक्ष, यदि वह उस पर कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है, आदेश के लिये अगले कार्यदिवस पर रखा जाये।]

12. **<u>अवकाश के बाद न्यायालय के पुनः खुलने पर अपीलों का प्रस्तुतिकरण --</u>**

इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, संहिता के आदेश XLIके नियम22 या 26 के अधीन प्रत्येक अपील या आपत्ति, का ज्ञापन [183][या पुनरीक्षण के लिये आवेदन] रजिस्ट्रार के समक्ष, जिस दिन न्यायालय अवकाश के बाद खुला है उस पर या किसी अन्य दिन पर यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया है, प्रस्तुत किया जा सकेगा।[184] [उसके बाद ऑफिस नियम 3 के अनुसार जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस

---

181 उसी स्थान पर

182 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 8/VIII-C-90 दिनांक 11.01.1965 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-18.09.1965

183 उसी स्थान पर

184 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 434/VIII-C-171 दिनांक29.10.1964, द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-16.12.1967

रिपोर्ट की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार निर्देशित करेगा] यह कि समस्त अपील या आपत्ति, का ज्ञापनों [185][या पुनरीक्षण के लिये आवेदनों] जिन्हें कि रिपोर्ट में किसी प्रकार दोषपूर्ण नहीं कहा गया है, को रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जाये।

नियम 9के खण्ड (1) में वर्णित, अपीलों एवम् आपत्तियों की दशा में, उनके रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किये जाने के बाद, रजिस्ट्रार निर्देश देगा कि नोटिस जारी की जाये किन्तु किसी प्रकार की नोटिस उस दशा में आवश्यक नहीं होगी जब कि प्रति-आपत्ति (Cross Objection) की प्रति अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता पर पहले ही तामील की जा चुकी है। अन्य अपीलों की दशा में उनके रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित होने के बाद वह आदेश देगा कि उनको संहिता के आदेश XLI के नियम11 के अधीन सुनवाई के लिये रखा जाये। उसके बाद उनको यथाशीघ्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

[186] [पुनरीक्षण के लिये आवेदनों के मामले में, उनके रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किये जाने के बाद, वह निर्देशित करेगा कि उन्हें यथाशीघ्र न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिये रखा जाये।]

(2) यदि यह इच्छित है कि, इस नियम के अधीन प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ किसी न्यायनिर्णय या औपचारिक आदेश की प्रति, जिसका दाखिल किया जाना अपेक्षित है, को छोड़ दिया जाये, तो इस प्रभाव की टिप्पणी ज्ञापन पर बनायी जायेगी। यदि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं बनाई जाती तो उस प्रयोजन के लिये पश्चातवर्ती निवेदन को नहीं सुना जायेगा। जहाँ ऐसी टिप्पणी की गई है वहाँ रजिस्ट्रार उपयुक्त आदेशों को जारी करेगा। यदि ऐसी प्रति को उस अवधि, जिस दिवस पर अपील प्रस्तुत की गई थी और जिस दिवस पर आदेश बनाया गया है, के बीच नहीं छोड़ा गया है अपील के लिये परिसीमा की अवधि की गणना में नहीं छोड़ा जायेगा, किन्तु यदि अपील से छोड़ी हुई प्रति के विषय में यह समझा जायेगा कि इसे ठीक ढंग से उस दिन प्रस्तुत किया गया है जिस दिन इसे दाखिल किया गया था।

13. **<u>नियम12 के अधीन दाखिल त्रुटिपूर्ण अपील या आपत्तियों के ज्ञापन --</u>**

---

185 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 8/VIII-C-90 दिनांक 11.01.1965 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-18.09.1965

186 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 8/VIII-C-90 दिनांक 11.01.1965 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-18.09.1965

(1) यदि ऑफिस रिपोर्ट में अपील या आपत्ति, के ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन में कोई त्रुटि प्रदर्शित कि जाती है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार तुरन्त ही त्रुटि के कारण की नोटिस अपीलार्थी या आपत्तिकर्ता या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, के अधिवक्ता को तामील करवायेगा और उससे माँग की जायेगी कि नोटिस की प्राप्ति के सात दिनो के भीतर त्रुटियों को दूर करे या आपत्ति दाखिल करे।

(2) उपनियम (1) के अधीन आपत्ति, यदि कोई हो, रिपोर्ट के साथ तुरन्त रजिस्ट्रार के समक्ष आदेशों के लिये सूचीबद्ध की जायेगी। यदि रजिस्ट्रार आपत्ति को अनुमति प्रदान करता है वह ऐसी अपील या आपत्ति या आवेदन पर आगे कार्यवाही करेगा जैसे कि यह उचित क्रम में है रिपोर्ट किया गया था और यदि वह इसे अस्वीकार करता है तो उसकी अस्वीकृति से सात दिनों के भीतर त्रुटियों को दूर किया जायेगा।

(3) यदि त्रुटि को उपनियम (1) या (2) में निर्धारित समय या ऐसे अतिरिक्त समय जिसके लिये रजिस्ट्रार ने अनुमति दी है, के भीतर दूर नहीं किया जाता है तो ज्ञापन या आवेदन को न्यायालय के समक्ष अस्वीकृति के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा और अस्वीकृत किया जायेगा जब तक कि न्यायालय शपथपत्र द्वारा समर्थित पर्याप्त कारण के लिये इसे हटाने के लिये अतिरिक्त समय न प्रदान कर दे। अतिरिक्त समय की समाप्ति पर त्रुटियों को दूर किये बगैर, होने की दशा में न्यायालय ज्ञापन को अस्वीकार कर देगा।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन जारी किया गया कोई आदेश परिसीमा की अवधि को बढाने वाला नहीं समझा जायेगा।

अध्याय XII: नोटिस की तामीली और अभिलेख का समन

1. **<u>नोटिस का जारी किया जाना और अभिलेख के लिये माँग किया जाना --</u>**

जहाँ अपील, पुनरीक्षण या निर्देश की नोटिस को जारी करने के लिये आदेश निर्देशित किया गया है, ऑफिस तुरन्त उसकी नोटिस की तामीली, ऐसे व्यक्तियों जैसा कि नियम 9 मे दर्शाया गया है, पर करवाने के कदम उठायेगा और उसकी नोटिस उस न्यायालय, जिसकी डिक्री या आदेश से अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है या जिससे निर्देश किया गया है, को भी देगा। यदि ऑफिस को अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है, तो वह ऐसे न्यायालय को माँगपत्र भी भेजेगा इससे यह कहते हुये कि ऐसे माँगपत्र की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर वाद में सभी महत्वपूर्ण कागजातों को प्रेषित करे, या यदि ऐसा निर्देशित किया जाये, तो उसके भाग को, जब तक कि ऐसे अभिलेख को पहले ही प्राप्त न कर लिया गया हो।

[187] [परन्तु यह कि द्वितीय अपील, [188][आदेश से अपील या पुनरीक्षण], में कागजातों के लिये समन की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाये या जब तक कि वाद को सुनवाई के लिये न्यायालय के समक्ष संभवतः सूचीबद्ध न किया जाये।]

[189] [परन्तु आगे यह कि आदेश से अपील या अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध निर्देशित पुनरीक्षण में, अभिलेख के लिये समन नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देशित न करे। ऐसे वादों में, पक्षकार शपथपत्रों के साथ, दस्तावेजों की प्रतियाँ और / अथवा साक्ष्य जिस पर कि वे सुनवाई के समय निर्भर होने के इच्छुक हैं, संलग्न कर दाखिल कर सकते हैं।]

प्रत्येक वाद में, अभिलेख के प्राप्ति की नोटिस, प्रथम अपील को छोड़कर, जिसमें इन नियमों के अध्याय XIII का नियम 7 लागू होता है, इसकी प्राप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

---

187 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 38/VIII-C-163 दिनांक 28.02.1966 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-17.06.1967

188 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 719/VIII-C-163 दिनांक 09.10.1975 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-03.01.1976

189 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 218/VIII-C-163 दिनांक 09.03.1979 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-16.06.1979

[190][परन्तु आगे यह कि उस दशा में जब कोई अल्पकालिक (ad-interim) Stay Order न्यायालय द्वारा आवेदन पर दिया गया है, ऐसे Stay Order को विपक्षी पक्षकार की नोटिस के साथ जोड़ा जायेगा।]

2. **<u>जब अभिलेख को तुरन्त नहीं माँगा गया है --</u>**

जब अपील या अन्तर्वर्ती आदेश से पुनरीक्षण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख या उसके भाग की माँग, वाद की कार्यवाहियों के उस न्यायालय में लंबित रहने के दौरान की गई है, इसे तुरन्त नहीं भेजा जायेगा और केवल इस तथ्य की सूचना, कि वाद के सभी महत्वपूर्ण कागजात, जब उनकी वास्तविक आवश्यकता होगी भेजे जायेंगे; भेजी जायेगी और वह न्यायालय सूचना की प्राप्ति पर यह कि अपील या पुनरीक्षण सुनवाई के लिये तैयार है तुरन्त कागजातों को पेश करेगा।

परन्तु यह कि कागजातों के लिये समन नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा विशेषरुप से निर्देशित न किया गया हो।

परन्तु आगे यह कि जब ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, किसी अन्तर्वर्ती मामले को व्ययनित करने के लिये पक्षकार के विशेष निवेदन पर या अन्यथा, अभिलेख या उसके भाग के लिये समन किया गया है; इसे संबंधित न्यायालय को यथाशीघ्र वापस भेजा जायेगा और केवल तब वापस मँगाया जायेगा जब कि अपील या पुनरीक्षण सुनवाई के लिये तैयार है। इस नियम या इसके पूर्ववर्ती नियम के अधीन अभिलेख की प्राप्ति के पश्चात दो सप्ताह की समाप्ति के पूर्व, मामले को सामान्यतौर पर सुनवाई के लिये सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।

3. **<u>कोई नोटिस जारी नहीं की जायेगी जब तक कि आवश्यक प्रक्रिया फीस या खर्च का भुगतान और नोटिस को उपलब्ध नहीं करा दिया जाता --</u>**

पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुये भी, उस वाद में कोई नोटिस जारी नहीं की जायेगी, जिसमें प्रक्रिया फीस या नोटिस जारी करने का खर्च वसूलने योग्य है, जब तक कि आवश्यक प्रक्रिया फीस या खर्च का भुगतान न कर दिया जाये और निर्धारित प्रारुप में ठीक ढंग से दाखिल हुई नोटिस की प्रतिलिपि तामीली के लिये, नोटिस जारी करने के लिये आदेश

190 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 889/VIII-C-31 दिनांक 18.09.1974 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-09.11.1974

दिये जाने की तिथि से [191][दस दिनों] के भीतर उपलब्ध न करा दी जाये या जब तक कि ऐसी फीस या शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता और आगामी कथित नियम के अधीन नोटिसें प्रदान नहीं कर दी जातीं और न्यायालय ने ऐसी देरी के लिये क्षमा को न प्रदान कर दिया हो।

[192] **[4. <u>निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया फीस या खर्च के भुगतान को न करने या नोटिसों के न</u>**

<u>देने का प्रभाव --</u>

यदि नियम 3 मे बताये गये समय के भीतर, आवश्यक प्रक्रिया फीस या नोटिसों को जारी करने के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता या अपेक्षित नोटिसों की आपूर्ति नहीं की जाती, तो मामले को खारिज होने के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा और खारिज किया जायेगा, क्योंकि व्यक्तियों के विरुद्ध तामीली चूक के कारण नहीं की गई है जब तक कि वाद के बुलाये जाने पर पक्षकार या उसके अधिवक्ता या ब्रीफ-होल्डर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन को अपेक्षित प्रक्रिया फीस, खर्च या नोटिसों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ या कथित चूक के कारण व्यक्तियों जिन पर तामीली नहीं की गई है को वाद से मुक्त करने के लिये या उनके विरुद्ध इसे वापस ले लेने के लिये उसी प्रकार से हस्ताक्षरित आवेदन, न्यायालय में प्रस्तुत न किया गया हो और न्यायालय इसे प्रदान करना उचित न समझे।]

[193] [परन्तु यह कि ऐसे मामले में जिसमें न्यायालय ने अन्तरिम स्टे (Stay) या व्यादेश (Injunction) दिया है और आवेदक नोटिस की तामीली के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफल होता है, ऑफिस स्टे (Stay) या व्यादेश (Injunction) को चूक की रिपोर्ट के साथ न्यायालय के समक्ष दस दिनों की समाप्ति पर, अंतिम तिथि से जिससे कि ऐसे कदम संबंधित पक्षकार द्वारा उठाये जाने थे, तुरन्त सूचीबद्ध करेगा।]

---

191 प्रतिस्थापित किया गया, अधि0 सं0272/VIII-C-2 दिनांक06.03.1986 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-03.05.1986

192 प्रतिस्थापित किया गया, अधि0 सं0 10/VIII-C-36 दिनांक28.01.1958द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-08.03.1958

193 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 17/VIII-C-178 दिनांक 03.08.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-01.10.1977

[194][परन्तु आगे यह कि अपेक्षित प्रक्रिया फीस या नोटिस इत्यादि की आपूर्ति में देरी के लिये क्षमा प्रदान करने या समय बढाने के लिये अनुमति प्रदान करने कि शक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्रार जनरल / रजिस्ट्रार / ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित की जायेगी। जहाँ रजिस्ट्रार जनरल / रजिस्ट्रार / ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार के मत में, देरी के लिये क्षमा प्रदान करने के लिये कोई मामला नहीं बनता है, वह आदेशित करेगा कि वाद को आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष, सूचीबद्ध किया जाये।]

5. <u>कोई पक्षकार, बिना अपेक्षित खर्च के भुगतान के, अभिलेख के लिये समन हेतु अधिकृत नहीं होगा --</u>

जैसा कि नियम1 ओर2मे उपबन्धित किया गया है, को छोड़कर किसी अभिलेख को अन्य न्यायालय से पक्षकार की तरफ से, समन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अभिलेख को समन करने के लिये खर्च, यदि कोई हो, का भुगतान पहले से ही ऐसे पक्षकार द्वारा न कर दिया गया हो।

6 . <u>प्रक्रिया फीस इत्यादि, की राशि के संबंध में आपत्ति रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जायेगी --</u>

जहाँ प्रक्रिया फीस या नोटिस जारी करने का खर्च या अभिलेख को समन के लिये ऑफिस द्वारा माँगी गई राशि के ठीक होने के संबंध में आपत्ति ली जाती है, संबंधित अधिवक्ता या उसका क्लर्क तुरन्त मामले को रजिस्ट्रार के संज्ञान में लायेगा जो आपत्ति को फौरन निर्धारित करेगा।

7. <u>नोटिस की अन्तर्वस्तुयें-</u>

अन्तर्वर्ती आवेदन या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन की नोटिस, प्रस्तुत की जायेगी और कारण दर्शायेगी कि क्यों न आवेदन को अनुमति प्रदान की जाये और अपील, निर्देश या अन्य आवेदन की नोटिस, प्रस्तुत की जायेगी और ऐसी अपील, निर्देश या आवेदन का उत्तर देगी। न्यायालय के वर्तमान कालिक कार्य (Current business of the Court), व्यक्ति

---

194 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 272/VIII-C-2 दिनांक06.03.1986 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-03.05.1986 और प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0450/VIII-C-2 दिनांक 16.09.2005 (संशोधन पर्ची सं0 235)द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-24.09.2005 (w.e.f.10.04.2000)

जिस पर तामीली की जानी है के निवास स्थान, तामीली के लिये अपेक्षित समय और नोटिस की तामीली प्रभावी होने के बाद उपस्थिति प्रविष्ट करने के लिये आवश्यक समय, का ध्यान रखते हुये उपस्थिति के लिये तारीख निर्धारित की जायेगी

8. <u>पक्षकार द्वारा नोटिस में विवरणों को दिया जायेगा --</u> सभी अपेक्षित विवरण, उपस्थिति के लिये निर्धारित तिथि तथा नोटिस जारी किये जाने की तिथि, को छोड़कर, संबंधित पक्षकार द्वारा प्रत्येक नोटिस में, ऑफिस में इसे दिये जाने के पूर्व, सुपाठ्य रुप से प्रविष्ट किये जायेंगे। वहाँ जहाँ रजिस्ट्रीकृत पता है, केवल ऐसे पते को प्रविष्ट किया जायेगा जिसके पीछे लाल स्याही या लाल चॉक से **'R.A.'** लिखा जायेगा। जहाँ ऐसा कोई पता नहीं है, यह तथ्य नोटिस में स्पष्ट रुप से दिखाया जायेगा।

9. <u>व्यक्ति जिन्हें नोटिस जायेगी --</u>

जब तक कि [195][न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा] अन्यथा आदेशित न हो --

(क) अपील की नोटिस सभी प्रतिवादियों और सभी प्रस्तावित प्रतिवादियों को जारी की जायेगी।

(ख) पुनरीक्षण में आवेदन की नोटिस सभी विपक्षी पक्षकारों या सभी प्रस्तावित विपक्षी पक्षकारों को जारी की जायेगी।

(ग) निर्देश की नोटिस, वाद के सभी पक्षकारों को जारी की जायेगी।

(घ) अन्तर्वर्ती आवेदन की नोटिस सभी पक्षकारों को जारी की जायेगी, परन्तु यह कि ऐसे आवेदन की कोई नोटिस उस व्यक्ति को जारी नहीं की जायेगी जिसने रजिस्ट्रीकृत पता दाखिल नहीं किया है और जो इस न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा नहीं प्रस्तुत हुआ है।

(ड़) संरक्षक की नियुक्ति के लिये आवेदन की नोटिस निम्न व्यक्तियों को भी जारी की जायेगी --

(i) प्रस्तावित संरक्षक

(ii) अवयस्क, यदि वह दस वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(iii) अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक

---

195 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक 26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-11.04.1981

(च) संरक्षक को हटाये जाने के लिये आवेदन की नोटिस निम्न व्यक्तियों को भी जारी की जायेगी --

(i) संरक्षक, जिसके हटाये जाने की माँग की गई है;

(ii) प्रस्तावित संरक्षक

(iii) अवयस्क, यदि वह दस वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

[196] [(iv) अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक, यदि कोई हो;]

(छ) वाद के स्थानान्तरण के लिये आवेदन की नोटिस, कार्यवाही जिसके स्थानान्तरण की माँग की गई है के सभी पक्षकारों को, आवेदक को छोड़कर

(ज) सुप्रीम कोर्ट अपील से संबंधित किसी कार्यवाही की नोटिस किसी व्यक्ति को, नहीं जारी की जायेगी, जो कि ऐसी अपील में प्रतिवादी बनाये जाने के लिये प्रस्तावित नहीं है।

(झ) Stay या Execution के लिये आवेदन की कोई नोटिस किसी निर्णीत ऋणी को जारी नहीं की जायेगी।

(ञ) व्यादेश (Injunction) के लिये आवेदन की कोई नोटिस किसी व्यक्ति को जारी नहीं की जायेगी उसे छोड़कर, जिसे रोकने के लिये माँग की गई है।

10. **नोटिस की तामीली --**

इस न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में नोटिस की तामीली के लिये संहिता के आदेश V के उपबन्ध
लागू होगें --
परन्तु यह कि

(क) जहाँ पक्षकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होता है, वाद में किसी कार्यवाही की नोटिस, जब तक कि आदेशित न हो, ऐसे अधिवक्ता पर तामीली की जायेगी।

(ख) Presidency town में रहने वाले व्यक्ति को नोटिस या अन्तर्वर्ती आवेदक को नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी; और

(ग) जहाँ रजिस्ट्रार या न्यायालय निर्देशित करता है कि नोटिस की तामीली विशिष्ट तरीके से की जाये, इसकी तामीली ऐसे तरीके से की जायेगी।

---

196 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक 26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-11.04.1981

11. **<u>अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज के समन के लिये आवेदन --</u>**

कोई पक्षकार, जो न्यायालय या ऑफिस से अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज के समन के लिये इच्छुक है, रजिस्ट्रार को उस उद्देश्य के लिये आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन --

(क) पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(ख) अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कथन के साथ होगा, जो कथन करेगा --

(i) यह कि ऐसा अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज निचले न्यायालय के समक्ष था और यह कि उसके मत में, वाद या अन्य कार्यवाही, जिसमें कि आवेदन किया गया है, के समर्थन या विरोध के लिये, समन आवश्यक है।

(ii) यह कि अभिलेख या दस्तावेज, निचले न्यायालय के समक्ष नहीं था और यह कारण बताते हुये कि क्यों यह आवश्यक है कि इसे समन किया जाये; और

(ग) ऐसे सभी विवरण रखेगा जो आवश्यक हों, ऐसे अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेजों के समन किये जाने को समर्थ बनाने के लिये, जिसमें शामिल होंगे --

(i) न्यायालय या ऑफिस का नाम, जहाँ से अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेजों के समन किया जायेगा।

(ii) ऐसे अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज का वर्णन

(iii) रजिस्टर या दस्तावेज की दशा में, ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज की भाषा जिसमें इसे लिखा गया है, तारीख और वर्ष, यदि कोई हो, जो इस पर हो;

(iv) उस दशा में जब रजिस्टर या दस्तावेज, किसी अभिलेख का भाग हो, तारीख जिस पर ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज को दाखिल किया गया था और ऐसे अभिलेख का वर्णन, निर्णय की तारीख को देते हुये, यदि कोई हो, और

(v) जहाँ अभिलेख समन किया जाये इच्छित है, निर्णीत वाद का अभिलेख है, तारीख जब वाद निर्णीत हुआ था।;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, यदि अन्यथा सन्तुष्ट होता है कि अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज के लिये समन आवश्यक है, खण्ड (ख) में वर्णित कथन को छोड़ सकता है या यदि ऐसे कथन से, कि अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज सुसंगत या महत्वपूर्ण हैं, सन्तुष्ट नहीं है, शपथपत्र, जो स्पष्ट रुप से कथन करेगा कि यह कितना सुसंगत या महत्वपूर्ण हैं, की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि न्यायालय कार्यवाही के किसी चरण पर यदि सन्तुष्ट होता है कि अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज के लिये समन आवश्यक है, ऐसे आवेदन या कथन को छोड़ सकता है।

12. <u>अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज के समन के लिये खर्च का जमा किया जाना --</u>

किसी अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज की माँग के लिये समन का आदेश ऑफिस के द्वारा पक्षकार के खर्च पर जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके समन का खर्च और यदि अभिलेख, जिसमें रजिस्टरों तथा अकाउण्ट-पुस्तकों को शामिल किया गया है, समन के लिये आदेशित किया गया है, प्रत्येक ऐसे रजिस्टर अथवा अकाउण्ट-पुस्तक के संबंध में अतिरिक्त तुल्य राशि खर्च के रुप में, Cashier को जमा नहीं कर दी जाती। यदि पक्षकार जिसके खर्च पर अभिलेख समन के लिये आदेशित किया गया है केवल अभिलेख के समन का खर्च जमा करता है और अपने आवेदन में रजिस्टरों तथा अकाउण्ट-पुस्तकों के समन किये जाने को स्पष्ट रुप से उल्लिखित नहीं करता है तो केवल अभिलेख, बगैर ऐसे रजिस्टरों तथा अकाउण्ट-पुस्तकों के, के लिये भेजा जायेगा।

[197][अध्याय XIII: प्रथम अपील में पेपरबुक

1. इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "आवश्यक कागजात "से तात्पर्य नियम2 के खण्ड (क) से (छ) में वर्णित कागजात से है।

(ख) "प्रथम अपील "में Execution First Appeal शामिल नहीं है।

2. जब तक कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्यथा आदेशित न हो, प्रथम अपील में पेपरबुक, या तो टाइप लिखित या साइक्लोस्टाइल्ड् (Cyclostyled) रुप में मजबूत पेपर पर Double Spacing के साथ होगी और इसमें Fly-leaf, Index और प्रतियाँ, लिप्यान्तरण या अनुवाद निम्न कागजातों के होंगे; नामतः --

(क) वादपत्र

(ख) लिखित कथन

(ग) अतिरिक्त अभिवचन; यदि कोई हों;

(घ) संहिता के आदेशX के नियमों 1 और 2 के अधीन पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के अभिलिखित कथन

(ड़) अपील के अधीन न्यायनिर्णय

(च) अपील के अधीन डिक्री

(छ) अपील का ज्ञापन

(ज) ऐसे साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी या अन्य कागजात, जिन्हें अपीलार्थी उल्लिखित करना चाहता है।

(झ) प्रति-आपत्ति का ज्ञापन, यदि कोई हो, और

(ञ) ऐसे अन्य साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी या अन्य कागजात, जिन्हें प्रतिवादी (Respondent) उल्लिखित करना चाहता है।

परन्तु यह कि देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखित कागजातों को अनुवादित नहीं किया जायेगा। परन्तु आगे यह कि जो दस्तावेज उर्दू में हैं उनका देवनागरी लिपि में लिप्यान्तरण किया जायेगा।

---

197 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 661/VIII-C-43 दिनांक21.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-07.02.1981

3. प्रथम अपील में पेपरबुक, न्यायालय के बाहर अपीलार्थी या प्रतिवादी (Respondent) द्वारा इन नियमों के अनुसार तैयार की जायेगी सिवाय इसके कि दस्तावेज जो हिन्दी या उर्दू में है, का अनुवाद आवश्यक नहीं होगा। जो दस्तावेज उर्दू में हैं उनका देवनागरी लिपि में लिप्यान्तरण किया जायेगा। ऐसी पेपरबुक के अनुवाद एवम् टाइपिंग की सत्यता, पेपरबुक तैयार करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित की जायेगी। अपीलार्थी, जब तक कि न्यायालय द्वारा द्वारा अन्यथा आदेशित न किया गया हो, छः माह के भीतर उस तिथि से जब उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस प्रदर्शित की गई है, नियम5के अधीन अभिलेख की प्राप्ति के बारे में और प्रतिवादी (Respondent) तीन माह के भीतर उस तिथि से जब अपीलार्थी ने पेपरबुक की प्रतियाँ न्यायालय को उपलब्ध करा दीं, न्यायालय को, पेपरबुक की उतनी प्रतियाँ जितने की पक्षकारों पर तामीली की जानी है उसके साथ 6 अतिरिक्त प्रतियाँ न्यायालय के उपयोग, उपलब्ध करायेगा परन्तु यह कि यदि पेपरबुक समय के भीतर नहीं प्रदान की जाती है, अपील या प्रति-आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी अपील या प्रति- आपत्ति को सुनने के लिये न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा और उसे खारिज किया जा सकेगा जब तक कि इस तरफ से लिखे गये आवेदन पर, न्यायालय दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये अतिरिक्त समय प्रदान न कर दे। रजिस्ट्रार, अपील को सुनवाई के लिये आने से पूर्व, ऐसी पेपरबुकों (Paper-books) की तैयारी के खर्च का निर्धारण करेगा न्यायालय तय करेगा क्या ऐसे खर्च के पूरे भाग या उसके अंश को वाद में खर्च किया जायेगा।

4. (1) अपीलार्थी का यह दायित्व होगा कि पेपरबुक में सभी साक्ष्य और कागजात शामिल करे; चाहें वह उसके या प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों, जिसे वह, निर्णय जिसके विरुद्ध अपील की गई है गलत दिखाने के उद्देश्य से या अपने वाद के समर्थन के उद्देश्य से, सुनवाई के समय उदघृत करना चाहता हो।

(2) प्रतिवादी का यह दायित्व होगा कि उसकी पेपरबुक में अन्य सभी साक्ष्य और कागजात शामिल करे; चाहे वह उसके या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों, जिसे वह, उसके प्रति-आपत्ति के वाद के समर्थन के उद्देश्य से, सुनवाई के समय उदघृत करना चाहता हो।

5. (1) डिप्यूटी रजिस्ट्रार, प्रथम अपील में अभिलेख को प्राप्त किये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, इसकी प्राप्ति की नोटिस, Cause-List में प्रदर्शित करेगा;

परन्तु यह कि एक अपील की दशा में जो अध्यायVIII नियम24 के अधीन संक्षिप्ततःनिर्धारित की जा सकती है, ऐसी कोई नोटिस प्रदर्शित नहीं की जायेगी जब तक कि इसके संक्षिप्त निस्तारण के लिये आवेदन के लिये समय समाप्त न हो गया हो या जहाँ ऐसे संक्षिप्त निस्तारण के लिये आवेदन किया गया है जब तक कि ऐसे आवेदन को निरस्त न कर दिया जाये।

(2) डिप्यूटी रजिस्ट्रार, तारीखों जिन पर ऐसी नोटिस Cause-List में प्रदर्शित की गई थी का रिकार्ड रखेगा।

(3) डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जब नोटिस Cause-List में प्रदर्शित की गई थी उस तिथि के प्रारम्भ से 30 लगातार तारीखों के लिये नोटिस बोर्ड पर, एक नोटिस, जो बतायेगी कि अभिलेख प्राप्त किया जा चुका है, भी प्रकाशित करवायेगा।

6. प्रतिवादी, प्रति-आपत्ति की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर, उसकी प्रति-आपत्ति में, प्रति-आपत्ति का ज्ञपन और सभी साक्ष्य और कागजात जिन पर उसकी प्रति-आपत्ति के समर्थन में वह निर्भर करता है और जो पहले से ही अपील में शामिल नहीं किये गये हैं, को शामिल करेगा और जहाँ अपील खारिज हो गई है वह, ऐसे सभी कागजात जो नियम 2की सूची में हैं, शामिल करेगा।

7. जहाँ अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय समझता है कि पक्षकारों को उनकी पेपरबुक में किसी सुसंगत दस्तावेजी, मौखिक या अतिरिक्त साक्ष्य को जोड़ना चाहिये, यह अपीलार्थी या प्रतिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को निर्देशित कर सकेगा, अतिरिक्त पेपरबुक जिसमें ऐसे दस्तावेज हों, को दाखिल करे।

8. पक्षकार निम्न निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, नामतः --

(क) सभी साक्ष्य और दस्तावेज, जो अपील की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं हैं और दस्तावेज जो साबित नहीं हैं या जो अभिलेख का भाग नहीं बनाते, को छोड़ दिया जायेगा और पेपरबुक की वृहदता को कम करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये।

(ख) दस्तावेजों के प्रतिलिपिकरण और सुनवाईयों और दस्तावेजों के अन्य औपचारिक भागों, की अनावश्यक पुनरावृत्ति से परिवर्जन किया जाना चाहिये।

(ग) दस्तावेजों की लम्बी श्रृखलायें, जैसे कि Accounts rent rolls, Inventories इत्यादि, पूर्णतः टंकित (typed) नहीं होनी चाहिये जब तक कि पूर्णतः आवश्यक न हो केवल संक्षिप्त उद्‌वरणों या केवल नमूनों को शामिल किया जा सकेगा।

(घ) यदि समान डिक्री से एक से ज्यादा अपीलें, अधिमान्य की गई हैं, उसी साक्ष्य या दस्तावेज को एक से अधिक पेपरबुक में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ड़) जहाँ इस न्यायालय में उसी वाद से उद्भूत पहले एक अपील की गई है और पेपरबुक दाखिल की गई है, ऐसी पेपरबुक में शामिल सभी कागजातों को पश्चातवर्ती अपील में अनुवादित और टंकित होने से परित्यक्त किया जायेगा परन्तु यह कि पूर्ववर्ती अपील की पेपरबुक की प्रतियों की पर्याप्त संख्या, न्यायाधीशों एवम् पक्षकारों के उपयोग के लिये उपलब्ध हो।

(च) पक्षकार पेपरबुक के शीर्ष पर, अपील का शीर्षक, इसकी क्रमांक संख्या, पक्षकारों के नाम, वाद की प्रकृति न्यायालय का नाम जिले के साथ, तथा डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गई है की तारीख, का वर्णन करेगा।

9. पेपरबुक में कागजात सामान्यतः निम्न क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे --

(क) शीर्षक पृष्ठ जितना निकटतम संभव हो, जैसा कि नीचे बताया गया है वैसा होगा --

In the High Court of Judicature at Allahabad

Civil Side

On Appeal from the Court of ....

District .....

F.A.No. Of ....20 ....

Between

.... Plaintiff/ Defendant/ Appeallant

Versus

.... Plaintiff/ Defendant/ Respondent

(पक्षकारों की पूरी सूची अगले पृष्ठ पर दी जायेगी)

अपीलार्थी के अधिवक्ता ....

प्रतिवादी के अधिवक्ता ....

(i) मूल वाद / वादों की संख्या ....

(ii) संस्थापन की तिथि ....

(iii) वाद की प्रकृति ....

(iv) निर्णय की तिथि ....

(v) पारित डिक्री की प्रकृति ....

(vi) अपील दाखिल करने की तिथि ....

(vii) प्रति-आपत्ति की तिथि, यदि कोई हो ....

(ख) पक्षकारों की पूर्ण सूची:

(ग) Index, जिसमें क्रमांक संख्या, तारीख सहित दस्तावेजों का वर्णन और पृष्ठ संख्या होगी

(घ) वादपत्र

(ड़) लिखित कथन

(च) अतिरिक्त अभिवचन, यदि कोई हो,

(छ) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश Xके नियमों 1 और 2 के अधीन पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के अभिलिखित कथन;

(ज) वादी के प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर अपीलार्थी या प्रतिवादी, निर्भर होना चाहता है।

(झ) प्रतिवादी के प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर अपीलार्थी या प्रतिवादी, निर्भर होना चाहता है।

(ञ) वादी की तरफ से प्रस्तुत गवाहों के कथन।

(ट) प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत गवाहों के कथन।

(ठ) न्यायनिर्णय

(ड) डिक्री

(ढ) कोई सुसंगत आदेशपत्र

(त) प्रकीर्ण मामले, जैसे कि लाये गये आवेदन और उन पर पारित आदेश, जो सुसंगत हो सकेंगे।

10. मुख्य न्यायाधीश, समय-समय पर, किसी विशिष्ट वाद या वादों के वर्ग, की परिस्थितियों के अनुसार निर्देश दे सकेगा कि पेपरबुक प्रिन्टेड (Printed) होगी और पक्षकार, ऐसे वादों या वादों के वर्ग में न्यायालय के बाहर, पेपरबुक को प्रिन्ट (Print) कराने की

व्यवस्था करेंगे और इसमे पहले बनाये गये नियम, ऐसी पेपरबुकों (Paper-books) के लिये लागू होंगे।

अध्याय XIV: प्रथम अपीलों को छोड़कर अन्य वादों में पेपरबुक

1. **<u>प्रत्येक वाद में पेपरबुक तैयार की जायेगी --</u>**

प्रत्येक वाद में, इसे सुनने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीशों के उपयोग के लिये, पेपरबुक तैयार की जायेगी उन वादों को छोड़कर जो संहिता के आदेश XLI नियम11 के अधीन सुनवाई के लिये या अध्याय VIII के नियम 24 के अधीन संक्षिप्ततः सुनवाई के लिये, आते हैं या आवेदन की दशा में जिसे इन नियमों के अधीन अलग वाद के रुप में रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जाना आवश्यक नहीं है या अन्य कोई वाद यदि ऐसा आदेशित हो। जहाँ एक आवेदन जिसे अलग वाद के रुप में रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित नहीं किया गया था, बेन्च जिसमें एक से अधिक न्यायाधीश हैं, को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाता है। वहाँ पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदनों और शपथपत्रों की प्रतियों को एक साथ, बेन्च गठित करने वाले न्यायाधीशों के उपयोग के लिये सिला जायेगा।

2. **<u>पेपरबुक की अन्तर्वस्तुयें --</u>**

पेपरबुक में होंगे --

(i) Fly-leaf

(ii) Index; और

(iii) ऐसी प्रतियाँ; जैसी कि उत्तरवर्ती नियमों में दर्शायी गई है; सामान्य तौर पर न्यायनिर्णयों या आदेशों की प्रमाणिक प्रतियाँ, अपील के ज्ञापन के साथ, अपीलार्थी द्वारा पेपरबुक में शामिल करने के लिये उपयोग की जायेंगी। यदि ऐसी कोई प्रति अस्पष्ट है या ठीक ढंग से टंकित नहीं है या अपठनीय लिखी गई है, इसे ऐसे शामिल नहीं किया जायेगा और एक नई स्पष्ट टंकित प्रति, पेपरबुक में शामिल करने के लिये तैयार की जायेगी।

3. **<u>पेपरबुक, टंकित-लिखित (type-written) होगी --</u>**

जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, पेपरबुक में शामिल प्रत्येक प्रति, टंकित-लिखित (type-written) होगी और पेपरबुक को पृष्ठित किया जायेगा। इन्डेक्स (Index), पेपरबुक में शामिल सभी कागजातों के पृष्ठों को, उनकी पहचान संख्याओं, जैसे कि निचले न्यायालय के सामान्य इन्डेक्स (Index) में प्रविष्टित की गई थी, के साथ, प्रदर्शित करेगा। कागजातों, जो संकेतित

हैं और पेपरबुक मे शामिल नहीं किये गये हैं को भी इन्डेक्स (Index) में उनकी पहचान संख्याओं के साथ प्रविष्ट किया जायेगा।

4. **एक्जीक्यूशन फर्स्ट अपील (Execution First Appeal) में पेपरबुक --**

किसी Execution First Appeal की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो, जिससे अपील की गई है।

(ग) अपील के अधीन न्यायनिर्णय

(घ) अपील के अधीन न्यायनिर्णय द्वारा व्ययनित आवेदन या आपत्ति

(ड़) ऐसे आवेदन या आपत्ति का उत्तर ;

(च) ऐसे उत्तर का प्रति-उत्तर; यदि कोई हो,

5. **एक्जीक्यूशन सेकेन्ड अपील (Execution Second Appeal) में पेपरबुक --**

किसी Execution Second Appeal की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी ; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो, डिक्री जिससे अपील की गई है।

(ग) अपील के अधीन न्यायनिर्णय ;

(घ) प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय,

(ड़) संहिता के आदेश XLI के नियम 25 या 28 के अधीन कोई आदेश, ऐसे आदेश की वापसी और नियम 25 के अधीन आदेश की दशा में, ऐसी वापसी के प्रति आपत्तियों का कोई ज्ञापन, यदि कोई हो;

(च) प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय द्वारा व्ययनित आवेदन या आपत्ति

(छ) ऐसे आवेदन या आपत्तियों का उत्तर ; और

(ज) ऐसे उत्तर का प्रति-उत्तर; यदि कोई हो,

6. **द्वितीय अपील (Second Appeal) में पेपरबुक --**

(1) किसी Execution मामले से उद्भूत किसी वाद को छोड़कर, किसी वाद में अपीलीय डिक्री से अपील की पेपरबुक में निम्न कागजात शामिल किये जायेंगे; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो, डिक्री जिससे अपील की गई है।

(ग) वादपत्र

(घ) लिखित कथन

(ड़) अतिरिक्त अभिकथन; यदि कोई हो;

(च) संहिता के आदेश X के नियम 1 या 2 के अधीन अभिलिखित कथन; यदि कोई हो;

(छ) प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय,

(ज) अपीलीय न्यायालय का न्यायनिर्णय, और

(झ) संहिता के आदेश XLI के नियम 25 या 28 के अधीन कोई आदेश, ऐसे आदेश की वापसी और नियम 25 के अधीन आदेश की दशा में, ऐसी वापसी के प्रति आपत्तियों का कोई ज्ञापन, यदि कोई हो;

(2) प्रतिवादियों के लिखित कथन, जो कि अपील में पक्षकार नहीं हैं और वादपत्र में संलग्न वृहद अनुसूचियाँ, जहाँ अपील के आधार, ऐसी अनुसूचियों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाते, पेपरबुक में शामिल नहीं किये जायेंगे।

7. [198]**[रिमाण्ड के आदेश] से प्रथम अपील में पेपरबुक --**

रिमाण्ड के आदेश से प्रथम अपील की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आदेश जिससे अपील की गई है, से आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो,

(ग) वादपत्र

(घ) लिखित कथन

(ड़) अतिरिक्त अभिकथन; यदि कोई हो;

(च) प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय; तथा

(छ) न्यायनिर्णय जिस पर अपील के अधीन आदेश मिला है।

8. **आदेश से प्रथम अपील में पेपरबुक --**

---

198 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 680/VIII-C-2 दिनांक 26.11.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-11.04.1981

रिमाण्ड के आदेश को छोड़कर, आदेश से प्रथम अपील की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आदेश जिससे अपील की गई है, से आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो,

(ग) आवेदन जिस पर अपील के अधीन आदेश दिया गया था।

(घ) ऐसे आवेदन से आपत्ति; यदि कोई हो,

(ड़) न्यायनिर्णय जिस पर अपील के अधीन आदेश मिला है।

9. **<u>अपीलीय आदेश से अपील में पेपरबुक --</u>**

अपीलीय आदेश से अपील, जहाँ ऐसी अपील किसी विधि द्वारा अनुमत है, की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) आदेश जिससे अपील की गई है, से आपत्तियों का ज्ञापन; यदि कोई हो,

(ग) आवेदन जिस पर अपील के अधीन आदेश दिया गया था।

(घ) ऐसे आवेदन से आपत्ति; यदि कोई हो,

(ड़) प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय या आदेश; तथा

(च) न्यायनिर्णय जिस पर अपील के अधीन आदेश मिला है।

10. **<u>पुनरीक्षण के लिये आवेदन में पेपरबुक --</u>**

पुनरीक्षण के लिये आवेदन की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) पुनरीक्षण के लिये आवेदन

(ख) न्यायनिर्णय या आदेश जिससे आवेदन संबंधित है; और

(ग) यदि ऐसा न्यायनिर्णय या आदेश पहले कभी अपील में दिया गया है, प्रथम बार के न्यायालय का न्यायनिर्णय या आदेश

11. **<u>पुनर्विलोकन के लिये आवेदन में पेपरबुक --</u>** पुनर्विलोकन के लिये आवेदन की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) पुनर्विलोकन के लिये आवेदन

(ख) आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र, यदि कोई हो,

(ग) जवाब मे शपथपत्र, यदि कोई हो, और

(घ) न्यायनिर्णय या आदेश जिससे आवेदन संबंधित है।

12. <u>कुछ विशेष अपीलों में पेपरबुक --</u>[199][***]

13. [200]**<u>[***]स्पेशल अपीलों में पेपरबुक --</u>**

(1) आरम्भिक विचारण या कार्यवाही में न्यायनिर्णय से विशेष अपील की पेपरबुक में निम्न कागजातों की प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; नामतः --

(क) अपील का ज्ञापन

(ख) न्यायनिर्णय जिससे अपील की गई है

(ग) अभिवचन तथा अतिरिक्त अभिवचन; यदि कोई हो, और

(घ) जहाँ कार्यवाहियाँ, आवेदन या याचिका पर आरम्भ हुई थी ऐसा आवेदन या याचिका और उससे आपत्ति ; यदि कोई हो,

(2) ऐसे, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियों को, जिन्हें पक्षकारों द्वारा, उनके अधिवक्ता द्वारा सही प्रमाणित करने के बाद आपूर्त किया जा सकेगा, को भी पेपरबुक में जोड़ा जायेगा।

14. **<u>वादों, जिनके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, में पेपरबुक --</u>**

वादों, जिनके लिये इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, में पेपरबुक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा [201][या किसी वाद या वादों के वर्ग के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य न्यायाधीश या बेन्च द्वारा] समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के प्रभावाधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी।

15. **<u>पक्षकार, कब दस्तावेज का लिप्यान्तरण या अनुवाद उपलब्ध करायेगा --</u>**

---

199 हटाया गया, अधि0 सं0 345/VIII-C-150 दिनांक06.11.1963द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-05.12.1964

200 हटाया गया, अधि0 सं0 345/VIII-C-150 दिनांक06.11.1963द्वारा,

201 जोड़ा गया, अधि0 सं0 20/VIII-C-150 दिनांक18.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-27.08.1977

जहाँ अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील में पक्षकार द्वारा दस्तावेज के निर्माण के प्रश्न का उठाया जाना इच्छित है, संबंधित पक्षकार का अधिवक्ता, ऐसे दस्तावेज की पर्याप्त संख्या में प्रतियाँ या यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो उसका लिप्यान्तरण या अनुवाद उपलब्ध करायेगा, प्रति को समर्थ बनाने हेतु पेपरबुक की प्रत्येक प्रति पर स्थापित किया जायेगा। अपील की सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

16. **<u>मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियाँ पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी --</u>**

(1) कोई पक्षकार जो किसी कागजात या साक्ष्य, मौखिक या लिखित, को उल्लिखित करने का इच्छुक है, जहाँ ऐसे कागजात या साक्ष्य को उल्लिखित करना अनुमत है वहाँ वह उसकी प्रतियों को पर्याप्त संख्या में आपूर्त करेगा या यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो उसका लिप्यान्तरण या अनुवाद प्रति को समर्थ बनाने हेतु पेपरबुक की प्रत्येक प्रति पर स्थापित किया जायेगा। वाद की सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) कोई पक्षकार, कोई कागजात या साक्ष्य को उल्लिखित करने का अधिकारी नहीं होगा जिसकी की प्रतियाँ उपनियम (1) के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई गई है।

17. **<u>पक्षकार कब पेपरबुक उपलब्ध करा सकता है --</u>**

मुख्य न्यायाधीश [202][या किसी वाद या वादों के वर्ग के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य न्यायाधीश या बेन्च] किसी पक्षकार को, न्यायालय और अन्य पक्षकार के इस्तेमाल के लिये इन नियमों के अधीन तैयार की गई पेपरबुक की प्रतियों को उपलब्ध कराने के लिये, अनुमति दे सकता है। ऐसे वाद में ऑफिस द्वारा कोई पेपरबुक तैयार नहीं की जायेगी।

18. **<u>पेपरबुक तैयार करने का खर्च, पक्षकारों से नहीं लिया जायेगा --</u>**

इस अध्याय के अधीन पेपरबुक की तैयारी के लिये कोई शुल्क कार्यवाही के किसी पक्षकार से नहीं लिया जायेगा। जहाँ किसी दस्तावेज, कागजात या साक्ष्य या इसके लिप्यान्तरण या अनुवाद की प्रतियाँ इस अध्याय के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा आपूर्त की जाती हैं; उसका खर्च ऐसे पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा चाहे वाद का जो भी परिणाम हो।

---

202 जोड़ा गया, अधि0 सं0 20/VIII-C-150 दिनांक18.08.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-27.08.1977

19. **<u>पेपरबुक की प्रति की आपूर्ति --</u>**

पक्षकार, इस अध्याय के अधीन ऑफिस द्‌वारा तैयार की गई पेपरबुक की प्रति, [203][सिवाय स्पेशल अपील के], प्राप्त कर सकता है ऐसी राशि के भुगतान पर जो रजिस्ट्रार द्‌वारा निर्धारित की जाये। ऐसी कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई जायेगी यदि आवेदन नहीं किया जाता या खर्च का भुगतान नहीं किया जाता, उस तिथि से पर्याप्त पहले जब वाद का सुनवाई के लिये आना संभावित है।

---

203 संस्थित किया गया, अधि0 सं0 507/VIII-C-17 दिनांक 19.10.1973द्‌वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-10.11.1973

[204] [अध्याय XIV- क: चुनाव अधिकरणों के आदेशों से अपीलों में कार्यवाहियों से संबंधित विशेष उपबन्ध

1. **प्रारम्भिक--**

इस अध्याय के उपबन्ध, **'the Representation of the People act, 1951'** की धारा (116-क) के अधीन अपीलों को संचालित करेंगे।

2. **अपील के ज्ञापन के संलग्नक --**

प्रत्येक अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न होंगे --

(क) आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील निर्देशित की गई है;

(ख) उन दस्तावेजों जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता हो और जिन्हें वह पेपरबुक में शामिल कर सकता है, का उल्लेख करने वाली सूची, सूची की उतनी टंकित प्रतियों के साथ जितनी की पक्षकारों पर तामीली की जानी है;

(ग) अपील के ज्ञापन की उतनी टंकित प्रतियाँ, जितनी की पक्षकारों पर तामीली की जानी है; दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ;

(घ) प्रतिवादी के वर्तमान पते का उल्लेख करने वाला शपथपत्र जहाँ उस पर तामीली की जा सकेगी;

(ड़) न्यायालय के Cashier द्वारा 25 रुपये के लिये जारी निविदा जमा रसीद (Tender deposit reciept), नोटिस के खर्च या प्रकाशन के लिये

(च) उचित रजिस्टर्ड डाक अभिस्वीकृति द्वारा, प्रतिवादी या प्रतिवादियों पर तामीली को प्रभावी बनाने के लिये, डाक लिफाफे जिन पर आवश्यक डाक टिकट लगा हो; और

(छ) सरकारी कोषीय रसीद जैसा कि अधिनियम की धारा (119-क) में आशयित है।

3. **डाक द्वारा तामीली --**

जहाँ डाक अभिस्वीकृति ठीक ढंग से हस्ताक्षरित की गई है या जहाँ लिफाफा “अस्वीकृत” पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया है, वहाँ प्रतिवादी को तामीली की गई है समझा जायेगा।

---

204 अध्याय जोड़ा गया, अधि0 सं0 47/VIII-C-162 दिनांक 18.05.1957द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -IIदिनांक-01.06.1957

4. **<u>डाक तामीली के अतिरिक्त समाचार-पत्र में नोटिस का प्रकाशन --</u>**

डाक द्वारा तामीली के अतिरिक्त, अपील की नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा चुने गये समाचार-पत्र में साथ ही साथ प्रकाशित की जायेगी।

5. **<u>नोटिस के प्रकाशन के खर्च को समाविष्ट करने के लिये अतिरिक्त राशि का जमा किया जाना और उसकी वापसी --</u>**

जहाँ समाचार-पत्र में पकाशन का खर्च 25 रुपये से ज्यादा होता है, रजिस्ट्रार अपीलार्थी को न्यायालय में अतितरिक्त राशि, उसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा करने के लिये बुलायेगा। अपीलार्थी के ऐसी राशि जमा करने में असफल होने पर, अपील को न्यायालय के समक्ष खारिज होने के लिये रखा जायेगा। उस दशा में जब प्रकाशन का खर्च 25 रुपये से कम है, अपीलार्थी उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि को उसे लौटाये जाने का अधिकारी होगा।

6. **<u>अपीलार्थी द्वारा पेपरबुक की आपूर्ति किया जाना --</u>**

अपीलार्थी, अपील दाखिल करने के 15दिनों के भीतर, न्यायालय को पेपरबुक की उतनी ठंकित प्रतियाँ जितनी पक्षकारों को तामीली की जानी है, न्यायालय के प्रयोग के लिये दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ उपलब्ध करायेगा।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, विशेष परिस्थितियों में, पेपरबुक प्रदान करने के लिये दि सप्ताह का समय विस्तार, इसे इस तरफ से किये गये लिखित आवेदन पर कर सकता है।

7. **<u>पेपरबुक की अन्तर्वस्तुयें --</u>**

पेपरबुक में निम्न कागजातों के, Fly-leaf, Index, प्रतियाँ और लिप्यान्तरण या अनुवाद, होंगे, नामतः --

(क) चुनाव याचिका

(ख) लिखित कथन

(ग) अतिरिक्त अभिवचन; यदि कोई हो,

(घ) संहिता के आदेश X के नियम1 और 2 के अधीन पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के अभिलिखित कथन

(ड़) अपील के अधीन न्यायनिर्णय

(च) अपील का ज्ञापन; और

(छ) ऐसे साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी, या अन्य कागजात, मतपत्रों को छोड़कर, जिनका अपीलार्थी उल्लेख करना चाहता हो।

8. **<u>प्रतिवादियों द्वारा अनुपूरक पेपरबुक --</u>**

प्रतवादी की उपस्थिति के लिये निर्धारित तिथि पर, प्रतिवादी को अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गई पेपरबुक की प्रदान की जायेगी और यदि वह अनुपूरक पेपरबुक जिसमें ऐसे साक्ष्य, मौखिक या लिखित, या अन्य कागजात, जिन्हें वह उल्लिखित करना चाहता हो, अपेक्षित होगा कि वह अगले कार्यदिवस पर लिखित रूप में सूचित करे। उस दशा में यदि वह ऐसी सूचना देता है, वह अनुपूरक पेपरबुक की तीन टंकित प्रतियाँ, ऊपर उल्लिखित सूचना से 14दिनों के भीतर दाखिल करेगा।

9. **<u>पेपरबुक की सत्यता का प्रमाणपत्र --</u>**

पेपरबुक के अनुवाद एवम् टंकन की सत्यता, संबंधित पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित कि जायेगी।

10. **<u>पेपरबुक के खर्च का करारोपण --</u>**

अपील के सुनवाई के लिये आने से पूर्व पेपरबुक की तैयारी के खर्च का निर्धारण रजिस्ट्रार करेगा और न्यायलय निर्धारित करेगा कि खर्च के पूरे या उसके भाग का करारोपण किया जाये।

11. **<u>अभिलेखों के लिये समन की फीस का, अपीलार्थी को भुगतान करना पड़ेगा --</u>**

अभिलेखों की माँग के लिये फीस का भुगतान अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय किया जायेगा। अपील के दाखिल किये जाने के पश्चात उसी समय रजिस्ट्रार अभिलेखों के लिये भेजेगा।

12. **<u>उपस्थिति के लिये नोटिस का प्रारुप --</u>**

प्रतिवादी को उपस्थिति के लिये नोटिस, प्रारुप संख्या- (18-क) में जारी की जायेगी।

13. **<u>पेपरबुक की तैयारी में परिवर्तन के लिये रजिस्ट्रार की निर्देश देने की शक्ति --</u>**

रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या इस तरफ से आवेदन किये जाने पर, पेपरबुक को तैयार करने में परिवर्तन के लिये निर्देशित कर सकता है।

14. **<u>न्यायालय के नियमों के निश्चित उपबन्धों का अपीलों पर, इन नियमों के अधीन लागू होना -</u>**

इस अध्याय के उपबन्धों के प्रभावाधीन, प्रथम अपील से संबंधित नियम जो अध्याय IX, X, XI, XII औरXIII मेंदिये गये हैं, इस अध्याय के अधीन अपीलों को भी लागू होंगे।

15. **<u>कोषीय रसीदों का Election Commission को पारेषण --</u>**

इन नियमों के नियम 2 (छ) में उल्लिखित 500/- रुपये की कोषीय रसीद को अपील दाखिल होते ही यथाशीघ्र, न्यायालय द्वारा **सचिव, चुनाव आयोग, भारत** को अपील के खर्चों के भुगतान या वापसी के लिये, जैसी भी स्थिति हो, न्यायालय के आदेशों के अनुसार पारेषित किया जायेगा।

16. **<u>U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam और U.P. Zila Parishad (Election of Adhyaksha Upadhyaksha and Settlement of Election Disputes) Rules के अधीन, इन नियमों के समान कार्यवाहियों में, इन नियमों का लागू होना --</u>**

इस अध्याय के उपबन्ध, **U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959** की धारा 74के अधीन और **U.P. Zila Parishad (Election of Adhyaksha Upadhyaksha and Settlement of Election Disputes) Rules, 1963** के नियम 49 के अधीन, अपीलों को, नियम15को छोड़कर जो ऐसी अपीलों को लागू नहीं होगा, आवश्यक परिवर्तनो के साथ लागू होंगे ।

अध्याय XV: आरम्भिक और असाधारण आरम्भिक सिविल क्षेत्राधिकार

1. **<u>वाद का संस्थित किया जाना --</u>**

(1) प्रत्येक वाद आवेदन को प्राप्त करने के लिये नियुक्त न्यायाधीश को वादपत्र, जिस पर न्यायालयी-फीस (Court fee) की पर्याप्तता, परिसीमा, क्षेत्राधिकार और अन्य कोई तथ्य जिस पर रिपोर्ट किया जाना आवश्यक हो सकता है, की ऑफिस रिपोर्ट लगी होगी, के प्रस्तुतिकरण द्वारा संस्थित किया जायेगा।

(2) अध्याय XI के नियम 11के उपबन्ध, जो अपील के ज्ञापन या आपत्ति के प्रस्तुतिकरण से संबंधित हैं, रजिस्ट्रार के समक्ष किसी कार्यदिवस, जब न्यायाधीश आसीन न हों या परिसीमा की अन्तिम तिथि पर, आवश्यक संशोधनों और अनुकूलनों के साथ, ऐसे दिवस पर प्रस्तुत वादपत्रों पर भी लागू होंगे।

2. **<u>बेन्च का गठन --</u>**

जब वाद ठीक ढंग से संस्थित किया गया है इसे रजिस्ट्रीकृत और संख्याकित किया जायेगा और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, वाद की सुनवाई के लिये बेन्च के गठन हेतु रखा जायेगा।

3. **<u>प्रक्रिया फीस, इत्यादि का प्रदान किया जाना --</u>**

जैसे ही बेन्च गठित की गई है, वाद को इसके समक्ष रखा जायेगा और यह, प्रतिवादी को उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने के लिये नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित कर सकेगी।

नोटिस जारी करने के लिये, समनों या विज्ञापन के अन्य प्रक्रिया खर्चों, यदि कोई हों, के लिये प्रक्रिया फीस, और वादपत्रों, याचिकाओं, शपथपत्रों इत्यादि की प्रतियाँ, प्रतिवादी पर तामीली के लिये, यदि वादपत्र प्रस्तुत करते समय नहीं दिये गये थे, वादी द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के आदेश की तिथि से दस दिनों के भीतर उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि यह नहीं किया जाता तो वादपत्र को निरस्त किया जायेगा जब तक कि न्यायालय दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये ऐसी प्रक्रिया फीसों, विज्ञापन के खर्च या प्रतियों, जैसी भी स्थिति हो, को उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त समय की अनुमति न दे दे।

4. **<u>नोटिस --</u>**

वादी के पूर्वकथित नियम की अपेक्षाओं के अनुपालन करने पर, प्रतिवादी को उसमें दी हुई तिथि पर उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने के लिये, नोटिस जारी की जायेगी। ऐसी नोटिस यह भी निर्देशित करेगी कि यदि वह प्रतिवाद करना चाहता है तो वह, उसका लिखित कथन, उसके कब्जे या शक्ति में स्थित सभी दस्तावेजों की सूची जिनपर कि वह उसके वाद में निर्भर करने का आशय रखता है, के साथ निर्धारित तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व दाखिल कर दे और यह कि देरी की अवस्था में, उस संबंध में अपेक्षित बन गये किसी स्थगन के खर्च को देने के लिये, वह उत्तरदायी होगा।

5. **<u>प्रतिवादी द्वारा उपस्थिति --</u>** प्रतिवादी, रजिस्ट्रार को ज्ञापन दाखिल करने के द्वारा उपस्थिति प्रविष्ट करेगा, जो वह पता देते हुये जिस पर की नोटिस की तामीली, अन्य प्रक्रिया का समन उस पर किया जा सके, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा पता न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार की भू-क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगा। नोटिस में वर्णित तिथि से पहले, उपस्थिति की चूक प्रविष्ट की जायेगी, वाद को उसकी अनुपस्थिति में सुना और निर्धारित किया जा सकेगा।

6. **<u>अभिवचनों और आवेदनों का प्रारुप -</u>**

सभी अभिवचन और आवेदन, अध्याय IX के नियम 1 के उपनियम (1) और (4) और नियमों 4, 5, 6 में बताये गये तरीके से, ऐसे संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, तैयार किये जायेंगे। उसी अध्याय का नियम11 (1) भी आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, ऐसे अभिवचनों और आवेदनों को लागू होगा। महत्वपूर्ण संशोधन या परिवर्तन, उस व्यक्ति के अद्याक्षरों द्वारा प्रमाणित होंगे जो वादपत्र या लिखित कथन को सत्यापित करता है या आवेदन को हस्ताक्षरित करता है, जैसी भी स्थिति हो।

7. **<u>त्रुटिपूर्ण वादपत्र इत्यादि की अस्वीकृति --</u>**

यदि वादपत्र, लिखित कथन या आवेदन, इन नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है या यदि यह अन्यथा त्रुटिपूर्ण है या क्रम में नहीं है तो इसे, अस्वीकृत किया जा सकेगा या इसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटाया जा सकेगा और इसे वहाँ अस्वीकार किया जायेगा जहाँ न्यायालय द्वारा किसी त्रुटि को दूर करने के लिये समय अनुज्ञात किया गया है

और ऐसी त्रुटि को, ऐसे समय या ऐसे अतिरिक्त समय जिसे न्यायालय अनुमत करे, के भीतर दूर नहीं किया गया है।

8. **<u>दस्तावेजों को प्रस्तुत करना --</u>**

न्यायालय द्वारा दिये गये किन्ही आदेशों के प्रभावाधीन, पक्षकार या उनके अधिवक्ता, प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिये निर्धारित तिथि पर, उनके कब्जे में स्थित सभी दस्तावेजों जिन पर वे निर्भर करने का आशय रखते हैं, को प्रस्तुत करेंगे।
रजिस्ट्रार या न्यायालय द्वारा अधिकृत अन्य कोई ऑफिसर, ऐसे दस्तावेजों पर स्वीकृति या अस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है।

9. **<u>दस्तावेजों का दाखिल किया जाना --</u>**

वाद में दाखिल होने वाले सभी दस्तावेज उन्हें दाखिल करने वाले पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक सूची के साथ होगें। ऐसे प्रत्येक दस्तावेज पर रजिस्ट्रार या बेन्च-रीडर, जैसी भी स्थिति हो, अपने अद्याक्षरों के अधीन प्रस्तुतिकरण की तारीख को नोट करेगा।

10. **<u>वादबिन्दु --</u>**

न्यायालय पर वादबिन्दु गढने का दायित्व नहीं होगा जब तक कि यह न समझता हो, कि उस रीति से वाद के निर्णय को मदद मिलेगी।

11. **<u>पक्षकारों की अनुपस्थिति--</u>**

जहाँ किसी दिन जिसमे वाद की सुनवाई स्थगित की गई है, पक्षकारों या उनमें से कोई उपस्थित होने में असफल होता है, न्यायालय वाद के व्ययन की कार्यवाही, ऐसे तरीके से जिसे वह न्यायसंगत समझे कर सकता है।

12. **<u>गवाहों को समन --</u>**

गवाहों को समन जारी करने के लिये आवेदन, वाद के पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा किया जा सकेगा। समन, प्रिन्टेड (Printed) प्रारुप पर होंगे जिसे आवेदक द्वारा भरा जायेगा, उपस्थिति की तारीख और समन की तारीख को छोड़ दिया जायेगा। उपस्थिति के लिये

निर्धारित तिथि ऑफिस द्वारा अन्तर्विष्ट की जायेगी और न्यायालय के ऑफिसर द्वारा समन तारीखांकित एवम् हस्ताक्षरित होगा।
रजिस्ट्रार आदेश दे सकता है कि किसी विशिष्ट वाद में फार्म में सभी प्रविष्टियाँ ऑफिस द्वारा भरी जायेंगी।

13. **<u>गवाहों को भत्ता एवम् आहार खर्च --</u>**

(1) अध्यायXVII के परिशिष्ट में, आपराधिक कार्यवाहियों में गवाहों को यात्राभत्ता एवम् आहार खर्च के भुगतान के लिये दिये गये नियम, ऐसे संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, जो जरुरी पाये जायें, सिविल कार्यवाहियों को भी लागू होंगे परन्तु यह कि, किसी विशेष वाद में या ऐसे वाद में जो स्पष्ट रुप से इस नियमों में समाविष्टित नहीं होता, न्यायालय उन्हें ऐसा भुगतान कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) उस दशा में जहाँ किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ के रुप में साक्ष्य देने के लिये समन किया गया था, न्यायालय ऐसे पारिश्रमिक को अनुज्ञात कर सकता है जिसे वह वाद के लिये आवश्यक, साक्ष्य देने या विशेषज्ञ प्रकृति का कोई कार्य करने, में लगे समय के लिये तर्क संगत समझे।

14. **<u>यात्राभत्ता और आहार खर्च का जमा करना --</u>**

कोई पक्षकार जिसने समन के लिये आवेदन किया है, समन के प्रदान किये जाने से पहले और रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित समय के भीतर, Cashier को ऐसी राशि को, जो रजिस्ट्रार को, ऐसे गवाह की न्यायालय में एक दिन की उपस्थिति के लिये तर्कसंगत यात्राभत्ता और आहार खर्च को प्रदान करने के खर्च के लिये पर्याप्त प्रतीत हो, जमा करेगा। उस दशा में जहाँ एक व्यक्ति को विशेषज्ञ के रुप में साक्ष्य देने के लिये समन किया गया था, रजिस्ट्रार, पक्षकार जिसने समन के लिये आवेदन किया है से यह भी माँग कर सकता है कि वह Cashier को ऐसी अतिरिक्त राशि, जो उसके मत में पर्याप्त हो ऐसे गवाह को पूर्ववर्ती नियम के अधीन पारिश्रमिक के रुप में, भुगतान करने के लिये समर्थ बनाने हेतु जमा करे। इस नियम के अधीन राशि को जमा किये जाने के संबंध में किसी असहमति या दुविधा की दशा में, मामले को रजिस्ट्रार द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

15. **<u>समनों का जारी किया जाना --</u>**

नियम14 द्वारा अपेक्षित निक्षेप (Deposit) दिये जाने के बाद, डिप्यूटी रजिस्ट्रार समनों को जारी करवायेगा।

16. **<u>समनों के साथ खर्चों का दिया जाना --</u>**

प्रत्येक व्यक्ति जिसे न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिये समन किया गया है, को समन के साथ उसे, न्यायालय में एक दिन की उपस्थिति के लिये उसके तर्कसंगत यात्राभत्ते और आहारखर्च को समाविष्ट करने के लिये पर्याप्त राशि को उसे अदा करवाया जायेगा।

17. **<u>न्यायालय के भू-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर निवास करने वाले गवाह --</u>**

कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के साधारण दीवानी क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करता हो, साक्ष्य देने के लिये व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

18. **<u>पश्चातवर्ती दिन पर उपस्थिति के लिये आवश्यक गवाह --</u>**

(1) यदि गवाह का साक्ष्य पहले दिन नहीं लिया जाता या नहीं पूरा होता, जिस पर कि वह समन के आज्ञानुपालन में न्यायालय में उपस्थित होता है। पक्षकार जिसने उसे समन किया है, उस दिन शाम 4बजे से पहले, Cashier को पर्याप्त राशि जो गवाह को पश्चातवर्ती दिवस पर उपस्थित होने के लिये योग्य बनाये, जमा करेगा और यदि ऐसे पश्चातवर्ती दिन पर भी उसका साक्ष्य नहीं लिया जाता या नहीं पूरा होता, उसी तरह से प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि पक्षकार, यदि चाहे तो गवाह को सीधे न्यायालय की उपस्थिति में या डिप्यूटी रजिस्ट्रार की उपस्थिति में भुगतान कर सकता है और रसीद को न्यायालय में दाखिल कर सकता है।

(2) यदि उपनियम (1) के अनुसार गवाह के खर्चों का, उसे समन करने वाले पक्षकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो वह अन्य किसी पश्चातवर्ती दिन पर उपस्थित बने रहने के लिये बाध्य नहीं होगा।

19. **<u>Cashier को जमा की गई राशि का गवाह को भुगतान --</u>**

जहाँ पूर्ववर्ती नियम के अधीन खर्चों को Cashier को जमा किया जा चुका है, वे गवाह को अगले दिन भुगतान किये जायेगें।

20. **<u>गवाह द्वारा दावा --</u>**

गवाह द्वारा उसे देय खर्चों के संबंध में किया गया कोई दावा, वाद सुनने वाली बेन्च द्वारा या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचारित एवम् निर्णीत किया जायेगा।

21. **<u>आरम्भिक कार्यवाही --</u>**

इस अध्याय मे दिये गये नियम, ऐसे संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, जो कि आवश्यक हों, के साथ, न्यायालय में संस्थित कि गई अन्य आरंभिक कार्यवाहियों को भी लागू होंगे।

22. **<u>असाधारण सिविल क्षेत्राधिकार--</u>**

इस न्यायालय मे संस्थित वादों के विचारण के संबंध में, इस अध्याय में दिया गया नियम, जहाँ तक हो सके निम्न वादों में भी लागू होगा --

(i) न्यायालय के अधीक्षण के प्रभावाधीन किसी न्यायालय से हटाया गया कोई वाद, इसके असाधारण आरम्भिक सिविल क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में इसके द्वारा विचारित एवम् निर्धारित किया जायेगा। और

(ii) संविधान के अनुच्छेद 228 के अधीन, अधीनस्थ न्यायालय से वापस लिया गया कोई वाद या अन्य आरम्भिक कार्यवाही,

परन्तु यह कि कोई ऐसा वाद या कार्यवाही जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, उस स्थिति से आगे बढेगा जिस पर यह ऐसे हटाये जाने या वापस लिये जाने से पहले था।

23. **<u>अभ्यास और प्रक्रिया के मामलों में न्यायालय की निर्देश देने की शक्ति --</u>**

न्यायालय, किसी वाद या कार्यवाही में, जिसमे यह अध्याय लागू होता है, अभ्यास और प्रक्रिया के मामलों में ऐसे निर्देश दे सकेगा, जिसे यह न्यायसंगत और उपयुक्त समझता हो।

[205]अध्याय XV-क: चुनाव याचिकाओं के विचारण से संबंधित विशेष उपबन्ध

1. **<u>विस्तार --</u>**

इस अध्याय के उपबन्ध "the Representation of the People Act, 1951" के अधीन चुनाव याचिकाओं के विचारण को संचालित करेंगें ।

2. **<u>परिभाषायें--</u>**

जब तक कि इस अध्याय में सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(i) 'अधिनियम' से तात्पर्य 'the Representation of the People Act, 1951' है।

(ii) 'बेन्च' से तात्पर्य ' बेन्च जिसे मुख्य न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 86की उपधारा (2) के अधीन, चुनाव याचिका उल्लिखित की है।

(iii) ' चुनाव याचिका ' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 81 के अधीन प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका से है।

3. **<u>चुनाव याचिका का प्रस्तुतिकरण --</u>**

प्रत्येक चुनाव याचिका रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी।

याचिका पर न्यायालयी फीस (Court-fee) एवम् अन्य मामलों के साथ, अधिनियम कि धारा 81, 82, 83 और 117 के अनुपालन, की ऑफिस-रिपोर्ट (Office Report) लगी होगी।

याचिकाकर्ता, याचिका के साथ सभी दस्तावेजों की सूची चाहे वह उसके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, जिन पर वह उसके दावे के साक्ष्य के रुप में निर्भर करता है, दाखिल करेगा।

4. **<u>बेन्च का गठन --</u>**

ठीक ढंग से प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका को रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जायेगा। उसी चुनाव के संबंध में अन्य चुनाव याचिकायें, यदि कोई हों, जैसा कि अधिनियम धारा 86की उपधारा (3) में उल्लिखित है, आती हैं उनके संबंध में अतिरिक्त ऑफिस रिपोर्ट (Office Report) लगाने के बाद और बेन्च, यदि कोई हो, जिसको वे उल्लिखित की जा चुकी हैं, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बेन्च को उल्लिखित करने के लिये तुरन्त रखीं जायेंगी।

5. **<u>प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाना --</u>**

चुनाव याचिका ऐसी गठित बेन्च के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत की जायेगी और जब तक कि यह अधिनियम की धारा 86की उपधारा (1) के अधीन खारिज न हुई हो या अन्यथा त्रुटिपूर्ण न हो, बेन्च प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुये नोटिस में दी हुई तिथि पर उपस्थित होने

---

205 संस्थित किया गया अधि0 सं0 32/VII-C-162 दिनांक 07.03.1967द्वारा (संशोधन पर्ची सं0118), प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, अति0, दिनांक-11.03.1967

और दावे का उत्तर देने के लिये निर्देश दे सकती है। ऐसी नोटिस यह भी निर्देश दे सकती है कि यदि वह प्रतिरक्षा करना चाहता है तो वह उसका लिखित कथन, सभी दस्तावेजों की सूची चाहे वह उसके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, जिन पर वह अपने बचाव के साक्ष्य के रुप में निर्भर करने का आशय रखता हो, निर्धारित तिथि या निर्धारित तिथि से पूर्व दाखिल करेगा; और यह कि नोटिस में निर्धारित तिथि अथवा उससे पूर्व की तिथि पर, उपस्थिति की चूक को प्रविष्ट किया जायेगा, चुनाव याचिका को उसकी अनुपस्थिति में सुना एवम् निर्धारित किया जा सकेगा। नोटिस प्रारुप संख्या (34- क) में की जायेगी।

6. **<u>प्रक्रिया फीस और प्रभार --</u>**

(क) प्रतिवादी के लिये नोटिस, सामान्य प्रक्रिया द्वारा साथ ही साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी की जायेगी।

(ख) चुनाव याचिका की नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा चयनित समाचारपत्र में भी साथ ही साथ प्रकाशित की जायेगी।

(ग) नोटिसों, प्रक्रिया फीस, प्रभारों और समाचारपत्र में प्रकाशन के खर्च के कारण [206] [250 /- रुपये की राशि] प्रारम्भिक जमा राशि के रुप में, याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस जारी करने के आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। चूक की अवस्था में चुनाव याचिका बेन्च के समक्ष आदेशों के लिये रखी जायेगी। बेन्च चुनाव याचिका को खारिज कर सकती है जब तक कि यह पर्याप्त कारण के लिये अतिरिक्त समय न प्रदान कर दे।

(घ) जहाँ समाचारपत्र में प्रकाशन की लागत 50 /-रुपये से अधिक होती है, रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता को अतिरिक्त धनराशि जमा करने के लिये न्यायालय में निश्चित समय के भीतर जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाये, बुलायेगा। याचिकाकर्ता के ऐसे खर्चों के जमा करने की असफलता पर, याचिका बेन्च के समक्ष, ऐसे आदेशों के लिये, जो बेन्च ठीक समझे, रखी जायेगी। उस दशा में जब प्रकाशन का खर्च 50 /-रुपये से कम है तो याचिकाकर्ता अतिरिक्त धनराशि की वापसी के लिये अधिकृत होगा।

7. **<u>प्रतिवादी द्वारा उपस्थिति --</u>**

प्रतिवादी, रजिस्ट्रार के पास ज्ञापन, जो, वह पता देगा जिस पर की नोटिस, समन या अन्य प्रक्रिया की तामीली उस पर की जा सके, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा, दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

---

206 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 610/VIII-C-2 दिनांक26.11.1980 प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-11.04.1981

8. **<u>पक्षकारों का पूर्ण विवरण, इत्यादि--</u>**

सभी अभिवचनों और आवेदनों को, अध्याय XI के नियम 1, 4, 5 और 6 मे उपबन्धित तरीके से, ऐसे संशोधनों एवम् अनुकूलनों जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, के साथ तैयार किया जायेगा।

न्यायालय में दाखिल होने वाली चुनाव याचिका, आवेदनों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ, Durable Paper पर एक तरफ लिखित, टाइप-लिखित (Type-written), लिथोग्राफड् (Lithographed) या प्रिन्टेड (Printed) होंगी।

9. **<u>गवाहों को समन एवम् खर्चों का भुगतान --</u>**

अध्याय XV का नियम8 जो कि दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण और स्वीकृतियों एवम् अस्वीकृतियों के अभिलिखित किये जाने से संबंधित है, नियम9 दस्तावेजों के दाखिल करने से संबंधित है और नियम 12 से 20 तक गवाहों को समन किये जाने, गवाहों को खर्चों के भुगतान, इत्यादि से संबंधित है, ये नियम इस अध्याय के अधीन की गई कार्यवाहियों को भी लागू होंगे।

10. **<u>अधिनियम के अधीन अन्य आवेदन --</u>** अधिनियम की धारा 86की उपधारा (1) के अधीन प्रत्याशी

द्वारा प्रतिवादी के रुप में शामिल किये जाने का आवेदन, पुष्ट कथनों एवम् ठीक ढंग से सत्यापित विवरण अधिनियम की धारा 97 के अधीन आरोपों का उत्तर साबित करने के आशय की नोटिस के साथ, अधिनियम की धारा 109 के अधीन चुनाव याचिका वापस लेने के लिये और अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) या धारा 116 के अधीन प्रतिस्थापन के लिये आवेदन, तामीली के लिये पर्याप्त संख्या में प्रतियों के साथ रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जो इसे ऑफिस-रिपोर्ट के साथ बेन्च के समक्ष रखेगा।

11. **<u>शपथपत्र --</u>**

आवेदन सामान्यतः शपथपत्र के साथ दिया जायेगा।अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के उपबन्ध के प्रभावाधीन, शपथपत्रों के संबंध में अध्याय IV के उपबन्ध, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को लागू होंगे।

12. **<u>अभ्यास एवम् प्रक्रिया के मामलों में न्यायालय की निर्देश देने की शक्ति --</u>**

बेन्च, अधिनियम की धारा 87 के उपबन्धों से सामन्जस्य रखते हुये, अभ्यास एवम् प्रक्रिया के मामलों (जिनमें साक्ष्यों का दर्ज किया जाना शामिल है।) में ऐसे निर्देश दे सकती है जिसे वह न्यायसंगत एवम् उपयुक्त समझेगी।

13. **<u>खर्चों की सूची --</u>**

चुनाव याचिका के तय किये जाने के बाद, खर्चों की सूची तैयार की जायेगी, जिसमें खर्चों के भुगतान के संबंध में आदेश को पुनः बनाया जायेगा और अध्याय VII के नियम 6 से 11 तक के उपबन्ध, जो कि डिक्री तैयार किये जाने से संबंधित हैं, आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होंगे।

अध्याय XVI: अधिवक्ता की फीस का करारोपण

1. **<u>प्रारम्भिक --</u>**

इस अध्याय में दिये गये नियम खर्चों के करारोपण में, अधिवक्ता की फीस को शामिल किये जाने को, नियंत्रित करेंगे।

2. **<u>वादों, प्रोबेट (Probate) और लेटर-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letter-of- Administration) के लिये आवेदनों और आरम्भिक या अपीलीय डिक्रियों से अपील --</u>**

(1) विवादित वाद या प्रोबेट (Probate) या लेटर-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letter-of-Administration) के लिये विवादित आवेदन या वाद में आरम्भिक या अपीलीय डिक्री से, विवादित या अविवादित, अपील, में करारोपण पर फीस अनुमत की जायेगी, वाद या प्रोबेट (Probate) या लेटर-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letter-of- Administration) के लिये आवेदन या प्रथम अपील में, न्यूनतम [207][100/-] रुपये और द्वितीय अपील में [208] [50/-] रुपये के प्रभावाधीन, वह राशि होगी जिसकी दावे के मूल्य पर निम्न मापदण्ड के अनुसार गणना की जायेगी। नामतः --

(i) प्रथम 5000 /- रुपये पर ....[209] [10प्रतिशत]

(ii) उससे आगे 15000 /- रुपये पर ....[210][3-3/4 प्रतिशत]

(iii) उससे आगे 30000 /- रुपये पर ....[211][1-7/8 प्रतिशत]

(iv) शेष पर ....[212][1-1/4 प्रतिशत]

(2) जब कोई वाद या प्रोबेट (Probate) या लेटर-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letter-of-Administration) के लिये आवेदन, न्यायनिर्णय की दोषस्वीकृति पर या समझौते पर या चूक के लिये वापस लेने पर या खारिज होने पर, एकपक्षीय रुप से निर्धारित किया जाता है, खर्चों के करारोपण में फीस की राशि जो शामिल की जायेगी न्यूनतम [213][100 /-]रुपये के

---

207 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

208 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

209 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

210 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

211 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

212 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

213 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

प्रभावाधीन उपनियम (1) में दिये गये मापदण्ड के अनुसार गणना की गई राशि की आधी होगी।

3. **<u>प्रथम अपील जिसमें संक्षिप्ततः विचारण के लिये आवेदन किया गया है --</u>**

प्रथम अपील मे, [214][अध्याय VIII के नियम 24] के अधीन ऐसी अपील के संक्षिप्त विचारण के लिये आवेदन के निस्तारण पर, करारोपण पर फीस निम्न तरीके से अनुमत की जायेगी।

(i) जहाँ अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिये आवेदन अनुमत किया जाता है और अपील खारिज की जाती है, फीस नियम2के उपनियम (1) के अनुसार होगी।

(ii) जहाँ अपील संक्षिप्त निर्धारण के लिये आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, नियम 2के उपनियम (1) के अधीन करयोग्य फीस की राशि का एक-चौथाई, न्यूनतम या [215] [70 /-] रुपये के प्रभावाधीन, अपीलार्थी को आवेदन करने वाले पक्षकार के विरुद्ध अनुमत किया जायेगा। इस खण्ड के अधीन खर्चों के संबंध में दिया गया कोई आदेश, अपील में खर्चों को प्रभावित नहीं करेगा।

4. **<u>आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 (Arbitration Act, 1940) की धारा 14 (2) के अधीन वाद --</u>**

आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 (Arbitration Act, 1940) की धारा 14 (2) के अधीन वाद में करारोपण पर अनुमत फीस की राशि, न्यूनतम [216] [70 /-] रुपये के प्रभावाधीन, दावे के मूल्य पर निम्न मापदण्ड के अनुसार गणना की गई राशि होगी, नामतः --

(i) प्रथम 5000 /- रुपये पर ....[217] [5 प्रतिशत]

(ii) उससे आगे 15000 /- रुपये पर ....[218][2-1/2 प्रतिशत]

(iii) उससे आगे 30000 /- रुपये पर ....[219][1-1/4 प्रतिशत]

(iv) शेष पर ....[220][5/8 प्रतिशत]

5. **<u>आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 (Arbitration Act, 1940) की धारा 20 के अधीन वाद -</u>**

---

214 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक 26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

215 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

216 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

217 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

218 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

219 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

220 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 (Arbitration Act, 1940) की धारा 20 के अधीन वाद में करारोपण पर अनुमत फीस की राशि, ऐसी होगी जो न्यायालय निर्देशित करे।

6. **वैवाहिक मामले --**

वैवाहिक मामलों और उनसे उद्भूत अपीलों में, करारोपण पर फीस, न्यायालय के ऐसे आदेश जो कि परेशानियों और वाद की अवधि को ध्यान में रखते हुये अनुमत किया गया है के प्रभावाधीन, जैसे कि नीचे दिया गया है होगी, नामतः --

(1) उस वाद जिसमें प्रतिरक्षा नहीं की गई है ....[221] [200 /-]

(2) उस वाद जिसमें प्रतिरक्षा की गई है

(i) सुनवाई के प्रथम दिन के अन्त तक ....[222] [375 /-]

(ii) प्रत्येक उत्तरवर्ती दिन या दिन के भाग के लिये, जहाँ ....[223] [200 /-] ऐसा भाग एक घन्टे से कम की अवधि का न हो।

7. [224] **[इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961)] के अधीन वाद --**

(1) [225] [इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961)] के अधीन, वाद में करारोपण पर, कमिश्नर, इन्कम टैक्स के लिये अधिवक्ता को अनुमत फीस की राशि --

(i) [226] [इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961)] की धारा 66 (1) या (2) के अधीन वाद में न्यायालय द्वारा निर्धारित, जो [227] [125 /-] रुपये से कम और [228] [250 /-] रुपये से ज्यादा नहीं होगी; और [229] [***]

---

221 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

222 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

223 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

224 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक 23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.03.1970

225 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक 23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.03.1970

226 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

227 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक-16.04.1977

228 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

229 हटाया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक 23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.03.1970

[230] [(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन न्यायालय द्वारा उच्च फीस (Higher fee) तय की जाती है, यह खर्चों के करारोपण में शामिल की जायेगी, परन्तु ऐसा अधिवक्ता न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने की तिथि से एक माह के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय उसके द्वारा किये गये आवेदन पर अनुमत करे, प्रमाणपत्र दाखिल करता है यह कि उसके सरकार की सहमति ऐसी उच्च फीस (Higher fee) के उसे भुगतान किये जाने के लिये प्राप्त कर ली है।

(3) अन्य पक्षकार के लिये अधिवक्ता को देय फीस, ऐसी होगी जो न्यायालय द्वारा प्रत्येक वाद में निर्धारित की जाये और खर्चों के करारोपण में शामिल की जायेगी, परन्तु एक प्रमाणपत्र, जैसा कि इस अध्याय के नियम 25 के द्वारा अपेक्षित है ठीक ढंग से दाखिल किया जा चुका है जो दर्शाता है कि ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा अनुमत फीस से कम राशि की फीस का भुगतान किया गया है। जहाँ ऐसे भुगतान की गई फीस न्यायालय द्वारा अनुमत फीस की राशि से कम है, ऐसी कम फीस केवल, खर्चों के करारोपण में शामिल की जायेगी।]

8. **निश्चित प्रकीर्ण मामले (Certain Miscellanous Cases) -**

उपशमन या एकपक्षीय डिक्री या चूक के लिये खारिज होने वाले वाद के आदेश को अपास्त करने के लिये किसी प्रकीर्ण वाद में प्रथम अपील की दशा में [231][70 /-] रुपये और किसी अन्य मामले में [232] [50 /-] रुपये की फीस अनुमत की जायेगी।

9. **संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन --**

[233] [जहाँ न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन निर्देश या आदेश या रिट (Writ) के लिये आवेदन या उससे उद्भूत स्पेशल अपील, को व्ययनित करते समय, खर्चों को अनुमत करता है किन्तु अधिवक्ता की फीस की राशि को निर्धारित नहीं करता, आवेदन और

---

230 पुनः संख्याकित किया गया उपनियम (2) और (3) के रुप में अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक 23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.03.1970

231 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

232 उसी स्थान पर

233 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 104/VIII-C-90, दिनांक14.04.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I Ka दिनांक 25.12.1965

स्पेशल अपील, दोनो ही दशाओं में करारोपण पर अनुमत फीस की राशि [234] [125 /-] रुपये होगी।]

10. **<u>मामले, जिनके लिये विशेष रुप से उपबन्धित नहीं किया गया है --</u>**

वे मामले जिनके लिये इस अध्याय में स्पष्ट रुप से उपबन्धित नहीं किया गया है जिसमे एक्जीक्यूशन अपीलें (Execution Appeals), आदेशों से अपीलें, पुनरीक्षण, अध्याय XXIII के अधीन आवेदन, निर्देश, [235] [कम्पनी अधिनियम, 1956] के अधीन वाद, प्रोबेट (Probate) या लेटर्स-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letters-of- Administration) के लिये आवेदनों को छोड़कर वसीयती एवम् गैरवसीयती मामले, शामिल हैं, यदि दावा मूल्यांकन के योग्य है, फीस, दावे के मूल्य पर निम्न मापदण्ड के अनुसार गणना की गई राशि होगी, नामतः -

(i) प्रथम 5000 /- रुपये पर ....[236] [6-1/4 प्रतिशत]

(ii) उससे आगे 45000 /- रुपये पर ....[237][1-1/4 प्रतिशत]

(iv) शेष पर ....[238][5/8 प्रतिशत]

ऐसे वादों में न्यूनतम कर देय फीस [239] [50 /-] रुपये और अधिकतम जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेशित न हो [240] [1200 /-] रुपये होगी।

11. **<u>अतिरिक्त फीसें --</u>**

[241] [यदि मामले को व्ययनित करने वाली बेन्च खर्चों को अनुमत करती है] निम्न फीसें करारोपण पर, पूर्ववर्ती नियमों के अधीन अनुमत प्राप्त के अतिरिक्त, अनुमत की जायेगीं, नामतः --

(i) प्रत्येक आवेदन जिसे प्रकीर्ण वाद के रुप में संख्याकित किया जाता है, के लिये

---

234 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

235 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

236 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

237 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

238 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

239 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

240 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

241 संस्थित किया गया अधि0 सं0 90/VIII-C-90, दिनांक30.03.1956द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I Ka दिनांक 09.06.1956

(क) विवादित होने पर [242] [50 /-] रुपये

(ख) अविवादित होने पर [243] [32 /-] रुपये

परन्तु यह कि न्यायालय विशेष मामलों में ज्यादा या कम राशि की अनुमति दे सकता है या किसी भी प्रकार की फीस की अनुमति देने से मना कर सकता है।

(ii) प्रत्येक शपथपत्र, जो आवेदन के समर्थन में या उसके उत्तर में या ऐसे उत्तर के प्रति-उत्तर में, यदि कोई हो, दाखिल किये जायें, के लिये [244] [20 /-] रुपये

परन्तु यह कि न्यायालय वाद कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ज्यादा या कम राशि को अनुमत कर सकता है या किसी प्रकार की फीस को पूर्णतः मना कर सकता है यदि शपथपत्र या आवेदन में, उचित विवरण और महत्वपूर्ण पुष्टिकारक कथन नहीं हैं या अतिविस्तृत या अनावश्यक या असंगत तथ्य हैं।

(iii) प्रथम अपील में अनुवाद एवम् प्रिन्टिग के लिये दस्तावेजों के तय करने के लिये

(क) यदि सूची में दस्तावेजों की संख्या 16 से ज्यादा नहीं है [245] [32 /-] रुपये

(ख) यदि सूची में दस्तावेजों की संख्या 16 से ज्यादा किन्तु 48
से ज्यादा नहीं है [246] [60 /-] रुपये

(ग) 48 से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिये [247] [0.45/-] रुपये

परन्तु यह कि ऐसी फीस का पूरा या उसका कोई भाग या अपील के खर्च का पूरा या कोई भाग, अपील सुनने वाली बेन्च द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा, यदि सूची में शामिल होने के लिये दस्तावेजों के चयन में अनावश्यक दस्तावेजों या उसी अभिप्राय के लिये दस्तावेजों को शामिल किया गया है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हटाया गया है।

12. <u>प्रतिआपत्ति --</u>

संहिता के आदेशXLIके नियम22के अधीन दाखिल कोई आपत्ति, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिये अलग अपील के रुप में समझी जायेगी।

---

242 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

243 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

244 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

245 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक 16.04.1977

246 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

247 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

13.<u>दावे का मूल्य --</u>

नियम2, 3, 4 और 10 में दावे का मूल्य होगा, वाद की दशा में वादपत्र मे कहा गया मूल्य, अपील की दशा में अपील के ज्ञापन में कहा गया मूल्य, प्रोबेट (Probate) या लेटर्स-ऑफ-एडमिनिस्ट्रेशन (Letters-of- Administration) के लिये आवेदन की दशा में उस सम्पत्ति जिसके संबंध मे आवेदन किया गया है, सम्पत्ति का कहा गया मूल्य, और अन्य मामलों में आवेदन में कहा गया मूल्य, परन्तु वाद ऐसा हो जिसमें उपचार जिसका दावा किया गया है मूल्यांकन के योग्य हो। फीस की गणना में दावे के मूल्य से रुपये के हिस्सों को हटाया जायेगा। मूल्य, क्षेत्राधिकार के उद्देश्य के लिये मूल्य होगा।

14. <u>वाद जहाँ उपचार, मूल्यांकन के असमर्थ है --</u>

पूर्ववर्ती नियम में, उल्लिखित दशा में जहाँ दावा मूल्यांकन के असमर्थ है, उस नियम में कहे गये तरीके से, न्यायालय ऐसी फीस की अनुमति दे सकता है जो वह ठीक समझे।

15. <u>न्यायालय, ज्यादा या कम फीस की अनुमति दे सकता है या किसी भी प्रकार की फीस के लिये मना कर सकता है --</u>

नियम2, 3, 4, 6, 8, 10 और 12 में कही गई किसी बात के होते हुये भी न्यायालय ज्यादा फीस की अनुमति दे सकता है यदि इसके मत में नियम के अधीन अनुमत फीस, वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपर्याप्त है या पर्याप्त कारण के लिये कम फीस की अनुमति दे सकता है या आदेश कर सकता है कि कोई फीस पक्षकार के खर्चों की सारणी में प्रविष्ट नहीं की जायेगी।

16. <u>जहाँ कई प्रतिवादी एक संयुक्त या समान बचाव में जगह लेते हैं --</u>

जहाँ कई प्रतिवादी चाहे वह अपीलार्थी के रुप में या प्रतिवादियों के रुप में इस न्यायालय में व्यवस्थित किये गये हैं, एक संयुक्त या समान हित रखते हैं, वाद में एक संयुक्त बचाव में या अलग-अलग बचावों में, जो कि मूलभूत रुप से समान है, जगह लेतें हैं, कुल राशि, उनकी संयुक्त सारणी में प्रविष्ट की जायेगी या उनके अलग-अलग खर्चों की सारणी मे प्रविष्ट की जायेगी, जो उस वर्ग जिसमे वाद आता है, में लागू नियम के अधीन अनुमत राशि से ज्यादा नहीं होगी, जब तक कि वाद को सुनने वाली बेन्च अन्यथा आदेश न दे।

यदि केवल एक फीस अनुमत की जाती है, न्यायालय यह बता सकता है कि किन प्रतिवादियों द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा या इसे उनमें ऐसे तरीके से जो वह ठीक समझे बाँटा जाये। यदि न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं देता तो Taxing Officer ऐसे सभी प्रतिवादियों में इसे समान हिस्सों में जैसे कि वे वाद की सुनवाई पर अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हुये हों, बाँटेगा।

यह नियम, आवश्यक आँशिक परिवर्तनों के साथ, इस न्यायालय में आरम्भिक वादों को भी लागू होगा।

17. <u>जहाँ कई प्रतिवादी अलग तथा पूर्णतया भिन्न बचावों में जगह लेते हैं --</u>

जहाँ कई प्रतिवादी चाहे वह अपीलार्थी के रुप मे या प्रतिवादियों के रुप में इस न्यायालय मे व्यवस्थित किये गये हैं, अलग हित रखते हैं, अलग एवम् भिन्न बचाव करते हैं, एक अलग फीस, जो उस वर्ग जिसमे वाद आता है, में लागू नियम के अधीन जैसा कि अनुमत हो, यदि न्यायालय ऐसा आदेशित करता है, प्रत्येक ऐसे प्रतिवादी के अलग हित के संबंध में अनुमत की जायेगी जैसे कि वे एक अलग अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के समय उपस्थित हुये हों और उसके अलग एवम् भिन्न बचाव में जगह लिये हों।

यह नियम, आवश्यक आँशिक परिवर्तनों के साथ, इस न्यायालय में आरम्भिक वादों को भी लागू होगा।

18. <u>दलालों के साथ काम करने वाले अधिवक्ता को नियुक्त करने का प्रभाव --</u>

इस अध्याय में कही गई किसी बात के होते हुये भी, पक्षकार के खर्चों की सारणी में कोई राशि, अधिवक्ता की फीस के कारण नहीं शामिल की जायेगी, जिसने वाद के उद्देश्य के लिये किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया है जो --

(क) जाना जाता है या जिसकी ख्याति है कि वह किसी प्रकार का काम, बातचीत या पत्राचार परोक्ष या अपरोक्ष रुप से, ऐसे व्यक्ति के साथ करता है जो औपचारिक रुप से दलाल घोषित किया जा चुका है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रायः किसी न्यायालय के परिसर, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लैन्डिग स्टेज (Landing Stage) या लॉजिंग प्लेस (lodging Place) या अन्य लोक मनोरंजन के स्थानों पर, दलाल के रुप में मिलता है।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी क्षमता में, जो भी हो, नियुक्त करता है।

19. <u>दावे के असत्य मूल्यांकन का प्रभाव --</u>

इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, न्यायालय आदेश दे सकता है कि पक्षकार, के खर्चों की सारणी में किसी भी प्रकार की राशि अधिवक्ता की फीस के संबंध में शामिल नहीं की जायेगी, जिसके कि वादपत्र, अपील के ज्ञापन या आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, में दावे के मूल्य को असत्य एवम् बेईमानीपूर्वक कहा गया है। ऐसे मामले में न्यायालय अनुमति प्रदान कर सकता है कि ऐसी अतिरिक्त राशि अन्य पक्षकार के खर्चों की सारणी में अधिवक्ता की फीस के कारण, जो इसे तर्कसंगत प्रतीत हो, जोड़ी जाये।

20. <u>अधिवक्ता की फीस जो इलाहाबाद या लखनऊ में अभ्यासरत नहीं है --</u>

किसी अधिवक्ता के संबंध में जो इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति हो, मे निवास तथा अभ्यास नहीं करता है, कोई फीस, जब तक कि वह वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता या बेन्च, जो वाद की सुनवाई कर रही है अन्यथा निर्देश न दे, खर्चों के करारोपण में शामिल नहीं की जायेगी।

21. <u>पुनर्विलोकन या निष्पादन, आवेदन में कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी --</u>

जहाँ अधिवक्ता की फीस के कारण नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 या 14 के अधीन पक्षकारों के खर्चों की सारणी में शामिल होने के लिये राशि अनुमत की जा चुकी है, कोई अतिरिक्त राशि अधिवक्ता को दी गई किसी फीस के कारण ऐसे पक्षकार को, एक न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिये या न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिये, किसी आवेदन के संबंध में अनुमत नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे आवेदन की सुनवाई करने वाली बेन्च को सन्तुष्ट करने के लिये प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता यह कि अधिवक्ता की सेवायें जिसकी फीस के संबंध मे प्रविष्टि खर्चों की सारणी में बनाई गई थी ऐसे आवेदन को बनाने के लिये उपलब्ध नहीं थी।

22. <u>कोर्ट फीस एक्ट, 1870 (Court Fees Act, 1870) तथा स्टैम्प एक्ट, 1899 (Stamp Act, 1899) के अधीन वादों में राज्य के अधिवक्ता की फीस --</u>

कोर्ट फीस एक्ट, 1870 (Court Fees Act, 1870) तथा स्टैम्प एक्ट, 1899 (Stamp Act, 1899) के अधीन राज्य के, पक्ष या विपक्ष में, वादों में खर्चों के करारोपण में अधिवक्ता की फीस के शामिल किये जाने को भी ये नियम संचालित करेंगे, जिनमे यद्यपि कि सरकार पक्षकार नहीं है, खर्चों को सरकार के पक्ष या विपक्ष में किया जायेगा।

23. <u>अकिंचनता से संबंधित पूछताछ में राज्य के अधिवक्ता की फीस --</u>

संहिता के आदेश XXXIII या XLIV के अधीन, वादी या अपीलार्थी के अकिंचन के रुप में वाद लाने या अपील लाने की अनुमति के लिये आवेदन पर या वादी या अपीलार्थी के निरकिंचनता के लिये आवेदन पर, पूछताछ में, पक्षकार का अधिवक्ता जो आवेदन करता है या अधिवक्ता जो इसका विरोध करता है (जिसमें राज्य का अधिवक्ता, जो अकिंचनता के आवेदन का विरोध करता है या वादी या अपीलार्थी की निरकिंचनता के लिये आवेदन करता है, शामिल है।) के लिये फीस [248] [90 /-] रुपये होगी।

---

248 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-95, दिनांक 13.02.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.04.1977

परन्तु यह कि न्यायालय विशेष वाद में, ऐसी फीस की अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझे, यह राशि नियम 2 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक नहीं होगी।

24.<u>अधिवक्ता के क्लर्क की फीस --</u>

पक्षकार के अधिवक्ता की टैक्स दी हुई फीस पर, राशि जो गणना की गई है [249] [15] प्रतिशत की दर से, न्यूनतम 2रुपये के प्रभावाधीन, ऐसे अधिवक्ता के क्लर्क की फीस के कारण खर्चों के करारोपण में शामिल की जायेगी।

[250][परन्तु यह कि संबंधित क्लर्क, स्थाई अधिवक्ता के क्लर्क को छोड़कर, ने फीस प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारुप में ठीक ढंग से उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर, अधिवक्ताओं के लिये प्रमाणपत्र भरने के लिये नियम 25 में बताये गये तरीके से, दाखिल कर दिया है।]

यह नियम स्थाई अधिवक्ता के क्लर्क को भी लागू होगा, ऐसे शामिल की गई राशि वह होगी जितनी की सरकारी खाते से देय हो।

25.<u> फीस का प्रमाणपत्र --</u>

(1) उस दशा को छोड़कर, जिसमें एक अधिवक्ता, सरकार या [251] [गाँवसभा], या संरक्षण न्यायालय (Court of Wards) या अभिरक्षक प्रबन्धक (Custodian), खाली कराई गई संपत्ति (Evacuee Property) के लिये उपस्थित होता है, वहाँ कोई फीस खर्चों के करारोपण में शामिल नहीं की जायेगी जब तक कि Taxing Officer सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि न्यायनिर्णय या आदेश के दिये जाने से पूर्व अधिवक्ता को फीस दी जा चुकी थी जिससे खर्चे देय योग्य हो गये थे और जब तक कि पक्षकार जो ऐसी फीस के खर्चों के करारोपण में शामिल किये जाने का दावा करता है, ऐसे न्यायनिर्णय या आदेश के दिये जाने से पूर्व, [252] [भाग II की सामान्य नामावली में उपस्थित] संबंधित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, जो दर्शाता हो कि ऐसी फीस का वास्तव में पक्षकार द्वारा या ऐसे पक्ष की तरफ से उसको भुगतान किया जा चुका है, को दाखिल न कर चुका हो।

---

249 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/VIII-C-90, दिनांक22.09.1973द्वारा

250 संस्थित किया गया अधि0 सं0 663/VIII-C-99, दिनांक21.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.02.1981

251 संस्थित किया गया अधि0 सं0 361/VIII-C-176, दिनांक25.08.1969द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 21.02.1970

252 संस्थित किया गया अधि0 सं0 25/VIII-C-100, दिनांक10.02.1966द्वारा, किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 17.06.1967

[253] [परन्तु उस दशा में जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होता है, ऐसे प्रमाणपत्र के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उसे दी गई फीस का वाउचर (Voucher) / रसीद संलग्न होगा।]

परन्तु [254] [आगे] यह कि उपरोक्त वर्णित समय के बाद किन्तु न्यायनिर्णय या आदेश के हस्ताक्षरित किये जाने से पूर्व, प्रमाणपत्र दाखिल किया जाता है तो दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये, वाद का निर्धारण करनेवाली बेन्च द्वारा खर्च के करारोपण मे शामिल करने के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारुप में होगा और अधिवक्ता या उसके क्लर्क द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा--

(क) यदि वाद न्यायालय के समक्ष है तो [255][संबंधित बेन्च सेक्रेटरी (Bench Secretary) को]

(ख) अन्य दशाओं में, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑफिस को

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, उसे प्राप्त करने वाले ऑफिसर से प्रतिपर्ण (Counterfoil) पर उसके हस्ताक्षर लेगा, प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला ऑफिसर उस पर तारीख और इसे प्रस्तुत करने के समय का पृष्ठांकन करेगा।

अपवाद स्वरुप परिस्थितियों में, ऐसे प्रमाणपत्र को [256] [बेन्च सेक्रेटरी (Bench Secretary) या रजिस्ट्रार को] दोपहर 3बजे से 3:30 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) जहाँ न्यायालय, उस वर्ग जिसमे वाद आता है, वाद को इन नियमो के अधीन लागू होने वाली अनुमत फीस से उच्च फीस की अनुमति इसके न्यायनिर्णय या आदेश द्वारा अनुमत करता है, ऐसी अतिरिक्त फीस के भुगतान के संबंध में प्रमाणपत्र, ऐसे न्यायनिर्णय या आदेश की तिथि से एक माह के भीतर दाखिल किया जा सकेगा।

---

253 संस्थित किया गया अधि0 सं0 25/VIII-C-100, दिनांक10.02.1966द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 17.06.1967

254 जोड़ा गया उसी स्थान पर

255 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

256 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

भाग III: आपराधिक क्षेत्राधिकार

अध्याय XVII से XX

[257][अध्याय XVII]

अध्याय XVIII: आरम्भिक विचारणों को छोड़कर कार्यवाहियाँ

1. **अपीलों और आवेदनों का प्रस्तुतिकरण**

आपराधिक मामलों में, प्रत्येक अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन, न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, उन्हें छोड़कर जहाँ इन नियमों के अधीन या न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, उन्हें रजिस्ट्रार या न्यायालय के किसी अन्य ऑफिस में दाखिल किया जा सकेगा।

2. **अपील या आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर न्यायालय का आदेश --**

जहाँ बेन्च, जिसके समक्ष अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन, की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लाया जाता है, पाती है कि यह आवश्यक कागजातों के साथ नहीं है, यदि कोई हों, या अन्यथा क्रम में नहीं है या निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है, यह इसे लेने से इन्कार कर सकती है या निरस्त कर सकती है या ऐसे अन्य आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे।

जहाँ यह पाती है कि ऐसी याचिका या आवेदन क्रम में है, समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है और आवश्यक कागजातों के साथ है, यदि कोई हो, --

(i) याचिका या अपील की दशा में, इसे स्वीकार करने का आदेश दे सकती है और नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित कर सकती है, और

(ii) पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन, की दशा में इसे निरस्त कर सकती है या नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित कर सकती है या ऐसा अन्य आदेश दे सकती है जो यह उचित समझे;

परन्तु यह कि इस नियम की कोई भी बात बेन्च को [258][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 384 के अधीन] अपील की याचिका को खारिज करने या आवेदन की नोटिस को जारी

---

257 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

258 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

करने की अपेक्षा करने से, जहाँ कि ऐसे आवेदन की नोटिस अन्य पक्षकार या उसके अधिवक्ता को पहले ही तामील की जा चुकी है, से रोकने वाली नहीं होगी।

[259][**3. <u>अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन की अन्तर्वस्तुयें --</u>**

(1) प्रत्येक अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन वाद के संक्षेप के साथ तिथिवार/ घटनावार क्रम के अनुसार होगा और कथन करेगा --

(क) नाम और जहाँ अपील या पुनरीक्षण राज्य की तरफ से नहीं है, प्रत्येक अपीलार्थी या आवेदक का पता;

(ख) नाम और जहाँ विपक्षी पक्षकार राज्य नहीं है, पता प्रत्येक विपक्षी पक्षकार का, यदि उपलब्ध हो,

(ग) न्यायालय, जिसके आदेश से अपील या पुनरीक्षण दाखिल किया गया है और ऐसे न्यायालय के अधिष्ठाता ऑफिसर (Presiding Officer) का नाम

(घ) ऐसे न्यायालय से पारित आदेश की प्रकृति, जिसमें दिया गया दण्ड शामिल हो, यदि कोई हो,

(ड़) अपराध को परिभाषित करने वाले विधि के उपबन्ध, जिसके लिये आरोपी को ऐसे न्यायालय द्वारा, दोषी या निर्दोष ठहराया गया था या जिसके अधीन वह ऐसे न्यायालय में पेश किया गया था।

(च) उस आदेश से आपत्ति के संख्याकित क्रमिक आधार या आधारों को, जिससे की अपील या पुनरीक्षण सन्तुष्ट होता है।

और अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, या उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(2) यदि अधिवक्ता किसी न्यायनिर्णय पर निर्भर करते हैं तो उन्हें उनकी तीन फोटो-प्रतियाँ, दो न्यायाधीशों और एक अन्य पक्षकार के लिये तैयार रखनी चाहिये।

(3) अपीलीय आदेश से या दोषमुक्ति से, अपील की याचिका या अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन में भी उस न्यायालय का नाम और वर्णन होगा जिसने प्रथम बार वाद का विचारण किया था और उसके द्वारा दिये गये आदेश की प्रकृति का, कथन होगा।

(4) उस दशा में, जिसमें कारावास का दण्ड दिया जा चुका है अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन में, अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, के अधिवक्ता

---

259 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0115VIII-C-2, (संशोधन पर्ची स0237)दिनांक14.05.2007द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक25.05.2007

द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी होगा जिसमें कथन होगा कि आरोपी जमानत पर नहीं था या यह कि वह जमानत पर था तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। उस दशा में जिसमें उस न्यायालय जिससे की [260][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 की उपधारा (3)] के अधीन अपील की गई है, द्वारा जमानत दे दी गई है, यह तथ्य अपील की याचिका मे उस अवधि जिसके लिये ऐसी जमानत प्रदान कि गई है, दर्शाते हुये कहा जायेगा।

4. <u>पहले दाखिल हुई पुनरीक्षण के लिये जेल अपील को, अपील या पुनरीक्षण से जोड़ा जायेगा --</u>

जहाँ अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन, जेल के ऑफिसर-इन-चार्ज (Officer-in- Charge) को अपीलार्थी द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा दाखिल अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन में इस तथ्य को उल्लिखित किया जायेगा, यदि ऐसे अधिवक्ता के संज्ञान में है। ऐसे वादों में [261] [बेन्च सेक्रेटरी] न्यायालय से आदेश प्राप्त करेगा कि दोनो वादों को जोड़ दिया जाये और साथ सुना जायेगा।

5. <u>न्यायनिर्णय की प्रतियाँ --</u>

प्रत्येक आपराधिक अपील या पुनरीक्षण, निर्णय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है या जिसे संशोधित करने की माँग की गई है, की प्रति के साथ होगा और जहाँ अधीनस्थ न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण किया गया है वहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायनिर्णयों की प्रतियों के साथ होगा।

[262][परन्तु यह कि प्रत्येक आपराधिक पुनरीक्षण के साथ उस निर्णय या आदेश की अतिरिक्त प्रति भी होगी, जिसे संशोधित करने की माँग की गई है या अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायनिर्णयों की प्रतियाँ भी होगीं, जैसी भी स्थिति हो, जो सरकारी अधिवक्ता के इस्तेमाल के लिये अधिवक्ता द्वारा ठीक ढंग से प्रमाणित होगीं।]

[263][और सेशन न्यायाधीश से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन, उस आदेश, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन चाहा गया है, के संबंध में

---

260 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

261 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

262 संस्थित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-g-8, दिनांक12.02.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.04.1974

263 जोड़ा गया अधि0 सं0 25/VIII-b-113, दिनांक 21.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 28.01.1978

सेशन न्यायालय में नहीं किया गया है। अपीलार्थी यह वचन देगा कि वह कथित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण नहीं दाखिल करेगा।]

परन्तु [264][आगे] यह कि न्यायालय दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये ऐसी किसी प्रति को छोड़ सकता है।

[265][***]

6. <u>अपील की याचिका या आवेदन या शपथपत्र, प्रतियों के साथ होंगे --</u>

न्यायालय में दाखिल प्रत्येक अपील की याचिका या आवेदन या शपथपत्र, उनकी उतनी प्रतियों, जितनी की पक्षकारों पर तामीली की जानी है, के साथ होंगे, जिनके साथ --

(i) दो अतिरिक्त प्रतियाँ, डिवीजन बेन्च के मामले में या सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित वाद में, जमानत या स्टे (Stay) या कार्यवाही के लिये आवेदन में; या

(ii) एक अतिरिक्त प्रति, प्रत्येक अन्य मामले में,

न्यायालय द्वारा, अपील की याचिका या आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपेक्षित संख्या में ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध न करा दी गई हों।

[266][ऐसी प्रतियाँ, उस पक्षकार या उसके अधिवक्ता द्वारा सही प्रमाणित होंगी जो उन्हें उपलब्ध कराता है।]

7. <u>अपील की याचिका या पुनरीक्षण पर ऑफिस रिपोर्ट --</u>

अपील की याचिका [267][या दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 378 के अधीन अनुमति याचिका] या पुनरीक्षण के लिये आवेदन, प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, या उसका अधिवक्ता, ऑफिस से उस पर, निम्न विषयों के संबंध में, रिपोर्ट प्राप्त करेगा, नामतः --

[268]**[अपील या अनुमति याचिका की दशा में]**

(i) क्या यह इस न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती है,

---

264 संस्थित किया गया अधि0 सं0 89/VIII-g-8, दिनांक12.02.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 20.04.1974

265 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

266 जोड़ा गया अधि0 सं0 85/VIII-C-62, दिनांक05.06.1962द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक 15.06.1963

267 संस्थित किया गया अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.10.1984

268 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.10.1984

(ii) क्या यह समयसीमा के भीतर है,

(iii) क्या यह अपेक्षित कागजातों के साथ है,

(iv) क्या किसी प्रकार की न्यायालयी फीस देय है और जहाँ न्यायालयी फीस देय है, क्या दी गई न्यायालयी फीस पर्याप्त है; और

(v) क्या अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति जिसका विचारण उसके साथ हुआ था, की तरफ से पहले अपील दाखिल की गई थी और यदि वह इस प्रकार दाखिल की गई थी, अपील के निर्णीत किये जाने की दशा में परिणाम;

पुनरीक्षण की दशा में

(i) क्या यह, आवश्यक प्रतियों को प्राप्त करने में लगे समय को छोड़कर; 90दिनों के भीतर दाखिल की गई है;

(ii) क्या यह आवश्यक कागजातों के साथ है;

(iii) क्या किसी प्रकार की न्यायालयी फीस देय है और यदि न्यायालयी फीस देय है, तो क्या दी गई न्यायालयी फीस पर्याप्त है;

(iv) क्या पुनरीक्षण के लिये आवेदन पहले से ही सेशन न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में दाखिल किया गया था।

[269] [(v) क्या अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति जिसका विचारण उसके साथ हुआ था, की तरफ से पहले इस न्यायालय में, पुनरीक्षण के लिये आवेदन या दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 378 के अधीन कोई अनुमति याचिका, दाखिल की गई थी और यदि वह इस प्रकार दाखिल की गई थी, पुनरीक्षण या दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 378 के अधीन दाखिल अनुमति याचिका के निर्णीत किये जाने की दशा में, परिणाम]

8. <u>वादों का रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जाना --</u>

(1) अपील या पुनरीक्षण के स्वीकृत किये जाने के बाद इसे रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जायेगा।

(2) निम्न आवेदनों को प्रस्तुतिकरण के बाद, आपराधिक प्रकीर्ण वाद के रुप में रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जायेगा, नामतः --

(क) जमानत के लिये आवेदन

(ख) जमानत निरस्त करने के लिये आवेदन

---

269 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.10.1984

(ग) वाद के स्थानांतरण के लिये आवेदन

(घ) अधीनस्थ न्यायालय से वाद वापस लेने के लिये आवेदन

(ङ) [270][∗∗∗]

(च) [271] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 96 के अधीन] आवेदन

(छ) निचले न्यायालय के आदेश या कार्यवाहियों, के क्रियान्वयन को रोकने के लिये आवेदन,

(ज) आपराधिक मामले में संविधान के अनुच्छेद 226के अधीन निर्देश, आदेश या रिट (Writ) जारी करने के लिये आवेदन;

(झ) [272] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन] आवेदन

(ञ) न्यायालय की अवमानना में, कार्यवाही करने के लिये आवेदन ; [273][और]

[274] [(ट) [275] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (4) के अधीन] आवेदन

[276][परन्तु यह कि वादों के हस्तान्तरण के लिये आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हो, की प्रति के साथ होगा। [277][ऐसा आवेदन आपत्ति किये गये आदेश (Assailed Order) की प्रमाणिक प्रति के साथ होगा, जिसमें सभी अन्य दस्तावेज होंगे, यदि कोई हो, जिसके आधार पर एक विशिष्ट आदेश को चुनौती दी गई है।]

(3) वे मामले भी जिनमें न्यायालय [278] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन] कार्यवाही करता है या [279] [दण्ड प्रक्रिया संहिता,

---

270 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

271 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

272 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

273 जोड़ा गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा

274 जोड़ा गया अधि0 सं0 40/VIII-C-90, दिनांक 19.02.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.12.1967

275 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

276 जोड़ा गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977 (w.e.f. 28.01.1978) द्वारा

277 जोड़ा गया अधि0 सं0 140/VIII-C-2, दिनांक 16.05.2006 (संशोधन पर्ची सं0 236) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.05.2006

278 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

1973 की धारा 318 के अधीन] निर्देशों और आवेदनों को छोड़कर, न्यायालय की अवमानना के लिये नोटिस जारी करता है, आपराधिक प्रकीर्ण वादों के रुप में रजिस्ट्रीकृत एवम् संख्याकित किया जायेगें।

[280] [(4) उपरोक्त कथित आवेदन में प्रार्थना का कथन होगा, जो माँगे गये उपचार की बिल्कुल ठीक प्रकृति को स्पष्ट रुप से बतायेगी और शपथपत्र द्वारा समर्थित होगी, जो महत्वपूर्ण तथ्यों और आधारों जिनपर आवेदन निर्भर करता है, का पैराग्राफों के रुप में कथन करेगी।]

9.<u>नोटिस का जारी किया जाना --</u>

यदि अपील संक्षिप्ततः खारिज नहीं होती, तो इसकी सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित की जायेगी और निर्धारित प्रारुप में नोटिसें जारी की जायेंगी।

यदि पुनरीक्षण के लिये आवेदन या अन्य आवेदन अस्वीकृत नहीं होता है और नोटिस जारी करने के लिये आदेश निर्देशित किया जाता है, इसकी सुनवाई के लिये एक तिथि निर्धारित की जायेगी। और निर्धारित प्रारुप में नोटिसें जारी की जायेंगी।

अपील या पुनरीक्षण में नोटिसों को जारी करने के पश्चात, अभिलेखों के लिये भेजा जायेगा जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो।

[281] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 के अधीन] अपील की दशा में, वाद के अभिलेख, जिससे कि अपील के अधीन कार्यवाहियाँ उदभूत हुई, के लिये भेजा जायेगा जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो।

[282][**10. <u>निर्धन आरोपी को मुफ्त विधिक सहायता --</u>**

(1) न्यायालय द्वारा प्रति तीसरे वर्ष वकीलों का एक पैनल तैयार किया जायेगा, ऐसे आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 के अर्थों के अधीन, अपने बचाव के लिये किसी अधिवक्ता को, निर्धनता या संपर्क वर्जित परिस्थिति के कारण, नियुक्त करने में असमर्थ हैं ।

---

279 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

280 जोड़ा गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977 (w.e.f. 28.01.1978) द्वारा प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 28.01.1978

281 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

282 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

(2) पैनल में ऐसी संख्या में, वे अधिवक्ता होंगे जिनके पास 3वर्षों तक की वकालत का अनुभव हो, जिन्हें कि समय-समय पर न्यायालय निर्धारित करे।

(3) उन दशाओं में जहाँ वाद की परिस्थितियाँ, दण्ड की गम्भीरता और न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति में, ऐसा अपेक्षित हो, यदि आरोपी अपने आशय को अपील में उच्च न्यायालय को सूचित करता है और उस उद्देश्य के लिये अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिये अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, न्यायालय उसे उपनियम (1) के अधीन रखे गये वकीलों के पैनल से अधिवक्ता नामित करने का अवसर देगा और जहाँ तक संभव हो, अधिवक्ता जिसे कैदी द्वारा ऐसे नामित किया गया है, को उस आरोपी व्यक्ति के वाद को सौंपेगा।

(4) न्यायालय के पैनल पर सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं की फीस का स्तर, राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की अनुशंसा पर तय किया जायेगा, जो कि विभिन्न प्रकार के वादों के लिये फीस की अनुशंसा करते समय, अपराध की प्रकृति, दण्ड की गंभीरता और अन्य संबंद्ध बातों को ध्यान में रखेगा।

(5) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन आरोपी व्यक्ति निर्धन है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट से पड़ताल कराने का आदेश देगा कि क्या वह, उसके खर्च पर इस न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये, पर्याप्त कोष रखता है।

(6) किसी विशेष मामले के लिये अधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति मुख्य न्यायधीश में निहित होगी।

(7) इस नियम के अधीन, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त अधिवक्ता को आवश्यक कागजात और वाद को तैयार करने के लिये पर्याप्त समय की अनुमति दी जायेगी।

(8) जहाँ एक से अधिक ऐसे आरोपी, राज्य के खर्च पर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होने के लिये अधिकृत हैं, वहाँ मुख्य न्यायाधीश कई अधिवक्ताओं को उन्हें प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त कर सकेगा, यदि उनके बचावों में असंगतता है।.]

11.<u>अभिरक्षा में आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति --</u>

जहाँ आरोपी अभिरक्षा में है उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी जब तक कि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेशित न हो। आरोपी की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये प्रार्थना सामान्यतौर पर नहीं सुनी जायेगी यदि वह सुनवाई की तिथि से पर्याप्त समय पहले नहीं की गई है, जिससे कि जेल के भार साधक अधिकारी जिसमे आरोपी परिरोधित है, के साथ उसकी न्यायालय में उपस्थिति की व्यवस्था की जा सके।

12. <u>आरोपी, जो अभाव के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है, की व्यक्तिगत उपस्थिति --</u>

जहाँ दोषमुक्ति से अपील या उस दशा में जहाँ उसे नोटिस दी गई है, कि वह कारण बताये कि क्यों न उसके दण्ड को बढा दिया जाये, आरोपी यद्यपि अभिरक्षा में न हो, न्यायालय के समक्ष अभाव के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है, वह न्यायालय को, उपस्थिति की अनुमति के लिये, उसके अधिवक्ता के प्रमाणपत्र के साथ यह कि उसकी उपस्थिति वाद के उद्देश्यों के लिये आवश्यक है, आवेदन कर सकेगा यदि न्यायालय ऐसे आवेदन को स्वीकार करता है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उसकी गरीबी के विषय में यदि सन्तुष्ट होता है, उसे, इस न्यायालय में आगे बढने मे समर्थ बनाने के लिये पर्याप्त राशि देगा और न्यायालय को तथ्य प्रमाणित करेगा। जब आरोपी उपस्थित होता है, वह स्वयं को रजिस्ट्रार के समक्ष हाजिर करेगा।

13. <u>जेल अपीलें और पुनरीक्षण --</u>

(1) जेल में परिरोधित आरोपित व्यक्ति द्वारा अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन की दशा में, जो जेल के भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत की गई है, नियम 1, 2, 3, 6 और 7 नहीं लागू होंगे। जहाँ अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन ऐसे प्रस्तुत किया गया है, जेल का भारसाधक अधिकारी उस पर अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, का नाम अन्य विवरण, वाद का विवरण जिससे अपील या पुनरीक्षण उत्पन्न होता है और तारीखें, जब कि न्यायनिर्णय की प्रति के लिये आवेदन भेजा गया था, कब प्रति प्राप्त हुई थी और कब अपील या आवेदन आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अभिलिखित करवायेगा और ऐसी याचिका या आवेदन को आवश्यक प्रतियों के साथ इस न्यायालय को जितना यथाशीघ्र संभव हो, अग्रसारित करेगा।

(2) ऐसी अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, ऑफिस इसका परीक्षण करेगा और उस पर एक रिपोर्ट पृष्ठांकित करेगा जिसमें जितना निकटतम हो सके नियम 7 के अधीन अपेक्षित विवरण होंगे और रजिस्ट्रार उसके बाद इसे न्यायाधीश को आदेशों के लिये पेश करेगा। यदि वाद ऐसा है जिसको एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा नहीं निपटाया जा सकता, न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों को सहमति के लिये अन्य न्यायाधीश के समक्ष उन्हें जारी करने के पूर्व रखा जायेगा। यदि न्यायाधीश अपील या पुनरीक्षण को संक्षिप्ततः खारिज नहीं करता और नोटिस जारी किये जाने के लिये आदेश देता है, न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपीलों और पुनरीक्षण के लिये निर्धारित प्रक्रिया, जितना निकट से निकट हो सके, अनुसरित की जायेगी।

14. <u>पूर्व से दाखिल की गई अपील से जेल अपील को जोड़ा जायेगा --</u>

जेल अपील, परिसीमा अवधि के समाप्त होने के बाद, उसी विचारण में दोषी ठहराये गये आरोपी व्यक्तियों की जेल अपीलों के साथ, न्यायाधीश को आदेशों के लिये पेश की जायेगी। यदि उस वाद से उद्भूत अपील पहले न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, इस तथ्य को Fly-leaf पर लगाया जायेगा, कागजातों को न्यायाधीश के आदेशों के लिये, पेश किये जाने से पूर्व, और न्यायाधीश, यदि ऐसी अपील पहले ही निर्णीत नहीं की गई है, निर्देशित करेगा यह कि अपील को स्वीकृत किया जाये और ऐसी पूर्ववर्ती अपील से जोड़ा जाये।

15. जब जेल अपील समय से परे प्रस्तुत की जाती है --

जहाँ जेल अपील परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की गई है, जेल का भारसाधक अधिकारी इसके साथ देरी के कारण की रिपोर्ट पेश करेगा। जहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, रिपोर्ट को संबंधित जेल से, देरी के कारण के संबंध में माँगा जायेगा। ऐसी रिपोर्ट को न्यायाधीश, जिसे अपील आदेशों के लिये पेश की गई है, के समक्ष रखा जायेगा।

16. कैदी को संक्षिप्त जेल अपील के खारिज होने की सूचना --

जहाँ [283][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 384 के अधीन] जेल अपील खारिज की जाती है, कैदी को संबंधित सेशन न्यायाधीश के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी।

17. जेल के कैदियों द्वारा पुनरीक्षण और अन्य आवेदन --

नियम 14, 15 और 16, जितना निकटतम हो सके, जेल पुनरीक्षण की दशा में अनुसरित किये जायेंगे। जेल के भारसाधक अधिकारी, जिसके परिरोध में कैदी है, के माध्यम से कैदी द्वारा प्राप्त अन्य आवेदन, न्यायाधीश, जिसे आपराधिक पक्ष पर आवेदनों को प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया गया है, के समक्ष आदेशों के लिये रखा जायेगा।

18. जमानत के लिये आवेदन --

[284] [(1) जमानत के लिये कोई आवेदन तब तक नहीं सुना जायेगा जब तक कि इसके साथ न्यायनिर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है या जिसे पुनरीक्षित करना चाहा गया है, की प्रति और आवेदक के लिये जमानत-आवेदन पर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति, नहीं लगाई गई है और जब तक कि आरोपी ने आत्मसमर्पण न कर दिया हो उस दशा को छोड़कर जब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 (3) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है।

---

283 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

284 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 28.01.1978

<u>व्याख्या--</u> जमानत अस्वीकार करने के सेशन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश की प्रति या तो प्रमाणित प्रति या सेशन न्यायाधीश द्वारा आरोपी को बगैर किसी शुल्क के प्रदान की गई प्रति, होगी।]

(2) जमानत के लिये प्रत्येक आवेदन, उस वाद में जो जाँच के अधीन है या जो निचले न्यायालय में लंबित है, कथन करेगा कि क्या जमानत के लिये पूर्व में मजिस्ट्रेट और संबंधित सेशन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया गया था या नहीं और ऐसे आवेदनों का परिणाम, यदि कोई हो।

(3) अपवादात्मक परिस्थितियों में बचाव:

(क) जमानत प्रदान करने वाला कोई आदेश, आवेदन पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी नोटिस सरकारी अधिवक्ता को नहीं दे दी गई है और ऐसी नोटिस देने और ऐसे आवेदन की सुनवाई के बीच में 10 दिनो से कम का समय न बीत गया हो।

(ख) यदि जमानत के लिये आवेदन, उपरोक्त कथित 10 दिनो की समाप्ति के पश्चात 2दिनों के भीतर नहीं लाया गया है, आवेदक या उसका अधिवक्ता, 2 दिनों की पूर्व सूचना सरकारी वकील को देगा उस सुनिश्चित तिथि की जिस पर ऐसे आवेदन को लाने का आशय प्रस्तावित है,

(ग) जहाँ जमानत के लिये प्रार्थना, अपील की याचिका या पुनरीक्षण के लिये आवेदन में की गई है, उसकी नोटिस सरकारी अधिवक्ता को उसी दिन ऐसी याचिका या आवेदन की सुनवाई से पूर्व दी जा सकेगी और ऐसी पूर्व सूचना दी जा चुकी है, का तथ्य ऐसी याचिका या आवेदन पर पृष्ठांकित किया जायेगा।ऐसी नोटिस के साथ, न्यायनिर्णय, जिससे अपील की गई है या जिसके पुनरीक्षण को चाहा गया है, की एक प्रमाणित प्रति या अधिवक्ता द्वारा सत्य प्रमाणित की गई प्रति, को सरकारी अधिवक्ता को दिया जायेगा।

(4) जमानत के लिये प्रत्येक आवेदन, उसके प्रथम पृष्ठ में, अपराध संख्या, पुलिस स्टेशन जिसके द्वारा और धारा या धारायें और अधिनियम या नियम जिसके अधीन आवेदक को अभियोजित किया जा रहा है या दोषी ठहराया गया है और क्या ऐसा आवेदन प्रथम, द्वितीय या अन्य ऐसा उत्तरवर्ती आवेदन है जो उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है, प्रमुख रुप से दर्शायेगा और प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ होगा। यह निम्न विवरणों का भी कथन करेगा। नामतः --

(क) कथित घटना की तिथि

(ख) आवेदक की गिरफ्तारी की तिथि

[285][बेन्च सेक्रेटरी न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के लिये जमानत आवेदन को सुनते समय इसके प्रत्येक पृष्ठ की जाँच करेगा और रबड़ स्टैम्प लगायेगा जिसमें उसके अद्याक्षर, जमानत के आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ एवम् उसके सभी संलग्नकों पर होंगे, न्यायालय के समक्ष रखने के पूर्व उसने आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ की जाँच की है, के चिन्ह के रुप में और इसके बाद जमानत आवेदन पर वह निम्न पृष्ठांकन करेगा:

“Moved before Hon'ble .... J. on .... (Date)”

इसी प्रकार, कर्मचारियों (Officials) जिनका दायित्व आदेशों के बाद जमानत आवेदन न्यायालय से प्राप्त करना है, आवेदन पर रबड़ स्टैम्प लगायेंगे जिसमें उसके अद्याक्षर जमानत आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर होंगे, इस बात के चिन्ह के रुप में कि उसने जमानत आवेदन के सभी पृष्ठों पर बेन्च सेक्रेटरी का रबर स्टैम्प लगा हुआ है यह जाँच की है।न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा बेन्च सेक्रटरी और कर्मचारियों (Officials) को रबर स्टैम्प, जिसमें बेन्च सेक्रेटरी और कर्मचारी या कर्मचारियों के, जिन्हें प्राधिकृत किया गया है न्यायालय से नवीन जमानत के आवेदनों को प्राप्त करने के लिये, अद्याक्षर होंगे प्रदान किये जायेंगे।

आवेदन को, आवेदक या उसके अधिवक्ता को, उपरोक्त पृष्ठांकन किये जाने के बाद नहीं लौटाया जायेगा।]

[286] [(5) जमानत के लिये आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ और उसके संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक या उसके अधिवक्ता का पूर्ण हस्ताक्षर होगा।

(6) ऐसे प्रत्येक आवेदन में, उसी आवेदक द्वारा उसी अपराध के संबंध में, इस न्यायालय में लाये गये पूर्ववर्ती आवेदन या आवेदनों का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो, और तिथि या तिथियाँ जब कि ऐसे पूर्ववर्ती आवेदन या आवेदनों को अस्वीकृति किया गया था, बताया जायेगा]

19 [287]**[***]**

20. [288]**[***]**

---

285 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383//VIII-C-21 (संशोधन पर्ची सं0 219), दिनांक18.10.1989द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.04.1991

286 संस्थित किया गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 28.01.1978

287 हटाया गया अधि0 सं0 6/VIII-C-167, दिनांक08.07.1976 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 12.02.1977

21. <u>सत्र के कथन इत्यादि पर न्यायाधीश के आदेश से उद्भूत पुनरीक्षण--</u>

जहाँ [289][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397के अधीन] कार्यरत, न्यायाधीश सत्र के कथन के अवलोकन या नियतकालिक रिटर्न (Periodical return) या न्यायनिर्णय या अन्यथा निर्देश देता है यह कि अभिलेख को भेजा जाये या यह कि आरोपी को कारण दिखाने के लिये नोटिस भेजी जाये कि क्यो न उसके दण्ड में अभिवृद्धि की जाये, आदेशों की प्रति, सभी सुसंगत उद्‌वरणों और संदर्भों के साथ, यदि कोई हो, Criminal Department को भेजी जायेगी और मामले को, पुनरीक्षण की तरह पंजीकृत किया जायेगा और तदनुसार कार्यवाही को आगे बढाया जायेगा।

22. <u>नोटिस</u>-

विभिन्न वर्गों के वादों में नोटिस, जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, निम्न तरीके से जारी की जायेगी, नामतः--

(1) अपील- जहाँ अपील को संक्षिप्ततः खारिज नहीं किया गया है, समय और स्थान जिस पर ऐसी अपील सुनी जायेगी, की नोटिस दी जायेगी --

(i) अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता या जहाँ राज्य अन्य अपीलार्थी है वहाँ सरकारी अधिवक्ता को; और

(ii) जहाँ राज्य अपीलार्थी नहीं है, सरकारी अधिवक्ता को और जहाँ राज्य अपीलार्थी है वहाँ प्रतिवादी को, उस न्यायालय को भी जिससे अपील की गई है।

(2) पुनरीक्षण- जहाँ नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित किया जा चुका है, नोटिस आवेदक, यदि कोई हो, या उसके अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता और ऐसे विपक्षी पक्षकारों जिन्हें आवेदन में एकत्रित-कर-व्यवस्थित (Arrayed) किया गया है, को भी दी जायेगी।

जहाँ राज्य आवेदक है, नोटिस सरकारी अधिवक्ता को भी दी जायेगी और ऐसे विपक्षी पक्षकारों जन्हें आवेदन में एकत्रित कर व्यवस्थित किया गया है, को भी दी जायेगी।

[290][जहाँ न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के अधीन कार्य करते हुये, नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित करता है, नोटिस सरकारी अधिवक्ता और आरोपी या

---

288 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्‌वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

289 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्‌वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

290 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

उस दशा में जिसमें कोई दोषसिद्धि या दोषमुक्ति नहीं हुई है, मामले में पारित आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षकारों, को दी जायेगी।]

(3) निर्देश - जहाँ [291][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 395 के अधीन] निर्देश पर, नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित किया जा चुका है, नोटिस खण्ड (2) के द्वितीय पैराग्राफ के अनुसार दी जायेगी।

[292][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अधीन निर्देश में, नोटिस सरकारी अधिवक्ता और आरोपी को दी जायेगी।]

[293][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 318 के अधीन निर्देश में, नोटिस सरकारी अधिवक्ता और यदि संभव हो, तो आरोपी या उसके संरक्षक या अधिवक्ता को दी जायेगी।]

(4) प्रकीर्ण आवेदन - प्रकीर्ण आवेदन में, नोटिस, आवेदक, सरकारी अधिवक्ता और विपक्षी पक्षकारों को दी जायेगी और जहाँ आवेदन राज्य की तरफ से है वहाँ सरकारी अधिवक्ता और विपक्षी पक्षकारों को दी जायेगी।

[294][परन्तु यह कि [295][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 की उपधारा (4) के अधीन] आवेदन की कोई नोटिस आरोपित विपक्षी पक्षकार को जारी करना आवश्यक नहीं होगा।]

23. जेल में परिरोधित कैदी को, दण्ड की अभिवृद्धि के विरुद्ध कारण दिखाने के लिये नोटिस --

जहाँ जेल के भारसाधक अधिकारी को, जेल में परिरोधित कैदी पर तामीली के लिये नोटिस भेजी गई है, उसे कारण दिखाने के लिये बुलाने के लिये यह कि क्यों न उसके दण्ड की अभिवृद्धि कर दी जाये, ऐसे अधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि नोटिस की तामीली करे और पृष्ठांकन के साथ इसे लौटाये जो दर्शाये कि इसकी कैदी पर तामीली की जा चुकी है और यह कि उसे सूचित किया जा चुका है कि वह या तो व्यक्तिगत रुप से या अधिवक्ता के द्वारा उच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और यह कि यदि वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का इच्छुक है, आवश्यक प्रबन्ध उसके द्वारा उसकी उपस्थिति उस न्यायालय में करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किये जायेंगे।यह उससे आगे अपेक्षा करेगी कि वह

---

291 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

292 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

293 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

294 जोड़ा गया अधि0 सं0 40/VIII-C-90, दिनांक19.02.1965द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 16.12.1967

295 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

दर्शाये कि क्या कैदी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होना और उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध कारण दिखाना, चाहता है या व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने या ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध कारण दिखाने से इन्कार करता है।

24. <u>अध्यायXIV के नियम2 और3, पेपरबुक को तैयार किये जाने में लागू होंगे --</u>

जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हो, अध्याय XIV के नियम2और 3 आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, इस अध्याय के अधीन आपराधिक मामले में पेपरबुक को लागू होंगे।

25. <u>आपराधिक अपील में पेपरबुक --</u>

आपराधिक अपील (जेल अपील जो कि एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुनी जा सकेगी, को छोड़कर) या [296][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 (1) के अधीन अपील या [297][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अधीन निर्देश] या मामला जिसमें अभियुक्त को बुलाया जा चुका है कारण दिखाने के लिये कि क्यों न उसके दण्ड में अभिवद्धि कर दी जाये, की पेपरबुक में प्रतियाँ शामिल की जायेंगी; जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, उन निम्न कागजातों की जिनमें से ऐसे जो अभिलेख पर हो सकते है; नामतः --

(क) <u>जाँच से संबंधित कागजात --</u>

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट;

(ii) अपराध अभिस्वीकृति या दण्ड प्रक्रिया संहिता, [298] [1973] की धारा 164के अधीन अभिलिखित कथन;

(iii) मृत्युकालिक कथन;

(iv) चोट संबंधी रिपोर्ट (Injury Report) ;

(v) पोस्टमार्टम रिपोर्ट;

(vi) केमिकल एक्जॉमिनर की रिपोर्ट (Report of Chemical Examiner) ;

(vii) भारत के सिरोलॉजिस्ट (Serologist) की रिपोर्ट;

(viii) पहचान संबंधी कार्यवाहियों के अभिलेख; और

(ix) बरामदगी रिपोर्ट (Recovery Report)

---

296 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

297 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

298 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

(ख) <u>मैजिस्टेरीयल-इन्क्वायरी (Magisterial Enquiry) से संबंधित कागजात --</u>

(i) मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित गवाहों के कथन, जिन्हें सेशन न्यायालय में अभिलेख पर लाया जा चुका है।

(ii) आरोपी का परीक्षण और उसका लिखित कथन, यदि कोई हो; और

(iii) आरोपी के विरुद्ध आरोप की विरचना / का गठन

(ग) सेशन न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित कागजात --

(i) संशोधित आरोप;

(ii) आरोपी की सफाई;

(iii) गवाहों के कथन;

(iv) आरोपी का परीक्षण और उसका लिखित कथन; यदि कोई हो;

(v) महत्वपूर्ण प्रदर्श; उन्हें छोड़कर जो शीर्षक (क) और (ख) के अधीन शामिल हैं; [299][और]

(vi) [300][***]

(vii) न्यायनिर्णय

(घ) <u>उच्च न्यायालय के कागजात</u> - अपील की याचिका

26. [301]<u>[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 (1) के अधीन] अपील की पेपरबुक --</u>

[302][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 (1) के अधीन] अपील की पेपरबुक में प्रतियाँ शामिल होंगी, जब तक कि अन्यथा आदेशित न किया जाये, उन कागजातों की जिनमें से ऐसे जो अभिलेख पर हो सकते है; नामतः --

(i) अपील की याचिका,

(ii) अपील के अधीन न्यायनिर्णय या आदेश,

(iii) [303][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन] किया गया आवेदन, संलग्नकों के साथ, यदि कोई हों,

---

299 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.04.1981

300 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

301 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

302 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

303 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

(iv) ऐसे आवेदन का उत्तर,

(v) आरोप के संबंध में पक्षकारों द्वारा दाखिल शपथपत्र,

(vi) प्रारम्भिक पूछताछ में अभिलिखित साक्ष्य; और

(vii) अपील के अधीन न्यायनिर्णय या आदेश के परिणाम स्वरुप किया गया परिवाद,

27. <u>आपराधिक पुनरीक्षण या जेल अपील में पेपरबुक --</u>

नियम 25 के प्रभावाधीन, आपराधिक पुनरीक्षण, जेल अपील या अन्य कोई मामला जिसके लिये उपबन्ध नहीं किया गया है, जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, में उच्च न्यायालय के कागजात और न्यायालय या निचले न्यायालय के अभिलेख पर ऐसे कागजात जो आवश्यक हों, होंगे।

परन्तु यह कि टंकित लिखित पेपरबुक, मुख्य न्यायाधीश के किन्ही आदेशों के प्रभावाधीन, वाद में तैयार की जायेगी, जो डिवीजन बेन्च द्वारा सुनी जा सकेगी।

जहाँ उच्च न्यायालय के कागजातों में शामिल न्यायनिर्णय की प्रति इंग्लिश में नहीं है या राज्य की भाषा में है, ऐसे न्यायनिर्णय का भी इंग्लिश अनुवाद भी पेपरबुक में जोड़ा जायेगा।

28. [304][***]

29.<u>न्यायालय की अवमानना के वाद में पेपरबुक --</u>

न्यायालय की अवमानना के वाद में, निम्न कागजातों की पेपरबुक में प्रतियाँ जितना निकटतम हो सके, शामिल की जायेंगी, नामतः --

(i) आवेदन या रिपोर्ट या आदेश, सुसंगत संलग्नकों के साथ, यदि कोई हों, जिस पर नोटिस जारी की गई थी; और

(ii) निम्न कागजातों की प्रतियाँ, पेपरबुक में समय-समय पर अवसर उत्पन्न होने पर जोड़ी जायेंगी; नामतः --

(i) वाद में दाखिल शपथपत्र

(ii) न्यायालय द्वारा पारित आदेश

30. [305]<u>[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 318 के अधीन] निर्देश में पेपरबुक --</u>

[306][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 318 के अधीन] निर्देश में पेपरबुक जितना निकटतम हो सके, आपराधिक अपील की तरह होगी।

---

304 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

305 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

31. पेपरबुक का तैयार किया जाना --

उन सभी दशाओं में जिनमें मृत्युदण्ड दिया गया है या आरोपी को नोटिस दी गई है कि वह कारण दिखाये कि क्यों न उसके दण्ड में अभिवृद्धि की जाये और अपराध ऐसा एक है कि जिसमें मृत्युदण्ड दिया जा सके या [307][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) या धारा 378 की उपधारा (1) या (2) के अधीन] अपीलों में प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार की जायेगी। [308][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 78 की उपधारा (4) के अधीन अपीलों] और नियमों 25, 26, 29 और 30 में समाविष्ट होनेवाले वादों में टाईपलिखित पेपरबुक तैयार की जायेगी।

[309][जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अधीन] सेशन न्यायालय द्वारा, उसके द्वारा दिये गये मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिये निर्देश किया गया है और उसी वाद में दोषसिद्ध ठहराये गये व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, एकल प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार की जायेगी।

परन्तु यह कि उस वाद में, जो एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जा सके यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा आदेशित किया जाता है, कोई टाइपलिखित पेपरबुक तैयार नहीं की जायेगी।

32. कागजातों का भागों में प्रबन्ध किया जाना --

नियम 29 के अधीण आने वाले वादों को छोड़कर, टाइपलिखित या प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार किये जाने से पूर्व ऑफिस नीचे दिखाये गये कागजातों को वाद के अभिलेखों से हटायेगा और उन्हें जितना निकट हो सके 3 भागों में विभाजित करेगा --

भाग 1 में उच्च न्यायालयी कागजात होंगे

भाग II में नियम 25 के शीर्षक (क), (ख) और (ग) या नियम 26 के अधीन वर्णित कागजात होंगे

भाग III में निम्न कागजात होंगे; नामतः --

(i) पुलिस आरोपपत्र (Police Charge-Sheet)

(ii) सुपुर्दगी आदेश (Commitment Order)

---

306 उसी स्थान पर

307 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

308 उसी स्थान पर

309 उसी स्थान पर

(iii) कैलेन्डर

(iv) आँकलन करने वालों के मत; और

(v) प्रदर्श, उन्हें छोड़कर जो भाग II में शामिल किये गये हैं; उनकी प्रदर्श संख्या के क्रम में

33. <u>पेपरबुक की प्रिन्टेड प्रतियों की संख्या --</u>

जहाँ इन नियमों के अधीन प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार की गई है; उनकी [310][22] प्रतियाँ तैयार की जायेंगी, जिसमें 10 न्यायालय के उपयोग के लिये आरक्षित रहेंगी।

रजिस्ट्रार, जहाँ आवश्यक हो, अधिक संख्या में प्रतियों को प्रिन्ट करने का निर्देश दे सकेगा।

34. <u>टंकित लिखित पेपरबुक की प्रतियों की संख्या --</u>

(1) जहाँ टाइप लिखित पेपरबुक माँगी गई है, उसकी दो प्रतियाँ, वाद में तैयार की जायेंगी, जो एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुनी जा सकेंगी और तीन अन्य मामलों में, दोनो परिस्थितियों में एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को उसके इस्तेमाल के लिये दी जायेगी।

(2) पक्षकारों के लिये अधिवक्ता, न्यायालय की अवमानना की दशा को छोड़कर, ऐसी पेपरबुकों (Paper-books) की उतनी प्रतियों को तैयार करने के लिये जितनी की उनके उपयोग के लिये माँगी जायें, ऐसी दरों से जिसे मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर निर्धारित कर सकेगा, के भुगतान पर आवेदन कर सकेगा। ऐसी प्रतियाँ प्रदान की जा सकेंगी यदि रजिस्ट्रार सुविधा के साथ उन्हें रखने की व्यवस्था कर सकता है, जो कि उसके ऑफिस में तैयार की गई हैं। ऐसी प्रतियो के लिये कोई आवेदन विचारित नहीं किया जायेगा यदि यह अपील के स्वीकृत होने की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद [311][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 318 के अधीन निर्देश की दशा में], तारीख जिस पर कि ऐसा निर्देश न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया है, से 30 दिनों की समाप्ति के बाद या उस दशा में जिसमें आरोपी व्यक्ति को नोटिस दी जा चुकी है यह कि वह कारण दिखाये कि उसके दण्ड में अभिवृद्धि क्यों नहीं की जानी चाहिये, तारीख जिस पर ऐसी नोटिस की तामीली की गई है से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, किया गया है।

---

310 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 225/X-d-1, दिनांक13.05.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक05.12.1964

311 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

[312] [परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से ऐसी पेपरबुक की प्रति या प्रतियों के लिये आवेदन, जैसे कि इन नियमों द्वारा आज्ञापित है, के 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किया गया है को फिर भी अनुमति दे सकता है, यदि वह सन्तुष्ट होता है कि पेपरबुक के अभिलेख या लिखित प्रति को टंकित होने या प्रिन्ट होने के लिये नहीं भेजा गया है।]

[313] [(3) पेपरबुक की प्रति / प्रतियों की तैयारी के लिये उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने से पहले, [314][प्रत्येक ऐसी प्रति के लिये 50 /- रुपये की राशि] Cashier को जमा की जायेगी, जो आवेदन पर एक प्रविष्टि डालेगा जो दर्शायेगी कि ऐसी पेशगी (Deposit) कर दी गई है। यदि ऐसी जमा राशि, पेपरबुक के वास्तविक मूल्य से कम पाई जाती है, संबंधित अधिवक्ता पेपरबुक लेते समय बाकि राशि का भुगतान करेगा और यदि यह राशि, पेपरबुक के वास्तविक मूल्य से ज्यादा है बगैर स्टैम्प किया आवेदन, ऐसे खर्च की राशि के सुनिश्चित किये जा चुकने के बाद ऐसी अधिकता को लौटाने के लिये डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकेगा। पेपरबुक को नहीं लिये जाने की हालत में जमा की गई राशि सरकार से वाद के निर्णीत किये जाने के बाद जब्त की जायेगी।]

35. <u>महत्वपूर्ण प्रदर्श --</u>

जब सेशन वाद का अभिलेख, अपील [315] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अधीन निर्देश] में प्राप्त किया जाता है और वाद में महत्वपूर्ण प्रदर्श हैं, ऑफिस देखेगा कि क्या न्यायाधीश ने ऐसे प्रदर्शों के संबंध में सामान्य नियम, (दांडिक), 1957 के अध्याय XIII में दिये गये नियमों द्वारा अपेक्षित ढंग से आदेश अभिलिखित किया है और क्या ऐसे आदेश द्वारा अपेक्षित प्रदर्श उच्च न्यायालय को पेश किये जाने के लिये प्राप्त किये जा चुके हैं। कोई भी त्रुटि तुरन्त सेशन न्यायाधीश के संज्ञान में लाई जायेगी। जहाँ वाद में महत्वपूर्ण प्रदर्श हैं और कोई आदेश जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है, न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया है, उसका ध्यान फौरन ऐसे लोप की ओर आकृष्ट किया जायेगा और वह अपेक्षा करेगा कि बताया जाये क्या महत्वपूर्ण प्रदर्श हैं जो उच्च न्यायालय को पेश करने योग्य हैं

---

312 जोड़ा गया अधि0 सं0 27/VIII-C-88, दिनांक21.11.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 28.01.1978

313 जोड़ा गया अधि0 सं0 20/VIII-C-88, दिनांक26.01.1960द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 13.02.1960

314 संस्थित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

315 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

और उस दशा में जब वे न्यायालय को पहले ही अग्रसारित नहीं किये गये है, उन्हें बगैर देरी के जमा किया जायेगा।

36. <u>महत्वपूर्ण प्रदर्शों की अभिरक्षा --</u>

वाद में प्राप्त किये गये सभी महत्वपूर्ण प्रदर्श संबंधित क्लर्क की जिम्मेदारी में रखे एवम् परीक्षित किये जायेंगे। वह उन्हें यथोचित रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, जो वाद की संख्या जिसमें तथा जिला जिससे ऐसा प्रदर्श प्राप्त किया गया है, को दर्शायेगा। वह देखेगा, कि ऐसे सभी प्रदर्श, वाद के अभिलेख पर सूची, यदि कोई हो, के अनुसार हैं। जहाँ ऐसी कोई सूची नहीं है, वह स्वयं एक अनुलिपि में तैयार करेगा और इसे [316] [सेक्शन ऑफिसर] से जचँवायेगा एवम् हस्ताक्षरित करवायेगा। ऐसी सूची की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भेजी जायेगी जहाँ से प्रदर्श प्राप्त किये गये हैं, मूल को वाद के अभिलेख में रखा जायेगा। प्रदर्शों की संख्या या दशा में कोई असंगतता फौरन रजिस्ट्रार के संज्ञान में लाई जायेगी। सभी मूल्यवान प्रदर्शों जिनमें आभूषण, नगद राशि या करेंसी नोट आते हैं, को लोहे की सेफ में रखा जायेगा, जिसकी चाबी रजिस्ट्रार या ऐसे ऑफिसर जिसे वह नामित करे, के पास रहेगी। सभी प्रदर्श बन्द कमरे में रखे जायेंगे ।

37. <u>डाक द्वारा आवेदन या याचिका --</u>

जेल का भारसाधक अधिकारी, जेल में परिरोधित कैदी द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये किसी आवेदन या य़ाचिका को उच्च न्यायालय को डाक द्वारा अग्रसारित कर सकता है। डाक द्वारा प्राप्त कोई अन्य आवेदन या याचिका, या तो व्यक्तिगत रुप से या अधिवक्ता द्वारा या जहाँ कैदी जेल में परिरोधित है, संबंधित जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के लिये वापस की जायेगी।

38.<u>दया के लिये अनुशंसा --</u>

उस दशा में, जिसमें न्यायालय राज्य सरकार से दया के लिये विशेषाधिकार को प्रयोग करने के लिये अनुशंसा करता है, न्यायालय के न्यायनिर्णय की प्रति, निचले न्यायालय के न्यायनिर्णय की प्रति के साथ राज्य सरकार को, अनुशंसा करने वाले पत्र के साथ अग्रसारित की जायेगी। जहाँ प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार की गई है, ऐसी पेपरबुक की प्रति भी पत्र के साथ अग्रसारित की जायेगी।

39.<u>नोटिस इत्यादि का हस्ताक्षरित होना --</u>

---

316 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा जारी की गई सभी नोटिसों, समनों और वारण्टों को रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार [317][***] द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

40.[318] **[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXVI के अधीन] परिवादों को रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा --**

जहाँ [319] [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXVI के अधीन] आदेश पारित किया गया है यह कि परिवाद बनाया जाये, ऐसा परिवाद तैयार किया जायेगा और इसका अनुमोदन आदेश देने वाले न्यायाधीशों द्वारा किये जाने के बाद, इसे रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

41. तैयार वादों की सूची --

सुनवाई के लिये तैयार वादों की सूची, समय-समय पर तैयार की जायेगी और नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी।

42. सरकारी अधिवक्ता द्वारा निवेदन पर स्थगन --

विशेष परिस्थितियों में, यदि सरकारी अधिवक्ता नहीं तैयार है या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश चाहता है या सुनवाई के समय किसी ऑफिसर की उपस्थिति, उसे निर्देशित करने के लिये, की अपेक्षा करता है। वह रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा कि वाद को निश्चित समय के लिये सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता या यह कि सुनवाई के लिये विशिष्ट तिथि तय की जाये। रजिस्ट्रार उसके बाद दूसरे पक्षकार के अधिवक्ता से परामर्श करने के बाद तिथि निर्धारित कर सकता है।

43.निर्णय के बाद आदेश का जारी किया जाना --

(1) जहाँ न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि की गई है या दिया गया है, संबंधित न्यायालय को तत्काल निर्धारित प्रारुप में एक आदेश जारी किया जायेगा।

उस दशा मेम जिसमें दण्ड को अपास्त किया गया है या दोषसिद्धि को उलट दिया जाता है या दण्ड को घटा दिया जाता है या दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है या आरोपी जो कि जमानत पर है, को उसकी जमानत समर्पित करने का आदेश, वाद के निर्णय पर

---

317 हटाया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

318 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

319 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

दिया जाता है। आदेशपत्र में सुसंगत प्रविष्टि की प्रति संबंधित न्यायालय को तुरन्त निर्धारित प्रारुप में एक पत्र [320][और रजिस्टर में प्रारुप संख्या (59-A) में बनी प्रविष्टि] के साथ, जारी की जायेगी।

[321] [परन्तु यह कि किसी भी दशामें जिसमें आरोपी जेल में है और उसकी दोषसिद्धि को उलट दिया गया है और/ या दण्ड या कारावास को अपास्त किया गया है या उस अवधि के लिये घटा दिया गया है जो पहले ही बीत गई है या केवल जुर्माने में परिवर्तित कर दिया गया है, आदेशपत्र में सुसंगत प्रविष्टि की प्रति, प्रारुप संख्या (59- B) में निर्धारित मुक्ति के आदेश के साथ, डिप्यूटी रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के अधीन, सुपीरिन्टेन्डेन्ट (Superintendent) या जेल के भार साधक अधिकारी जिसमें कि आरोपी परिरोधित है, को उसे आरोपी को मुक्त करने का निर्देश देते हुये, यदि अन्य किसी दशा में आवश्यक नहीं है, भेजी जायेगी, और ऐसी मुक्ति का तथ्य विचारण न्यायालय को यथाशीघ्र संसूचित किया जायेगा।]

[322] [परन्तु आगे यह कि यदि जिले के बाहर स्थित जेल को मुक्ति आदेश जारी किया गया है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार इसके भेजे जाने की सूचना रेडियोग्राम से संबंधित सुपीरिन्टेन्डेन्ट (Superintendent) या जेल के भार साधक अधिकारी को साथ-साथ देगा।]

ऐसे प्रत्येक वाद में विधिवत तरीके से न्यायनिर्णय की प्रमाणित प्रति, संबंधित न्यायालय को जारी की जायेगी।

(2) अन्य मामलों मे उपयुक्त प्रारुप में आदेश, जैसे ही न्यायालय का न्यायनिर्णय या आदेश ऑफिस में प्राप्त किया गया है और ऐसे न्यायनिर्णय य़ा आदेश की प्रति के, साथ संबंधित न्यायालय को जारी किया जायेगा।

44. न्यायनिर्णय की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी --

जब न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद में, मजिस्ट्रेट की कार्यवाहियाँ विचारण के अधीन थी और न्यायनिर्णय की अतिरिक्त प्रति सेशन न्यायाधीश को, [323][मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य

---

320 जोड़ा गया अधि0 सं0 164/VIII-A-30, दिनांक17.04.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 02.10.1965

321 जोड़ा गया अधि0 सं0 1/VIII-C-160, दिनांक28.01.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 11.03.1978

322 जोड़ा गया अधि0 सं0 662/VIII-C-160, दिनांक21.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 07.02.1981s

323 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 11/VIII-A-30, दिनांक12.05.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक10.06.1978

महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो] के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रसारित करने के लिये भेजी जायेंगीं।

[324] [**(44-क) -** आपराधिक अपीलों / सरकारी अपीलों / पुनरीक्षणों, (जहाँ दोषसिद्धि को बनाये रखा गया है, दण्ड को दिया गया है या संशोधित किया गया है।), के निर्णय में दिये निर्देशों के अनुपालन में, निम्न प्रारुप में एक रजिस्टर का ऑफिस द्वारा रखरखाव किया जायेगा। प्रारम्भ में, रजिस्टर में प्रविष्टियाँ 01.01.2001 से आगे की तिथि की आपराधिक अपीलों एवम् सरकारी अपीलों के संबंध में बनायी जायेंगी। आपराधिक पुनरीक्षणों के संबंध में रजिस्टर दिनांक 01.01.2006 की तिथि से प्रभावी होते हुये खुलेगा। विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे कि आपराधिक अपीलों, सरकारी अपीलों तथा पुनरीक्षणों के लिये अलग-अलग रजिस्टरों का रखरखाव किया जायेगा। ऐसे रजिस्टरों को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के समक्ष, कैलेन्डर वर्ष की प्रत्येक तिमाहीं के प्रथम सप्ताह में रखा जायेगा।

नमूना प्रारुप

<u>आपराधिक अपीलों / सरकारी अपीलों / पुनरीक्षणों के संबंध में अनुपालन रजिस्टर --</u>
14.

आपराधिक अपीलों / सरकारी अपीलों / आपराधिक पुनरीक्षणों की संख्या	जिला पुलिस स्टेशन	सत्र विचारण संख्या निचले अपीलीय न्यायालय की वाद संख्या	उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों की सूची	उच्च न्यायालय के आदेश की निचले न्यायालय को संसूचना की तिथि	अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि	अनुपालन न होने की स्थिति मे रिमाइन्डरों (Reminders) के जारी करने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

324 जोड़ा गया अधि0 सं0 140/VIII-C-2, दिनांक16.05.2006 (संशोधन पर्ची सं0 236) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक 27.05.2006

45. <u>मृत्युदण्ड की दशा में पेपरबुकों की प्रति सरकार को अग्रसारित की जायेगी --</u>

उस दशा में जिसमें न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड, की पुष्टि की गई है या दिया गया है या जहाँ दण्ड की मृत्युदण्ड में अभिवृद्धि की गई है, प्रिन्टेड पेपरबुक की दो प्रतियाँ, न्यायालय के न्यायनिर्णय की दो प्रतियों के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी। जहाँ कोई प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार नहीं की गई है, मूल पेपरबुक जिसमें निचले न्यायालय की कार्यवाहियाँ हैं, न्यायालय के न्यायनिर्णय की दो प्रतियों के साथ राज्य सरकार को, इस निवेदन के साथ कि मूल पेपरबुक, जब इसकी आवश्यकता न हो वापस कर दी जायें, भेजी जायेंगीं।

[325][अध्याय XIX]

अध्याय XX: <u>सेशन न्यायाधीशों के न्यायनिर्णयों का परीक्षण</u>

1. **<u>सेशन न्यायाधीशों के न्यायनिर्णय का न्यायाधीशों को पेश किया जाना --</u>**

(1) सेशन न्यायाधीशों से सेशन विचारणों के न्यायनिर्णयों की मासिक प्राप्त प्रतियाँ सुपीरिन्टेन्डेन्ट, क्रिमिनल डिपार्टमेन्ट के पास दो माह तक उस माह की अंतिम तिथि से जिसमें ऐसे न्यायनिर्णय प्राप्त हुये थे, रहेंगे और उसके बाद बगैर देरी किये न्यायाधीशों को अवलोकन एवम् आदेशों के लिये, ऐसे समूह में, जो प्रशासनिक विभाग (Administrative Department) के न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित हो, पेश किये जायेंगे समान समूहों को एक और उसी न्यायाधीश को दो क्रमिक महीनों के लिये पेश किया जायेगा। ऐसे न्यायनिर्णयों को न्यायाधीशों को पेश करने से पूर्व, वे ठीक ढंग से यथोचित रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे और सुसंगत रजिस्टरों के परीक्षण के बाद कि क्या कोई अपील या आवेदन पुनरीक्षण के लिये ऐसे निर्णय से न्यायालय में प्राप्त या दाखिल किया गया है, प्रत्येक न्यायनिर्णय पर टिप्पणी बनाई जायेगी। जहाँ कोई अपील उच्च न्यायालय में अस्तित्व में नहीं आई है वहाँ इस प्रभाव की टिप्पणी न्यायनिर्णय पर बनाई जायेगी। न्यायनिर्णयों को न्यायाधीशों को अलग वर्गों में उचित शीर्षकों के अधीन पेश किया जायेगा।

(2) ऐसे न्यायनिर्णयों को मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनिक विभाग (Administrative Department) में न्यायाधीश को पेश नहीं किया जायेगा।

(3) अवकाश के समय, ऐसे न्यायनिर्णयों को केवल अवकाश के समय बैठने वाले न्यायाधीशों में समान अनुपात में पेश किया जायेगा।

2. **<u>न्यायाधीशों द्वारा आदेश --</u>**

जहाँ न्यायाधीश, न्यायानिर्णय के अवलोकन पर, निर्देशित करता है कि अभिलेख (Record) भेजा जाना चाहिये या नोटिस जारी की जाये, इन नियमों में निर्धारित यथोचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

यदि न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में न्यायनिर्णय की आलोचना की गई है, तो इसे रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक आदेशों के लिये रखा जायेगा।

3. **<u>न्यायनिर्णयों को न्यायाधीशों को पेश करने का रजिस्टर --</u>**

---

325 हटाया गया अधि0 सं0 660/VIII-C-2, दिनांक21.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.02.1981

सुपीरिन्टेन्डेन्ट, क्रिमिनल डिपार्टमेन्ट, प्रत्येक न्यायनिर्णय को संबंधित न्यायाधीश को पेश करने की तिथि की यथोचित रजिस्टर में एक टिप्पणी बनायेगा और ऐसी तिथि से दो माह के भीतर, उस न्यायाधीश से इसे, उस पर उसके आदेश के साथ, यदि कोई हो, वापस प्राप्त करेगा, और ऐसी वापसी की तिथि को भी रजिस्टर में दर्ज करेगा।

भाग -IV: <u>मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन</u>

<u>[अध्याय XXI और XXII]</u>

अध्यायXXI: [326]**<u>[संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन ' बन्दी प्रत्यक्षीकरण' प्रकृति की रिट याचिका]</u>**

[327]**[1. आवेदन-** (1) संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन **' बन्दी प्रत्यक्षीकरण '** प्रकृति की रिट याचिका, प्राईवेट कस्टडी (Private Custody) के विरुद्ध छोड़कर, यदि पत्र या टेलीग्राम द्वारा नहीं की गई है, ऐसे आवेदन को उस डिवीजन बेन्च के समक्ष रखा जायेगा जिसे कि इस प्रकार के आवेदन प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया गया है या किसी अन्य दिन जब बेन्च आसीन नहीं है, तो उस न्यायाधीश जिसे कि सिविल मामलों में आवेदन प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया गया है, के समक्ष रखी जायेगी। पश्चातवर्ती दशा में, न्यायाधीश निर्देश देगा यह कि आवेदन को डिवीजन बेन्च के समक्ष आदेशों के लिये रखा जाये।

(2) आवेदन में संख्याकित पैराग्राफों में संक्षिप्तरुप से वे तथ्य, जिन पर आवेदक निर्भर करता है और वे आधार जिन पर न्यायालय से निवेदन किया गया है कि वह निर्देश, आदेश या रिट जारी करे, बताये जायेंगे और जो इस निवेदन के साथ जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति प्रदान करे, यथार्थ प्रकृति का उपचार जो माँगा गया है को स्पष्ट रुप से बताते हुये समाप्त होगा। आवेदन मे यह भी बताया जायेगा कि क्या कोई पूर्ववर्ती आवेदन, अवरुद्ध व्यक्ति या उसकी तरफ से किया गया है, यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम था।

परन्तु यह कि अनुच्छेद 226 के अधीन **'बन्दी प्रत्यक्षीकरण '** की प्रकृति का आवेदन, प्राईवेट कस्टडी (Private Custody) के खिलाफ एकल न्यायाधीश जिसे की मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार के आवेदन प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया है, के समक्ष रखा जायेगा।

2. <u>पत्र या टेलीग्राम द्वारा आवेदन --</u>

यदि आवेदन, पत्र या टेलीग्राम द्वारा प्राप्त होता है तो उसे यथाशीघ्र संबंधित बेन्च के समक्ष आदेशों के लिये रखा जायेगा।

3.<u> आवेदन एवम् शपथपत्र की अन्तर्वस्तुयें --</u>

---

326 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 659/VIII-C-140, दिनांक15.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक25.09.1976

327 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 96/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 84), दिनांक16.02.1990द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.04.1991

आवेदन के साथ अवरुद्ध व्यक्ति का शपथपत्र होगा जो आवेदन के संख्याकित पैराग्राफों में उल्लिखित किये गये तथ्यों की पुष्टि करेगा। परन्तु यह कि जहाँ शपथपत्र, अवरुद्ध व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहाँ इस प्रकार का शपथपत्र इस कारण को भी बतायेगा कि क्यों अवरुद्ध व्यक्ति स्वयं शपथपत्र पर शपथ लेने में असमर्थ है। इस नियम के अधीन दाखिल किया गया शपथपत्र उन तथ्यों तक ही सीमित होगा जो शपथकर्ता के स्वयं के ज्ञान में हैं।

परन्तु यह कि यह नियम ऐसे आदेशों के प्रभावाधीन जो संबंधित बेन्च द्वारा इस तरफ से किये जायें, पत्र या टेलीग्राम से किये गये आवेदन पर लागू नहीं होगा।]

4. कोर्ट मार्शल (Court Martial) या किसी कमिश्नर द्वारा आवेदन --

जहाँ आवेदन कोर्ट मार्शल या किसी कमिश्नर की तरफ से किया गया है यह रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र के रुप में, जिसमे उन परिस्थितियों का उल्लेख होगा जिनमे आदेश चाहा गया है और इसके साथ शपथपत्र संलग्न होना आवश्यक नहीं है; हो सकेगा। रजिस्ट्रार इस पत्र को यथाशीघ्र डिवीजन बेन्च के समक्ष आदेशों के लिये रखेगा।

5. [[328] कैदी के विचारण के उद्देश्य से, उसकी अभिरक्षा में परिवर्तन के लिये आवेदन की अन्तर्वस्तुयें] --

जहाँ आवेदन कैदी को न्यायालय के अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार में विचारण के उद्देश्य से एक अभिरक्षा से दूसरी अभिरक्षा में हटाये जाने के लिये, आदेश प्राप्त करने के लिये किया गया है। इसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कि किसकी अभिरक्षा में कैदी को रोका गया है और किसकी अभिरक्षा से उसे हटाना प्रस्तावित है और अभिरक्षा परिवर्तित का कारण, बताया जायेगा। किन्हीं आदेशों के पारित होने से पूर्व ऐसे आवेदन की सूचना की तामीली कैदी को भी करायी जायेगी तथा उसे ऐसे आवेदन के विरुद्ध सुनवाई किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

6. वारण्ट --

किसी मामले में जिसमें न्यायालय, अभिरक्षा में रखे गये किसी व्यक्ति को इसके समक्ष या कोर्ट मार्शल या किसी कमिश्नर के समक्ष, लाने या एक अभिरक्षा से दूसरी में हटाये जाने का आदेश देती है, एक वारण्ट तैयार किया जायेगा जो कि रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुहर से मुद्रित होगा।

---

328 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 659/VIII-C-140, दिनांक15.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक25.09.1976

7. <u>वारण्ट की तामीली --</u>

ऐसा वारण्ट, जहाँ व्यक्ति जेल में बन्द है रजिस्ट्रार द्‌वारा उस जेल के ऑफिसर-इन-चार्ज, जहाँ कि वह व्यक्ति परिरुद्ध है, को अग्रेसित किया जायेगा। अन्य किसी मामले में वारण्ट की तामीली उस व्यक्ति पर की जायेगी जिसे कि यह व्यक्तिगत रुप से निर्देशित है या अन्यथा जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे।

8. <u>नोटिस --</u>

यदि न्यायालय आवेदन को स्वीकार करने का पर्याप्त कारण नहीं पाता तो यह उसे अस्वीकार कर सकता है। जहाँ आवेदन इस प्रकार से अस्वीकार नहीं किया गया है वहाँ उसकी तामीली, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश माँगा गया है को उस दिन न्यायालय में उपस्थित होने जिस दिन के लिये कहा जाये और कारण बताने के लिये कि आवेदन क्यों न प्रदान किया जाये, की जायेगी और यदि न्यायालय ऐसा आदेश करता है, नोटिस उसी समय ऐसे व्यक्ति को निर्देशित कर सकती है कि वह, अविधिक या अनुचित तरीके से निरुद्ध कथित व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे तब और वहाँ विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। न्यायालय यह भी आदेश कर सकता है कि आवेदन की नोटिस की तामीली, ऐसे व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्हें वह उचित समझता हो, की जाये। इस नियम के अधीन जारी की गई नोटिस, यदि न्यायालय ऐसा निर्देशित करता है, के साथ आवेदन एवम् शपथपत्र की प्रतियाँ संलग्न होंगी; और प्रतियाँ आवेदक द्‌वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

9. <u>आवेदन पर आदेश --</u>

नोटिस की तामीली के पश्चात, उस दिन जो सुनवाई के लिये तय किया गया है या किसी अन्य उत्तरवर्ती दिन जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गई है, यदि कोई कारण नहीं दर्शाया जाता या दिखाये गये कारण को अस्वीकार किया जाता है, और न्यायालय, उस दशा में जब वह पाता है कि व्यक्ति को अविधिक रुप से या अनुचित तरीके से निरुद्ध किया गया है, आदेश देगा यह कि उस व्यक्ति को स्वतन्त्र कर दिया जाये या उसे, उस व्यक्ति को सौंप दिया जाये जो उस व्यक्ति की अभिरक्षा का अधिकारी है। अन्य मामलों में न्यायालय ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों द्‌वारा अपेक्षित हो। यदि कारण अनुमत किया जाता है तो आवेदन को खारिज किया जायेगा। न्यायालय द्‌वारा छोड़ दिये जाने का आदेश किसी जेलर या अन्य लोकसेवक या अन्य व्यक्ति को, अवरुद्ध व्यक्ति को छोड़ देने के लिये, पर्याप्त वारण्ट कहा जायेगा।

10. <u>प्रक्रिया --</u>

इस अध्याय के अधीन निर्धारण के लिये उठे सभी प्रश्नों को सामान्यतः शपथपत्रों पर निर्णीत किया जायेगा, किन्तु न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे प्रश्नों जो यह आवश्यक समझे, को ऐसे अन्य साक्ष्य और ऐसे तरीके से जो यह उचित समझे, द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उस दशा मे यह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो इसे न्यायसंगत लगें।

11. खर्चे --

इस अध्याय के अधीन आवेदन के निस्तारण में, न्यायालय खर्चों के विषय में ऐसे आदेश देगा जिसे कि वह न्यायसंगत समझे।

12. आदेशों की संसूचना --

न्यायालय द्वारा पारित किये गये किन्हीं आदेशों को अनुपालन के लिये आवश्यक व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित किया जायेगा।

अध्याय XXII: संविधान के अनुच्छेद 226 [329] [और अनुच्छेद 227] के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट को छोड़कर निर्देश, आदेश या रिट

1. **आवेदन --**

संविधान के अनुच्छेद 226 [330] [और अनुच्छेद 227] के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट को छोड़कर निर्देश, आदेश या रिट के लिये आवेदन, आवेदनों को प्राप्त करने के लिये नियुक्त डिवीजन बेन्च को किया जायेगा या किसी दिन जब ऐसी कोई बेन्च आसीन नहीं है, तो दीवानी मामलों में आवेदनों को प्राप्त करने के लिये नियुक्त न्यायाधीश को किया जायेगा। बाद वाली स्थिति में न्यायाधीश निर्देशित करेगा कि आवेदन को डिवीजन बेन्च के समक्ष आदेशों के लिये रखा जाये।

[331] [परन्तु यह कि राजस्व न्यायालय जिसमें शामिल हैं United Provinces Land Revenue Act, 1901 या U.P. Tenancy Act, 1939 या Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 या Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 या Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 या Kumaun and Uttar Khand zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960 के द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय, डिक्री या बनाये गये आदेश या बनाने के प्रयोजन से किये गये आदेश पर या U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण जिसमें Director of Consolidation शामिल है, के द्वारा दिये गये किसी आदेश या न्यायनिर्णय से, संविधान के अनुच्छेद 226 [332] [और अनुच्छेद 227] के अधीन प्रश्न उठाने वाला आवेदन एकल आसीन और ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिये नियुक्त न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जायेगा और जिन्हें पहले ही डिवीजन बेन्च को प्रस्तुत किया गया है को एकल न्यायाधीश द्वारा सुना जायेगा।]

---

329 जोड़ा गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2, दिनांक16..09.2005 (संशोधन पर्ची सं0 235) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.09.2005

330 जोड़ा गया उसी स्थान पर

331 जोड़ा गया अधि0 सं0 263/VIII-C-2, दिनांक31.05.1973 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.07.1973

332 जोड़ा गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2, दिनांक16..09.2005 (संशोधन पर्ची सं0 235) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.09.2005

[333][जहाँ अन्तः कालीन आदेश (*ad interim* Order) माँगा गया है, एक अलग आवेदन, इसकी प्रतियाँ और ऐसे अन्तः कालीन आदेश (*ad interim* Order) के लिये आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ, अन्य पक्षकार जिसके विरुद्ध आदेश माँगा गया है को प्रदान करने के बाद, उद्देश्य के लिये किया जायेगा। ऐसा आवेदन किसी शपथपत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि यह उन तथ्यों पर आधारित न हो जो रिट याचिका के साथ लगे शपथपत्र में कहे गये हैं।

परन्तु यह कि न्यायालय, मामले के अतिमहत्वपूर्ण होने के विषय में सन्तुष्ट होने पर, आवेदन एवम् उसके समर्थन में अन्य कागजातों, की प्रतियों को अन्य पक्षकार को देने से मुक्ति प्रदान कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि जहाँ किसी पक्षकार जिसके विरुद्ध अन्तरिम आदेश चाहे व्यादेश (Injunction) या Stay के माध्यम द्वारा या किसी अन्य तरीके से किया गया है या रिट याचिका से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में --

(क) ऐसे पक्षकार को, ऐसी याचिका की प्रतियाँ और अन्तरिम आदेश के लिये निवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों को प्रदान किये बगैर; और

(ख) ऐसे पक्षकार को सुने जाने का अवसर दिये बगैर, किया गया है। न्यायालय को ऐसे आदेश को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है, और ऐसे आवेदन की प्रति पक्षकार जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या ऐसे पक्षकार के अधिवक्ता, को प्रदान कर सकता है। न्यायालय आवेदन को उस तिथि से जिस पर यह प्राप्त हुआ है या उस तिथि से जिस पर ऐसे आवेदन की प्रति ऐसे प्रदान की गई थी, जो भी पश्चातवर्ती हो, से दो सप्ताह के भीतर या जहाँ न्यायालय उस अवधि के प्रथम दिन बन्द है अगले दिन की समाप्ति से पहले, बाद में जिस दिन न्यायालय खुला है, पर व्ययनित करेगा। और यदि आवेदन को ऐसे व्ययनित किया जाता है, अन्तरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या जैसी भी स्थिति हो, कथित अगले दिन की समाप्ति पर, रद्द हो जायेगा।]

(2) आवेदन संक्षिप्त रुप में संख्याकित पैराग्राफों में, तथ्यों जिन पर आवेदक निर्भर करता हो और आधारों जिन पर न्यायालय से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने को कहा गया है, को कहेगा और जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति प्रदान करे यथार्थ प्रकृति की राहत जो माँगी गई है, का स्पष्ट रुप से कथन करने वाली प्रार्थना से समाप्त होगा। आवेदन शपथपत्र या

---

333 जोड़ा गया अधि0 सं0 118/VIII-C-2, दिनांक10.02.1981 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.06.1981

शपथपत्रों के साथ होगा जो उसमे कहे गये तथ्यों को, आवेदन में अन्तर्विष्ट तथ्यों के संख्याकित पैराग्राफों को संदर्भित करते हुये पुष्ट करेगा। आवेदनों में सभी संशोधनों तथा परिवर्तनों को शपथ कमिश्नरों (Oath Commissioners) द्वारा अद्याक्षरित किया जायेगा जिसके समक्ष ऐसे शपथपत्र (या शपथपत्रों) की शपथ ली गई है।

ऐसे शपथपत्र (या शपथपत्रों) उन तथ्यों तक सीमित होंगे जो शपथकर्ता के अपने ज्ञान में हैं। [334][और ऐसा शपथपत्र आगे यह कथन करेगा यह कि क्या आवेदक ने किसी हैसियत से, जो भी हो, में किन्हीं पूर्ववर्ती आवेदनों या उन्हीं तथ्यों पर आवेदनों को दाखिल किया है, और यदि ऐसा है तो उनमे पारित आदेश]

(3) . जहाँ किसी न्यायनिर्णय या न्यायालय या उसके किसी ऑफिसर के किसी आदेश से आपत्ति ली गई है, दाखिल होने वाले आवेदन के साथ ऐसा न्यायनिर्णय या आदेश की प्रति लगी होगी और जहाँ ऐसे न्यायनिर्णय या आदेश से अपील या पुनरीक्षण किया गया है, वहाँ उससे उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश की प्रति भी साथ लगाई जायेगी।

[335] [(i) याचिकाकर्ता (ओं), उसके / उनके आवेदन, शपथपत्र या याचिका इत्यादि के आरम्भिक पैराग्राफ में स्पष्ट रुप से कथन करेगा / करेंगे कि कोई रिट याचिका, आवेदन, जिसमें पुनर्विलोकन आवेदन इत्यादि शामिल है या कोई अन्य कार्यवाहियाँ जो उद्भूत हुई हैं या संबंधित हैं आक्षेपित आदेश से या इस न्यायालय के समक्ष माँगे गये उपचार से, इस न्यायालय के समक्ष इलाहाबाद या लखनऊ में या किसी अन्य न्यायालय / प्राधिकरण या अधिकरण इत्यादि में, उसके श्रेष्ठ ज्ञान में दाखिल नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) यदि कोई संबंधित कार्यवाही कहीं लंबित है, तो उसका पूर्ण विवरण वर्णित किया जायेगा।

(iii) उसी क्रम में जारी रहते हुये, पश्चातवर्ती पैराग्राफ में याचिकाकर्ता (ओं) या आवेदक / आवेदकों इत्यादि द्वारा स्पष्ट रुप से कथन किया जायेगा यह कि क्या याचिकाकर्ता (ओं), आवेदक / आवेदकों इत्यादि ने नोटिस जानकारी या किसी कैवियेट आवेदन की प्रति को, दूसरे पक्षकारों में से किसी के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से या अन्यथा या किसी अन्य स्त्रोत द्वारा, ' प्राप्त किया है ' या ' नहीं प्राप्त किया है।'

---

334 संस्थित किया गया अधि0 सं0 276/VIII-C-2, दिनांक04.07.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक26.08.1989

335 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 278/VIII-C-2, दिनांक26.05.2005 (संशोधन पर्ची सं0 233) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक11.06.2005

(iv) उपरोक्त के संबंध में कोई महत्वपूर्ण लोप या गलत कथन, आवेदन को संक्षिप्ततः खारिज होने के लिये उत्तरदायी बना देगा।]

[336] **[(3-क) इस अध्याय के अन्य नियमों को सन्तुष्ट करने के साथ ही साथ याचिकाकर्ता, जो लोकहित वाद 'Public Interest Litigation' दाखिल करना चाहता है, को सुस्पष्ट रुप से और सुनिश्चित तौर पर उसके द्वारा शपथ लिये जाने वाले शपथपत्र में, उसकी उपयुक्तता (Credentials) का कथन, लोक कारण जिससे कि वह जुड़ना चाहता है और यह कि उसका मामले में कोई व्यक्तिगत या निजी हित नहीं है, यह कि उठाये गये प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और यह कि वाद का परिणाम उसे या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों या राज्य को कोई अनुचित हानि कारित नहीं करेगा, का कथन करना चाहिये।]**

(4) जहाँ सरकार या सरकार का कोई ऑफिसर या विभाग या अधिकरण, बोर्ड या सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन या अन्य निकाय, आवेदन में विपक्षी पक्षकार नामित हैं। आवेदक, आवेदन को प्रस्तुत करने से पहले इसे लाने के प्रस्ताव की नोटिस, की तामीली सरकारी अधिवक्ता को और आपराधिक मामलों में, स्थाई अधिवक्ता को, यदि वह ऐसे विपक्षी पक्षकार की तरफ से नोटिस प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, की जायेगी। अन्य मामलों में आवेदन, शपथपत्र और इसके साथ के अन्य कागजातों की उतनी प्रतियाँ जितने की पक्षकार हों, जो सरकारी अधिवक्ता या स्थाई अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रस्तुत होते हों और एक अतिरिक्त प्रति सरकारी या स्थाई अधिवक्ता के प्रयोग के लिये, उसमें प्रस्ताव लाने के लिये दिवस नामित करते हुये दी जायेगी। आवेदन दर्शायेगा कि ऐसे प्रस्ताव की नोटिस की तामीली की जा चुकी है। [337][लेकिन प्रस्ताव / आवेदन पर कोई आदेश नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे आवेदन या प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने और उसे सुने जाने के बीच एक स्पष्ट दिन न बीत गया हो। तथापि Urgency के मामले में न्यायालय ऐसी अपेक्षा को छोड़ सकता है।]

336 जोड़ा गया अधि0 सं0 105/VIII-C-2, (संशोधन पर्ची सं0 241) दिनांक01.05.2010 द्वारा,

337 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 583/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 231), दिनांक13.12.2000 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट अति., भाग-4धारा (Ka), दिनांक-13.12.2000

[338] [**टिप्पणी --** उपरोक्त उपनियम में शब्द ' सरकार ', भारतसंघ के उन विभागों को भी उल्लिखित करता है जिनके लिये स्थाई अधिवक्ता की उचित ढंग से नियुक्ति की गई है।]

[339] [**(4-क)** जहाँ प्रस्ताव, उपनियम (4) में उल्लिखित प्रस्ताव की नोटिस में नामित दिवस को छोड़कर अन्य किसी दिवस पर लाना आशयित है, एक अन्य नोटिस, प्रस्ताव लाने की तारीख का वर्णन करते हुये, की तामीली सरकारी अधिवक्ता या स्थाई अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, को कम से कम दो स्पष्ट दिनों पहले की जायेगी। आवेदन दर्शायेगा यह कि प्रस्ताव लाने की नोटिस की तामीली की जा चुकी है।]

2. <u>नोटिस --</u>

(1) यदि न्यायालय आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त कारणों को नहीं पाता तो यह इसे अस्वीकार कर सकता है। जहाँ आवेदन ऐसे अस्वीकार नहीं किया जाता उसकी नोटिस आवेदन में नामित ऐसे विपक्षी पक्षकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, पर तामीली की जायेगी।

[340] [परन्तु यह कि जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देशित न करे किसी नोटिस की तामीली सरकारी अधिवक्ता या स्थाई अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रस्तुत होने वाले पक्षकारों पर की जाये यह आवश्यक नहीं होगा।]

[341] [परन्तु आगे यह कि जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देशित न करे अन्य पक्षकारों को नोटिस रजिस्टर्ड डाक की पावती के साथ / स्पीड पोस्ट द्वारा जारी की जायेगी।]

परन्तु [342][और भी] आगे यह कि जहाँ प्रस्ताव की नोटिस, शासकीय अधिवक्ता या स्थाई अदिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, पर पहले ही तामीली की जा चुकी है और कोई अन्य पक्षकार तामीली के लिये नहीं है, वहाँ न्यायालय पहली ही सुनवाई पर इसे गुण-दोष के आधार पर व्ययनित कर सकता है।

---

338 जोड़ा गया अधि0 सं0 438/VIII-C-141, दिनांक24.09.1971 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक-27.01.1972

339 जोड़ा गया अधि0 सं0 147/VIII-C-141, दिनांक12.04.1971 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-29.05.1971

340 जोड़ा गया अधि0 सं0 127/VIII-C-141, दिनांक14.06.1955 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-16.07.1955

341 जोड़ा गया अधि0 सं0 278/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 233), दिनांक26.05.2005द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग I (Ka) दिनांक-11.06.2005

342 उसी स्थान पर

(2) जहाँ आवेदन, न्यायालय में या के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित है और इसका उद्देश्य या तो न्यायालय या इसके किसी ऑफिसर, पर ऐसी कार्यवाही के संबंध में कोई कार्य करने के लिये या इसे रद्द करने के लिये या उसमें दिये गये किसी आदेश के लिये, विवश करना है, उसकी नोटिस की तामीली, ऐसे न्यायालय या ऑफिसर के साथ ही साथ ऐसी कार्यवाही के अन्य पक्षकारों पर भी की जायेगी और जहाँ न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कोई आपत्ति ली जाती है, वहाँ न्यायाधीश पर भी तामीली की जायेगी।

(3) यदि आवेदन की सुनवाई पर न्यायालय का मत है कि किसी व्यक्ति जिसे, आवेदन की नोटिस से तामीली अवश्य की जानी चाहिये, ऐसे तामीली नहीं की गई है, न्यायालय आदेश दे सकता है यह कि ऐसे व्यक्ति पर भी नोटिस की तामीली की जाये और ऐसी शर्तों पर सुनवाई स्थगित कर सकता है, यदि कोई हो, जैसा कि न्यायालय उचित समझता हो।

(4) इस नियम के अधीन प्रत्येक नोटिस, आवेदन और शपथपत्र की प्रतियों के साथ होगीं, ऐसी प्रतियाँ आवेदक द्वारा आपूर्त की जायेंगीं।

[343] [(5) विपक्षी पक्षकार, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति प्रस्तुत करते समय या अन्यथा, न्यायालय में अपना रजिस्टर्ड पता दाखिल करेगा। अन्य पक्ष द्वारा कार्यवाही में चूक से दिये गये पते को उसका रजिस्टर्ड पता समझा जायेगा।]

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश III का नियम 4 इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होगा।

3. <u>नोटिस के जारी किये जाने से पहले खर्च या प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में शर्तें--</u>
न्यायालय, आवेदन की नोटिस जारी करने से पहले, आवेदक पर खर्च या प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में ऐसी शर्तों को आरोपित कर सकता है जैसा कि यह उचित समझे।

4. <u>नोटिस की तामीली के आठ स्पष्ट दिनों से कम की अवधि पर आवेदन को नहीं सुना जायेगा</u> --

जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेशित न करे, नियम 2 के अधीन नोटिस की तामीली के बाद आठ स्पष्ट दिनों से कम की अवधि पर आवेदन को नहीं सुना जायेगा।

[344] [जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, प्रति-शपथपत्र, नोटिस की तामीली के बाद तीन सप्ताह से ज्यादा के समय में दाखिल नहीं किया जायेगा और उसका प्रत्युत्तर, आवेदक पर

---

343 जोड़ा गया अधि0 सं0 507/VIII-C-17, दिनांक19.10.1973द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-10.11.1973

344 जोड़ा गया अधि0 सं0 380/VIII-C-141, दिनांक10.09.1969द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-06.12.1969

ऐसे प्रति-शपथपत्र की प्रति की तामीली के बाद दो सप्ताह से ज्यादा के समय में दाखिल नहीं किया जायेगा।]

[345] [(4-क) संविधान के अनुच्छेद 226 [346][और अनुच्छेद 227] के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट याचिका को छोड़कर, निर्देश या आदेश या रिट के लिये आवेदन में प्रति-शपथपत्र और उसमें दाखिल किये गये प्रत्युत्तर शपथपत्र में न केवल तथ्यों का बल्कि ऐसे तथ्यों के सबूत में साक्ष्यों का भी अभिवचन किया जायेगा और इसमें संलग्न किया जायेगा।]

[347] [**5. <u>कैवियट दायर करना --</u>**

(1) जहाँ आवेदन, का किया जाना संभावित है या किया जा चुका है, कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन के विरोध के अधिकार का दावा करता है, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उसके संबंध में न्यायालय में कैवियट दायर कर सकता है।

(2) कैवियटकर्ता, कैवियट की नोटिस की तामीली रजिस्टर्ड डाक, अभिस्वीकृति पावती द्वारा, उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा आवेदन किया जाना संभावित है, करेगा और तामीली का सुबूत न्यायालय में पेश करेगा।

(3) कैवियट के दाखिल और उसकी नोटिस की आवेदक के अधिवक्ता पर तामीली, किये जा चुकने के बाद आवेदक तुरन्त कैवियटकर्ता या उसके अधिवक्ता को, कैवियटकर्ता के खर्च पर, आवेदन के साथ-साथ उसमें अंतरिम उपचार के लिये किये गये किसी प्रकीर्ण आवेदन की प्रति उपलब्ध करायेगा।

(4) जहाँ कैवियट दाखिल की जा चुकी है और उसकी नोटिस की तामीली की जा चुकी है, आवेदक जब न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा, यह सुबूत देगा कि कैवियटकर्ता के अधिवक्ता को, जिस तिथि पर आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है की लिखित में पूर्व सूचना दी जा चुकी है।

[348] [(5) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कैवियट दाखिल की जा चुकी है, ऐसी कैवियट जब उसे दायर किया गया था उससे 90 दिनों की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं होगी। यह, जो भी हो आवेदक को नवीन कैवियट दाखिल करने से निवारित नहीं करेगी।]

---

345 संस्थित किया गया अधि0 सं0 347/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 232), दिनांक09.08.2002द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-07.09.2002

346 जोड़ा गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2, दिनांक16..09.2005 (संशोधन पर्ची सं0 235) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.09.2005

347 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 276/VIII-C-2, दिनांक04.07.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक-26.08.1989

348 जोड़ा गया अधि0 सं0 104/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 238), दिनांक07.08.2008द्वारा

[349] **[(5-क) . <u>व्यक्तियों जिन पर नोटिस की तामीली नहीं की गई है, की सुनवाई --</u>**

आवेदन की सुनवाई पर कोई व्यक्ति जो आवेदन के विरोध में सुने जाने का इच्छुक है और न्यायालय को प्रतीत होता है यह कि सुने जाने के लिये वह उचित व्यक्ति है, सुना जा सकेगा तथापि यह कि नियम 2 के अधीन उसे नोटिस की तामीली नहीं की गई है।]

6. <u>आवेदन पोषणीय नहीं होगा यदि अन्यथा विधि की प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त उपचार प्राप्त किया जा सकता है --</u>

[350][***]

7. <u>समान तथ्यों पर कोई दूसरा आवेदन नहीं होगा --</u>

जहाँ आवेदन अस्वीकृत हो चुका है, आवेदक के लिये यह उचित नहीं होगा कि उन्हीं तथ्यों पर वह दूसरा आवेदन बनायें।

8. <u>प्रक्रिया --</u>

इस अध्याय के अधीन निर्धारण के लिये उद्भूत सभी प्रश्न, सामान्यतः शपथपत्रों पर निर्धारित किये जायेंगे, लेकिन न्यायालय निर्देश दे सकता है यह कि ऐसे प्रश्न, जैसा कि यह आवश्यक समझे, ऐसे अन्य साक्ष्य पर और ऐसे तरीके से जैसा कि यह उचित समझे, निर्णीत किये जायेंगे और उस दशा में, यह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जो इसे न्यायसंगत प्रतीत हों।

9. <u>खर्चे --</u>

इस अध्याय के अधीन आवेदन का व्ययन करने में, न्यायालय खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो यह न्यायसंगत समझे।

10. <u>आदेशों की संसूचना --</u>

न्यायालय द्वारा दिये गये कोई आदेश अनुपालन के लिये ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जो आवश्यक हों, को संसूचित किये जायेंगे।

[351] **[11. <u>निष्पादन के लिये खर्चों के आदेश का पारेषण --</u>**

जहाँ न्यायालय द्वारा रिट याचिका में या रिट याचिका में दिये गये आदेश से स्पेशल अपील में, खर्च प्रदान किया जा चुका है किन्तु उसके लिये अधिकृत व्यक्ति को भुगतान नहीं किया

---

349 संस्थित किया गया अधि0 सं0 276/VIII-C-2, दिनांक04.07.1989द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-26.08.1989

350 हटाया गया अधि0 सं0 380/VIII-C-141, दिनांक10.09.1969द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-06.12.1969

351 जोड़ा गया अधि0 सं0 491/VIII-C-172, दिनांक17.12.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-05.08.1967

गया है, वह न्यायालय को आदेश के कार्यान्वयन / निष्पादन के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन, शपथपत्र के साथ होगा जो प्रदान किये गये खर्च की राशि का और बची हुई राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है, का कथन करेगा।न्यायालय निर्देश दे सकता है कि आदेश को जिले के जिला न्यायालय, जिसमें कि आदेश का कार्यान्वयन किया जाना है, भेजा जाये।ऐसे न्यायालय द्वारा आदेश का कार्यान्वयन / निष्पादन किया जा सकेगा [352][जैसे कि खर्च के लिये यह डिक्री इसके द्वारा दी गई हो या कार्यान्वयन / निष्पादन के लिये किसी अधीनस्थ न्यायालय को हस्तांतरित किया जायेगा]।]

12. <u>गाँव सभा के वादों के लिये स्थाई अधिवक्ता को नोटिस --</u>

सरकार तथा स्थाई अधिवक्ता के संबंध में नियम 1 के उपनियम (4) तथा नियम 2 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ गाँवसभा तथा गाँवसभा के वादों का संचालन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता, को भी लागू होंगे।

[353] [**13. <u>दस्तावेजों की वापसी --</u>**

आक्षेपित आदेश की प्रति के लिये छोड़कर, न्यायनिर्णय, रिट याचिका के व्ययन के बाद रिट याचिका के साथ दाखिल किये गये किसी दस्तावेज या इसके शपथपत्र को और स्पेशल अपील / सुप्रीम कोर्ट में इसके ' Special Leave to Appeal ' के लिये अपील की उपयुक्तता के प्रमाणपत्र के लिये आवेदन दाखिल करने के लिये अनुमत समय की समाप्ति पर और स्पेशल अपील की दशा में, सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिये उपयुक्तता के प्रमाणपत्र के लिये आवेदन और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ' Special Leave to Appeal ' के लिये आवेदन, उसके व्ययन के बाद दाखिल किये जाने पर, पक्षकार को या उसके अधिवक्ता को उसकी तरफ से किये उसके आवेदन पर लौटा दिया जायेगा।

परन्तु यह कि, यहाँ तक कि रिट याचिका, स्पेशल अपील / सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिये उपयुक्तता के प्रमाणपत्र के लिये आवेदन या इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ' Special Leave to Appeal ' के लिये किया गया आवेदन लंबित रहने के दौरान, याचिका के साथ मूल दस्तावेज लौटाया जा सकेगा यदि उसकी प्रामाणिक प्रति उपलब्ध कराई जाती है और पक्षकार या उसका अधिवक्ता लिखित वचन देता है कि मूल को यदि और जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा प्रस्तुत किया जायेगा।

---

352 जोड़ा गया अधि0 सं0 22/VIII-C-141, दिनांक08.09.1977द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक08.10.1977

353 जोड़ा गया अधि0 सं0 2/VIII-C-141, दिनांक05.01.1972द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक10.11.1973

परन्तु आगे यह कि आक्षेपित आदेश की प्रति केवल तब लौटाई जायेगी जब रिट याचिका, का स्वयं लौटाया जाना आदेशित हुआ है।]

भाग-V: <u>सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्डिया में अपील</u>

[354] **[अध्याय XXIII]**

खण्ड (क): आपराधिक वादों को छोड़कर वाद

1. **<u>याचिका का शीर्षक --</u>**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील हेतु उपयुक्तता के प्रमाणपत्र की याचिका का शीर्षक होगा --

[355] **[In the High Court of Judicature at Allahabad]**

Petition for Certificate

Under Article .... () of the Constitution of India

Supreme Court Petition No. .... of ....

2. **<u>याचिका की अन्तर्वस्तुयें --</u>**

याचिका में वाद का संक्षिप्त कथन तथा अपील के आधारों को कहा जायेगा --

[356] [संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के अधीन आने वाले वाद में, यह स्पष्ट रुप से बतायेगी कि कैसे उसकी अपेक्षाओं को पूरा करती है।]

संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के अधीन आने वाले वाद में, यह बतायेगी कि विधि का सारभूत प्रश्न कैसे संविधान के निर्वचन के संबंध में शामिल है।

संविधान के अनुच्छेद 135 के अधीन आने वाले वाद में, यह बतायेगी कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील स्वीकार्य है।

3. <u>प्रतियाँ --</u>

याचिका के साथ, न्यायनिर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके संबंध में प्रमाणपत्र माँगा गया है [357][और अधिवक्ता का एक प्रमाणपत्र यह कि पक्षकारों का व्यवस्थित क्रम वही है जो

---

354 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 456/VIII-C-157, दिनांक10.10.1969 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक-21.02.1970

355 जोड़ा गया अधि0 सं0 188/VIII-C-157, दिनांक 02.05.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-08.08.1970

356 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 48/VIII-C-157, दिनांक25.01.1975 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक-19.07.1975

357 जोड़ा गया अधि0 सं0 239/VIII-C-157, दिनांक 09.04.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-24.01.1976

याचिका को उद्भूत होने वाले वाद में है और यह कि वकालतनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।] दिया जायेगा।

अध्याय IX के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसार दाखिल की गई प्रतियों के अतिरिक्त एक प्रति न्यायालय के इस्तेमाल के लिये होगी और प्रति को मुख्य प्रतिलिपिकर्ता द्वारा [358][∗∗∗] सही [359][∗∗∗] प्रमाणित किया जायेगा ।

[360][∗∗∗]

4. <u>परिसीमा --</u>

परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 132, तत्समय प्रभावी किसी विधि के उपबन्धों के प्रभावाधीन, संविधान के अनुच्छेद 132 (1), 133 (1) या 135 के अधीन प्रमाणपत्र के लिये याचिका को भी लागू होगा।

5. <u>नोटिसें --</u>

(1) सुप्रीम कोर्ट अपील के संबंध में, निम्न नोटिसे जारी की जायेंगी, नामतः --

(क) प्रमाणपत्र के लिये याचिका की नोटिस;

(ख) सुप्रीम कोर्ट में अपील की याचिका के न्यायनिर्णय की नोटिस;

(ग) अभिलेख के पारेषण को जमा करने के लिये नोटिस; और

(घ) सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख भेजने की नोटिस ;

जब तक कि इन नियमों द्वारा स्पष्ट रुप से उपबन्धित या न्यायालय द्वारा स्पष्ट रुप से आदेशित न हो, कोई अन्य नोटिस आवश्यक नहीं होगी।

(2) सुप्रीम कोर्ट में अपीलार्थी के एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड पर नोटिस की तामीली को इस अध्याय के अधीन पर्याप्त तामीली की गई है समझा जायेगा, अन्य मामलों में, जहाँ पक्षकार अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हुआ था, ऐसे अधिवक्ता पर नोटिस की तामीली को पर्याप्त तामीली समझा जायेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नोटिस की दशा में प्रक्रिया फीस नहीं लगाई जायेगी जहाँ इसकी अधिवक्ता पर तामीली की जा सकेगी।

6. <u>प्रमाणपत्र के लिये याचिका प्रस्तुतिकरण --</u>

---

358 हटाया गया अधि0 सं0 239/VIII-C-157, दिनांक 09.04.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-24.01.1976

359 उसी स्थान पर

360 हटाया गया अधि0 सं0 239/VIII-C-157, दिनांक 09.04.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग II दिनांक-24.01.1976

याचिका रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जहाँ रजिस्ट्रार पाता है कि याचिका क्रम में है और अपेक्षित कागजातों के साथ समयसीमा के भीतर प्रस्तुत की गई है, वह प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये याचिका की नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित कर सकेगा।

7. <u>त्रुटियों का दूर किया जाना --</u>

जहाँ रजिस्ट्रार पाता है कि याचिका क्रम में नहीं है या अपेक्षित कागजातों के साथ नहीं है, तब वह या तो इसे लौटा सकता है या इन नियमों या अन्य किसी विधि के उपबन्धों के प्रभावाधीन, त्रुटियों को दूर करने के लिये समय प्रदान करते हुये इसे प्राप्त कर सकता है, परन्तु यह कि इस प्रकार दिया गया समय, परिसीमा अधिनियम, 1963 में ऐसी याचिकाओं के लिये निर्धारित समय से ज्यादा नहीं होगा, अन्य मामलों में, वह वाद को आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष रखेगा।

8. <u>याचिका की सुनवाई --</u>

विपक्षी पक्षकार पर याचिका की नोटिस की तामीली किये जाने के फौरन बाद, याचिका को बेन्च के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

9. <u>याचिका का व्ययन --</u>

ऐसे आवेदनों को एकल आसीन न्यायाधीश, जहाँ कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश या डिक्री से अनुमति माँगी गई है, द्वारा सुना और व्ययनित किया जायेगा और अन्य मामलों में डिवीजन बेन्च द्वारा सुना और व्ययनित किया जायेगा। जहाँ तक संभव होगा ऐसे आवेदनों को, एकल न्यायाधीश या बेन्च, जिसने न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश या डिक्री पारित की थी, के समक्ष रखा जायेगा।

10.<u> याचिका के दायर करने की नोटिस की तामीली --</u>

(क) अपील की याचिका की प्रति की सुप्रीम कोर्ट से प्राप्ति पर, अपील की याचिका के दायर करने की नोटिस प्रतिवादी पर तामील की जायेगी और जैसे ही नोटिस की तामीली की जाती है, तारीख या तारीखों जिस पर कथित नोटिस की तामीली की गई थी के संबंध मे एक प्रमाणपत्र सुप्रीम कोर्ट को भेजा जायेगा।

(ख) <u>अभिलेख के पारेषण का खर्च और आवेदन पर बकाये का लौटाया जाना --</u>

जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्यथा आदेशित न हो, अपीलार्थी को नोटिस जारी की जायेगी जो उससे, इस नोटिस की तामीली के एक सप्ताह के भीतर, सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख के पारेषण के खर्च के कारण 10 /- रुपये की राशि जमा करने की अपेक्षा करेगी परन्तु यह कि इस न्यायालय और साथ ही साथ निचले न्यायालय के अभिलेख के पारेषण का खर्च

मिलने के बाद, बकाया यदि कोई हो, अपीलार्थी को उसके द्वारा इसकी तरफ से किये गये आवेदन पर लौटा दिया जायेगा।

<u>सुप्रीम कोर्ट को चूक का सूचित किया जाना --</u>

आवेदक की तरफ से, उपरोक्त अभिलेख के पारेषण के खर्च को समाविष्ट करने की राशि को जमा करने मे हुई किसी चूक को, सुप्रीम कोर्ट को आदेशों के लिये सूचित किया जायेगा।

(ग) <u>अभिलेखों के लिये समन --</u>

वाद के अभिलेख तथा कार्यवाहियों को निचले न्यायालय से समन किया जायेगा, यदि वे पहले ही उच्च न्यायालय में नहीं हैं।

(i) <u>दस्तावेजों की सूची का दाखिल किया जाना --</u>

अभिलेखों की प्राप्ति पर, अपीलार्थी को उसे दस्तावेजों की सूची जिसे वह, प्रत्येक प्रतिवादी पर उसकी प्रति की तामीली के बाद, पेपरबुक में शामिल करने के लिये प्रस्ताव करता है, दाखिल करने के लिये बुलाने हेतु नोटिस जारी की जायेगी, कथित नोटिस की उस पर तामीली के 4 सप्ताह के भीतर वह उसे दाखिल करे। अपीलार्थी, प्रत्येक प्रतिवादी से लिखित में अभिस्वीकृति, यह कि उस पर सूची की प्रति की तामीली की जा चुकी है, को प्रस्तुत करेगा।

(ii) <u>प्रतिवादी को दी जाने वाली नोटिस की अन्तर्वस्तुयें --</u>

नियम 10 के उपनियम (क) के अधीन प्रतिवादी को नोटिस, उसे यह तथ्य भी बतायेगी कि अपीलार्थी को पहले ही दस्तावेजों की सूची दाखिल करने के लिये नोटिस जारी की जा चुकी है और उससे (प्रतिवादी से) अपेक्षित है यह कि अपीलार्थी द्वारा उसे सूची की प्रति की तामीली के 3 सप्ताह के भीतर, ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची जिन्हें वह चाहता है कि वे पेपरबुक में जोड़ी जायें, दाखिल करे।

11. (i) <u>अभिलेखों को समावेशित करना</u> --

जहाँ अपील का निर्णय विधि के प्रश्न पर पूर्णरूप से पलटना संभावित है। अपीलार्थी अभिलेख के केवल ऐसे भागों को शामिल करने के लिये आवेदन कर सकता है जो उसकी बहस के लिये आवश्यक हों।

(ii) <u>सूची आवेदन के साथ होगी --</u>

उपनियम (i) में वर्णित आवेदन, उस दशा मे जिसमे इस न्यायालय के प्रयोग के लिये प्रिन्टेड रिकार्ड पहले से ही तैयार किया जा चुका है, के साथ होगी -

ऐसे दस्तावेजों की सूची जिन्हें पहले से ही प्रिन्ट किया जा चुका है किन्तु वे अपील की विषयवस्तु के रुप मे सुसंगत नहीं हैं यह समझा जाये।

विपक्षी पक्षकार की तरफ से प्रिन्ट हो चुके और खण्ड (i) के अधीन सूची में शामिल, ऐसे दस्तावेजों की सूची; और

दस्तावेजों की सूची जिसे पहले से ही प्रिन्ट नहीं किया गया है, और जिसकी प्रिन्टिग अपील के अभियोजन के लिये आवश्यक समझी जाये, एक संक्षिप्त टिप्पणी सूची में प्रत्येक दस्तावेज के विरुद्ध प्रविष्ट की जायेगी जो दर्शायेगी कि किस प्रकार इसका शामिल किया जाना आवश्यक है। आवेदक ऐसी सूचियों की प्रतियों की तामीली विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता पर करेगा।

12. <u>इन्डेक्स (Index) का समायोजन --</u>

प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची के लिये निर्धारित समय की समाप्ति के बाद, वाद को रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजों की सूची, जो अपील के अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि में जोड़ी जायेगी, के निर्धारण (यहाँ इसके बाद इन्डेक्स के रुप में उल्लिखित की जायेगी।) के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा और न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर उसे अधिसूचित किया जायेगा। पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को अलग से कोई नोटिस जारी नहीं की जायेगी। इन्डेक्स के निर्धारण में, रजिस्ट्रार और साथ ही साथ संबंधित पक्षकार, अभिलेख से सभी दस्तावेजों जो अपील की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं हैं को छोड़ने का और जहाँ तक सुकर हो सामान्यतः अभिलेख के आकार-भार को घटाने का प्रयास करेंगे।

13. <u>प्रक्रिया जहाँ प्रतिवादी दस्तावेजों के शामिल करने का विरोध करता है --</u>

जहाँ प्रतिवादी दस्तावेजों के शामिल करने का इस आधार पर विरोध करता है कि यह आवश्यक नहीं है या असंगत है और तथापि अपीलार्थी इसके शामिल किये जाने के लिये जोर देता है, अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि जैसी की अंतिम रुप से तैयार होती है, कथित दस्तावेज की प्रिन्टिग के खर्चों या आनुषंगिक खर्चों के उत्तरवर्ती अनुकूलनों के उद्देश्य से, लिखित प्रतिलिपि के इन्डेक्स में या अन्यथा दर्शायी जायेगी यह तथ्य कि प्रतिवादी ने दस्तावेज के शामिल किये जाने का विरोध किया है और यह कि यह अपीलार्थी के खर्च पर शामिल की जा चुकी है।

14. <u>प्रक्रिया जहाँ अपीलार्थी दस्तावेजों के शामिल किये जाने का विरोध करता है --</u>

जहाँ अपीलार्थी दस्तावेज के शामिल किये जाने का इस आधार पर विरोध करता है यह कि यह आवश्यक नहीं है या असंगत है और प्रतिवादी तथापि इसके शामिल किये जाने के लिये जोर देता है, रजिस्ट्रार, यदि उसका मत है यह कि दस्तावेज सुसंगत नहीं है, निर्देश दे सकता है कि कथित दस्तावेज अलग से प्रतिवादी के खर्च पर शामिल किया जायेगा और प्रतिवादी ऐसे समय के भीतर जैसा कि वह उसके आवश्यक प्रभारों के लिये निर्धारित करे,

जमा करने की माँग करेगा। ऐसे जमा की गई राशि यदि अपर्याप्त पाई जाती है रजिस्ट्रार प्रतिवादी को अतिरिक्त राशि या राशियों को ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि वह आवश्यक समझे, जमा करने के लिये बुला सकता है। उसके खर्चों के प्रश्न पर कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील के निर्धारण के समय की जायेगी।

15. <u>अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि, इत्यादि की तैयारी के खर्च का आँकलन --</u>

जैसे ही अभिलेख का इन्डेक्स (Index) तय कर लिया जाता है, रजिस्ट्रार अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि और अभिलेख की प्रिन्टिग या साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling), जहाँ इसका प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) होना अपेक्षित है, की तैयारी के खर्चों का आँकलन करवायेगा और अपीलार्थी पर तामीली करवायेगा और उससे ऐसी तामीली के 30 दिनों के भीतर कथित राशि जमा करने की अपेक्षा करेगा। ऐसे खर्चों में, अनुवाद का खर्च, यदि कोई हो, शामिल होगा। अपीलार्थी कथित राशि को एक मुश्त में या ऐसी किश्तों में जैसा कि रजिस्ट्रार निर्धारित करे, जमा कर सकता है।

16. <u>जहाँ अभिलेख, उच्च न्यायालयी अपील के लिये छपाया गया है, वहाँ कोई नई लिखित प्रतिलिपि आवश्यक नहीं होगी --</u>

जहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के उद्देश्य से अभिलेख को छपाया जा चुका है और कथित प्रिन्टेड अभिलेख की पर्याप्त संख्या में प्रतियाँ उपलब्ध हैं वहाँ अभिलेख की किसी नई लिखित प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय ऐसे अतिरिक्त कागजातों के जो आवश्यक हो सकते हैं।

17. <u>यदि जमा राशि अपर्याप्त है तो रजिस्ट्रार अतिरिक्त राशि जमा करने की माँग कर सकता है --</u>

यदि किसी समय, अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि या अभिलेख की प्रिन्टिग या साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling), जहाँ इसका प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) होना अपेक्षित है, की तैयारी के दौरान जमा की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है, रजिस्ट्रार अपीलार्थी को ऐसी अतिरिक्त राशि जमा करने के लिये जो आवश्यक हो, ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे वह उचित समझे किन्तु कुल 8 दिनों से ज्यादा नहीं, बुलायेगा।

18. <u>अपीलार्थी के जमा करने में चूक करने पर प्रक्रिया --</u>

जहाँ अपीलार्थी अपेक्षित राशि जमा करने में असफल होता है, अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि या अभिलेख की प्रिन्टिग या साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling), जहाँ इसका प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) होना अपेक्षित है, की तैयारी रोक दी जायेगी और रजिस्ट्रार उसके बाद इस तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर आगे कोई कदम नहीं उठायेगा।

19. <u>जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित न हो अभिलेख प्रिन्ट नही किये जायेंगे --</u>

(i) जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देशित न करे, इस न्यायालय में अभिलेख की प्रिन्टिग या साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling), नहीं की जायेगी।

(ii) <u>प्रिन्टिग तथा साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling) से संबंधित नियम --</u>

जहाँ सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है कि इस न्यायालय में अभिलेख प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) किये जायें, तो उसे सुप्रीम कोर्ट रुल्स, 1966 की प्रथम अनुसूची में दिये नियमों के अनुसार प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) किया जायेगा।

(iii) <u>अभिलेख साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) हो सकेगा यदि इसमें 200से कम पृष्ठ हैं -</u>

जहाँ अपील की पेपरबुक में संभवतः 200 से अधिक पृष्ठ नहीं हैं, रजिस्ट्रार अभिलेख को प्रिन्ट कराने के स्थान पर उसे साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) करवायेगा।

(iv) <u>सुप्रीम कोर्ट के इस्तेमाल के लिये प्रतियों की संख्या --</u>

जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्यथा आदेशित न किया जाये, अभिलेख की कम से कम 20 प्रतियाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस्तेमाल के लिये तैयार की जायेगीं।

(v) <u>पक्षकारों के लिये प्रतियों की संख्या --</u>प्रिन्टिग या साइक्लोस्टाइलिन्ग (cyclostyling) का दायित्व लिये जाने से पूर्व, जब तक पक्षकार अपनी माँग सूचित न करे, प्रत्येक पक्षकार इसके उपयोग के लिये 3 प्रतियों के लिये अधिकृत होगा।

20. <u>कागजातों का अनुवाद --</u>

सूची में शामिल सभी दस्तावेजों, जो इंग्लिश में नहीं हैं और पहले से ही अनुवादित नहीं हैं, का इंग्लिश में अनुवाद किया जायेगा। ऐसे सभी अनुवाद, न्यायालय के किसी अनुवादक द्वारा सही, बनाये जायेंगे या प्रमाणित किये जायेंगे।

21.<u>अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि 6 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट को पारेषित की जायेगी --</u>

(i) रजिस्ट्रार, अपील की याचिका की नोटिस की प्रतिवादी पर तामीली किये जाने की तिथि से, 6 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट को, उनके अपील के उचित अभिलेख की इंग्लिश में लिखित प्रतिलिपि की 3 प्रतियाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी जायेंगी, पारेषित करेगा, जिसकी एक प्रति ठीक ढंग से, उससे उसके हस्ताक्षर और इस उच्च न्यायालय की मुहर के अधीन प्रमाणपत्र जोड़कर, प्रमाणित की जायेगी। यदि किसी कारणवश उसे उपरोक्त वर्णित 6 माह के भीतर पारेषित नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्रार तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा और उसके पारेषण के लिये आवश्यक समय की वृद्धि को प्राप्त करेगा।

(ii) <u>खर्च का प्रमाणपत्र, लिखित प्रतिलिपि में जोडा जायेगा या अलग से अग्रसारित किया जायेगा --</u>

रजिस्ट्रार, अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि से एक प्रमाणपत्र भी जोड़ेगा या अलग से उसे अग्रसारित करेगा, जो संबंधित पक्षकारों द्वारा अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि की तैयारी और पारेषण में वहन की गई खर्च की राशि को दर्शायेगा।

22. <u>पक्षकारों को लिखित प्रतिलिपि के पारेषण की नोटिस का प्रारुप --</u>

जब लिखित प्रतिलिपि तैयार की जा चुकी है, रजिस्ट्रार उसे प्रमाणित करेगा और पक्षकारों को प्रमाणन की और अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि या प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) अभिलेख, जहाँ इसका प्रिन्टेड या साइक्लोस्टाइल्ड (cyclostyled) होना माँगा गया है, को पारेषित करने की, नोटिस देगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को, तिथि या तिथियों जिस पर पक्षकारों को इस अध्याय से जोड़ी गई अनुसूची A प्रारुप संख्या 'X' में नोटिस की तामीली की गई है, का प्रमाणपत्र भेजेगा।

23. <u>सुप्रीम कोर्ट में आवदको की निर्धनता की जाँच के संबंध मे प्रक्रिया --</u>

जब सुप्रीम कोर्ट का, अपीलार्थी की निर्धनता की जाँच के निर्देश का आदेश प्राप्त होता है। इस संबंध में इसे आदेशों के लिये न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा कि क्या मामले में आवश्यक पूछताछ न्यायालय द्वारा स्वयं की जायेगी या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जायेगी। बाद वाली दशा में न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों को सुप्रीम कोर्ट को अग्रसारित करते हुये, उसमें इसके स्वयं के मत को अभिलिखित करेगा।

24. <u>सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति दिये जाने पर, अपीलार्थी को नोटिस --</u>

जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश की प्रमाणिक प्रति न्यायालय द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, रजिस्ट्रार उसकी तत्काल सूचना अपीलार्थी को देगा।

25.<u> इस अध्याय तथा संहिता के आदेश XLV में दिये गये नियमों का, उस मामले में जहाँ विशेष अनुमति प्रदान की जा चुकी है, लागू होना --</u>

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये ऐसे विशेष निर्देशों के प्रभावाधीन, इस अध्याय और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLV में दिये नियमों के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके ऐसे संशोधनों तथा अनुकूलनों, जो आवश्यक पायें जायें, के साथ उस मामले में जहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है, को लागू होंगे।

26. <u>पक्षकार की मृत्यु पर, अवयस्क, द्वारा अथवा के विरुद्ध वाद --</u>

जहाँ याचिका के किसी पक्षकार की प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, संहिता के आदेश XXII के नियम 1 से 6 तक तथा नियम 9 और आदेश XXXII के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होंगे।

27.<u> विधिक प्रतिनिधि के संबंध में विवाद होने की दशा में साक्ष्यों का लिया जाना --</u>

जहाँ यह निर्धारित करने के लिये साक्ष्य लेना आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय में अभिलेख पर पक्षकार के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, प्रतिस्थापन के लिये या प्रविष्ट किये जाने के लिये कोई व्यक्ति उचित है या नहीं, न्यायालय या तो स्वयं ऐसे साक्ष्य लेगा या किसी निचले न्यायालय को निर्देश देगा कि ऐसे साक्ष्य लें और इसे इसके निष्कर्षों तथा कारणों के साथ वापस भेजे और ऐसे निष्कर्षों तथा कारणों को लेकर, प्रश्नों के निर्धारण में विचार करेगा।

खण्ड (ख): आपराधिक वाद

28. **<u>संविधान के अनुच्छेद 132 (1) या अनुच्छेद 134 (1) (ग) के अधीन प्रमाणपत्र के लिये आवेदन --</u>**

आपराधिक कार्यवाही में संविधान के अनुच्छेद 132 (1) या अनुच्चेद 134 (1) (ग) के अधीन प्रमाणपत्र के लिये आवेदन लिखित में होगा, जो न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश या दण्ड दिये जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, आधारों जिन पर अनुमति माँगी गई है का कथन करेगा । परिसीमा अधिनयिम, 1953 की धाराओं 4 तथा 5 के उपबन्ध ऐसे आवेदन को लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध नहीं लागू होंगे।

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित समयसीमा की गणना मे, न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश या दण्ड दिये जाने के आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिये लगे अपेक्षित समय को छोड़ दिया जायेगा।

ऐसा आवेदन, जहाँ एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश या दण्ड से अनुमति माँगी गई है, एकल आसीन न्यायाधीश द्वारा सुना जायेगा और व्ययनित किया जायेगा और अन्य मामलों में डिवीजन बेन्च द्वारा सुना जायेगा और व्ययनित किया जायेगा। जहाँ तक संभव होगा ऐसे आवेदन को, एकल न्यायाधीश या बेन्च, जिसने न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश या दण्ड पारित किया था, के समक्ष रखा जायेगा।

[361] [परन्तु यह कि जहाँ आवेदक को कारावास का दण्ड दिया जा चुका है, आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक समर्पण न कर दे और उसके सुबूत मे या तो मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष उसने समर्पण किया है या फिर जेल के सुपरिटेन्डेन्ट या जेलर, जिसमें वह दायर किया गया है, का प्रमाणपत्र दाखिल न कर दे, जब तक कि

---

361 संस्थित किया गया अधि0 सं0 455/VIII-C-157, दिनांक 30.09.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट भाग। (Ka) दिनांक-31.10.1970

न्यायालय उद्देश्य के लिये लिखित आवेदन पर अन्यथा आदेश न दे। जहाँ प्रमाणपत्र के लिये आवेदन ऐसे आवेदन के साथ हो, दोनो आवेदनों को एक साथ न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा।]

29. **सेशन न्यायाधीश को आवेदन --**

जैसे ही कैदी से या की तरफ से भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिये आवेदन प्राप्त होता है, यह तथ्य संबंधित सेशन न्यायाधीश को मृत्युदण्ड के निष्पादन / कार्यान्वयन को टालने में समर्थ बनाने के लिये अधिसूचित किया जायेगा। जब आवेदन को अंतिमरुप से व्ययनित किया जाता है तो सेशन न्यायाधीश को पुनः इत्तिला भेजी जायेगी।

30. (1) प्रतिभूति रहित या सहित, बाण्ड का निष्पादन करने वाले आवेदकों के, सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित समय में अपील दायर करने का उत्तरदायित्व लेने पर, न्यायालय --

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 426 (2-क) के द्वारा समाविष्टित वाद मे, आदेश दे सकता है कि अपील प्रस्तुत करने में और सुप्रीम कोर्ट से धारा 426 (1) के अधीन आदेश प्राप्त करने मे, उसे समर्थ बनाने के लिये न्यायालय के मत मे पर्याप्त समय के लिये अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाये।

(ii) धारा 426 (2-ख) के अधीन वादों की दशा में, आदेश दे सकता है कि लंबित अपील, दण्ड या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है को निलंबित कर दिया जाये।

परन्तु यह कि व्यक्ति जो धारा 426 (2-ख) के अधीन आवेदन करता है इस प्रभाव का एक कथन बनायेगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में उसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है।

(2) जमानत या निलंबन या दण्ड या आदेश, के लिये कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक स्वयं को न्यायालय को समर्पित न कर दे और इस तथ्य को उसके आवेदन मे न लिख दे ।

(3) जहाँ आवेदन राज्य द्वारा किया गया है, इस नियम के अधीन आदेश बनाये जाने से पहले ऐसे बॉन्ड पर माँग की जायेगी।

(4) धारा 426 (2-ख) के अधीन दण्ड के परिचालन के निलंबन पर जमानत प्रदान करने के आदेश या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट को बगैर देरी किये पारेषित की जायेगी।

31. **अभिलेख की लिखित प्रतिलिपि की तैयारी --**

सुप्रीम कोर्ट में दायर किये जाने और उस न्यायालय के रजिस्ट्रार से अपील की याचिका की प्राप्ति किये जाने के बाद रजिस्ट्रार सभी सुविधाजनक गति से इस बात का ध्यान रखते हुये

कि समन जिसके भीतर अभिलेख की प्रतियाँ माँगी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों जो संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (क) और (ख) के अधीन आते है, भेज दी जायें, अभिलेख की प्रतिलिपि को तैयार करवायेगा।

32. **<u>अभिलेख के भेजे जाने की नोटिस --</u>**

जैसे ही लिखित प्रतिलिपि की अपेक्षित संख्या में प्रतियों और अभिलेख को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है, रजिस्ट्रार उसकी नोटिस पक्षकारों को देगा।

33. **<u>खण्ड (क) के कुछ नियमों का लागू होना --</u>**

खण्ड (क) के नियम 3, 5, 19 तथा 20 ऐसे संशोधनों तथा अनुकूलनों जो आवश्यक पायें जायें, के साथ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों को भी लागू होंगे।

खण्ड (ग): सुप्रीम कोर्ट डिक्रियाँ

34. **<u>सुप्रीम कोर्ट डिक्रियों का प्रवर्तन --</u>**

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित डिक्री या डिक्रियों का प्रवर्तन **Supreme Court (Decree and Orders) Enforcement Order, 1954** में दिये गये उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-VI: विधिक अभ्यासी (Legal Practitioners)

[अध्याय XXIV से XXVI]

अध्याय XXIV: [362] [अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) सहपठनीय धारा 16 (2) के अधीन निर्मित नियम]

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** --

(i) इन नियमों को ' वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति नियम, 1999' कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार तक होगा।

(iii) ये ऑफिशियल गजट (Official Gazette) में इसके प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना द्वारा प्रभाव में आयेंगे।

2. **परिभाषायें --**

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "अधिवक्ता "से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी नामावली में प्रविष्ट किसी अधिवक्ता से है।

(ख) "न्यायालय "से तात्पर्य न्यायालय के नियम, 1952 में परिभाषित न्यायालय से है।

(ग) "उच्च न्यायालय "से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (छ) में परिभाषित उच्च न्यायालय से है।

(घ) "नामावली "से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ताओं की नामसूची से है।

(ङ) पद "Standing at the Bar "से तात्पर्य अधिवक्ता द्वारा बार में अर्जित ख्याति की स्थिति, उसके अखण्डता के गुण, वरिष्ठता, विधिक कुशाग्रता और उच्च नैतिक मापदण्ड जो उसके द्वारा न्यायालय के भीतर और बाहर बनाये रखे जातें हैं, से है।

[363]**[3. अनुशंसा का तरीका --**

(1) अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति की अनुशंसा, एक समिति, जिसमें कम से कम 7 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसमे से दो इस न्यायालय की लखनऊ बेन्च के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, द्वारा उसकी योग्यता, बार में उसकी स्थिति तथा विधि में उसके

---

362 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 819/VIII-C-168 / Admin.'G' (संशोधन स्लिप सं0 228), दिनांक07.11.1999द्वारा

363 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 424/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 242), दिनांक16.12.2010द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक18.12.2010

अनुभव को ध्यान में रखते हुये की जायेगी। अनुशंसा को पूर्ण न्यायालय के विचारण के लिये अग्रसारित करने से पूर्व अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्त करने के लिये, उसकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

(2) केवल वही अधिवक्ता जिसकी कम से कम 20 वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो, अनुशंसित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के योग्य हो, को भी नियुक्त होने के लिये अनुशंसित किया जा सकता है।

(3) वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति के लिये अनुशंसा को यदि उसे, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, पूर्ण न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है यह समझा जायेगा।

परन्तु यह कि अधिवक्ता जिसका नाम पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, पूर्व प्रस्ताव के विचारण की तिथि से 2 वर्षों की समाप्ति के पूर्व, दुबारा विचारित किये जाने योग्य नहीं होगा।

<u>व्याख्या --</u> यदि पूर्ण न्यायालयी मीटिंग में, न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता के संबंध में मत डाला है, तब वह उपस्थित समझा जायेगा और उसने सभी अधिवक्ताओं के संबंध में मत डाला है यह समझा जायेगा।

(4) वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अनुशंसा का निर्णय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जायेगा।]

4. **<u>मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति --</u>**

(i) न्यायालय द्वारा अनुमोदन पर, संबंधित अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16के अधीन वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्त किया जायेगा।

(ii) रजिस्ट्रार, नियुक्ति को, रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्डिया, बॉर कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बॉर कौंसिल ऑफ इन्डिया को तथा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी जिला एवम् सत्र न्यायाधीशों को भी, अधिसूचित करेगा।

(iii) इस संबंध में न्यायालय की प्रक्रियाओं के अभिलेख का, भविष्य के सन्दर्भ में न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा रखरखाव किया जायेगा।

5. **<u>वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति के लिये प्रतिबन्ध --</u>**

वरिष्ठ अधिवक्ता, ऐसे प्रतिबन्धों के प्रभावाधीन होगा जिन्हें उच्च न्यायालय, बॉर कौंसिल ऑफ इन्डिया या बॉर कौंसिल ऑफ स्टेट निर्धारित करें।

6. **<u>पक्ष-प्रचार करना --</u>**

नामित व्यक्ति द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति के लिये पक्ष प्रचार करना, उसे ऐसे नियुक्त किये जाने से अयोग्य बनायेगा।

7. **<u>पुनर्विलोकन --</u>**

(i) वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्त होने के बाद, यदि न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है यह कि उसके आचरण या व्यवहार की वजह से चाहे न्यायालय के भीतर या बाहर, उसे न्यायालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठा / पहचान के उसके विशेषाधिकार को वह खो चुका है, तब मामले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्ण न्यायालय के समक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति को वापस लेने के लिये विचारण हेतु, रखा जा सकेगा।

(ii) यदि उपस्थित तथा मत डालने वाले बहुमत के न्यायाधीश गुप्त मतदान के माध्यम से बैठक में यह मत रखते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने उसके विशेषाधिकार को खो दिया है, न्यायालय उसकी वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति को वापस ले सकता है।

रजिस्ट्रार निर्णय को इन नियमों के नियम 4 के खण्ड (ii) में बताये तरीके से अधिसूचित करेगा।

<u>व्याख्या --</u>

एक न्यायाधीश जो अपना मत व्यक्त नहीं करता, उसने कोई मत देने से इन्कार कर दिया है, यह समझा जायेगा।

8. **<u>व्यावृत्ति --</u>**

इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, न्यायालय के सभी कार्य एवम् कार्यवाहियाँ अब तक अस्तित्व में रहे नियमों के अधीन सुरक्षित हैं।

9. **<u>निरसन--</u>**

इन नियमों के प्रभाव में आने की तिथि पर, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन इस संबंध में न्यायालय द्वारा बनाये गये सभी नियम निरसित हो जायेंगे।

[364] **<u>[धारा 34 (1) के अधीन गठित नियम]</u>**

1. <u>' अधिवक्ता ' शब्द की परिभाषा --</u>

---

364 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 85/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 220), दिनांक16.02.1990द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक20.04.1991

इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, शब्द 'Advocate' में ' Partnership' या ' Firm of Advocates' शामिल है।

2. **<u>न्यायालय में अधिवक्ता की उपस्थिति की निश्चित शर्तें--</u>**

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबन्धित होने के सिवाय कोई अधिवक्ता, किसी व्यक्ति के लिये किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय में उपस्थिति, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा जब तक कि अधिवक्ता, ऐसे व्यक्ति अथवा उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या ऐसी नियुक्ति के लिये, मुख्तारियत के अधीन या द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में नियुक्ति तथा इसकी स्वीकृति के प्रतीक में अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, नियुक्तिपत्र दाखिल न कर दे या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारुप में उपस्थिति के ज्ञापन को अधिवक्ता दाखिल न कर दे।

परन्तु यह कि जहाँ अधिवक्ता ने किसी कार्यवाही में पहले से ही नियुक्ति को दाखिल किया है, किसी अन्य अधिवक्ता के लिये, जिसे कार्यवाहियों में केवल अभिवचन के उद्देश्य से उपस्थित होने के लिये लगाया गया है, यह पर्याप्त होगा कि उपस्थिति के ज्ञापन को दाखिल करे या न्यायालय के समक्ष घोषित करे यह कि वह अधिवक्ता के निर्देश पर उपस्थित हुआ है जिसने पहले ही कार्यवाही मे उसकी नियुक्ति को दाखिल कर दिया है।

परन्तु आगे यह कि यहाँ कही गई कोई भी बात उस अधिवक्ता को लागू नहीं होगी जिससे कि न्यायालय ने किसी वाद या कार्यवाही में न्यायालय की मदद के लिये अनुरोध किया है या जिसे राज्य के खर्च पर किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोपी व्यक्ति को बचाने के लिये नियुक्त किया गया है।

<u>व्याख्या --</u> एक अलग नियुक्ति या उपस्थित का ज्ञापन प्रत्येक अलग-अलग जुड़ी हुई कार्यवाहियों में दाखिल किया जायेगा तथापि यह कि वही अधिवक्ता पक्षकार के लिये सभी जुड़ी कार्यवाहियों में बना रहता है।

[365] **[(2-क) -<u> वकालतनामा या उपस्थिति के ज्ञापन में अधिवक्ता का पूरा नाम, पता इत्यादि होगा --</u>**

स्टैम्प रिपोर्टर / ऑफिस, किसी वकालतनामा या उपस्थिति के ज्ञापन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि इस पर अधिवक्ता का पूरा नाम, उसके उच्च न्यायालय चैम्बर /

365 जोड़ा गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 235), दिनांक16.09.2006द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.09.2006

ऑफिस, यदि कोई हो, तथा आवास का पूरा पता टेलीफोन नम्बरों के साथ, यदि कोई हो, वकालतनामा हस्ताक्षरित करने की तिथि, Enrollment no. इत्यादि, नहीं दिया जाता।]

3. <u>अधिवक्ता जो अधिवक्ताओं की नामावली में नहीं हैं --</u>

एक अधिवक्ता, जो राज्य के बॉर कौन्सिल की अधिवक्ताओं की सूची पर नहीं है जिसमे न्यायालय स्थित है, ऐसे न्यायालय में वह उपस्थिति, कार्य या अभिवचन नहीं करेगा, जब तक कि वह ऐसे राज्य बॉर कौन्सिल की सूची पर उपस्थित अधिवक्ता के साथ, जो सामान्यतः ऐसे न्यायालय में अभ्यास करता हो, नियुक्ति दाखिल न कर दे।

उन मामलों में, जिनमे पक्षकार एक से ज्यादा अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत होता है, उन सभी के लिये यह आवश्यक होगा कि वे संयुक्त नियुक्ति दाखिल करें या उनमें से प्रत्येक के लिये अलग नियुक्ति दाखिल करे।

(3- क) [366] [***]

(3-ख) [367] [***]

4. <u>फर्म इत्यादि द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति --</u>

' Firm' या 'Partnership of advocates' की तरफ से नियुक्ति की स्वीकृति Partner द्वारा, ' Firm' या 'Partnership of advocates' की तरफ से Partner के रुप में उसका हस्ताक्षर लगाते हुये दर्शायी जायेगी।

5.<u> फर्म के लिये अधिवक्ताओं की नियुक्ति के बाद शर्तें--</u>

अधिवक्ता उसकी नियुक्ति की स्वीकृति के समय, इस पर उसके पते, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश III के नियम 5 के अर्थों में तामीली के लिये एक पता समझा जायेगा, को भी पृष्ठांकित करेगा।

परन्तु यह कि जहाँ एक से अधिक अधिवक्ता नियुक्ति को स्वीकार करते हैं, उनमें से कोई उसके पते जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश III के नियम 5 के अर्थों में तामीली के लिये एक पता समझा जायेगा, को पृष्ठांकित करे, यह पर्याप्त होगा। जहाँ किसी पक्षकार द्वारा किन्ही कार्यवाहियों में नियुक्त अधिवक्ता को तर्कसंगत कारण से उपस्थिति तथा किसी सुनवाई पर कार्यवाहियों के संचालन से रोक दिया गया है, वह किसी अन्य अधिवक्ता को सुनवाई पर उसके लिये उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है।

---

366 हटाया गया अधि0 सं0 424/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 242), दिनांक10.12.2010द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक18.12.2010

367 हटाया गया अधि0 सं0 424/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 242), दिनांक10.12.2010द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक18.12.2010

6. <u>सिविल या आपराधिक मामलें में अधिवक्ता की नियुक्ति --</u>

(1) सिविल मामलों में, अधिवक्ता की नियुक्ति, जब तक अन्यथा सीमित न हो, उस सीमा तक प्रभावी समझी जायेगी जो उसे उस तरफ से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश III के नियम 4 द्वारा उपबन्धित की गई है।

(2) आपराधिक मामलों में, अधिवक्ता की नियुक्ति, जब तक अन्यथा सीमित न हो, उस सीमा तक प्रभावी समझी जायेगी जब तक कि वह पक्षकार या अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, लिखित हस्ताक्षरित रुप में न्यायालय की अनुमति से निर्धारित न की जाये और न्यायालय मे दाखिल न की जाये या जब तक कि पक्षकार या अधिवक्ता की मृत्यु नहीं होती या जब तक कि वाद की सभी कार्यवाहियाँ, जहाँ तक कि पक्षकार का संबंध है, समाप्त नही हो जातीं।

(3) उपनियम (2) के उद्देश्यों के लिये, वाद का अर्थ समझा जायेगा, प्रत्येक प्रकार की पड़ताल, आपराधिक न्यायालय के समक्ष चल रहे विचारण या कार्यवाही, चाहे वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, से और आगे --

(i) वाद में जमानत के लिये आवेदन या जमानत को घटाने, बढाने या रद्द करने के लिये आवेदन;

(ii) एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को वाद के हस्तांतरण केलिये आवेदन;

(iii) लंबित वाद के Stay के लिये आवेदन, उसी संव्यवहार, जिससे वाद उद्भूत हुआ है के संबंध में सिविल कार्यवाहियों के व्ययन के लिये आवेदन;

(iv) वाद मे पारित दण्ड के आदेश के निष्पादन को निलंबित, विलंबित या रोकने के लिये आवेदन;

(v) वाद में संपत्ति के व्ययन के लिये पारित आदेश के अनुसार संपत्ति की वापसी, पुनर्स्थापन या पुनः दिलाने के लिये आवेदन;

(vi) वाद मे पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति के लिये आवेदन ;

(vii) वाद मे पारित किसी आदेश या दण्ड के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन;

(viii) वाद से उद्भूत निर्देश;

(ix) किसी वाद या वाद से उद्भूत किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण मे पारित किसी आदेश या दण्ड के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ;

(x) किसी वाद या वाद से उद्भूत किसी अपील, निर्देश, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन मे दिये गये दण्ड के समवर्त्ती दण्डों को देने के लिये आवेदन ;

(xi) किसी वाद (जिसमें सुप्रीम कोर्ट मे अपील की अनुमति के लिये आवेदन शामिल है) से उत्पन्न या उद्भूत किसी अपील, निर्देश पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन से संबंधित या आनुषंगिक या उत्पन्न हुआ या उद्भूत आवेदन;

(xii) इसमें पूर्ववर्णित किसी वाद या किन्ही कार्यवाहियों मे प्रस्तुत या दाखिल किये गये दस्तावेजों की प्रतियों को प्राप्त करने के लिये या सामानों या दस्तावेजों की वापसी के लिये कोई आवेदन या कार्य;

(xiii) इसमें पूर्ववर्णित किसी वाद या किन्ही कार्यवाहियों (जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अपील में अभिलिखित लिखित प्रतिलिपि की तैयारी तथा प्रिन्टिग के खर्च को समाविष्टित करने के लिये भुगतान की गई या जमा की गई राशि शामिल है) से संबंधित न्यायालय मे भुगतान की गई राशि या जमा की गई राशियों को वापस प्राप्त करने के लिये या वापसी या भुगतान की गई राशि या जमा से भुगतान या शेषराशि प्राप्त करने के लिये आवेदन या कार्य;

(xiv) किसी अपील, निर्देश, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की दशा मे, जिसमें उस तरफ से पारित हो चुके अंतिम आदेश के अनुसार, भुगतान किये गये या जुर्माने के रुप मे प्राप्त धन की वापसी या शेष की वापसी, बेदखल की गई या जब्त की गई संपत्ति के पुनर्स्थापन या रोकने, वापसी के लिये आवेदन;

(xv) किसी वाद या वाद से उद्भूत किसी अपील, निर्देश, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन मे अभिलेख या किये गये न्यायनिर्णय पर टिप्पणी या प्रेक्षण को पूर्णरुप से मिटाने के लिये आवेदन;

(xvi) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय XXXV के अधीन दण्ड देने या अभियोग लगाने के लिये किसी आवेदन या कार्यवाही या ऐसे आवेदन मे पारित किसी आदेश से उद्भूत या उत्पन्न हुई किसी अपील या पुनरीक्षण, को वाद की कार्यवाही समझा जायेगा।

परन्तु यह कि जहाँ वाद या कार्यवाहियों का स्थान एक न्यायालय (अधीनस्थ या अन्यथा) से दूसरे मे स्थानांतरित किया जाता है, उपरोक्त उपनियमों (1) और (2) मे उल्लिखित पूर्व न्यायालय मे अधिवक्ता द्वारा दाखिल नियुक्ति, उसे बाद वाले न्यायालय मे उपस्थिति, कार्य या अभिवचन के लिये बाध्य नहीं करेगी, जब तक कि वह / उसने बाद वाले न्यायालय मे उसके द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन, दाखिल न कर दे या को पहले ही दाखिल न कर दिया हो यह कि उसे उस न्यायालय मे उसके मुवक्किल द्वारा उपस्थिति, कार्य या अभिवचन के लिये निर्देश प्राप्त है।

7. <u>अधिवक्ता, पक्षकार की सहमति से अभिवचन करेंगे --</u>

(1) उस दशा को छोड़कर जब न्यायालय द्वारा या पक्षकार की सहमति से विशेष रुप से अधिकृत किया जाये, अधिवक्ता जिसने वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के संस्थित करने के संबंध मे सुझाव दिया है या जिसने ऐसे मामले के संबंध में अभिवचन तैयार किया हो या जिसने किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही की प्रगति के दौरान उसमे उपस्थिति, कार्य या अभिवचन पक्षकार के लिये किया हो। किसी अन्य व्यक्ति के लिये जिसका हित किसी प्रकार से ऐसे पक्षकार के हित के प्रतिकूल हो, को ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही या उससे उद्भूत या उससे संबंधित किसी मामले मे उद्भूत अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन में, उसकी सेवाओं, उपस्थिति कृत्य या अभिवचन के लिये नियुक्ति का अवसर नहीं देगा जब तक कि वह पक्षकार जिसको उसने सलाह दी है या जिसके लिये अभिवचन तैयार किया है, उपस्थिति, कार्य या अभिवचन किया है, को पहले सूचित न कर दे।

(2) जहाँ वाद के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि किसी पक्षकार के लिये किसी कार्यवाही मे अधिवक्ता की उपस्थिति उपरोक्त उपनियम (1) में बताये गये कारण से अन्य पक्षकार के हित के लिये हानिकर है, तो न्यायालय कथित अधिवक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किये जाने के बाद, उपस्थिति की अनुमति दाखिल किये जाने से इन्कार कर सकता है या यदि इसे पहले ही दाखिल किया जा चुका हो तो ऐसी उपस्थिति को रद्द का सकता है।

(3) अधिवक्ता, जो किसी पक्षकार को उसे अधिवक्ता के रुप मे अन्य पक्षकार द्वारा बतायी गई गुप्त बात, बगैर पश्चातवर्ती की सहमति के, प्रकट करता है, केवल इस कारण से संरक्षित नहीं होगा कि कथित पक्षकार के लिये उपस्थिति, कार्य या अभिवचन करने के लिये वह अनुमति प्राप्त है।

8. <u>पार्टनर की सहमति से अधिवक्ता की नियुक्ति --</u>

(क) ' Partnership of Advocates' या 'Firm' कि नियुक्ति, फर्म की तरफ से किसी पार्टनर द्वारा स्वीकृत हो सकेगी।

(ख) कोई ऐसी फर्म या पार्टनरशिप, किसी न्यायालय मे उपस्थिति, कार्य या अभिवचन के अधिकृत नहीं होगी जब तक कि उसके सभी पार्टनर ऐसे न्यायालय मे उपस्थिति, कृत्य या अभिवचन के अधिकारी न हों।

(ग) फर्म या पार्टनरशिप के नाम में, उन व्यक्तियों के नाम जो पार्टनरशिप के सदस्य थे या हैं, किन्तु कोई अन्य नहीं, होंगे।

(घ) शब्दों ' एण्ड कम्पनी ' को ऐसी किसी पार्टनरशिप या फर्म के नाम में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ड़) फर्म के सभी सदस्यों के नामों को, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार तथा / या जिला जज, जैसी भी स्थिति हो और स्टेट बॉर कौंसिल के साथ अभिलिखित किया जायेगा तथा Partners या Firm द्वारा जारी की गई सभी व्यवसायिक संसूचनाओं मे सभी Partners के नामों को भी बताया जायेगा।

(च) अधिवक्ताओं की फर्म, उच्च न्यायालय के रजिसट्रार या जिला जज, जैसी भी स्थिति हो, स्टेट बॉर कौंसिल को फर्म के संघटन मे किसी परिवर्तन या इसके विघटन के तथ्य को जिस दिन ऐसा परिवर्तन या इसका विघटन होता है उस तिथि से जितनी जल्दी हो सके अधिसूचित करेगी।

(छ) अधिवक्ताओं की फर्म का प्रत्येक पार्टनर, फर्म के सभी Partners के नामों को प्रकट करने के लिये बाध्य होगा, जब कभी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, जिला जज, स्टेट बॉर कौंसिल, जैसी भी स्थिति हो या किसी न्यायालय या किसी पक्षकार के लिये या के विरुद्ध, फर्म या उसके किसी पार्टनर ने नियुक्ति या उपस्थिति का ज्ञापन दाखिल किया है, द्वारा उसे ऐसा करने के लिये बुलाया जाये।

(ज) प्रत्येक वाद मे, जहाँ अधिवक्ताओं की फर्म का कोई पार्टनर, फर्म की तरफ से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है या लिखता है, वह ऐसा पार्टनरशिप के नाम में करेगा और उस पर पार्टनर के रुप में उसके हस्ताक्षर को लगाकर प्रमाणित करेगा।

(झ) न ही अधिवक्ताओं की फर्म और न ही उसका कोई पार्टनर, पक्षकार की तरफ से किसी मामले या कार्यवाही को, उपस्थिति, कृत्य या अभिवचन की, सलाह देगा जहाँ फर्म के किसी अन्य पार्टनर या फर्म द्वारा विपक्षी पक्षकार को प्रस्तुत किया जाता है।

9. <u>लिपिकीय त्रुटियों को अधिवक्ता ठीक करेंगे --</u>

अधिवक्ता, किन्ही कार्यवाहियों में किसी लिपिकीय त्रुटि को, न्यायालय द्वारा इस तरफ से विशेष रुप से सशक्त किये गये रजिस्ट्रार या न्यायालय के ऑफिस, की पूर्व अनुमति से, संशोधन वान्छनीय है, का कथन करने वाले ज्ञापन की प्राप्ति पर, दूर कर सकता है।

10. <u>सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निलंबन --</u>

कोई अधिवक्ता जिसे बाधित या निलंबित किया जा चुका है या जिसका नाम अधिवक्ताओं की नामावली से हटाया जा चुका है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश III के अर्थों में किसी तरह से मान्यताप्राप्त अभिकर्ता के रुप में कार्य करने के लिये अनुमत नहीं किया जायेगा।

[368]**[11. <u>अवमानना कारित करने के बाद अधिवक्ता की उपस्थिति --</u>**

(1) मुख्य न्यायाधीश किसी अधिवक्ता को, हड़लात पर जाने या अन्यथा, न्याय प्रशासन मे दखल करने के कारण, उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ न्यायालय में अभ्यास करने से रोक सकता है और जिला जज ऐसे किसी अधिवक्ता को उसकी Judgeship मे उपस्थिति से ऐसी अवधि जो आदेश में बतायी जाये से रोक सकता है।

<u>व्याख्या --</u> किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के समूह या किसी बार एसोसियेशन द्वारा न्यायालय में हड़ताल का सहारा लेना या न्यायालय से कार्य की तटस्थता, किसी विरोध के माध्यम से एक ऐसा कृत्य जिसका आशय न्याय प्रशासन मे दखल करना समझा जायेगा।

(2) उच्च न्यायालय, अधिवक्ता के विरुद्ध आपराधिक अवमानना के लिये कार्यवाही शुरु करते समय, ऐसे अधिवक्ता को उच्च न्यायालय या उससे अधीनस्थ किसी न्यायालय में अभ्यास करने से, उसे, उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान रोक सकता है।

(3) अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना के लिये दोषसिद्ध करने पर न्यायालय उसे उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालय मे, आदेश मे दी गई अवधि के लिये अभ्यास करने से रोक सकता है।

(4) मुख्य न्यायाधीश किसी अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी पाये जाने पर उसे उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में अभ्यास करने से रोक सकता है और जिलाजज उसी तरीके से अधिवक्ता को उसकी Judgeship के अधीन अभ्यास करने से रोक सकता है।

(5) ऐसी स्थिति में, जब वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ववर्ती उपनियमों में किसी के अधीन अभ्यास से रोका गया है, उसकी वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति, जब तक अभ्यास से उसको रोका गया है तब तक के लिये निलंबित समझी जायेगी।]

12. <u>न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ता की पोशाक --</u>

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाल अधिवक्ता, निम्न पोशाक धारण करेगा --

(1) महिला अधिवक्ता को छोड़कर अन्य अधिवक्ता --

(क) काला गलाबन्द कोट, चपकन, अचकन या शेरवानी, बैरिस्टर का गाउन तथा बैन्ड ; या

---

368 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 424/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 242), दिनांक10.12.2010द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक18.12.2010

(ख) काला खुले कॉलर वाला कोट, सफेद शर्ट, सफेद कॉलर, सख्त या मुलायम, बैरिस्टर के गाउन तथा बैन्ड के साथ ;

अध्याय XXV

[369] **[***]**

अध्याय XXVI: [370] इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अधिवक्ता क्लर्क (रजिस्ट्रीकरण एवम् आचार), 1997[371]

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --**

(1) इन नियमों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता क्लर्क (रजिस्ट्रीकरण एवम् आचार) नियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह, इनके राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आयेंगे।

अध्याय I

सामान्य

2. **परिभाषायें-**

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमो में --

(क) "अधिवक्ता" से तात्पर्य, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में परिभाषित अधिवक्ता से है।

(ख) "अधिवक्ता क्लर्क" से तात्पर्य, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत या पैनल में शामिल, अधिवक्ता के क्लर्क से है।

(ग) "सक्षम प्रधिकारी" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रार ने इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिये नामांकित किया है, से है।

(घ) "न्यायालय "से तात्पर्य उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (एकीकरण) आदेश, 1948 द्वारा गठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से है।

(ड़) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य न्यायालय के रजिस्ट्रार से है जैसा कि न्यायालय के नियम, 1952 में परिभाषित किया गया है।

(च) "नामावली" से तात्पर्य अधिवक्ताओं के क्लर्क की नामावली से है जो कि इन नियमों के अधीन तैयार की गई एवम् रखी गई है।

---

369 हटाया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 217), दिनांक16.02.1990द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक20.04.1991

370 द्वारा अधि0 सं0 511/III-d-1 (संशोधन पर्ची सं0 227), दिनांक01.09.1998द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक17.10.1998

371 समस्त शीर्षक एवम् इस अध्याय के नियमों को बदल कर प्रतिस्थापित किया गया

3. **<u>नामावली का तैयार किया जाना एवम् रखरखाव किया जाना --</u>**

(1) सक्षम प्राधिकरण, नामावली को तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा जिसमें -

(i) उन व्यक्तियों के नाम होंगे जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि पर अधिवक्ता के क्लर्क के रुप में कार्यरत हैं; और

(ii) उन व्यक्तियों के नाम होंगे जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात, अधिवक्ता के क्लर्क के रुप में कार्यरत हैं;

(2) नामावली में अधिवक्ता के क्लर्क की निम्न जानकारियाँ होंगी --

(क) उसका नाम और पता

(ख) उसकी उम्र

(ग) उसका पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ

(घ) उसकी नियुक्ति की तारीख

(ड़) उस अधिवक्ता का नाम, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है।

4. **<u>क्लर्क के रुप मे कार्य करने से निषेध --</u>**

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अधिवक्ता के क्लर्क के रुप मे और जब तक कि उसका नाम, नामावली में दाखिल न कर लिया गया हो, कार्य नहीं करेगा।

5. **<u>अधिवक्ता क्लर्क के लिये अर्हता --</u>**

नियमों के उपबन्धों के प्रभावाधीन, कोई व्यक्ति अधिवक्ता क्लर्क होने के लिये अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह --

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) 21वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो,

(ग) इन्टरमीडियेट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो,

(घ) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं मे निपुणता न रखे,

(ड़) अधिवक्ता के ऑफिस मे रजिस्टर्ड अधिवक्ता क्लर्क के अधीन एक वर्ष कार्य न कर चुका हो,

परन्तु खण्ड (ग), (घ) एवम् (ड़) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे; जो इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को, पहले से ही अधिवक्ता क्लर्क के रुप में रजिस्ट्रीकृत हो गया हो।

6. **<u>सदस्यता से निर्हता --</u>**

(1) कोई व्यक्ति अधिवक्ता क्लर्क के रुप मे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा:

(क) यदि वह ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध है जिसमे नैतिक अधमता या चरित्र का दोष दर्शाना शामिल है।

(ख) यदि वह ऋण का भुगतान न करने वाला दिवालिया हो।

(ग) यदि उसे कभी दलाल (Tout) घोषित किया गया हो,

(घ) यदि वह किसी स्पर्श से फैलनेवाली या संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो।

अध्याय II

क्लर्कों के रजिस्ट्रेशन के लिये पैनल तैयार करने की प्रक्रिया

7. **<u>पैनल का तैयार किया जाना -</u>**

(1) सक्षम प्राधिकरण यह सुनिशदचित करेगा कि वर्ष में कितने क्लर्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और उसके पश्चात उन उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये लिखित परीक्षा करायेगा। यह परीक्षा वर्ष मे एक बार जो मुख्यतः जून के महीने मे होगी।

(2) सक्षम प्राधिकरण निम्न विषयों की लिखित परीक्षा कराने के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और ऐसे परीक्षा शुल्क की माँग करेगा जैसा यह आवश्यक समझे:

(क) सामान्य अंग्रेजी,

(ख) सामान्य हिन्दी,

(ग) सामान्य प्रक्रिया जिसमे न्यायालय के नियम, 1952 तथा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, पर प्रश्नों को शामिल किया जायेगा।

(घ) खातों का रखरखाव

(3) लिखित परीक्षा मे प्राप्त, प्राप्तांकों के आधार पर, जो 50 % से कम किसी भी दशा में नहीं होंगे, सक्षम प्राधिकरण "Panel of Candidates "मेरिट के क्रम मे तैयार करेगा। इस पैनल मे ऐसी संख्या मे उम्मीदवार होंगे जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाये, जिसमे संभवतः उतने क्लर्क होंगे जितने को वर्ष के दौरान नियुक्त किया जा सके।

(4) उपनियम (3) मे तैयार पैनल को, रजिस्ट्रार के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर, इसकी प्रति लगाकर प्रकाशित किया जायेगा।

(5) इस प्रकार से पैनल का सदस्य होने वाला कोई व्यक्ति, अधिवक्ता के क्लर्क के रुप मे नियुक्ति किये जाने के योग्य होगा।

(6) पैनल के सदस्य को अधिवक्ता क्लर्क के रुप मे काम करने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसे किसी अधिवक्ता द्वारा काम पर न रख लिया गया हो और उसका नाम ठीक ढंग से "नामावली "मे दाखिल न कर लिया गया हो।

8. **<u>कार्य पर रखने के नियम एवम् शर्ते --</u>**

अधिवक्ता क्लर्क को दी जाने वाली फीस 750 /- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी। कार्य पर रखने के अन्य नियम और शर्ते वह होंगी जिन पर वह एवम् संबंधित अधिवक्ता आपस में

सहमत होते है और सभी प्रकार से इन नियमों के उपबन्धों एवम् समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों से नियंत्रित होंगे।

9. **नामावली** [372]**[पर] रजिस्ट्रीकृत होने के लिये आवेदन --**

(1) कोई व्यक्ति जिसका नाम नियम 7 के अधीन तैयार पैनल मे प्रकाशित हुआ है और उसने इस प्रकार पैनल का सदस्य बनने के बाद अधिवक्ता के ऑफिस मे रजिस्टर्ड क्लर्क के अधीन एक वर्ष कार्य किया है, एक अधिवक्ता द्वारा उसके क्लर्क के रुप मे काम करने के लिये नियुक्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति सक्षम प्रधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन देगा जिसमे निम्न जानकारियाँ होंगी --

(i) पूरा नाम और पता

(ii) जन्मतिथि

(iii) उस अधिवक्ता का पूरा नाम, पूरा पता, इनरॉलमेन्ट नंबर, जिसने कि उसे नियुक्त किया है।

(iv) उसकी नियुक्ति की तिथि

(v) पासपोर्ट साइज 3 नवीनतम फोटोग्राफ

(vi) वह क्रमांक जिस पर उसका नाम पैनल में प्रकाशित किया गया है।

(2) आवेदन में घोषणा होगी यह कि आवेदक नियम 6 के अधीन किसी प्रकार की निर्योग्यता से बाधित/ पीड़ित नहीं है।

(3) आवेदन के साथ रजिस्टर्ड अधिवक्ता क्लर्क, जिसके अधीन आवेदक ने एक वर्ष काम किया है, का प्रमाणपत्र दिया जायेगा जो प्रमाणित करेगा यह कि आवेदक को नियमों का काम-चलाऊ ज्ञान और न्यायालय का अभ्यास है, वह हिन्दी और अंग्रेजी को अच्छे ढंग से पढ लिख सकता है और खातों का रखरखाव कर सकता है।

(4) आवेदन के साथ उस अधिवक्ता का प्रमाणपत्र भी होगा जिसने आवेदक को नियुक्त किया है यह कि ऐसे अधिवक्ता ने आवेदक को उसके क्लर्क के रुप मे काम करने के लिये नियुक्त किया है, यह कि उसके काम करने की दशा मे उसको दिया जाने वाला Retainer 750 /- रुपये प्रतिमाह से कम नही होगा, यह कि वह ईमानदार और अच्छे चरित्र का है और आवेदन के साथ दी गई प्रविष्टियाँ सही हैं।

---

372 संशोधनपत्र D.O. No. 19474 / III-d-1 / Lib द्वारा दिनांक 17.11.1998, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक02.01.1999

(5) यदि परीक्षण पर, सक्षम प्राधिकरण पाता है कि आवेदन उचित क्रम मे है, वह आवेदक का नाम, नामावली में दाखिल करेगा।

परन्तु यह कि किसी निर्धारित समय पर किसी अधिवक्ता के लिये 4 से ज्यादा अधिवक्ता क्लर्क रजिस्ट्रीकृत नहीं किये जायेंगे।

10. **रजिस्ट्रेशन फीस --**

(1) नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन, 100 /- रुपये की फीस के साथ होगा और नवीनीकरण फीस 25 /- रुपये प्रति उत्तरवर्ती कैलेन्डर वर्ष की 31 जनवरी तक देय होगी। ऐसा करने में असफल होने पर सक्षम प्रधिकरण नामावली से अधिवक्ता क्लर्क का नाम हटा देगा।

(2) जहाँ किसी क्लर्क का नाम पूर्ववर्ती पैराग्राफ के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है, उसका नाम पुनः रजिस्ट्रीकृत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह 50 /-रुपये नवीनीकरण फीस के साथ बकाया राशि 25 /- रुपये प्रतिवर्ष (या वर्ष खण्ड) की अतिरिक्त राशि चूक की अवधि के लिये, Penalty के रुप मे जमा नहीं करता।

परन्तु यह कि सक्षम प्रधिकरण, यदि सन्तुष्ट होता है, यह कि शपथपत्र पर य़ा अन्यथा दिये गये उचित एवम् पर्याप्त कारणों से, उस समय के लिये या उस समय के कुछ भाग के लिये जब उसने अधिवक्ता क्लर्क के रुप मे काम करना बन्द कर दिया था, Penalty त्याग सकता है।

11. **पैनल या नामावली से नाम का हटाया जाना --**

सक्षम प्राधिकरण, नामावली या पैनल से, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति का नाम हटा सकता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जो नियम 6 मे वर्णित निर्योग्यता का परिणाम भुगत रहा है या जो दुर्व्यवहार या झूठी घोषणा या कपट या किसी बात को दबा देने या मिथ्या प्रस्तुति या घोर अनुचित व्यवहार का दोषी, उसके व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते समय पाया जाता है या इन नियमों के किसी उपबन्ध को भंग करता है या न्यायालय द्वारा उसकी भर्त्सना की गई हो या उससे उस प्रभाव का अनुरोध प्राप्त हुआ हो या जिसके संबंध मे उसके नाम को इन नियमों के अनुसार या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से, जैसे कि अधिवक्ता के साथ व्यस्तता की समाप्ति, नामावली से हटा दिये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है।

अध्याय III

12. **कार्य, जिन्हें रजिस्टर्ड क्लर्क कर सकता है --**

(क) रजिस्टर्ड क्लर्क न्यायालय के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं लायेगा या कोई बहस नही करेगा और नहीं शपथपत्र पर वादकारी के पैरोकार के रुप मे शपथ लेगा जब तक कि उसे वादकारी के मुख्तारनामे द्वारा सामान्य या विशिष्ट शक्ति से प्रधिकृत न कर दिया गया हो। मुख्तारनामे के लिये आग्रह वहाँ नहीं किया जायेगा जहाँ आदेश को Restore / Recall करने का आवेदन उस वाद मे, जो कि चूक की वजह से खारिज कर दिया गया है / अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय व्ययनित कर दिया गया है, किया गया है। वह दैनिक प्रकृति के कार्य कर सकता है जिनमे कि अधिवक्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और वह निम्न प्रकार के कार्य कर सकता है। नामतः --

(1) अधिवक्ता जिसके साथ वह रजिस्ट्रीकृत है, की तरफ से नोटिस ले सकेगा।

(2) Stamp Reporter से अपील या आवेदन की रिपोर्ट, इसके प्रस्तुतिकरण से पहले प्राप्त कर सकेगा।

(3) न्यायालय के रीडर या रजिस्ट्रार के समक्ष अपील या आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) स्थगन के लिये आवेदन पर ऑफिस रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा।

(5) किसी अपील या आवेदन, जो रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया गया है; यदि वह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये लौटाया जाता है, को वापस ले सकेगा।

(6) अधिवक्ता, जिसके साथ वह रजिस्ट्रीकृत है, के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन को रजिस्ट्रार या सक्षम प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा --

(क) दस्तावेज की प्रति;

(ख) अभिलेख के अवलोकन,

(ग) दस्तावेज को लौटाने,

(घ) अतिरिक्त बकाया की वापसी,

(ड़) अनुवाद एवम् प्रिन्टिग ; या

(च) दस्तावेज के लिप्यान्तरण या अनुवाद या ऐसे लिप्यान्तरण या अनुवाद के पुष्टिकरण, के लिये

(7) Stamp Reporter की Deficiency Report से टिप्पणियाँ लेगा और आवश्यक Stamps को दाखिल कर सकेगा।

(8) उसके मालिक द्वारा यदि अधिकृत किया जाता है और न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर, अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा।

(9) धन जमा कर सकता है तथा न्यायालयी फीस का भुगतान कर सकता है।

(10) पेपरबुक, प्रमाणित प्रतियाँ इत्यादि प्राप्त कर सकता है।

(11) वकालतनामा या Retainer's Slip या फीस का प्रमाणपत्र दाखिल कर सकता है। या

(12) उसके साथ अभिलेख का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति या शपथपत्र पर शपथ लेने वाले व्यक्ति की पहचान कर सकेगा।

परन्तु यह कि रजिस्टर्ड क्लर्क उसके हस्ताक्षर के नीचे सदैव अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखेगा।

इस नियम के अधीन बताये गये कार्य, उन मामलों मे जहाँ राज्य पक्षकार है, State Law Officers के ऐसे क्लर्क द्वारा किये जा सकेंगे जो सरकारी अधिवक्ता या स्थाई अधिवक्ता द्वारा इसके लिये अधिकृत किये गये हों। ऐसे क्लर्कों की संख्या किसी भी समय 4 से ज्यादा नहीं होगी और उनके नाम रजिस्ट्रार या सक्षम प्रधिकारी को संसूचित किये जायेंगे।

(ख) अधिवक्ता क्लर्क, किसी अन्य वकील के लिये कार्य नहीं करेगा उसको छोड़कर जिसके साथ वह रजिस्टर्ड है। इन नियमों के नियम 11 के प्रयोजनों के लिये ऐसा कृत्य दुर्व्यवहार एवम् नियम 14 के उद्देश्यों के लिये कदाचार, समझा जायेगा।

13. **<u>पहचानपत्र, पोशाक और नेमप्लेट --</u>**

(i) रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक अधिवक्ता क्लर्क जिसका नाम नामावली मे प्रविष्ट किया गया है, को पहचानपत्र जारी करेगा।

(ii) प्रत्येक अधिवक्ता क्लर्क, उसके व्यक्तिगत पहचानपत्र को अपने पास, जब वह किसी न्यायालय या न्यायालय के ऑफिस मे जाता है, रखेगा और न्यायालय के किसी ऑफिसर की माँग पर इसे प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

(iii) कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता क्लर्क होने से रोक दिया जाता है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पहचानपत्र समर्पित कर देगा।

(iv) पहचानपत्र के खो जाने या विकृत हो जाने की दशा मे, अधिवक्ता क्लर्क के आवेदन पर जिसके साथ दो नवीनतम फोटोग्राफ और 50 /- रुपये फीस संलग्न होगी, प्राधिकारी द्वारा नया पहचानपत्र जारी किया जायेगा।

(v) प्रत्येक अधिवक्ता क्लर्क उसके दायित्वों के निर्वहन मे, काला कोट या शेरवानी, जिस पर उसकी छाती की बाँयी पॉकेट के ऊपर नेमप्लेट / टैग जिस पर उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा होगा, पहनेगा।

अध्याय IV

अधिवक्ता के क्लर्क का आचरण

14. **<u>अधिवक्ता क्लर्क को कदाचार के लिये दण्ड --</u>**

(1) जहाँ शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा, रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकरण यह विश्वास करने का कारण रखता है यह कि किसी अधिवक्ता क्लर्क ने व्यवसायिक या अन्य कदाचार किया है, तो यह एक इन्क्यायरी ऑफिसर (Enquiry Officer) शिकायत की जाँच मे नियुक्त करेगा।

(2) इन्क्यायरी ऑफिसर (Enquiry Officer), ऐसे अधिवक्ता क्लर्क को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, पड़ताल करेगा और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकरण को देगा।

(3) रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकरण, इन्क्यायरी ऑफिसर (Enquiry Officer) की रिपोर्ट की प्राप्ति पर और संबंधित अधिवक्ता क्लर्क को इन्क्यायरी ऑफिसर (Enquiry Officer) की रिपोर्ट के खिलाफ लिखित कथन देने का मौका देने और यदि प्रार्थना की जाती है तो मौखिक रुप से सुनने के बाद, निम्न आदेशों मे से कोई या अधिक आदेश पारित कर सकता है --

(क) नाम का नामावली या पैनल से हटाया जाना;

(ख) जुर्माना लगाना जो 500 /- रुपये तक हो सकेगा ; या

(ग) रजिस्ट्रेशन को उतने समय, जितना कि वह उचित समझे, के लिये निलंबित करना।

(4) जहाँ रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया गया है, ऐसा अधिवक्ता क्लर्क, क्लर्क के रुप मे काम करने से या इन नियमो के द्वारा अनुज्ञेय किसी काम को करने से, निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिबन्धित होगा।

(5) इस नियम के अधीन पड़ताल के दौरान, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना क्लर्क को अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकरण, इस नियम के अधीन पड़ताल पर गहनता से विचार करते समय या पड़ताल के लंबित रहने के दौरान, क्लर्क को निलंबित कर सकेगा।
ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान क्लर्क नियम 12 मे बताये गये किसी कार्य को करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

15. **मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीश के समक्ष प्रतिनिधान करना --**

(1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार या सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियम 10 के उपनियम (3) के अधीन दिये आदेश से पीड़ित है, उसे आदेश की संसूचना या अधिसूचना या उसकी अधिसूचना, रजिस्ट्रार के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने, जो भी पहले हो, के 60 दिनो के भीतर, मुख्य न्यायाधीश द्वारा उद्देश्य के लिये नियुक्त किये गये न्यायाधीश को उसका पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु न्यायाधीश, उचित और पर्याप्त कारणों के लिये, परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद, देरी के लिये क्षमा प्रदान कर सकता है और उसके पक्ष प्रस्तुतिकरण को सुन सकता है।

(2) न्यायाधीश प्रस्तुतिकरण पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(3) ऐसे प्रस्तुतिकरण मे मर्यादित भाषा मे पीड़ित क्लर्क द्वारा सभी कथन, जिन्हें वह पेश करने का आशय रखता है, होंगे तथा इसके साथ दस्तावेज या उनकी प्रतियाँ जिनपर वह निर्भर करता है, लगाये जायेंगे।

(4) प्रस्तुतिकरण को, प्रस्तुतिकर्ता को बुलाकर या उसके अधिवक्ता के द्वारा, उसके समर्थन मे सुना जाना आवश्यक नही होगा।

16. न्यायालय के नियम, 1952 के अध्याय XXVI मे वर्णित नियम इन नियमों के प्रवर्तन मे आने की तिथि से निरसित हो जायेंगे।

भाग-VII: विशिष्ट उपबन्ध

[अध्याय XXVII से XXXV-ड़ तक]

अध्याय XXVII: [373] [इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 तथा अन्य अधिनियमों जिनमे सेल्स टैक्स एक्ट के अधीन पुनरीक्षण शामिल है, के अधीन निर्देश]

1. **आवेदन का शीर्षक --**

इन्कम टैक्स एक्ट, 1961, की धारा 256 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन (यहाँ इसके बाद इस अध्याय मे अधिनियम कहा जायेगा।) का शीर्षक होगा --

In the High Court of judicature at Allahabad

Income Tax Case No. .... of ....

[374] **[Under Sub-Section (2) of Section 256 of the Income Tax Act, 1961]**

.... Applicant

Versus

.... Opposite Party

2. **पक्षकारों का व्यवस्थित क्रम मे रखा जाना --**

कर निर्धारिती की तरफ से प्रस्तुत आवेदन मे, विपक्षी पक्षकार कमिश्नर, इन्कम टैक्स होगा और कमिश्नर, इन्कम टैक्स की तरफ से प्रस्तुत आवेदन मे कर निर्धारिती होगा।

3. [375] **[अधिनियम की धारा 256 (2)] के अधीन आवेदन एवम् शपथपत्र -**

(1) अधिनियम की [376] [धारा 256] की उपधारा (2) के अधीन आवेदन स्पष्ट और त्रुटि हीन भाषा मे विधि के प्रश्न का कथन करेगा जिस पर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने न्यायालय को निर्देश करने की अपेक्षा की है और उसमे महत्वपूर्ण तथ्यों जिससे यह उद्भूत होता है का संक्षिप्त कथन होगा। आवेदन के साथ [377] [अधिनियम की धारा 256 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन], अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मामले को व्यक्त करने से इन्कार करने का आदेश,

---

373 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

374 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

375 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

376 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

377 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

[378][अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (1)] के अधीन अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश, अपीलीय असिसटेन्ट कमिश्नर का आदेश और इन्कम टैक्स ऑफिसर का आदेश, की प्रतियाँ होंगी।

[379] [परन्तु यह कि अपीलीय असिसटेन्ट कमिश्नर का आदेश और / या इन्कम टैक्स ऑफिसर के आदेश की प्रतियाँ सत्य प्रतियाँ हो सकेंगी, जो आवेदक के अधिवक्ता द्वारा सही प्रमाणित की जायेंगी या आवेदक के शपथपत्र द्वारा सत्य प्रमाणित की जायेंगी।]

(2) [380][∗∗∗]

(3) आवेदक उपनियम (1) के अधीन [381][∗∗∗], जहाँ परिस्थितियों द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, भी शपथपत्र के साथ होगा।

4. **<u>आवेदन का प्रस्तुत किया जाना --</u>**

आवेदन के साथ दो प्रतियाँ उसकी साथ ही साथ नियम 3 (3) के अधीन दाखिल शपथपत्र, यदि कोई हो, की होंगी और इसे रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। [382] [इस पर, अध्याय XI, जहाँ तक यह लागू हो, के अधीन ऑफिस रिपोर्ट लगी होगी।] आवेदन को प्रकीर्ण वाद के रुप मे संख्याकित एवम् रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

[383] [परन्तु यह कि जहाँ एक से ज्यादा आवेदन एक साथ दाखिल किये गये हैं, रजिस्ट्रार, वादों मे, आदेशों की प्रतियाँ जो उस सभी मे समान हैं, जहाँ वे आवेदनों मे एक साथ दाखिल किये गये हैं, दाखिल किया जाना छोड़ सकता है।]

[384] **[5. <u>शपथपत्र के लिये विशिष्ट शर्तें --</u>**

---

378 संस्थित किया गया अधि0 सं0 492/VIII-C-127, दिनांक17.12.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक16.12.1967

379 जोड़ा गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

380 हटाया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

381 हटाया गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

382 जोड़ा गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

383 जोड़ा गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा

384 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

(1) कर निर्धारिती द्वारा किया, गया आवेदन तामीली के शपथपत्र के साथ होगा जो कथन करेगा यह कि आवेदन की दो प्रतियाँ अन्य कागजातों या इसके साथ के शपथपत्र के साथ, संबंधित विभाग की तरफ से नोटिस को प्राप्त करने के लिये अधिकृत स्थाई अधिवक्ता पर तामील की जा चुकी है और आगे कथन करेगा यह कि आवेदन के न्यायालय मे दाखिल करने की तिथि स्थाई अधिवक्ता को सूचित की जा चुकी है।

(2) कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा किया गया आवेदन साधारणतः तामीली के शपथपत्र के साथ होगा जो कथन करेगा यह कि आवेदन, अन्य कागजातों एवम् इसके साथ के शपथपत्र, की प्रति के साथ इन्कम टैक्स एक्ट, 1961द्वारा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर निर्धारिती पर तामील किया जा चुका है और यह भी कथन करेगा यह कि कर निर्धारिती को लिखित मे न्यायालय मे दाखिल करने के तिथि तथा आवेदन की सुनवाई की तिथि सूचित की जा चुकी है।

परन्तु यह कि यदि समयाभाव के कारण या अन्य पर्याप्त कारण से, कमिश्नर द्वारा दाखिल आवेदन के साथ तामीली का शपथपत्र नहीं है, उपरोक्त कथित शपथपत्र आवेदन के संस्थित किये जाने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जायेगा।

(3) प्रति-शपथपत्र, यदि कोई हो, आवेदन की तामीली से दो सप्ताह के भीतर, उसकी प्रति की तामीली आवेदक के अधिवक्ता पर करने के बाद, दाखिल किया जा सकेगा, प्रति-उत्तर शपथपत्र को उसी प्रकार से अन्य एक सप्ताह मे दाखिल किया जा सकेगा।]

6. आवेदन को विशेष रुप से गठित डिवीजन बेन्च द्वारा सुना जायेगा --

मुख्य न्यायाधीश द्वारा जब तक अन्यथा आदेशित न हो, रजिस्ट्रार निर्देश देगा यह कि आवेदन को, मुख्य न्यायाधीश के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा नियुक्त की गई डिवीजन बेन्च के समक्ष, इस अध्याय के अधीन, उस तिथि पर [385] [जो संस्थित किये जाने की तिथि, शपथपत्र और प्रतिशपथपत्र के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त किया जाता है के 6 सप्ताह की समाप्ति के तुरन्त बाद] या (यदि न्यायालय उस दिन न बैठे तो अगले कार्यदिवस पर, सुनवाई के लिये रखा जाये) ।

[386] [***]

[387] **[7. त्रुटिपूर्ण आवेदन, एक सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किये जायेंगे --**

---

385 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

386 हटाया गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

रजिस्ट्रार त्रुटिपूर्ण आवेदन (जैसे कि स्टैम्प की अपर्याप्तता या समय द्वारा बाधित होना आदि) को, मुख्य न्यायाधीश के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा इस अध्याय के अधीन आवेदनों की सुनवाई के लिये नियुक्त की गई डिवीजन बेन्च के समक्ष, आदेशों के लिये, इसके संस्थित किये जाने के एक सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध करेगा।

8. <u>बेन्च नयी नोटिस का निर्देश दे सकती है --</u>

बेन्च किसी वाद में, विपक्षी पक्षकारों या उनमे से किसी पर नये सिरे से आवेदन की तामीली प्रभावी हो का निर्देश दे सकती है।]

9. [388][***]

10. <u>नोटिस की तामीली अधिवक्ता स्वीकार करेंगे --</u>

पक्षकारों के अधिवक्ता, पक्षकार जो उनके द्वारा प्रस्तुत होते हैं, की तरफ से न्यायालय या अपीलीय अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी की गई किसी नोटिस या [389] [नियम 5] [390][***] के अधीन प्रतियों, जब तक कि वाद को अंतिम रुप से व्ययनित न कर दिया जाये, की तामीली को स्वीकार करने के लिये बाध्य होंगे।

पक्षकार के लिये उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं मे कोई परिवर्तन तुरन्त इसके द्वारा न्यायालय, अपीलीय ट्रिब्यूनल तथा विपक्षी पक्षकार, को अधिसूचित किया जायेगा।

11. <u>आवेदन पर आदेश --</u>

आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि पर, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के बाद, यदि वे उपस्थित होते है, या तो इसे खारिज करने का आदेश पारित कर सकता है या [391] [अधिनियम की धारा 256 की उपधारा (2)] के अधीन आवेदन की दशा में, अपीलीय

---

387 जोड़ा गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

388 हटाया गया अधि0 सं0 88/VIII-C-127, दिनांक15.03.1971द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.08.1971

389 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 88/VIII-C-127, दिनांक15.03.1971द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.08.1971

390 हटाया गया अधि0 सं0 652/VIII-C-127, दिनांक08.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

391 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

अधिकरण से वाद का कथन करने की तथा इसे न्यायालय [392] [***] को निर्देशित करने की अपेक्षा कर सकता है।

12.. अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्देश का प्रारुप --

अपीलीय अधिकरण द्वारा न्यायालय को निर्देशित वाद का कथन, स्पष्ट रुप से वाद में उद्भूत हुये विधि के प्रश्न को दर्शायेगा और संक्षिप्त रुप मे ऐसे तथ्यों जो न्यायालय को इसे निर्णीत करने मे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, का कथन करेगा। इसमे ऐसे सभी दस्तावेज जो न्यायालय को प्रश्न का निर्णय लेने मे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, भी सुसंगत होंगे और ऐसे दस्तावेजों तथा उनसे सुसंगत उद्वरणों की प्रतियों के साथ होगा। कथन मे वाद मे उद्भूत एक से ज्यादा विधि के प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

13. अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्देश की नोटिस --

अधिनियम की धारा [393] [256] की उपधारा (1) या (2) के अधीन अपीलीय अधिकरण द्वारा न्यायालय को उल्लिखित, वाद के कथन की प्राप्ति पर, उसकि नोटिस पक्षकारों को दी जायेगी और रजिस्ट्रार उस पक्षकार को बुलायेगा जिसके कहने पर निर्देश, [394][उपस्थिति की प्रविष्टि के लिये निर्धारित तिथि से 4 सप्ताह में] तैयार किया गया है या करवाया जायेगा। रजिस्ट्रार प्रदर्शित किये गये पर्याप्त कारण के लिये ऐसे समय को बढा सकता है।

[395] **[(13-क)** जहाँ संबंधित पक्षकार, पूर्ववर्ती नियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत समय के भीतर पेपरबुक तैयार करने या करवाने मे असफल होता है, वाद को, संबंधित बेन्च के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा और न्यायालय को उल्लिखित प्रश्न अनुत्तरित लौटाया जा सकेगा सिवाय तब कि जब इस तरफ से लिखित मे किये आवेदन पर, न्यायालय दिखाये गये पर्याप्त कारण के लिये पेपरबुक को तैयार करने के लिये अतिरिक्त समय न प्रदान कर दे।]

14. पेपरबुक --

(1) पेपरबुक मे, Fly-leaf, General Index और निम्न कागजातों की निश्चित प्रतियाँ होंगी, नामतः --

---

392 हटाया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

393 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

394 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 170/VIII-C-90दिनांक24.04.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक05.12.1964

395 जोड़ा गया अधि0 सं0 333/VIII-C-127, दिनांक13.11.1961द्वारा,

(i) आवेदन और इसके साथ का शपथपत्र, यदि कोई हो,

(ii) आवेदन और इसके साथ के शपथपत्र की प्रतिक्रिया, यदि कोई हो,

(iii) अधिनियम की [396] [धारा 256 की उपधारा (2)] के अधीन न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश

(iv) वाद का कथन तथा दस्तावेजों के उससे उद्‌वरणों की प्रतियाँ, यदि कोई हों, जो वाद का भाग बनाती हों।

(v) वाद के कथन से पक्षकार द्वारा की गई कोई आपत्ति

[397] [(v-क) अधिनियम की धारा 256 (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष किया गया आवेदन]

(vi) अधिनियम की [398][धारा 254 की उपधारा (1)] के अधीन अपीलीय अधिकरण का आदेश

(vii) अपीलीय असिसटेन्ट कमिश्नर का आदेश; तथा

(viii) इन्कम टैक्स ऑफिसर का आदेश

(2) जहाँ अधिनियम की [399][धारा 258] के अधीन वाद अपीलीय अधिकरण को वापस उल्लिखित किया जाता है, वाद के कथन की प्रति, जैसी की कथित अधिकरण द्वारा बढायी या परिवर्तित की जाये, पेपरबुक मे भी जोड़ी जायेगी।

(3) यदि कोई पक्षकार चाहता है कि किसी अन्य दस्तावेज की प्रति को पेपरबुक मे, इस आधार पर कि न्यायालय को निर्देशित विधि के प्रश्न के निर्धारण के लिये यह आवश्यक है, शामिल किया जाये, यह रजिस्ट्रार को लिखित मे इस दस्तावेज की सुसंगतता की व्याख्या करते हुये आवेदन करेगा। रजिस्ट्रार आवेदन की नोटिस दूसरे पक्षकार को देगा और ऐसे पक्षकार द्वारा दाखिल की गई किसी आपत्ति को सुनने के बाद या तो आवेदन को अस्वीकार करेगा या निर्देश देगा कि ऐसे दस्तावेज की प्रति पेपरबुक मे जोड़ी जायेगी।

(4) पेपरबुक, जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, टंकित लिखित होगी और उसकी इतनी संख्या मे प्रतियाँ तैयार की जायेंगी जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देश दे।

[400] **[15. <u>पेपरबुक की तैयारी का खर्च --</u>**

---

396 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

397 जोड़ा गया अधि0 सं0 809/VIII-C-127दिनांक29.111975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक03.04.1976

398 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा

399 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा

(1) रजिस्ट्रार, पेपरबुक दाखिल किये जाने या न्यायालय के माध्यम से पेपरबुक तैयार कराने के लिये आवेदन दाखिल किये जाने से, 2 सप्ताह के भीतर, पेपरबुक की तैयारी के खर्च का निर्धारण करेगा और ऐसा खर्च, वाद का खर्च होगा।

(2) जहाँ न्यायालय के माध्यम से पेपरबुक तैयार करने के लिये आवेदन किया गया है, प्रति का अनुमानित मूल्य, संबंधित पक्षकार के अधिवक्ता को फौरन प्रदान किया जायेगा और राशि को उसके 2 सप्ताह मे जमा किया जायेगा।]

16. <u>पेपरबुक की तैयारी --</u>

जहाँ रजिस्ट्रार निर्देश देता है यह कि पेपरबुक, उसके निर्देशन एवम् निरीक्षण के अधीन तैयार की जायेगी, ऐसी पेपरबुक की तैयारी की जिम्मेदारी नही ली जायेगी, जब तक कि संबंधित पक्षकार रजिस्ट्रार को यह साक्ष्य उपलब्ध नही करा देता कि उसने, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित इसकी तैयारी के खर्च को Cashier को जमा कर दिया है। जहाँ पेपरबुक संबंधित पक्षकार द्वारा तैयार की जाती है, इस पर पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र, यह कि उसमें शामिल कागजात अभिलेख पर दस्तावेजों की सत्य प्रतियाँ हैं, होगा।

17. <u>पेपरबुक की तैयारी के पश्चात वाद की सुनवाई --</u>

जहाँ पेपरबुक तैयार की जा चुकी है रजिस्ट्रार उसकी प्रतियों को पक्षकारों को उपलब्ध करवायेगा और उसके बाद वाद को संबंधित बेन्च के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा।

18. <u>न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की प्रतियाँ, अपीलीय अधिकरण को भेजी जायेंगी --</u>

अधिनियम की [401] [धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 258] के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गये किन्ही आदेशों या [402] [धारा 260 की उपधारा (1)] के अधीन इसके द्वारा दिये गये किसी निर्णय की प्रतियाँ, न्यायालय की मुहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन, उसकी दो अप्रमाणित प्रतियों के साथ फौरन अपीलीय अधिकरण के रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

19. <u>खर्चे --</u>

अधिवक्ता की फीस जैसे करयोग्य खर्चे, इन नियमो के अध्याय XVI के नियम 7 के उपबन्धों को ध्यान मे रखते हुये न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

---

400 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 170/VIII-C-90दिनांक24.04.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक05.12.1964

401 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक07.03.1970

402 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 18/VIII-C-127, दिनांक23.01.1970द्वारा,

[403] **[(19- क) - निष्पादन के लिये खर्चों के आदेश का पारेषण --**

जहाँ न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन निर्देश या निर्देश के लिये आवेदन मे खर्चे प्रदान किये जा चुके हैं, किन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया है, उनके लिये अधिकृत व्यक्ति आदेश के निष्पादन के लिये न्यायालय को आवेदन कर सकता है। आवेदन शपथपत्र के साथ होगा जो कथन करेगा प्रदान की गई राशि तथा बची हुई अभुक्त राशि का। न्यायालय जिले के जिला न्यायाधीश, जहाँ कि आदेश का निष्पादन किया जाना है, को आदेश भेजने का निर्देश दे सकता है। आदेश का निष्पादन, ऐसे न्यायालय द्वारा या इसे किसी अधीनस्थ न्यायालय को हस्तांतरित करके, किया जा सकेगा।**]**

[404] **[(19-ख) -** इन्डियन इन्कम टैक्स एक्ट, 1922 द्वारा संचालित वाद, नियमों द्वारा संचालित होंगे और जैसे कि वे 1 जनवरी 1970 से पूर्व अस्तित्व में थे।**]**

20. अन्य अधिनियमों के अधीन समान कार्यवाहियों को नियमों का लागू होना --

इस अध्याय मे दिये गये नियम, जहाँ तक संभव हो, आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, किसी अन्य [405][टैक्स] अधिनियम, जिसमे वे निम्न अधिनियमों के अधीन शामिल हैं ;

(i) Excess Profits Act, 1940 की धाराओं 21तथा 66 के अधीन;

(ii) Business Profits Tax Act, 1947 की धाराओं 19 तथा 66 के अधीन;

(iii) U.P. Sales Tax Act, 1948 की धारा 11 के अधीन;

(iv) U.P. Agricultural Income Tax Act, 1948 की धारा 24 के अधीन;

(v) Workmen's Compensation Act, 1948 की धारा 27 के अधीन;

(vi) Indian stamp act, 1899 की धारा 57 या 60 के अधीन;

(vii) Estate Duty act, 1953 की धारा 64 के अधीन;

[406] [(viii) Wealth Tax Act, 1957 की धारा 27 के अधीन;

(ix) Gift Tax Act, 1958 की धारा 26 के अधीन;]

[407] [(x) Customs Act, 1962 के अध्याय XV की धारा 130 के अधीन;

---

403 जोड़ा गया अधि0 सं0 490/VIII-C-127, दिनांक17.12.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक16.12.1967

404 जोड़ा गया अधि0 सं0 490/VIII-C-127, दिनांक17.12.1964द्वारा

405 जोड़ा गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

406 जोड़ा गया अधि0 सं0 809/VIII-C-2, दिनांक 29.11.1975द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक03.04.1976

(xi) Central excise and Salt Act, 1944 की धारा (35-छ) के अधीन; और

(xii) Gold (Control) act, 1968 की धारा (82- ख) के अधीन]

समान प्रकृति की कार्यवाहियों [408] [अथवा पुनरीक्षणों] को भी लागू होंगे।

परन्तु यह कि जहाँ न्यायालय द्वारा या अधिकरण द्वारा विधि के अधीन किया गया निर्देश, पक्षकार के किसी आवेदन के बिना किया गया है, वहाँ पेपरबुक रजिस्ट्रार के निर्देशन तथा निरीक्षण के अधीन तैयार की जायेगी और नियम 15 और 16 नहीं लागू होंगे।

[409] [परन्तु आगे यह कि U.P. Sales Tax Act, 1948 की धारा (11-क) के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन नहीं सुना जायेगा जब तक कि यह ट्रेजरी चालान (Treasury Challan) के साथ न हो, जो 250 /- रुपये निम्न शीर्षक के अधीन जमा कर दिया गया है यह दिखायेगा।

“040 - Sales Tax - Receipts under the Central - State Tax Act (4) other receipts” । कोई ऐसी पेशगी (Deposit), जो भी हो, कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स की तरफ से या द्वारा पुनरीक्षण के लिये आवेदन की दशा मे आवश्यक नहीं होगी।]

---

407 जोड़ा गया अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.10.1984

408 जोड़ा गया अधि0 सं0 680/VIII-C-2, दिनांक26.11.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक11.04.1981

409 उसी स्थान पर

अध्याय XXVIII

[410]**[***]**

अध्याय XXIX: <u>बैकिंग कम्पनीज् रुल्स (Banking Companies Rules)</u>

1. **<u>संक्षिप्त नाम --</u>**

इस अध्याय मे वर्णित नियमो को "बैकिंग कम्पीज् रुल्स "के रुप मे उदघृत किया जा सकेगा।

2. **<u>परिभाषायें --</u>** इस अध्याय मे जब तक संदर्भ या विषयवस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "एक्ट "से तात्पर्य बैकिंग कम्पनीज् एक्ट, 1949;

(ख) "कम्पनी" से तात्पर्य कम्पनी जिसे अधिनियम के उपबन्ध लागू हों; तथा

(ग) "न्यायाधीश "से तात्पर्य तत्समय कम्पनी मामलों मे न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल करने वाले न्यायाधीश से है।

3. **<u>सामान्य शीर्षक --</u>**

(1) अधिनियम या इस अध्याय के नियमो, के अधीन सभी वादों मे निम्न, सामान्य शीर्षक के रुप मे इस्तेमाल किया जायेगा --

In the High Court of Judicture at Allahabad

In the matter of the Banking Companies Act, 1949 (Act X of 1949, and of .... Bank Ltd.

(2) कम्पनी को समाप्त करने से संबंधित मामलों मे, शब्दों --

"The Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) and "को उपनियम (1) में शब्दों **' of'** तथा **"the banking Companies act"** के बीच अन्तर्विष्ट किया जायेगा।

4. **<u>याचिका का सत्यापन --</u>**

अधिनियम के अधीन प्रत्येक याचिका, अध्याय XXVIII के नियम 6 मे दिये गये तरीके से सत्यापित की जायेगी और न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायेगी।

5. **<u>नोटिसों एवम् समनों की तामीली --</u>**

[411][न्यायालय या शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) द्वारा अधिनियम के अधीन जारी की गई सभी नोटिसों एवम् समनों को उचित अभिस्वीकृत पावती रजिस्टर्ड डाक द्वारा

---

410 मिटाया गया अधि0 सं0 278/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 233), दिनांक26.05.2005द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक11.06.2005

411 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 79/VII-F-143, दिनांक24.02.1956द्वारा

भेजा जायेगा और जब तक वह डाकऑफिस द्वारा अदत्त न लौट आये, [412] [उस व्यक्ति जिसे यह संबोधित है द्वारा अस्वीकृत होने को छोड़कर अन्य कारणों के लिये], नोटिसों या समनों, जैसी भी स्थिति हो, को संबोधित व्यक्ति को दिया जा चुका है यह समझा जायेगा भले ही उसके द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पावती वापस न प्राप्त की गई हो।]

6. **शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) द्वारा जमा कर्ता के दावे का प्रतिवाद --**
[413][दावा जिसे अधिनियम की धारा 43 के अधीन दाखिल किया जा चुका है समझा जायेगा, शासकीय परिसमापक द्वारा न्यायालय को रिपोर्ट द्वारा, यह कि कम्पनी की पुस्तकों की प्रविष्टि या प्रविष्टियों, जिस पर यह आधारित है की वास्तविकता या सत्यता पर संदेह के लिये कारण है, प्रतिवादित किया जा सकेगा। रिपोर्ट दावे पर संदेह के लिये कारणों को भी कथित करेगी। रिपोर्ट की प्राप्ति पर और यदि न्यायालय सन्तुष्ट होता है यह कि ऐसे संदेह के लिये कारण हैं, यह जमाकर्ता को उसे बुलाते हुये उपस्थित होने तथा उसके दावे को सिद्ध करने के लिये, उसे नोटिस दिलवायेगा।]

[414]**[7. प्रक्रिया के विशेष नियम --**

अधिनियम के भाग III तथा भाग (III-क) के अधीन सभी पूछताछों तथा कार्यवाहियों के दौरान, प्रक्रिया के निम्न विशिष्ट नियमों का अनुसरण किया जायेगा --

(क) न्यायालय उपधारणा कर सकता है --

(क) उस दशा मे जब, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (XVI, 1908) के उपबन्धों के अनुसार कोई दस्तावेज जिसे ठीक ढंग से रजिस्ट्रीकृत किया गया है, यह कि हस्ताक्षर तथा ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका व्यक्ति विशेष द्वारा हस्तलिखित होना दिखाया जाना आशयित है वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और यह कि इसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके द्वारा इसका निष्पादन एवम् सत्यापन अभिप्रायित है, निष्पादित तथा सत्यापित किया गया था।

(ख) किसी पक्षकार के विरुद्ध, यह कि किसी दस्तावेज जिसका उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जा चुका होना अभिप्रायित है ऐसे हस्ताक्षरित किया गया है।

---

412 संस्थित किया गया अधि0 सं0 36/VII-F-143दिनांक10.04.1957द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक04.05.1957

413 संस्थित किया गया अधि0 सं0 36/VII-F-143दिनांक10.04.1957द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक04.05.1957

414 संस्थित किया गया अधि0 सं0 79/VII-F-143दिनांक24.02.1956द्वारा

(ख) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं के द्वितीयक साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती नोटिस के बगैर देना, उन दशाओं मे जहाँ मूल व्यक्ति जिसके विरुद्ध दस्तावेज साबित किया जाना माँगा गया है, की अभिरक्षा मे है, अनुमत किया जायेगा।

(ग) जहाँ किसी गवाह का बयान अभिलिखित करना आवश्यक है, उसे खुले न्यायालय मे न्यायाधीश के Dictation के अनुसार लिखा जायेगा। ऐसे तैयार किया गया अभिलेख, उन दशाओं मे जहाँ गवाह न्यायालय की भाषा पढ सकता है, उसके द्वारा पढा एवम् हस्ताक्षरित किया जायेगा। अन्य मामलों मे उसे कथन पढकर केवल तब सुनाया जायेगा जब वह इसके लिये प्रार्थना करता है। परन्तु यह कि प्रत्येक वाद मे न्यायाधीश द्वारा इस प्रभाव की एक टिप्पणी जोड़ी जायेगी यह कि कथन को उसके अधीक्षण के अधीन अभिलिखित किया गया है।

(घ) यदि पक्षकार, जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा चुका है कि खोज के लिये या निरीक्षण की अनुमति के लिये या प्रश्नों का उत्तर देने के लिये, दस्तावेज को प्रस्तुत करे, और बगैर पर्याप्त कारण के ऐसा करने मे चूक की जाती है, वह दायी होगा, यदि वह याचिकाकर्ता है तो उसकी याचिका खारिज किये जाने के लिये और यदि वह विपक्षी पक्षकार है तो उसके उसके बचाव को हटा दिये जाने के लिये।

(ड़) अधिनियम की धारा (45-ञ) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, न्यायालय या तो शासकीय परिसमापक की रिपोर्ट पर या इसकी जानकारी मे किसी जमाकर्ता, ऋणदाता या सहायताकर्ता द्वारा लाये गये तथ्यों पर या स्वप्रेरणा से, कर सकता है।

[415] [**(च)** (i) जहाँ धारा (45-ञ (1)) के अधीन विचारणीय अपराध का विचारण संक्षिप्ततः किया जाता है वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता मे समन मामलों के विचारण के लिये उपबन्धित प्रक्रिया जहाँ तक कि यह अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू होगी। जहाँ जैसे भी हो, धारा (45-ञ (1)) के अधीन संक्षिप्ततः विचारित किये जाने वाले अपराध को धारा (45-ञ (2)) के अधीन अपराध के साथ संयुक्ततः विचारित किया जाता है वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता मे वारण्ट मामलों के विचारण के लिये उपबन्धित प्रक्रिया लागू की जायेगी, परन्तु यह कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) के अधीन, आरोपी को उसका बचाव प्रविष्ट करने या उससे पूछताछ कि क्या वह आगे किसी गवाह जिसका साक्ष्य लिया जा चुका है का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है, की माँग करने से पहले वाद का स्थगन आवश्यक नहीं होगा।

---

415 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 274/VIII-C-143दिनांक21.11.1958द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक24.01.1959

(ii) जहाँ धारा (45- ञ) के अधीन विचारणीय अपराधों को संक्षिप्ततः विचारित नहीं किया जाता, दण्ड प्रक्रिया संहिता मे वारण्ट मामलों के विचारण के लिये उपबन्धित प्रक्रिया, जहाँ तक यह अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू होगी।]

(छ) न्यायालय के न्यायनिर्णय के विरुद्ध अपील, डिवीजन बेन्च मे लाई जायेगी, उन मामलों मे जहाँ कथित न्यायालय 6 माह से अधिक का कारावास का दण्ड प्रदान करता है।

(ज) किसी ऐसी अपील के लिये अपील की अवधि 30 दिनो की होगी जिसमे से न्यायनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की प्रति को प्राप्त करने का समय छोड़ दिया जायेगा।

(झ) प्रत्येक अपील की नोटिस संबंधित पक्षकारों के साथ-साथ शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) को भेजी जायेगी और यदि यह दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील है तो शासकीय अधिवक्ता को भी भेजी जायेगी।

[416] **[(ञ)** अधिनियम के अधीन या इन्डियन कम्पनीज् एक्ट, 1913 के अधीन या कम्पनीज् एक्ट, 1956 के अधीन, दण्डनीय अपराधों को संक्षिप्ततः विचारित किया जा सकेगा परन्तु यह कि वे जुर्माने सहित या जुर्माने रहित 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय न हो।]

[417] **[(ट)** व्यक्ति, जो धारा (45-घ (9)) के अधीन एकपक्षीय रुप से तय की गयी देनदारों की सूची को परिवर्तित करने के लिये आवेदन करता है, उसके आवेदन को प्रस्तुत करते समय या तो धारा (45-घ (4)) के अधीन दिये गये आदेश के कारण उससे बकाया राशि को न्यायालय मे जमा करेगा या उसके भुगतान के लिये ऐसी प्रतिभूति, जिसे न्यायालय उसके द्वारा इस तरफ से किये गये पूर्व आवेदन पर निर्देशित कर चुका है, को देगा।]

8. <u>अपील मे पेपरबुक --</u>

कम्पनी द्वारा या के विरुद्ध, दावे के निर्णय के विरुद्ध की गई प्रत्येक अपील मे, यदि अपील का मूल्यांकन 20, 000 /- रुपये से या उससे अधिक का है तो प्रिन्टेड पेपरबुक तैयार की जायेगी। अन्य मामलों मे टंकित लिखित पेपरबुक तैयार की जायेगी।

ऐसी पेपरबुक की तैयारी के खर्च का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया जायेगा और अध्याय XIII मे निर्धारित प्रक्रिया जहाँ तक हो सके आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होगी।

[418] **[9. <u>देनदारों की सूची --</u>**

---

416 संस्थित किया गया अधि0 सं0 952/VIII-C-148दिनांक04.09.1969द्वारा,

417 पुनः संख्याकित किया गया अधि0 सं0 952/VIII-C-148दिनांक04.09.1969द्वारा,

418 संस्थित किया गया अधि0 सं0 79/VII-F-143दिनांक24.02.1956द्वारा

देनदारों की सूची शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) द्वारा धारा 52 के अधीन निर्मित नियमों मे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप मे दाखिल की जायेगी। जब तक कि प्रारुप निर्धारित न किया जाये, वे किसी उपयुक्त प्रारुप मे दाखिल किये जा सकेंगे, किन्तु वे चतुर्थ अनुसूची मे वर्णित सभी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करेंगे।

[419] **[10. <u>सूचियों का निर्धारण --</u>**

रुल्स ऑफ कोर्ट, 1952, खण्ड I के अध्याय XXVIII के नियम 112 से 118 तक, सहायकों की सूचियों का निर्धारण करने के लिये सभी यथावश्यक संशोधनों के साथ देनदारों की सूचियों के निर्धारण को लागू होंगे।]

[420] **[11. <u>धारा (45-छ) के अधीन रिपोर्टों की तैयारी --</u>**

शासकीय परिसमापक (Official Liquidator), यदि चाहे तो, धारा (45- छ) के अधीन उसकी रिपोर्ट की तैयारी मे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस (Chartered Accountants) की फर्म के सहयोग को अनुमत कर सकेगा।]

12. <u>रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना --</u>

धारा (45- छ) के अधीन रिपोर्ट, पहली बार, चैम्बर मे न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायेगी। यदि रिपोर्ट का अवलोकन करने वाला न्यायाधीश समझता है कि इसका लोक परीक्षण किया जाना वांछनीय है, वह संबंधित पक्षकार को न्यायालय मे उपस्थित होने के लिये तथा कारण दिखाने के लिये कि क्यो वह लोक-परीक्षित नहीं किया जाना चाहिये, नोटिस जारी करने के लिये निर्देश देगा।

[421] [**13.<u> रिपोर्ट का लोक-परीक्षण -</u>**

यदि विपक्षी पक्षकार को सुनने के बाद, न्यायाधीश लोक निरीक्षण किया जाये आदेश देता है, तो वह उद्देश्य के लिये तिथि निर्धारित करेगा।]

[422] **[14. <u>तारीख की नोटिस --</u>**

शासकीय परिसमापक (Official Liquidator), लोक-परीक्षण कराने के लिये नियुक्त तिथि की ऋणदाताओं तथा सहायताकर्ताओं को ऐसे समाचारपत्रों जिन्हें कि न्यायाधीश निर्देशित करे, मे विज्ञापन द्वारा नोटिस देगा।]

[423] **[15. <u>स्थगन की नोटिस --</u>**

---

419 संस्थित किया गया उसी स्थान पर

420 संस्थित किया गया उसी स्थान पर

421 संस्थित किया गया अधि0 सं0 79/VII-F-143दिनांक24.02.1956द्वारा s

422 संस्थित किया गया उसी स्थान पर

जहाँ लोक-परीक्षण का स्थगन किया जाना निर्देशित किया जा चुका है, स्थगन की नोटिस को विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि यह न्यायाधीश द्वारा निर्देशित न हो।]

[424] **[16. <u>उपस्थित होने मे असफल होना --</u>**

यदि कोई व्यक्ति जिसे न्यायाधीश द्वारा लोक-परीक्षण मे उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जा चुका है, इसे कराने या इसकी कार्यवाही के लिये नियुक्त समय पर उपस्थित होने मे असफल होता है और उसके द्वारा ऐसी असफलता के लिये कोई उचित कारण नहीं दिखाया जाता या यदि परीक्षण के लिये नियुक्त तिथि से पूर्व शासकीय परिसमापक (Official Liquidator), न्यायाधीश को सन्तुष्ट करता है यह कि ऐसा व्यक्ति फरार हो चुका है या यह कि यह विश्वास करने का कारण है कि वह परीक्षण से बचने के उद्देश्य से फरार होने वाला है, न्यायाधीश, सन्तुष्ट होने पर यह कि आदेश और लोक-परीक्षण पर उपस्थिति के लिये नियुक्त समय, की नोटिस उचित ढंग से तामील की गई थी, बगैर किसी अतिरिक्त नोटिस के, उपस्थिति के लिये अपेक्षित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये निर्धारित प्रारुप मे वारण्ट जारी कर सकेगा या अन्य ऐसे आदेश दे सकेगा जैसा कि न्यायाधीश न्यायसंगत समझे।]

17. <u>रिजर्व बैंक द्वारा अभिलेख का निरीक्षण --</u>

रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक के किसी कर्मचारी को जिसे [425] [बैंक] द्वारा इसके लिये अधिकृत किया गया हो, परिसीमित होते किसी बैंक से संबंधित किसी वाद के अभिलेख का निरीक्षण करने के लिये अनुमति प्रदान करेगा जब तक कि अभिलिखित किये गये कारण से, वह न समझता हो कि निरीक्षण अनावश्यक या तंग करनेवाला है या न्यायालय ने इसके निर्देश मे निरीक्षण को अनुमत नहीं किया है।

18. <u>अध्याय XXVIII के नियमों का लागू होना --</u>

अध्याय मे दिये नियमों तथा अधिनियम के उपबन्धों, के प्रभावाधीन, अध्याय XXVII मे दिये गये नियम जहाँ तक हो सके और आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को भी लागू होंगे।

---

423 संस्थित किया गया अधि0 सं0 79/VII-F-143दिनांक24.02.1956द्वारा

424 संस्थित किया गया उसी स्थान पर

425 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 274/VIII-C-143दिनांक21.11.1958द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक24.01.1959

अध्याय XXX का परिशिष्ट: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 223 तथा 236 के अधीन नियम

सरकार द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 223 तथा 236 के अधीन कम्पनियों को प्रोबेट (Probate) तथा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के अनुदान के जारी किये जाने के लिये निम्न नियम बनाये गये हैं, नामतः --

1. इन नियमों मे --

(क) "शेयर कैपिटल "मे "स्टॉक "शामिल है; और

(ख) "ट्रस्ट बिजनेस (Trust Business) "से तात्पर्य वसीयतों (Wills) एवम् सेटलमेन्टस् (Settlements) के अधीन ट्रस्टी के रुप मे तथा निष्पादक और प्रशासक के रुप मे, काम का संव्यवहार करना।

2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के अनुदान के लिये योग्य कम्पनी को इसे प्रदान करने के क्रम मे, कम्पनी द्वारा निम्न शर्ते पूरी की जायेंगी; नामतः --

(1) कम्पनी या तो होगी --

(क) एक कम्पनी जो [426] [भारतीय कम्पनी अधिनियम], 1913 के अन्तर्गत या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1866 के अन्तर्गत या किसी अधिनियम या अधिनियमों जिन्हे निरसित कर दिया गया, के अन्तर्गत या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1882 के अन्तर्गत, गठित और रजिस्टर्ड है या गवर्नर जनरल -इन-कौंसिल (Governor General in Council) या भारतीय विधान मण्डल के किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी, जो गठित तथा रजिस्टर्ड है। या

(ख) कम्पनी जो गठित की गई है United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland की विधि या उसके भाग, के अन्तर्गत और जिसकी कार्यशाला भारत में है। या

(ग) कम्पनी जो Royal Charterद्वारा स्थापित की गई है और जिसकी कार्यशाला भारत में है।

(2) कम्पनी एक ऐसी कम्पनी होगी जिसे इसके संगठन द्वारा ट्रस्ट बिजनेस (Trust Business) संभालने की शक्ति प्राप्त होगी।

426 अब भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 देखें

3. कम्पनी, का शेयर कैपिटल उसके अनुमोदन के समय (for the time being subscribed) कम नही होगा --

(क) 10 लाख रुपये से, उस दशा मे जब कम्पनी खण्ड (1) के उपखण्ड (क) मे वर्णित प्रकार की कम्पनी है।

(ख) 1, 00, 000 पाउण्ड से, उस दशा मे जब कम्पनी खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) मे वर्णित प्रकार की कम्पनी है।

जिसका कम से कम आधा भुगतान नगद किया जा चुका हो,

परन्तु यह कि राष्ट्रपति किसी कम्पनी को इस खण्ड के प्रबन्धन से मुक्त कर सकता है।

अध्याय XXX: वसीयती एवम् गैर-वसीयती क्षेत्राधिकार

खण्ड (क): प्रारम्भिक

1. **<u>परिभाषायें --</u>**

इस अध्याय मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(i) “एक्ट “से तात्पर्य भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 है।

(ii) “वसीयत “मे “कोडीसिल “सम्मलित है।

2. **<u>साधारण शीर्षक --</u>**

इस अधिनियम या अध्याय के अधीन सभी वादों मे निम्न “सामान्य शीर्षक” प्रयुक्त होगा।

In the High Court of judicature at Allahabad

Testamentary Case / Suit No. .... of 20....

In the matter of goods of .... Deceased.

खण्ड (ख): अविवादित संव्यवहार (Non- Contentious Business)

3. **<u>अविवादित संव्यवहार (Non- Contentious Business) --</u>**

अविवादित संव्यवहार मे, (वसीयत को संलग्न करके अथवा बगैर किये हुये और चाहे सामान्य, विशेष या सीमित) प्रोबेट (Probate) तथा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' को प्राप्त करने का काम, जहाँ उसके अधिकार के संबंध मे कोई विवाद नहीं है या जहाँ विवाद हो चुका है विवाद को समाप्त कर दिया गया है और सभी एकपक्षीय संव्यवहार न्यायालय मे ले जाये जायेंगे, वसीयती और गैर- वसीयती मामलों मे जो किसी वाद मे और प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के प्रदान किये जाने के विरुद्ध कैवियट दायर किये जाने का काम भी, कार्यवाहियों का हिस्सा नही है, शामिल होगा।

4. **<u>राजस्व बोर्ड को नोटिस --</u>**

रजिस्ट्रार, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के लिये प्रत्येक आवेदन की नोटिस, आवेदन के दाखिल किये जाने के एक सप्ताह के भीतर, राजस्व बोर्ड को देगा।

5. **<u>प्रोबेट (Probate) के लिये आवेदन --</u>**

प्रोबेट (Probate) के लिये आवेदन याचिका द्वारा किया जायेगा, जिसके साथ वसीयत संलग्न होगी, यदि वसीयत हिन्दी या इंग्लिश मे नहीं है तो उसके इंग्लिश मे आधिकारिक अनुवाद के साथ संलग्न की जायेगी। ऐसे आवेदन मे वैधानिक वचन होगा यह कि Inventory तथा Account, प्रोबेट (Probate) के जारी करने की तिथि के बाद 6 माह तथा 12 माह के भीतर क्रमशः दाखिल किये जायेंगे। याचिका निर्धारित प्रारुप मे होगी या लगभग वैसी जैसी कि वाद की परिस्थितयाँ अनुमत करें और इसके साथ होंगे --

(क) सत्यापन करने वाले गवाहों मे से एक का शपथपत्र यदि प्राप्य हो, निर्धारित प्रारुप मे; और

(ख) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की तृतीय अनुसूची मे कथित प्रारुप मे मूल्यांकन का शपथपत्र, मृतक की मृत्यु पर सभी सम्पत्तियों के संबंध मे जिसकी ' Estate duty' देय है के समुचित खाते के साथ

[427] [(ग) आवेदन की प्रमाणिक प्रतिलिपि; तथा

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाणपत्र या उस व्यक्ति का शपथपत्र जो मृत्यु का वास्तविक साक्षी हो सकेगा या जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के विषय मे जाँच के लिये पूर्ण रुप से परिचित हो सकेगा।]

खण्ड (ख) के अधीन शपथपत्र की एक प्रतिलिपि Controller of Estate Duty, Uttar Pradesh को भी भेजी जायेगी।

6. **<u>लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन --</u>**

लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन, याचिका द्वारा निर्धारित प्रारुप मे या लगभग वैसे जैसा कि वाद कि परिस्थितयाँ अनुमत करे, होगा तथा पूर्ववर्णित नियम मे वर्णित अनुच्छेदक (Annexure) (ख), [428] [(ग) और (घ)] के साथ होगा। [429] [परन्तु यह कि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के प्रदान किये जाने के लिये आवेदन, अधिनियम की धारा 244 या 246 के अधीन, यदि याचिकाकर्ता तथ्यों से परिचित है, अवयस्क की उम्र का भी कथन करेगा या अवयस्क की उम्र बताते हुये, व्यक्ति जो ऐसे परिचित हैं के शपथपत्र के साथ होगा।]

---

427 जोड़ा गया अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग II दिनांक09.12.1978

428 जोड़ा गया अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा

429 जोड़ा गया अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा

7. **<u>लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) से संलग्न वसीयत, के लिये आवेदन</u>**

जहाँ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) से संलग्न वसीयत, के लिये आवेदन एक, है यह मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों के नामों एवम् पतों का भी कथन करेगा (जब तक कि न्यायालय को उन्हें अनपेक्षित करना ठीक न लगे।) और नियम 5 में उल्लिखित अनुच्छेदक (Annexure) (क) के साथ भी होगा।

8. **<u>प्रमाणपत्र यह कि कोई अन्य अनुदान नहीं किया गया है --</u>**

प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के लिये आवेदन दाखिल करने के 14 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार प्रमाणित करेगा यह कि क्या मृतक की संपत्ति (Property) एवम् क्रेडिटस् (Credits) जो भारत के राज्य क्षेत्र मे प्रभाव रखते हैं, के किसी प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के किसी अनुदान की कोई सूचना न्यायालय द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय या किसी जिला न्यायालय से प्राप्त की गई है। ऐसा प्रमाणपत्र Order-Sheet पर बनाया जायेगा और निर्धारित प्रारुप में होगा।

9. **<u>न्यायालयी फीस के संबंध में प्रमाणपत्र --</u>**

प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के अनुदान किये जाने को जारी करनेवाला कोई आदेश तब तक नहीं बनाया जायेगा --

(क) जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद यह कि अनुदानपर देय फीस का भुगतान किया जा चुका है या यह कि कोई न्यायालयी फीस देय नही है, ऐसे प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रारुप मे Order-Sheet पर नहीं बनाया जाता । और

(ख) जब तक कि आवेदक ने नियम 5 के खण्ड (ख) मे उल्लिखित Account न दे दिया हो और Estate Duty Act, 1953 की धारा 60 या 67 के अधीन नियन्त्रक से प्राप्त प्रमाणपत्र, यह कि Account में शामिल संपत्ति के संबंध मे देय Estate Duty का भुगतान कर दिया गया है या कर दिया जायेगा या यह कि कुछ भी बकाया नही है, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत न कर दिया हो।

10. **<u>पहचान का प्रमाणपत्र-</u>**

न्यायाधीश, जहाँ वह यह आवश्यक समझे, मृतक या अनुदानके लिये आवेदन करने वाले पक्षकार की पहचान की याचिका मे बनाये जाने वाले आवश्यक बहुधा प्रयुक्त कथन के अतिरिक्त सबूत की माँग कर सकता है।

11. **<u>वसीयत में Interlinations, Alterations, इत्यादि प्रमाणित करनेवाले गवाहों द्‌वारा शपथ पर किये जायेंगे --</u>**

जहाँ वसीयत में Interlinations, Alterations, Erasures या Obliterations दिखाई दें, (जब तक कि अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार ठीक ढंग से कार्यान्वित न की जाये या सत्यापन खण्ड द्‌वारा पुनः न कहा जाये या अन्यथा पुष्ट न किया जाये), यदि संभव हो, शपथपत्र मे सत्यापित करनेवाले गवाह का एक कथन कि क्या वे, वसीयत मे इसके निष्पादन से पूर्व अस्तित्व में थे या नहीं, किया जायेगा।

12. **<u>प्रमाणित करनेवाले गवाह की अनुपस्थिति मे किन अन्य साक्ष्यों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा --</u>**

यदि प्रमाणित करनेवाले गवाहों में किसी के द्‌वारा भी शपथपत्र प्राप्य नही है, यदि संभव हो, किसी अन्य व्यक्ति (यदि कोई हो) से जो कि वसीयत के निष्पादन के समय प्रस्तुत रहा होगा, का शपथपत्र प्राप्त किया जायेगा; लेकिन यदि ऐसे किसी व्यक्ति का शपथपत्र नहीं प्राप्त किया जा सकता तो शपथपत्र पर, उस तथ्य का साक्ष्य और मृतक की हस्तलिपि का और एक सत्यापित करनेवाले गवाह का तथा ऐसी किन्ही परिस्थितयों का जो उचित कार्यान्वयन होने के पक्ष मे उपधारणा बना सकती हैं, को अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा।

13. **<u>निरसन करने के प्रयत्न का कारण अवश्य बताया जायेगा --</u>**

वसीयती लेख के, जलाने, फाड़ने, नष्ट करने या अन्यथा द्‌वारा निरसन करने के प्रयत्न के किसी प्रकटन और प्रत्येक परिस्थिति जो ऐसे लेख या उसके भाग के परित्यक्त करने या प्रतिसंहरण करने की उपधारणा को करने मे अग्रसर होने के लिये है, का कारण अवश्य बताया जायेगा।

14. **<u>अहस्ताक्षरित या असत्यापित वसीयत --</u>**

उन दशाओं मे जहाँ वसीयत, वसीयतकर्ता द्‌वारा हस्ताक्षरित या गवाहों द्‌वारा सत्यापित हो, य़ह आवश्यक नही है वहाँ वसीयतकर्ता की संपत्ति के वैद्‌य वसीयती व्ययन को गठित करने के लिये वसीयतकर्ता के आशय यह कि इसे उसके वसीयती इच्छा के अनुसार संचालित होना चाहिये, शपथपत्र द्‌वारा स्पष्ट रुप से अवश्य सिद्व किया जाना चाहिये।

15. **<u>अभित्यजन (Renunciaton) --</u>**

कोई व्यक्ति, जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति की वसीयत के प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' का एक हैसियत मे अभित्यजन करता है, न्यायाधीश की अनुमति के बगैर उसी मृतक का प्रतिनिधित्व अन्य हैसियत मे नहीं ले सकेगा।

16. **क्रेडिटर (Creditor) द्वारा प्रशासन (Administration) के लिये आवेदन --**

लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये क्रेडिटर द्वारा किये गये सभी आवेदनों मे, सुस्पष्ट रुप से यह बताया जायेगा यह कि ऋण कैसे अस्तित्व मे आया या आये, आवेदन कि तिथि पर बकाया राशि जिसके लिये आवेदक चाहे कितनी और क्या प्रतिभूति रखता हो।

17. **वसीयत मे उल्लिखित विलेख का प्रस्तुत किया जाना --**

यदि वसीयत मे किसी कागजात, ज्ञापन या अन्य दस्तावेज का उल्लेख है जो ऐसी प्रकृति का है जिसके संबंध मे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उसे वसीयत का संघटक भाग नहीं होना चाहिये वहाँ ऐसे कागजात, ज्ञापन या अन्य दस्तावेज को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या यह प्रोबेट (Probate) के लिये अधिकृत (Entitled) है, प्रस्तुत किया जायेगा और जहाँ इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता इसके प्रस्तुत न करने के कारण को अवश्य बताया जायेगा।

18. **लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन को सहमत व्यक्ति, ऐसा शपथपत्र पर करेंगे --**

लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन को उनकी सहमति देने के इच्छुक व्यक्ति, ऐसा शपथपत्र पर मृतक से उनके संबंध को बताते हुये तथा यह कि वे याचिकाकर्ता को लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के अनुदान किये जाने के लिये सहमत हैं, यह बताते हुये करेंगे।

19. **अधिकारवान पक्षकारों को [430]Citation--**

[431]लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन पर, जब तक कि अन्यथा न्यायाधीश या रजिस्ट्रार द्वारा आदेशित न हो, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल (Administrator General) को शामिल करते हुये सभी व्यक्तियों को, जो आवेदक से पहले या उसके बराबर अनुदान लेने का अधिकार रखते है जब तक कि ऐसे व्यक्तियों ने उनकी सहमति आवेदन को घोषित न कर दी हो, Citation जारी किया जायेगा।

20. **क्रेडिटर द्वारा आवेदन पर Citation --**

जहाँ क्रेडिटर द्वारा लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के लिये आवेदन किये गये हैं, एक विशेष Citation विधवा को, यदि कोई हो, और निकटतम संबंधी को, परन्तु यह कि वे क्षेत्राधिकार के अधीन निवासी हों या कोई ज्ञातव्य ऐजेन्ट या ऐजेन्टों

---

430 किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये नोटिस देने के औपचारिक समन को Citation कहते हैं।

431 प्रशासनपत्र (= लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन)

को जो क्षेत्राधिकार के अधीन निवासी हों, रखे और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल (Administrator General) को, जारी किया जायेगा और एक सामान्य Citation सभी व्यक्तियों को जो मृतक की भूसम्पत्ति मे किसी प्रकार के हित का दावा करते हैं, जारी किया जायेगा।

21. **<u>साइटेशनस् (Citations) --</u>**

सभी साइटेशनस् (Citations), जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों को ऐसे दिवस पर, जैसा कि न्यायाधीश द्वारा निश्चित किया जाये, कारण दिखाने के लिये निर्देशित करेंगे तथा निर्धारित प्रारुप में होंगे और जहाँ वे तामीली की प्रक्रिया के लिये उपबन्धित तरीके से तामील नहीं किये जा सकते, ऐसे समाचारपत्र में विज्ञापन के रुप में, जैसा कि निर्धारित प्रारुप में नोटिस को निर्देशित किया जा सकेगा, अन्तर्विष्ट कराकर तामील किया जा सकेगा।

22. **<u>प्रकाशन का साक्ष्य --</u>**

विज्ञापन द्वारा Citation के उचित प्रकाशन का साक्ष्य शपथपत्र द्वारा दिया जायेगा, जब तक कि न्यायाधीश या रजिस्ट्रार ने यह निर्देश न दिया हो यह कि ऐसा Citation एकमात्र समाचारपत्र मे केवल एक बार प्रकाशित होगा जिस दशा मे कथित विज्ञापन को अन्तर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रति को शपथपत्र के स्थान पर दाखिल किया जा सकेगा। शपथपत्र निर्धारित प्रारुप मे या लगभग वैसा जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अनुमत हो, होगा।

23. **<u>मुख्तारनामे का साक्ष्य --</u>**

जब तक कि मुख्तारनामा ऐसे अटार्नी या निष्पादक के अटार्नी का गठन न करता हो जो राज्य से अनुपस्थित हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 85 के अधीन, कार्यान्वित किया गया है उपधारित किया जा सकेगा और कथित धारा मे वर्णित तरीके से प्रमाणित है उपधारित किया जा सकेगा, न्यायालय इसके उचित निष्पादन के और सबूतों की अपेक्षा कर सकता है।

24. **<u>अनुदान, राज्य मे कब प्रभावी होगा --</u>**

प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत के साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के सभी अनुदानों को, Administrator General's Act के अधीन अनुदानों को छोड़कर, जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो राज्य के भीतर प्रभावी होने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जायेगा।

25. **<u>अनुदान, पूरे भारत मे कब प्रभावी होगा --</u>**

उन सभी वादों मे जिनमे पूरे भारत मे प्रभावी होने के लिये या Administrator General's Act, 1913 के अधीन जैसा कि अधिनियम मे परिभाषित है एक या अन्य डिवीजनों मे से

अधिक मे प्रभावी होने के लिये, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के अनुदान का प्राप्त करना चाहा गया है, ऐसे अनुदान को व्यक्त रुप से माँगा जायेगा और परिसंपत्तियाँ कहाँ स्थित हैं यह दर्शाया जायेगा।

26. **एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड (Administration Bond) -**

प्रत्येक व्यक्ति जिसको, अधिनियम की धारा 241 के अधीन अनुदान छोड़कर, अनुदान किया गया है, वह मुख्य न्यायाधीश के नाम तथा उनको, एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभूतियों के साथ जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित की जायेंगी, एक बॉन्ड देगा। ऐसा बॉन्ड, सभी दशाओं मे रजिस्ट्रार के ऑफिस मे तैयार किया जायेगा और जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेशित न हो, सम्पत्ति के पूर्ण मूल्य की राशि जिसके लिये अनुदान किया जायेगा मे से भू-सम्पत्ति के बन्धक द्वारा प्रतिभूत ऋणों की राशि (यदि कोई हो) को घटाकर दिया जायेगा। बॉन्ड, जब तक कि वह ' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ' द्वारा न दिया गया हो, निर्धारित प्रारुप मे होगा।

27. **प्रतिभू के रुप मे ' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ' --**

' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ', यदि न्यायालय द्वारा अनुमोदित है, को इसके बॉन्ड मे शामिल होने पर प्रतिभू के रुप मे स्वीकार किया जा सकता है, जो प्रशासक (Administrator) या प्रशासकों (Administrators) के साथ निर्धारित प्रारुप मे होगी।

28. **ऐजेन्ट द्वारा ' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ' का प्रतिनिधित्व --**

जहाँ ऐसी ' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ' ऐजेन्ट के द्वारा प्रस्तुत होती है, उसे सोसाइटी की तरफ से काम करने के लिये अधिकृत करने के पत्र के दस्तावेज या दस्तावेजों को न्यायालय को प्रथम बार में ही जमा किया जायेगा और न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायेगा और जब कभी उसे हस्ताक्षर के लिये भेजा जायेगा, यह एक पत्र के साथ होगा और ऐजेन्ट प्रतिक्रिया उसके हस्ताक्षर के अधीन भेजेगा (निर्धारित प्रारुप मे)

29. **ऐसी सोसाइटी द्वारा Annual Balance-Sheet का दाखिल किया जाना --**

प्रत्येक ऐसी सोसाइटी, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार को सोसाइटी की वार्षिक बैलेन्स- शीट, जिसका ठीक ढंग से लेखा-परीक्षण हुआ हो, दाखिल करेगी, जिसकी प्रति की पुष्टि ऐजेन्ट या प्रिन्सिपल ऑफिसर के शपथपत्र द्वारा की जायेगी और रजिस्ट्रार द्वारा न्यायालय मे जमा की जायेगी।

30. **बॉन्ड का सत्यापन --**

' गारन्टी सोसाइटी (Guarantee Society) ' के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड (Administration Bond) का निष्पादन रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जायेगा और जहाँ इसका निष्पादन न्यायालय भवन से बाहर होता है वहाँ रजिस्ट्रार या

ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो रजिस्ट्रार द्वारा उस उद्देश्य के लिये नामित किया जा सके, द्वारा किया जायेगा।

31. **<u>याचिका के अनुसार चलने या प्रतिभूति उपलब्ध कराने मे उपेक्षा का परिणाम --</u>**

यदि याचिकाकर्ता, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के अनुदान के लिये, याचिका की स्वीकृति की तिथि से 3 माह के लिये याचिका के अनुसार आगे बढने मे उपेक्षा करता है या अनुदान के लिये आदेश की तिथि से 3 माह के लिये माँगी गई प्रतिभूति को देने मे उपेक्षा करता है या अन्यथा आवेदन के साथ आगे बढता है या अनुदान लेता है, रजिस्ट्रार उसकी चूक की लिखित मे नोटिस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल (Administrator General) को देगा, जो तब न्यायालय को आदेश के लिये, यह कि याचिका खारिज की जाये और यह कि ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के अनुदान के लिये आवेदन की स्वतन्त्रता उसे दी जाये, आवेदन करेगा।

यदि मामले मे कोई और कदम नहीं उठाये जाते तो याचिका को न्यायालय के समक्ष खारिज होने के लिये सूचीबद्ध किया जा सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा यह ठीक समझे।

32. **<u>अधिनियम की धारा 274 या Administrator General's Act, 1913 की धारा 24 के अधीन प्रमाणपत्र के साथ सम्पत्ति की अनुसूची होगी --</u>**

अधिनियम की धारा 274 या Administrator General's Act, 1913 की धारा 24 के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय को भेजा जायेगा, रजिस्ट्रार, ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर भू-सम्पत्ति के संबंध मे मृतक की जितनी सम्पत्ति एवम् क्रेडिटस् (Credits) हो, की अनुसूची की एक प्रति भेजेगा।

33. **<u>अनुदानों का विस्तार --</u>**

एक अनुदान (क) अधिनियम के अधीन या (ख) Administrator General's Act, 1913 के अधीन, जो राज्य के भीतर प्रभाव रखता हो, इसके प्रभाव के विस्तार के संबंध मे (क) सम्पूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र की दशा मे या (ख) उस अधिनियम मे जैसा कि परिभाषित है एक या अन्य डिवीजनों के आधिक्य मे, की दशाओं मे, संशोधित किया जा सकेगा। आवेदन, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची III मे दिये गये प्रारुप मे ऐसे परिवर्तनों जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो के साथ मूल्यांकन के अतिरिक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित याचिका द्वारा किया जायेगा तथा उसके संबंध मे देय ' Probate Duty' के भुगतान पर किया जायेगा, और ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत

को साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के अनुदान की दशा मे, याचिकाकर्ता के अतिरिक्त बॉन्ड देने पर, अनुदान को तद्नुसार संशोधित किया जा सकेगा।

34. **विस्तृत सूची (Inventory) और एकाउन्ट (Account) --**

अधिनियम की धारा 317 के अधीन निष्पादक या प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रारुप मे Inventory एवम Account उपलब्ध कराये जायेंगे और निम्न तरीके से सत्यापित किये जायेंगे --

"मैं ...., उपरोक्त Inventory मे नाम से निष्पादक या प्रशासक घोषणा करता हूँ कि कथित Inventory हर दृष्टि से मेरी निजी श्रेष्ठ ज्ञान, सूचना एवम् विश्वास से सत्य, पूर्ण एवम् सही है और यह कि इसमे मृतक .... की मृत्यु के समय, उसके कब्जे मे स्थित समस्त सम्पत्ति और उसके द्वारा दिये गये ऋणों एवम् लिये गये ऋणों की, पूर्ण, सत्य और परिशुद्ध विस्तृत सूची अन्तर्निहित है।" या

"मैं ...., उपरोक्त Account मे नाम से निष्पादक या प्रशासक घोषणा करता हूँ यह कि कथित Account मेरी निजी श्रेष्ठ ज्ञान, सूचना एवम् विश्वास से सत्य, पूर्ण एवम् सही है और यह कि यह मृतक .... की सभी भू-सम्पत्तियों तथा प्रभाव का, जो मेरे हाथों, कब्जे, नियन्त्रण, अभिरक्षा या ज्ञान, मे और उसकी सुपुर्दगी के विषय में आते हैं का पूर्ण, सत्य और परिशुद्ध विवरण प्रदान करता है।"

खण्ड (ग): विवादित संव्यवहार (Contentious Business)

35. **कैवियट-**

कोई व्यक्ति जो प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के अनुदान के जारी किये जाने का विरोध करने का आशय रखता है, अनिवार्य रुप से या तो व्यक्तिगत तौर पर या उसके अधिवक्ता द्वारा, न्यायालय मे निर्धारित प्रारुप मे कैवियट दाखिल करेगा। कैवियट के दाखिल होने की नोटिस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता या उसके अधिवक्ता को निर्धारित प्रारुप मे दी जायेगी।

36. **कैवियट के समर्थन मे शपथपत्र --**

जहाँ कैवियट, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत के साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के अनुदान के लिये आवेदन किये जा चुकने के बाद प्रविष्ट किया जाता है, कैवियट के दायर होने के14 दिनों के भीतर शपथपत्र द्वारा समर्थित आपत्ति दाखिल की जायेगी। ऐसी आपत्ति कैवियटकर्ता के अधिकार एवम् हित का और आवेदन के प्रति आपत्ति के आधार का, कथन करेगी।

37. **<u>जब कैवियट, अनुदान के लिये आवेदन दाखिल करने से पूर्व प्रविष्ट किया जाता है --</u>**

जहाँ प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत के साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के अनुदान के लिये आवेदन, कैवियट के दाखिल किये जा चुकने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ रजिस्ट्रार, कैवियटकर्ता को उसे उसकी शपथपत्र द्वारा समर्थित आपत्ति को, ऐसी नोटिस की तामीली से 14 दिनों के भीतर दाखिल करने के लिये बुलाते हुये फौरन नोटिस जारी करेगा।

38. **<u>अननुपालन (Non- Compliance) का परिणाम --</u>**

जहाँ कैवियटकर्ता नियम 36 के अनुपालन मे या नियम 37 के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन मे कोई आपत्ति दाखिल करने मे असफल होता है, वहाँ कैवियट, न्यायालय को आवेदन पर प्राप्त किये गये आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

39. **<u>आवेदन का वाद मे परिवर्तन --</u>**

कैवियट के समर्थन मे शपथपत्र दाखिल होने पर (जिसकी नोटिस अविलंब कैवियटकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को दी जायेगी।), कार्यवाहियों को वाद के रुप मे संख्याकित किया जायेगा जिसमे प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के लिये याचिकाकर्ता वादी होगा तथा कैवियटकर्ता प्रतिवादी, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' के लिये याचिका रजिस्ट्रीकृत की जायेगी और कैवियटकर्ता के विरुद्ध दाखिल वादपत्र समझी जायेगी और कैवियटकर्ता द्वारा दाखिल आपत्ति को उसके द्वारा वाद मे लिखित कथन समझा जायेगा। ऐसे वाद मे प्रक्रिया, जितना निकटतम सम्भव हो सके, संहिता के उपबन्धों के अनुसार होगी।

40. **<u>सत्यनिष्ठ प्रारुप (Solemn Form) मे साबित किया जाना --</u>**

वसीयत का विरोध करने वाला पक्षकार, उसके शपथपत्र के साथ वसीयत स्थापित करने वाले पक्षकार को नोटिस दे सकता है यह कि वह केवल यह जोर दे रहा है कि वसीयत विधि के सत्यनिष्ठ प्रारुप (Solemn Form) मे साबित की जाये और वसीयत के समर्थन मे प्रस्तुत गवाहों का केवल प्रतिपरीक्षण करने का आशय रखता है और वह उस पर वैसा करने के लिये स्वतन्त्र होगा और किसी समय मे वह अन्य पक्ष को खर्चों के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा जब तक कि न्यायालय का मत यह न हो यह कि वसीयत का विरोध करने के लिये कोई युक्तयुक्त आधार नहीं है।

41. **<u>प्रारम्भिक वादबिन्दु का विचारण --</u>**

न्यायालय, याचिकाकर्ता के आवेदन पर, कार्यवाहियों को वाद के रुप मे संख्याकित किया जाये यह निर्देशित करने से पूर्व, कैवियटकर्ता के हित के संबंध मे वादबिन्दु के विचारण का

निर्देश दे सकता है।जहाँ ऐसे वादबिन्दु के विचारण पर यह प्रतीत होता है यह कि कैवियटकर्ता का कोई हित नहीं है न्यायालय आदेश देगा कि कैवियट को निरस्त किया जाये और प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' जैसी भी स्थिति हो, को जारी किये जाने का आदेश दे सकता है।

खण्ड (घ): प्रकीर्ण

[432] **[42. (i)** प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत के साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के अनुदान के लिये आवेदन के उद्देश्य के लिये न्यायालय मे दाखिल प्रत्येक मूल वसीयत, जैसा कि यहाँ उपबन्धित किया जाये उसे छोड़कर, रजिस्ट्रार की अभिरक्षा मे रहेगी और यहाँ इसके बाद बताये गये वर्णित तरीके से उसके द्वारा संरक्षित की जायेगी ।: --

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि किसी अन्य न्यायालय, जहाँ ऐसे न्यायालय मे वाद लंबित है, द्वारा मूल वसीयत के प्रस्तुत करने की माँग पर वसीयत को Sealed Packet मे ऐसे न्यायालय के जवाबदेह ऑफिसर की अभिरक्षा मे लंबित मामले को प्रस्तुत करने के लिये अग्रसारित करे। ऑफिसर, ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश को Sealed Packet जिसमे वसीयत रखी है, सौंपेगा और न्यायाधीश उसके बाद, वसीयत की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण के लिये सभी जरूरी सावधानियाँ बरतेगा जब तक कि वह उसे Sealed Packet मे उस ऑफिसर, जिसे कि वह प्रस्तुत करने के लिये सौंपा गया था, लौटा न दे, ऑफिसर उस Sealed Packet को रजिस्ट्रार को, उस उद्देश्य के लिये जिसके लिये इसे दाखिल किया गया था, सौंपेगा।

(ii) रजिस्ट्रार, वसीयत को, न्यायालय को, जिसने इसके प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की है, 1000 /- रुपये से कम मूल्य के नहीं, बीमा द्वारा बीमा कृत रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पारेषित कर सकता है, जब जवाबदेह ऑफिसर द्वारा न्यायालय के समक्ष इसका प्रस्तुत किया जाना देरी को या खर्चों को, जो अनुचित हों, अपरिहार्य बना देगा ।

(iii) रजिस्ट्रार, वसीयत प्रस्तुत करने की किसी माँग का अनुपालन नहीं करेगा जब तक कि उसे सभी आवश्यक खर्चों को समाविष्ट करने के लिये पर्याप्त राशि की प्राप्ति नहीं हो जाती।

---

432 संस्थित किया गया अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक09.12.1978

(iv) जब कोई ऐसी मूल वसीयत दाखिल की गई है, रजिस्ट्रार उस पर एक क्रमांक संख्या और आवेदन का उल्लेख, जिसमे कि इसे दाखिल किया गया है, का पृष्ठांकन करेगा और वसीयत की प्रति का बनाया जाना कारित करवायेगा और प्रति के उसके या न्यायालय के ऐसे ऑफिसर, जिसे कि वह निर्देशित करे, के द्वारा परीक्षित कर लिये जाने के बाद और उसके द्वारा सत्य प्रति पाये जाने पर, प्रति को सत्य प्रति प्रमाणित करेगा और इसे अभिलेखों के साथ रखेगा और उसके बाद वसीयत को Sealed Cover मे रखा जायेगा और Fire-proof Box मे बन्द कर रखा जायेगा, जो कि रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। बॉक्स की चाबी भी रजिस्ट्रार पूर्ण अभिरक्षा मे रहेगी, जो बॉक्स और इसकी अन्तर्वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये दायी ठहराया जायेगा।

(v) कोई मूल वसीयत, इसे Fire-proof Box मे रखने के बाद, उससे रजिस्ट्रार के लिखित आदेश के अधीन निम्न उद्देश्यों को छोड़कर हटायी नहीं जायेगी --

(क) माँग के अनुपालन मे, जैसे कि नियम 42 (i) के उपबन्ध द्वारा माँगी गई हो; या

(ख) जिस उद्देश्य से इसे दाखिल किया गया था आवेदन की सुनवाई पर या प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' (वसीयत के साथ जोड़कर या बगैर जोड़े) के अनुदान के प्रतिसंहरण के लिये आवेदन की सुनवाई पर या वाद की न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई पर जहाँ ऐसी वसीयत को साक्ष्य के रुप मे प्रस्तुत करना आवश्यक हो; न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिये

(ग) प्रतियाँ बनाने के लिये ; और

(घ) वसीयत के निरीक्षण के लिये

(vi) निर्धारित प्रारुप मे एक विशेष, ऐसी वसीयते जो न्यायालय मे दाखिल की जाती है उनकी प्रविष्टियों को बनाने के लिये, रजिस्टर बनाया जायेगा।

(vii) रजिस्टर मे की गई प्रविष्टियों के लिये निर्धारित प्रारुप मे वर्णमालाक्रम-मे-अनुक्रमणिका (Alphabetical Index) भी तैयार किया जायेगा और ऐसे Index की प्रति रजिस्टर के साथ जोड़ी जायेगी। रजिस्ट्रार, रजिस्टर या किसी वसीयत जो ऐसे रजिस्टर मे उल्लिखित है, के निरीक्षण के लिये लिखित आवेदन पर, उसके निरीक्षण के लिये आदेश कर सकता है:

परन्तु यह कि निरीक्षण तथा अभिलेखों के निरीक्षण तथा अभिलेखों के रजिस्टर के निरीक्षण, के लिये आवेदन को सुनने के संबंध मे अध्याय XXXIX मे दिये गये नियम, किसी मूल वसीयत तथा मूल वसीयतों के रजिस्टर के निरीक्षण और मूल वसीयत तथा वसीयतों के रजिस्टर के निरीक्षण, के लिये आवेदन को सुनने मे भी लागू होंगे।

(viii) मूल वसीयत की प्रत्येक प्रति, रजिस्ट्रार या न्यायालय के ऐसे ऑफिसर जिसे रजिस्ट्रार निर्देशित करे, की उपस्थिति मे बनायी जायेगी।

(ix) मूल वसीयत की प्रति के लिये आवेदन न्यायालय मे पेश किया जायेगा और ऐसी प्रति केवल, मूल वसीयतों के निरीक्षण से संबद्ध शर्तों के प्रभावाधीन, ही प्रदान की जायेगी।

43. (क) (i) उन सभी वादों मे, जो अधिनियम की धारा 295 के अधीन आते है: डिक्री निर्धारित प्रारुप मे तैयार की जायेगी।

(ii) डिक्री, ग्राण्टी (Grantee) को निर्देशित करेगी कि वह अधिनियम की धारा 317 मे वर्णित Inventory और Account को, 6 माह और एक वर्ष के भीतर न्यायालय मे दाखिल करे।

(ख) प्रोबेट (Probate) के अनुदान के लिये आदेश बनाये जाने और विवादस्पद वादों मे डिक्री तैयार हो जाने के बाद, प्रोबेट (Probate) अथवा ' लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ' जैसी भी दशा हो, याचिकाकर्ता के न्यायालय मे न्यायालय के आदेशों के अनुसार उसके तथा / अथवा उसके प्रतिभूओं के एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड (Administration Bond) दाखिल करने पर, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अपेक्षित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अधिनियम की अनुसूची VI या VII, जैसी भी स्थिति हो, मे दिये गये निर्धारित प्रारुप मे तैयार किया जायेगा।**]**

[433]**[44.] Administrator General's Act, 1913**

इस अध्याय की कोई बात, Administrator General द्वारा किये जाने वाले आवेदनों या उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को वहाँ तक नहीं लागू होगी जहाँ तक वे **Administrator General's Act, 1913** के उपबन्धों के विरोध में हों ।

[434]**[45.] अधीनस्थ न्यायालयों को नियमों का लागू होना --**

इस अध्याय मे दिये गये नियम, जहाँ तक सम्भव हो, आवश्यक आंशिक संशोधनो तथा अनुकूलनों के साथ, अधीनस्थ न्यायालय मे अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को भी लागू होंगे।

---

433 पुनः संख्याकित किया गया नियम 44 के रुप मे अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक09.12.1978

434 पुनः संख्याकित किया गया नियम 45 के रुप मे अधि0 सं0 319/VIII-C-184दिनांक18.10.1978द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक09.12.1978

अध्याय XXXI: माध्यस्थता नियम (Arbitration Rules)

1. **<u>प्रारम्भिक-</u>**

इस अध्याय मे दिये गये नियम Arbitration Act, 1940, यहाँ इसके बाद इसे अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 44 के अधीन बनाये गयें हैं।

2. **<u>Arbitration Act, 1940, के अधीन आवेदन का प्रस्तुतिकरण --</u>**

अधिनियम के अधीन सभी आवेदन, याचिका द्वारा बनाये जायेंगे और न्यायालय मे उसी तरीके से प्रस्तुत किये जायेंगे जैसे कि वादपत्र या अन्य आवेदन किये जाते हैं। याचिका उसी तरीके से सत्यापित होगी जैसे कि वादपत्र होता है और यदि आवश्यक हो तो शपथपत्र द्वारा समर्थित होगी।

3. **<u>याचिका का प्रारुप --</u>**

याचिका, पैराग्राफों मे विभाजित होगी और क्रम से संख्याकित होगी और इसमे याचिकाकर्ता के साथ-साथ विपक्षी पक्षकार के नाम, वर्णन और निवास स्थान को लिखा जायेगा और संक्षिप्त रुप मे कथन होगा --

(क) सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का;

(ख) यह दर्शाने वाले तथ्य का यह कि न्यायालय जिसमे आवेदन प्रस्तुत किया गया है क्षेत्राधिकार रखता है; और

(ग) माँगे गये उपचार की प्रकृति का;

और स्पष्ट रुप से अन्य व्यक्तियों के नाम, वर्णन तथा निवास स्थान, जो संभवतः इससे प्रभावित होते हैं, दिये जायेंगे।

4. **<u>अधिनियम की धारा 13 (ख) के अधीन विशेष वाद का कथन --</u>**

(1) अधिनियम की धारा 13 (ख) के अधीन निर्देश मे, विधि का प्रश्न जिस पर न्यायालय का मत माँगा गया है और तथ्यों जिससे यह उद्भूत हुआ है को स्पष्ट रुप से कहा जायेगा। माध्यस्थता करार (Arbitration Agreement) की प्रति, यदि कोई हो, ऐसे निर्देश के साथ संलग्न की जायेगी। माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire), जो निर्देश बनाते हैं, उनके द्वारा की गई कार्यवाही की नोटिस संबंधित पक्षकारों को देंगे।

(2) जब न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13 (ख) के अधीन अपने मत को घोषित कर दिया है, उसकी प्रति निर्देश बनाने वाले माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire), को भेजी जायेगी और वे एसे मत को जुड़वा सकेंगे और अवार्ड (Award) का भाग बना सकेंगे।

5. **<u>वादों या प्रकीर्ण वादों के रुप मे, मामलों को रजिस्ट्रीकृत किया जाना --</u>**

कोई मामला जिसमे अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन अवार्ड (Award) या अधिनियम की धारा 20 (2) के अधीन आवेदन, दाखिल किया जाता है उसे वाद के रुप मे संख्याकित एवम् रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। अधिनियम के अधीन अन्य आवेदनों को प्रकीर्ण वाद के रुप मे संख्याकित एवम् रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

6. **<u>नोटिस जारी किया जाना --</u>**

याचिका प्रस्तुत किये जाने के बाद, न्यायालय यदि यह क्रम मे या विधि के अनुसार नही है, न्यायालय, इसे निरस्त कर सकता है। यदि इसे इस प्रकार निरस्त नहीं किया जाता, न्यायालय, उसकी नोटिस, याचिका मे दिये सभी व्यक्तियों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हे यह समझता है कि संभवतः वे कार्यवाहियों से प्रभावित होंगे, देने के लिये निर्देशित करेगा और सभी या ऐसे व्यक्तियों मे से किसी से कारण दिखाने कि उस समय के भीतर जो नोटिस मे दिया गया है, अपेक्षा करेगा यह कि याचिका मे चाहे गये उपचार को क्यों न प्रदान किया जाये। ऐसी नोटिस, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई याचिका की प्रतियों तथा शपथपत्र, यदि कोई हो, के साथ होनी चाहिये।

7. **<u>प्रक्रिया फीस का भुगतान --</u>**

(1) याचिकाकर्ता, संबंधित अन्य पक्षकारो पर नोटिस की तामीली के लिये आवश्यक प्रक्रिया फीस, नोटिस के जारी करने के लिये निर्देश करने वाले आदेश के सात दिनों के भीतर या आगे ऐसे समय, जिसे पर्याप्त कारण के लिये न्यायालय अनुमत करे, के भीतर जमा करेगा।

(2) पक्षकार जो अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire), से अवार्ड (Award) दाखिल करवाने के लिये निवेदन कर सकेगा, अवार्ड (Award) के दाखिल किये जाने के बाद सात दिनों के भीतर या आगे ऐसे समय, जिसे पर्याप्त कारण के लिये न्यायालय अनुमत करे, के भीतर संबंधित अन्य पक्षकारों पर नोटिस की तामीली के लिये आवश्यक प्रक्रिया फीस जमा करेगा।

8. **<u>अवार्ड (Award) दाखिल करने का तरीका --</u>**

(1) जहाँ अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन अवार्ड (Award), माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire) द्वारा दाखिल किया जाता है, वे अवार्ड (Award) या उसकी हस्ताक्षरित प्रति, किन्ही कार्यवाहियों या निक्षेपणों और दस्तावेजों, जिन्हे उनके समक्ष लिया और साबित किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 14 (3) के अधीन विशेष वाद पर न्यायालय द्वारा घोषित मत, यदि कोई हो, के साथ Sealed Cover मे न्यायालय को भेजेंगे। वे अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन संबंधित पक्षकारों को भेजी गई नोटिस की

प्रति भी अवार्ड (Award) के साथ भेजेंगे। यदि Sealed Cover को डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे Registered Cover के अन्दर भेजा जायेगा।

(2) जहाँ अवार्ड (Award), माध्यस्थता (Arbitration) के किसी पक्षकार द्वारा दाखिल किया जाता है, वहाँ कोई पक्षकार माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire) को किन्ही कार्यवाहियों या निक्षेपणों और दस्तावेजों जिन्हे उनके समक्ष लिया और साबित किया जा सकता है, माध्यस्थता (Arbitration) के अभिलेख के साथ जो उनके कब्जे मे हो सकते हैं, न्यायालय जा सकता है इसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देश देने हेतु।

9. **<u>अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन आवेदन --</u>**

अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन, प्रत्येक आवेदन माध्यस्थता करार (Arbitration Agreement) की प्रति के साथ किया जायेगा।

10. **<u>माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire) के आवेदन पर प्रक्रियाओं का जारी किया जाना --</u>**

(1) न्यायालय, माध्यस्थों (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire) के लिखित निवेदन पर माध्यस्थम कार्यवाहियों के पक्षकारों को या गवाहों को, प्रक्रियाओं का जारी किया जाना कारित करवायेगा।

(2) यदि कार्यवाहियाँ अधिनियम के अध्याय II के अधीन हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को जारी करने के लिये निवेदन करार (Agreement), जिसके अधीन माध्यस्थ (Arbitrators) या अम्पायर (Umpire) कार्य कर रहें हैं, की प्रति के साथ किया जायेगा।

11. **<u>न्यायालय फीस और प्रक्रिया फीस --</u>**

अधिनियम के अधीन, सभी मामलों के संबंध मे न्यायालयी फीस और प्रक्रिया फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के उपबन्धों और समय-समय पर, आरम्भिक पक्ष पर ऐसी फीस के भुगतान के संबंध मे बनाये गये नियमों के अनुसार जितना निकटतम हो सके, देय होगी।

12. **<u>प्रक्रिया --</u>**

मामले, जिनके लिये इस अध्याय मे उपबन्ध नहीं किया गया है, संहिता के उपबन्धों तथा न्यायालय की कार्यवाहियों को संचालित करने वाले नियमों से, जहाँ तक हो सके आवश्यक आंशिक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियों मे जिनमे अधिनियम के अधीन अपीले शामिल हैं, लागू होंगे।

13. **<u>अधीनस्थ न्यायालयों मे कार्यवाहियाँ --</u>**

इस अध्याय मे दिये गये नियम, आवश्यक आंशिक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, अधीनस्थ न्यायालयों मे अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों मे भी लागू होंगे।

अध्याय XXXII का परिशिष्ट: भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा (17- क) के अधीन नियम

1. इन [435][नियमों] को Indian Divorce (Domicile Parties) Intervention Proceeding Rule, 1928 कहा जा सकेगा ।

2. इन नियमों मे, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो --

"अधिनियम "से तात्पर्य भारतीय तलाक अधिनियम (IV; 1869) ;

"ऑफिसर "से तात्पर्य ऐसे ऑफिसर से है जिसे, जैसे कि इंग्लैण्ड मे King's Procter द्वारा विवाह विच्छेद के लिये डिक्री को पूर्ण नहीं किया जाना चाहिये या पुष्ट नही किया जाना चाहिये, जैसी भी स्थिति हो, कारण दिखाने के लिये समान अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिये अधिनियम की धारा (17- क) के अधीन नियुक्त किया गया है।

"प्लीडर "से तात्पर्य कोई व्यक्ति जो किसी अन्य के लिये न्यायालय में उपस्थित होने तथा अभिवचन करने के लिये अधिकृत है और इसमे शामिल हैं उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, वकील और एटार्नी; तथा

"प्रक्रिया" से तात्पर्य अधिनियम के अधीन वाद या कार्यवाही से है।

3. (i) यदि कोई व्यक्ति, कार्यवाही की प्रगति के दौरान या Decree *nisi* को पूर्ण बनाये जाने से पहले, ऑफिसर को सूचना या वाद के उचित निर्णय के लिये कोई महत्वपूर्ण बात बताता है, तो ऑफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा जिसे वह आवश्यक या उपयुक्त समझे।

(ii) यदि, ऐसी किसी सूचना के परिणाम स्वरुप या अन्यथा, ऑफिसर को शंका होती है यह कि याचिका के किन्ही पक्षकारों मे, वाद मे न्याय के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से साँठ-गाँठ हो रही है या की जा चुकी है, वह न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, हस्तक्षेप कर सकता है और कथित साँठ-गाँठ को साबित करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

4. (i) जब ऑफिसर, Decree *nisi* को पूर्ण बनाये जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का इच्छुक है वह कार्यवाही जिसमे ऐसी Decree *nisi* घोषित की गई है, मे उपस्थिति प्रविष्ट करेगा और न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये समय के भीतर, उसकी Plea (निवेदन), जो आधारों, जिन पर वह जैसा उपरोक्त कथित है कारण दिखाना चाहता है, को बतायेगी, दाखिल करेगा और उसकी Plea की प्रमाणित प्रति की तामीली याचिकाकर्ता या व्यक्ति

---

435 द्वारा भारत सरकार, गृह विभाग (न्यायिक) अधि0 सं0 F-928/27-1, दिनांक -28.07.1928, प्रकाशित किया गया भारत का राजपत्र, भाग-I, दिनांक – 04.08.1928

जिसके पक्ष मे ऐसी डिक्री घोषित की गई है या उसके अधिवक्ता, पर की जायेगी। ऑफिसर को, उपस्थिति प्रविष्ट करने पर, कार्यवाहियों मे पक्षकार बनाया जायेगा और वह व्यक्तिगत तौर पर या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने का अधिकारी होगा।

(ii) जहाँ ऐसी Plea, याचिकाकर्ता का उसमे नामित व्यक्ति से जारता को आरोप लगाती है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर, उसके ऐसे भाग को हटाते हुये जिसमे ऐसे तामील किये गये व्यक्ति का नाम आरोपित नहीं है, तामीली की जायेगी।

(iii) ऐसी Plea के संबंध मे सभी पश्चातवर्ती अभिवचन और कार्यवाहियाँ, अधिनियम के अधीन मूल याचिका के संबंध मे जिस प्रकार चलती है उसी प्रकार से दाखिल की जायेगी एवम् आगे बढायी जायेगी, उन्हे छोड़कर जैसा कि इसके बाद उपबन्धित हो।

(iv) यदि ऑफिसर की Plea मे कथित आरोपो को अस्वीकार नहीं किया जाता या यदि निर्धारित समय के भीतर ऑफिसर की Plea पर कोई उत्तर दाखिल नहीं किया जाता या यदि उत्तर दाखिल किया जाता है और वापस ले लिया जाता है या आगे नहीं बढा जाता तो ऑफिसर फौरन Decree *nisi* को निरस्त करने के लिये या याचिका को खारिज करने के लिये आवेदन कर सकता है।

(v) जहाँ ऑफिसर हस्तक्षेप करता है और तलाक के लिये किन्ही कार्यवाहियों मे Decree *nisi* के विरुद्ध कारण दर्शाता है, न्यायालय, उसके द्वारा ऐसा करने मे कार्यवाही के खर्च को वहन करने के लिये अन्य पक्षकारों द्वारा भुगतान के संबंध मे या उसके द्वारा ऐसा करने मे किन्ही खर्चो को वहन करने के लिये उसके द्वारा भुगतान के संबंध मे या उसके ऐसा करने के कारण से कथित पक्षकारों मे से किसी के द्वारा किन्ही खर्चो के वहन के उसके द्वारा भुगतान के संबंध मे, ऐसे आदेश दे सकता है जैसा कि इसे उचित प्रतीत हो।

अध्याय XXXII: भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 16 के अधीन नियम

1. [436]**<u>Decree *nisi* निश्चित समय के लिये पूर्ण नहीं की जायेगी --</u>**

Decree *nisi* तब तक पूर्ण नहीं बनायी जायेगी, उसकी घोषणा के लिये जब तक कि न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किये जाने के समय से 6 माह का समय या ऐसा अधिक समय जो डिक्री पारित करते समय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से निर्धारित किया हो, वह न बीत गया हो।

2. **<u>Decree *nisi* के पूर्ण बनाये जाने के प्रति आपत्तियाँ --</u>**

(1) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा (17-क) के अधीन नियुक्त [437] [ऑफिसर] से भिन्न कोई व्यक्ति जो Decree *nisi* के पूर्ण बनाये जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का इच्छुक है, न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद उस कार्यवाही मे, जिसमे कथित डिक्री पारित की गई थी, उपस्थिति प्रविष्ट कर सकता है और उसी समय आपत्ति, उन तथ्यों को कहते हुये जिन पर वह निर्भर करता है, जो शपथपत्र द्वारा समर्थित होगी, दाखिल कर सकता है।

(2) आपत्ति एवम् शपथपत्र की प्रतियाँ, उस पक्षकार को जिसके पक्ष मे कथित डिक्री घोषित की गई थी या उसके अधिवक्ता को उसके बाद तामील की जायेगी और ऐसा पक्षकार न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर शपथपत्र द्वारा समर्थित प्रतिक्रिया दाखिल कर सकता है। व्यक्ति जो कथित डिक्री के पूर्ण बनाये जाने के विरुद्ध कारण दिखाते हैं आगे ऐसे समय जो निर्धारित किया जाये, के भीतर उसकी शपथपत्र द्वारा समर्थित प्रतिक्रिया दाखिल कर सकते हैं।

(3) कोई ऐसा शपथपत्र आवश्यक नहीं होगा जब कारण, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के अधीन धारा (17-क) के अधीन नियुक्त ऑफिसर द्वारा दिखाया जाता है।

---

436 Decree *nisi* डिक्री जो अभी अंतिम नहीं हुई है।

437 द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (न्यायिक) अधि0 सं0 F- 928/ 27 दिनांक 28.07.1928, प्रकाशित हुआ भारत का राजपत्र दिनांक 04.08.1928, भाग I धारा (17-क) के अधीन सरकारी अधिवक्ता को ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

अध्याय XXXIII

[438]**[हटाया गया]**

अध्याय XXXIV: प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) एक्ट, 1951 [The Press (Objectionable Matter) Act, 1951] के अधीन नियम

1. **<u>अध्याय XXXIII के नियमों का लागू होना --</u>**

अध्याय XXXIII के नियम, जहाँ तक हो सके आवश्यक संशोधनो और अनुकूलनों के साथ, प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) एक्ट, 1951 [The Press (Objectionable Matter) Act, 1951] की धारा 24 के अधीन न्यायालय को किये गये अनुकूलनों को लागू होंगे।

2. **<u>प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) एक्ट, 1951 [The Press (Objectionable Matter) Act, 1951] के अधीन निर्देश, अपील या पुनरीक्षण --</u>**

प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) एक्ट, 1951 [The Press (Objectionable Matter) Act, 1951] की धारा 21 (2) के अधीन निर्देश की कार्यवाही, जहाँ तक हो सके दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 307 के अधीन निर्देश की तरह की जायेगी। और अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण की कार्यवाही, जहाँ तक हो सके उस संहिता के अधीन अपील या पुनरीक्षण की तरह की जायेगी।

---

438 हटाया गया अधि0 सं0 84/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 217), दिनांक16..02.1990द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक20.04.1991

अध्याय XXXV: चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् एक्ट, 1949 (The Chartered Accountants Act, 1949) के अधीन निर्देश

1. **<u>कागजातों का, परिषद के निष्कर्ष के साथ होना --</u>**

संस्था की परिषद (इसके बाद इसे परिषद कहा जायेगा) जब न्यायालय को इसके निष्कर्ष अग्रसारित करेगी इसके साथ सभी सुसंगत कागजातों जो परिषद और अनुशासनिक समिति के समक्ष थे, को पेश करेगी और विवरण मे निम्न कागजात होंगे, नामतः --

(क) परिवाद अथवा सूचना,

(ख) प्रतिरक्षा का लिखित कथन,

(ग) गवाहों के कथन,

(घ) प्रदर्श के रुप मे चिन्हित दस्तावेज,

(ड़) अनुशासनिक समिति और परिषद के समक्ष सुनवाई की टिप्पणियाँ; और

(च) अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट

परिषद, इसके निष्कर्ष उसकि दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ उपरोक्त वर्णित कागजातों या उनके इंग्लिश अनुवाद, जहाँ ऐसे कागजात इंग्लिश मे नही हैं या राज्य की भाषा में है, की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ न्यायालय मे पेश करेगी।

परिषद न्यायालय को, सभी व्यक्तियों जिन पर अधिनियम की धारा 21 (2) के अधीन नोटिसों की तामीली की माँग की गई है, के डाक पते भी प्रदान करेगी।

2. **<u>सुनवाई की तारीख निर्धारित करना --</u>**

परिषद के निष्कर्ष और पूर्ववर्ती नियम मे वर्णित कागजातों की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार वाद की सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित करेगा और तुरन्त निर्धारित प्रारुप मे, पूर्ववर्ती नियम के अधीन परिषद द्वारा दिये गये पतों पर नोटिसे जारी करेगा। परिषद और केन्द्र सरकार को भी नोटिसे भेजी जायेंगी। नोटिसों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेजा जायेगा ताकि वाद की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिनों पहले, तामीली की जाये।

3. **<u>वाद की सुनवाई के लिये बेन्च का गठन --</u>**

वाद को बेन्च द्वारा सुना जायेगा जिसमे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित 2 से कम न्यायाधीश नहीं होंगे।

4. **<u>अंतिम आदेश की प्रति परिषद और केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी --</u>**

रजिस्ट्रार, न्यायालय के अंतिम आदेशों की प्रमाणिक प्रति परिषद और केन्द्र सरकार को भेजेगा।

अध्याय XXXV-क[439]: द ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइस मार्कस् एक्ट, 1958 (The Trade and Merchandise Marks Act, 1958) के अधीन नियम

1. **<u>परिभाषायें --</u>**

इन नियमों मे, "अधिनियम "से तात्पर्य "द ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइस मार्कस् एक्ट, 1958 (The Trade and Merchandise Marks Act, 1958) "से है।

अधिनियम की धारा 4मे उल्लिखित "रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)" मे शामिल हैं कोई ऐसा अन्य ऑफिसर जिसे अधिनयम की धारा 4 (2) के अनुसरण मे रजिस्ट्रार के कार्यो का निर्वहन करने के लिये नियुक्त किया जा सके।

2. **<u>आवेदन का शीर्षक --</u>**

अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन सभी आवेदनों अथवा अपीलों का शीर्षक होगा --

In the High Court of Judicature at Allahabad

Application / Appeal under Section .... of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958

.... Applicant / Appellant

Versus

.... Opposite Party /Respondent

3. **<u>आवेदन का मॉडल --</u>**

अधिनियम के अधीन सभी आवेदनों तथा अपीलों को शपथपत्र द्वारा समर्थित याचिका द्वारा बनाया जायेगा और रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा।

यदि रजिस्ट्रार आवेदन या अपील को क्रम मे पाता है तो वह इसे अगले कार्यदिवस पर न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिये रखने का निर्देश देगा।

4. <u>प्रथम सुनवाई पर न्यायालय द्वारा निस्तारण --</u>

न्यायालय या तो इसके समक्ष ऐसे रखे गये आवेदन या अपील को स्वीकार करेगा या संक्षिप्ततः अस्वीकार करेगा या ऐसा कोई आदेश देगा जैसा कि वाद की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो।

---

439 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 338/VIII-C-159, दिनांक15.11.1961द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक09.06.1962

5. <u>“रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)”</u> **<u>पर तामीली--</u>**

न्यायालय द्वारा स्वीकृत सभी आवेदनों अथवा अपीलों की नोटिस की “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” पर तामीली की जायेगी, जो उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार रखेगा तथा उपस्थित होगा, यदि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेशित किया जाता है।

6. <u>अपील में वाद का अभिलेख --</u>

“रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” के निर्णयों से सभी विवादित अपीलों मे, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी, एक दूसरे को प्रत्युत्तर में शपथपत्र के दाखिल किये जाने से 2 सप्ताह के भीतर, “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” के समक्ष वाद के अभिलेख का भाग बनाने वाले दस्तावेजों की सूची, जिस पर वे अपील की सुनवाई के उद्देश्य से निर्भर करते हैं, प्रदान करेंगे। याचिकाकर्ता, ठीक ढंग से अनुक्रमणिका (Index) बनाकर दोनो पक्षों द्वारा निर्भर किये जाने वाले दस्तावेजों के संकलन को तैयार करेगा तथा उसकी प्रति न्यायालय को तथा अन्य पक्ष को प्रदान करेगा।

7.<u> धारा 107 (2) के अधीन निर्देश --</u>

जहाँ “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” अधिनियम की धारा 107 (2) के अधीन न्यायालय को निर्देश करता है, वह इस तथ्य की नोटिस संबंधित पक्षकारों को देगा। वह न्यायालय को, निर्देश मे संबंधित सभी व्यक्तियों के डाक पते भी उपलब्ध करायेगा। निर्देश के दाखिल किये जाने के बाद, संबंधित पक्षकारो द्वारा तारीख निर्धारित की जायेगी।

8. <u>धारा 109 (7) के अधीन आवेदन वापस लेने के लिये प्रक्रिया --</u>

जहाँ अधिनियम की धारा 109 (7) के अधीन, आवेदक का आशय उसके आवेदन को वापस लेने का है, वह आशय की लिखित नोटिस “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” तथा अपील के अन्य पक्षकारों, यदि कोई हों, को, उस धारा मे उल्लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद एक माह के भीतर देगा। वह रजिस्ट्रार को भी सूचित करेगा जो जितनी जल्दी हो सके अपील का निस्तारण करने के लिये तिथि निर्धारित करेगा।

9. <u>आदेश या न्यायनिर्णय की प्रति “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” को भेजी जायेगी --</u>

न्यायालय के प्रत्येक आदेश या न्यायनिर्णय की प्रमाणित प्रति “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्कस् (Registrar of Trade Marks)” को संसूचित की जायेगी।

10. <u>साक्ष्य के रुप मे शपथपत्र --</u>

शपथपत्रों को, उनमे पुष्ट किये गये तथ्यों के साक्ष्य के रुप मे माना जायेगा।

11. <u>सिविल प्रक्रिया संहिता तथा न्यायालय के नियमों तथा प्रारुपों का लागू होना --</u>

मामले जिनमे पूर्ववर्ती नियमों मे उपबन्ध नहीं किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा न्यायालय के नियमों तथा प्रारुपों से संचालित होंगे, अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों मे यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

परन्तु यह कि न्यायालय के लिये वादबिन्दु निर्मित करना आवश्यक नही होगा।

अध्याय XXXV- ख[440]: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (The Copy Right Act, 1957) के अधीन नियम (अधिनियम सं0 XIV, वर्ष 1957)

1. <u>न्यायालय के नियमों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना --</u>

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 72 (2) के अधीन अपीले, न्यायालय के नियम, 1952 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के उपबन्धों द्वारा यथा आवश्यक संशोधनों के साथ संचालित होंगी और ऐसे उद्देश्य के लिये ऐसी अपीलों को, आदेशों की अपीले समझा जायेगा।

2.<u>कार्यवाहियों का रोका जाना (Stay of proceedings) --</u>

न्यायालय, पर्याप्त कारणों के लिये, अपील से आदेश के अनुसरण में किन्ही कार्यवाहियों को, ऐसी शर्तों पर जो यह ठीक समझे, स्थगित स्थिति मे बने रहने का निर्देश दे सकता है।

---

440 जोड़ा गया अधि0 सं0 5/VIII-C-164, दिनांक05.01.1959द्वारा

अध्याय XXXV-ग: द बैन्कर्स बुक्स एवीडेन्स एक्ट, 1891 (The Banker's Books Evidence Act, 1891) के अधीन नियम (अधिनियम सं0 XVIII, 1891)

1. **<u>फीस का मापदण्ड --</u>**

द बैन्कर्स बुक्स एवीडेन्स एक्ट, XVIII, 1891 (The Banker's Books Evidence Act, XVIII, 1891) के अधीन आदेशित बैन्क, जो अपनी पुस्तकों से प्रविष्टियों की प्रमाणिक प्रतियाँ उपलब्ध करायेगा, निम्न मापदण्ड पर प्रभारों के लिये अधिकृत होगा --

Searching Fee	प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके संबंध मे तलाश की गई है।	5 रुपये
Copies	प्रत्येक बैन्क फोलियो (Bank folio) या उसके भाग के लिये	5 रुपये
Certificate	अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र के लिये	5 रुपये

इस उद्देश्य के लिये बैन्क फोलियो (Bank folio), बैंक की पुस्तक का पृष्ठ है जिसमे 40 से कम और 50 से ज्यादा पंक्तियाँ नहीं हैं ।

2. **<u>आवेदन कैसे किया जायेगा --</u>**

कथित अधिनियम के अधीन आदेश के लिये आवेदन किया जायेगा और न्यायालय या न्यायाधीश या तो इसे प्रदान करने का एकपक्षीय आदेश दे सकता हे या निर्देश दे सकता है यह कि इसकी नोटिस की तामीली बैन्क पर या इसमे नामित बैंकों पर की जाये। आवेदन, प्रविष्टियों के विवरण जिसकी प्रतियाँ प्राप्त करने की यह इच्छा करता है (या यदि यह असंभव हो, तो वर्ष या वर्षों जिसमे ऐसी प्रविष्टियाँ प्रकट हुई) और उनके महत्व का कथन करेगा।

3. **<u>अपर्याप्त समय मे किये गये आवेदन और ऐसे मामलों मे अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया --</u>**

पर्याप्त समय मे किये गये सभी आवेदन अनुमत किये जायेंगे, द बैन्कर्स बुक्स एवीडेन्स एक्ट, (The Banker's Books Evidence Act) की धारा 6 (2) द्वारा 3 स्पष्ट दिनों की

नोटिस दिया जाना अपेक्षित होगा तथा अपर्याप्त समय मे किये गये सभी आवेदनों मे उसका कारण कथित होगा।

4. **<u>बैन्क पर आदेश की तामीली --</u>**

पक्षकार जिसने ऐसा आदेश प्राप्त किया है, प्रभावित बैंक या बैंकों पर, इसकी तामीली करेगा और उसी समय बैंक या बैंकों को Searching Fee का भुगतान करेगा।

5. **<u>बैंक, तलाश करेंगे और प्रतियों के लिये फीस की माँग का दावा करेंगे --</u>**

आदेश की तामीली पर, बैंक, फौरन तलाश करवायेगा या करवायेंगे और उसके बाद फौरन पक्षकार को जिसने कि आदेश प्राप्त किया था, सूचित करेगा या करेंगे। ऐसे बैंक या बैकों को भुगतान की जाने वाली राशि, प्रविष्टियों की प्रतियों को बनाये जाने के लिये आदेश की शर्तों के अनुसार होगी।

6. **<u>प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों के लिये पक्षकार भुगतान करेगा --</u>**

उसके बाद संबंधित पक्षकार, बैंक या बैंकों को ऐसी कथित राशि तथा प्रमाणपत्र के लिये फीस, का भुगतान करेगा और बैंक उसकी प्राप्ति पर फौरन सुसंगत प्रविष्टियों की प्रतियाँ अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र के साथ, तैयार करेंगे और पक्षकार को प्रदान करेंगे।

7. **<u>व्यावृत्ति --</u>**

उपरोक्त नियमों की कोई भी बात न्यायालय या न्यायाधीश, की शक्ति को ऐसे आदेशों को देने के संबंध मे जो विशिष्ट वादों के खर्चों जो इसे या उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन उचित लगे, को कम करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय XXXV-घ[441]: द पावर्स ऑफ एटार्नी एक्ट, 1882 (The Powers of Attorney Act, !882) की धारा 4 (ड़) के अधीन नियम

1. **'**पावर ऑफ एटार्नी (Power of Attorney)' को सृजित करने वाले किसी दस्तावेज (Instrument) को जमा करने का आवेदन, याचिका द्वारा जो आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगी, जिसे रजिस्ट्रार के समक्ष या तो आवेदक द्वारा स्वयं या अधिवक्ता द्वरा प्रस्तुत किया जायेगा।

2. 'पावर ऑफ एटार्नी (Power of Attorney)' को सृजित करने वाले किसी दस्तावेज (Instrument) का निष्पादन शपथपत्र द्वारा सत्यापित होना चाहिये। सांविधिक घोषणा या अन्य पर्याप्त साक्ष्य को ऐसी याचिका से संलग्न किया जायेगा। उच्च न्यायालय को, इसके उचित निष्पादन के संबंध मे सन्तुष्ट होने पर, जमा हेतु यह प्राप्त किया जायेगा, लेकिन न्यायालय इसके जमा करने के लिये आदेश देने से पहले, ऐसे निष्पादन के अतिरिक्त साक्ष्य की माँग कर सकता है।

3. न्यायालय द्वारा आदेश बनाये जाने पर पावर ऑफ एटार्नी (Power of Attorney) ' ऐसे दस्तावेजों (Instruments) को रखने के लिये रखी गई फाइल मे जमा की जायेगी। रजिस्ट्रार, ऐसे सभी दस्तावेजों को उसकी अभिरक्षा मे रखेगा।

इस प्रकार जमा किये गये दस्तावेजों (Instruments) से संबंधित प्रविष्टियों को रजिस्टर में बनाया जायेगा जिसमे निम्न शीर्षक होंगे।

(i) दस्तावेज का वर्णन,

(ii) तारीख,

(iii) किसके द्वारा जमा किया गया,

(iv) जमा करने की तारीख, तथा

(v) टिप्पणियाँ

4. कोई व्यक्ति जो इस प्रकार से रखे गये दस्तावेजों के रजिस्टर (Register of Instruments) की जाँच का या ऐसे किसी दस्तावेज के निरीक्षण का इच्छुक है, उसके, उस प्रभाव का लिखित आवेदन रजिस्ट्रार को करने पर तथा Court-fee Stamp के रुप मे फीस का भुगतान करने पर, जैसा कि इसके बाद यहाँ निर्धारित किया गया है, ऐसा करने के लिये

---

441 संस्थित किया गया अधि0 सं0 150/VIII-C-94, दिनांक11.03.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II (Ka) दिनांक 15.02.1975; अध्याय के नाम को संशोधित किया गया अधि0 सं0 612/VIII-C-94, दिनांक07.06.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II दिनांक 01.10.1977

अनुज्ञात किया जायेगा।दस्तावेज (Instrument) की प्रमाणिक प्रति आवेदक को, उसके लिये, उसके उचित आवेदन पर और उसके लिये निर्धारित फीस के भुगतान पर, जैसा कि इसके बाद यहाँ निर्धारित की गई है, जारी की जा सकेगी।

5. ऐसे जमा किये गये दस्तावेज (Instrument) की प्रति, को, यदि व्यक्ति द्वारा ऑफिस मे प्रस्तुत किया गया था, उसके लिये इन नियमों मे निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर प्रमाणित प्रति के रुप मे Stamped या Marked किया जा सकेगा।

6. उपरोक्त नियम 2 के अधीन जमा किये गये दस्तावेजों (Instruments) की प्रमाणिक प्रति बगैर अतिरिक्त सुबूत के, दस्तावेज (Instrument) की अन्तर्वस्तुओं तथा इसके उच्च न्यायालय मे जमा किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य होगी।

7. इस अध्याय के उद्देश्यों के लिये फीस की सारणी निम्नवत होगी --

(1) ' पावर ऑफ एटार्नी (Power of Attorney) ' को सृजित करने वाले दस्तावेज (Instrument) को जमा करने के लिये आवेदन हेतु	न्यायालय फीस अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 10 (ड़) के अधीन देय फीस ; जैसे कि उत्तर प्रदेश मे संशोधन के बाद यह लागू हो,
(2) ' पावर ऑफ एटार्नी (Power of Attorney) ' को सृजित करने वाले दस्तावेजों (Instruments) के रजिस्टर की जाँच करने के लिये	2 रुपये
(3) ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये	2 रुपये
(4) ऐसे प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को प्रमाणित प्रति के रुप मे स्टैम्प लगाने या तैयार करने के लिये	4 रुपये
(5) प्रमाणित प्रति जारी करने के लिये (क) अर्जेन्ट (Urgent) (ख) साधारण (Ordinary)	 4 रुपये 2 रुपये

<u>टिप्पणी --</u>

(i) उपरोक्त खण्डों (2), (3), (4) तथा (5) मे निर्धारित फीस के अतिरिक्त, जाँच, निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियों के लिये आवेदनों के लिये फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, जैसा कि संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में लागू हो, के अनुसार देय होगी।

(ii) उपरोक्त खण्ड (4) मे प्रमाणित प्रतियों, को स्टैम्प लगाने या को बनाने, के लिये प्रस्तुत प्रतियाँ केवल तब प्रमाणित की जा सकेंगी जब वे Indian Stamp Act की अनुसूची (1-ख) के अनुच्छेद 24 के अधीन अपेक्षित मूल्य की Stamp Sheet, जैसा कि संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश मे लागू हो, पर लिखित या टंकित हो।

(iii) उपरोक्त खण्ड (5) के अधीन प्रमाणित प्रतियों को जारी करने के लिये, **Indian Stamp Act** जैसा कि संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश मे लागू हो, की अनुसूची (1-ख) के अनुच्छेद 24 के अधीन देय Stamp Duty का भुगतान किया जायेगा।

[442][अध्याय XXXV-ड़]: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अधीन निर्मित नियम

1. इस अध्याय मे उपबन्धित नियम, इस उच्च न्यायालय मे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन आने वाले न्यायालय की अवमानना के मामलों के प्रस्तुतिकरण एवम् सुनवाई को संचालित करेंगे।

2. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन प्रत्येक आवेदन, निर्देश या प्रस्ताव के लिये कार्यवाहियाँ, शीर्ष पर वर्णन करेंगी कि यह ' सिविल अवमानना ' या ' आपराधिक अवमानना ' के किये जाने से संबंधित है।

परन्तु यह कि यदि उसी व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध ' सिविल अवमानना ' तथा ' आपराधिक अवमानना ' दोनो के किये जाने का आरोप है। दो अलग आवेदन लाये जायेंगे, जिनमे से एक ' सिविल अवमानना ' और अन्य ' आपराधिक अवमानना ' को प्रस्तुत करेगा।

3. (1) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव या निर्देश, सुस्पष्ट भाषा में कथनों को रखेगा जो अवमानना को गठित करने वाले तथ्यों का कथन करेंगे, जिसको कि आरोपित व्यक्ति करने का दोषी होना कथित है और तिथि या तिथियाँ जिस पर अवमानना का किया जाना आरोपित है, बतायी जायेंगी।

(2) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' द्वारा लाया गया प्रत्येक प्रस्ताव, आरोपों के तथ्यों का तथा सूचनाकर्ता के विचार को यह कि इन तथ्यों के संबंध मे अवमानना की गई है प्रतीत होता है, जिसका न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिये और आगे कार्यवाही करनी चाहिये, का कथन करेगा। प्रस्ताव में यह दर्शाने के लिये पर्याप्त तत्व होने चाहिये कि क्यों ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' न्यायालय मे आने के लिये इच्छुक हैं।

(3) (क) न्यायालय की अवमानना की कार्यवाहियों के लेने के लिये याचिका शपथपत्र द्वारा समर्थित होगी। आपराधिक अवमानना की दशा मे आवेदन और शपथपत्र की तीन प्रतियाँ आवेदन के साथ होंगी।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों, याचिका के साथ, उतनी अतिरिक्त प्रतियाँ जितने की विपक्षी पक्षकार हैं, लगाई जायेंगी।

---

442 जोड़ा गया अधि0 सं0 6/VIII-C-167 (संशोधन पर्ची सं0 180) दिनांक24.11.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक12.02.1977

(ख) जब याचिकाकर्ता, उसके कब्जे मे स्थित किसी दस्तावेज या दस्तावेजों पर निर्भर करता है, वह उसे / उन्हें याचिका के साथ या उसकी एक प्रति शपथपत्र के संलग्नक के रुप में, दाखिल करेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 15 (1) (ख) के अधीन आवेदन, ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' की लिखित सहमति और उसकी एक प्रति के साथ भी होगा।

(4) आपराधिक अवमानना के संबंध में प्रत्येक आवेदन, जहाँ यह ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' द्वारा नहीं लाया जाता है और जहाँ ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' की लिखित में सहमति नहीं प्राप्त की गई थी और अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना के संबंध मे प्रत्येक आवेदन, जहाँ इसके द्वारा कोई निर्देश नहीं किया गया है और याचिका ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' की सहमति के बगैर लाई गई है, स्पष्ट रुप से कारणों का कथन करेगी यह कि क्यों ' एडवोकेट जनरल (Advocate General) ' की सहमति लिखित मे प्राप्त नहीं की जा सकेगी और क्यों न्यायालय से स्वयं कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है।

4. (क) सिविल अवमानना से संबंधित प्रत्येक वाद, उस उद्देश्य के लिये गठित [443][∗∗∗] बेन्च के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 15 के अधीन आने वाली प्रत्येक आपराधिक अवमानना, उस उद्देश्य के लिये गठित बेन्च जिसमें कम से कम 2 न्यायाधीश होंगे, के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) परन्तु यह कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायालय की अवमानना के प्रत्येक वाद, पर Stamp Reporter की न्यायालयी फीस के भुगतान की पर्याप्तता और परिसीमा, के संबंध में भी, रिपोर्ट लगी होगी। अधीनस्थ न्यायालय से प्रशासनिक पक्ष पर प्राप्त न्यायालय की अवमानना से संबंधित निर्देश, उसके संबंध में ऑफिस रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा जो उसे अपने विवेक से दाखिल करने या [444] [इलाहाबाद या लखनऊ, जैसी भी स्थिति हो, में] संबंधित बेन्च के समक्ष उसे वाद से संबंधित कार्यवाहियों में आगे कार्यवाहियों के लिये रखे जाने का आदेश देगा।

---

443 हटाया गया अधि0 सं0 296/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 234) दिनांक01.06.2005द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक06.08.2005

444 संस्थित किया गया अधि0 सं0 278/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 233) दिनांक26.05.2005द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-I (Ka), दिनांक11.06.2005

5. ऐसे आरोप जो याचिका मे कहे गये हैं, जो न्यायालय को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना का मामला बनाते प्रतीत हों, को न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप या आरोपों में घटाया जायेगा और केवल उन आरोपों के संबंध मे नोटिस जारी की जायेगी।

परन्तु यह कि न्यायालय कोई नोटिस जारी नहीं करेगा यदि न्यायालय की अवमानना के आरोपित कृत्य से एक वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है।

6. जहाँ यह निर्देशित किये जाने का आदेश किया जा चुका है यह कि किसी व्यक्ति को कारण दिखाने के लिये कि क्यों उसे न्यायालय की अवमानना के लिये दण्डित नहीं किया जाना चाहिये, सुनवाई के लिये एक तारीख निश्चित की जायेगी और उसकी एक नोटिस निर्धारित प्रारुप में संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।आपराधिक अवमानना की नोटिस की शासकीय अधिवक्ता पर भी तामीली की जायेगी। नोटिस, आवेदन की प्रतियों, प्रस्ताव तथा शपथपत्र की प्रतियों या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देश की प्रति, जैसी भी स्थिति हो और आरोप या आरोपों की प्रति जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्मित किया जाये और [445] [संबंधित व्यक्ति की या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा, जब तक कि अन्यथा आदेशित न हो, न्यायालय के समक्ष उसमे दिये गये समय] तथा तिथि पर उपस्थित होने के लिये और कारण बताने के लिये कि क्यों उसे न्यायालय की अवमानना के लिये दण्डित नहीं किया जाना चाहिये, की माँग करेगी, के साथ होगी। अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही की नोटिस की तामीली आरोपित व्यक्ति पर व्यक्तिगत तौर पर की जायेगी, जब तक कि न्यायालय अभिलिखित किये गये कारणों के लिये अन्यथा निर्देशित न करे।

7. जब यह आरोप लगाया जाता है या न्यायालय को अपने मत में प्रतीत होता है यह कि व्यक्ति अवमानना, जो इसकी उपस्थिति या सुनवाई मे की गई है, का दोषी हो चुका है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में रुकवायेगा और न्यायालय के उठने से पहले किसी समय, उसी दिन या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके --

(क) उसे, आरोपों, जो उस पर लगाये गये हैं, के साथ अवमानना की लिखित में सूचना दिलवायेगा और यदि ऐसा व्यक्ति आरोप के दोषी ठहराये जाने का अभिवचन करता है, उसकी Plea (निवेदन) को अभिलिखित किया जायेगा और न्यायालय, इसके स्वविवेक से उस पर उसे दोषी ठहरा सकता है।

---

445 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 450/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 235) दिनांक16.09.2005द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.09.2005

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति अभिवचन करने से मना करता है या अभिवचन नहीं करता या विचारण किये जाने का दावा करता है या न्यायालय उसे उसकी दोषी होने की Plea पर, दोषी नही ठहराता। उसे उसके आरोप के बचाव का अवसर प्रदान करता है, जिसके समर्थन में वह उसकी उपस्थिति के लिये निर्धारित तिथि या ऐसी अन्य तिथि, जो न्यायालय द्वारा उस तरफ से निर्धारित की जाये, पर शपथपत्र दाखिल कर सकता है।

(ग) ऐसे साक्ष्यों, जो आवश्यक हों या जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये जायें, को लेने के बाद और उसकी सुनवाई के बाद, आरोप के मामले के निर्धारण के लिये या तो फौरन या स्थगन के बाद, आगे बढेगा।

(घ) ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने के लिये या मुक्त करने के लिये, ऐसे आदेश दे सकता है, जो कि न्यायसंगत हों।

8. नियम 7 मे किसी बात के होते हुये भी, जहाँ उस नियम के अधीन अवमानना के लिये आरोपित व्यक्ति, चाहे मौखिक या लिखित मे आवेदन करता है यह कि उसके विरुद्ध आरोप का विचारण किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा, उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों को छोड़कर जिनकी उपस्थिति मे या सुनवाई मे अपराध का किया जाना कथित है, किया जाये और न्यायालय का मत है यह कि ऐसा किया जाना मुमकिन है और यह कि न्याय के उचित प्रशासन के हित मे है कि आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिये, यह मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वाद के तथ्यों के कथनों के साथ ऐसे निर्देशो के लिये जो वह उसके विचारण के संबंध में जारी करने के लिये उचित समझे रखवायेगा।

9. नियम 7 के खण्ड (ग) के अधीन आरोप का विचारण लंबित होने पर, न्यायालय निर्देश दे सकता है यह कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन अवमानना के लिये आरोपित व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा मे रोका जाये जैसा कि यह बताये।

10. न्यायालय की अवमानना किये जाने के विषय मे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सूचना दिये जाने के बाद, सूचनाकर्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या अभिवचन करने या बहस करने का कोई अधिकार नही होगा जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा विशेषरुप से ऐसा करने के लिये बुलाया न जाये।

11. जब अवमानना के लिये आरोपित कोई व्यक्ति, उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और अभिरक्षा के या कार्यवाहियों के किसी स्थिति, के दौरान जमानत देने के लिये तैयार है ऐसे व्यक्ति को जमानत पर मुक्त किया जायेगा, यदि ऐसी राशि, जिसे कि न्यायालय पर्याप्त समझे, के लिये बॉण्ड प्रतिभूओं सहित या रहित, शर्त के साथ यह कि आरोपित व्यक्ति बॉण्ड मे वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होगा और ऐसे

उपस्थित होना जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेशित न हो, कार्यान्वित किया जाता है।

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय यदि यह उचित समझता है, ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के स्थान पर उसकी उपरोक्त कथित उपस्थिति के लिये प्रतिभूति रहित बॉण्ड के उसके द्वारा कार्यान्वयन करने पर या ऐसे बॉण्ड के बगैर कार्यान्वयन किये, उसे छोड़ सकता है।

परन्तु आगे यह कि उपस्थिति के समय तथा स्थान के संबंध मे जमानतपत्र की शर्तो का अनुपालन करने मे व्यक्ति की असफलता पर, न्यायालय उसे, जब उसी वाद मे वह पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा मे लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इन्कार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक अस्वीकृति न्यायालय की किसी व्यक्ति को, जो ऐसे बॉण्ड द्वारा बाध्य है उसकी पेनल्टी (Penlaty) के भुगतान के लिये बुलाने की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं होगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 422 से 448 तक तथा धारा 450 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, इस नियम के अधीन कार्यान्वित सभी बॉण्डों को लागू होंगे।

12. न्यायालय, यदि सन्तुष्ट होता है यह कि आरोपित व्यक्ति फरार है या का फरार होना संभावित है या रास्ते को रोककर या संभावित है कि रोककर, नोटिस की तामीली से बच रहा है, उसकी सम्पत्ति, के ऐसे मूल्य या राशि जिसे यह तर्कसंगत समझे, की कुर्की का आदेश दे सकता है। आपराधिक आवमानना के मामले मे न्यायालय संपत्ति की कुर्की के स्थान पर या के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के वारण्ट जारी करने का आदेश दे सकता है।

परन्तु यह कि, यदि न्यायालय इसे उचित और व्यवहारिक समझता है तो यह प्रथम बार मे ही गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर सकता है। ऐसा वारण्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 मे दिये गये तरीके से पृष्ठांकित किया जा सकेगा। उपरोक्त उल्लिखित कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 मे धन के भुगतान के लिये डिक्री के निष्पादन मे सम्पत्ति की कुर्की के लिये उपबन्धित तरीके से प्रभावी की जायेगी। यदि ऐसी कुर्की के बाद आरोपित व्यक्ति उपस्थित होता है तथा न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये दर्शाता है यह कि वह फरार नही हुआ था या नोटिस की तामीली से बचने के लिये रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर रहा था, न्यायालय उसकी सम्पत्ति को, कुर्की से मुक्त करने का आदेश खर्चो या अन्यथा, के संबंध मे, ऐसी शर्तो पर जो यह उचित समझे, देगा।

13. न्यायालय के नियमों मे दिये गये नियम, प्रतियों को प्रदान करने तथा आपराधिक मामलो मे प्रक्रिया फीस लेने तथा न्यायालय की अवमानना के वादों मे पेपरबुक की तैयारी तथा ऐसे अन्य मामलों, जिसके संबंध मे इस अध्याय मे कोई उपबन्ध नहीं किया गया है,

के संबंध मे यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को तथा अधिनियम की धारा 19 के अधीन आनेवाली अपीलों को, लागू होंगे। इसी प्रकार से जब कार्यवाहियाँ अधीनस्थ न्यायालयों मे लंबित हैं, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यव्यवहार के आचरण के लिये बनाये गये नियम उन कार्यवाहियों को लागू होंगे।

14. जहाँ न्यायालय की अवमानना के लिये कार्यवाहियों मे न्यायालय द्वारा खर्चों को प्रदान किया जा चुका है किन्तु भुगतान नहीं किया गया है, उनके लिये अधिकृत व्यक्ति आदेश के कार्यान्वयन के लिये न्यायालय मे आवेदन कर सकता है। आवेदन शपथपत्र के साथ दिया जायेगा जो, प्रदान की गई खर्च की राशि का तथा अभुक्त बची हुई राशि का, कथन करेगा और यह न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिये रखा जायेगा। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट, द्वारा बकाया राशि को प्राप्त करे। ऐसी राशियों को इस प्रकार प्राप्त किया जायेगा जैसे कि यह जुर्माने की राशि थी।

भाग-VIII: <u>प्रकीर्ण</u>

<u>अध्याय XXXVI से XLI तक</u>

अध्याय XXXVI: <u>धन का जमा किया जाना और पुनर्भुगतान</u>

1. **<u>खाते के शीर्षक --</u>**

प्राप्त की गई और भुगतान की गई राशि, खाते के निम्न शीर्षकों के अधीन वर्गीकृत की जायेगी, नामतः --

(1) सिविल डिपाजिटस् (Civil Deposits), में शामिल है --

(i) सुप्रीम कोर्ट अपीलों और न्यायालय के आदेशों के अधीन अन्य वादों में, प्रतिभूति के स्थान पर जमा की राशि;

(ii) [446][∗∗∗]

(iii) नियम 9 के अधीन प्रकीर्ण प्राप्ति की बची हुई बकाया राशि;

[447] [(iv) U.P. Act XIII, 1972 की धारा 40 सहपठित धारा 39 के अधीन या समरुप अन्य उपबन्धों, के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, किराये, नुकसान, ब्याज और खर्चों इत्यादि के प्रति जमा की गई राशि;]

(2) मिसलेनियस डिपाजिटस् (Miscellaneous Deposits) में शामिल हैं

(i) गवाहों के यात्रा एवम् अन्य खर्चे,

(ii) [448][∗∗∗]

(iii) कमिश्नरों, माध्यस्थों, इत्यादि की फीस एवम् आनुषंगिक प्रभार,

(iv) मनीआर्डर द्वारा प्राप्त प्रतिलिपि बनाने का खर्च,

(v) शासकीय परीक्षक के प्रश्नगत दस्तावेजों की फीस,

(3) गवर्नमेन्ट क्रेडिट (Government Credit) मे शामिल हैं --

(i) टाइप लिखित पेपरबुक की तैयारी के संबंध मे भुगतान की गई राशि,

(ii) इस नियम के शीर्षक (2) के अधीन जमा राशि को छोड़कर, सरकार को जमा की जाने वाली राशियाँ,

---

446 हटाया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21, दिनांक18.10.1989 (संशोधन पर्ची सं0 219) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

447 जोड़ा गया अधि0 सं0 211/VIII-C-90, दिनांक27.04.1974द्वारा

448 हटाया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21, दिनांक18.10.1989 (संशोधन पर्ची सं0 219) द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

(iii) Fines, Stamp Duties और Penalities,

(iv) प्रारुपों, बेकार कागजातों और अनुपयोगी फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त धन, अधिवक्ताओं से अधिवक्ता-कक्षों के किराये के रुप मे प्राप्त धन, भोजन विक्रेताओं से परिसर के इस्तेमाल के लिये किराये के रुप मे प्राप्त धन,

(v) पेपरबुकों के विक्रय से प्राप्त राशि,

(vi) अभिलेखों के समन के लिये पक्षकारों द्‌वारा जमा की गई राशि; और

(vii) पुस्तकों, रजिस्टरों, नक्शों या योजनाओं की प्रतियों की तैयारी के लिये, नगद में भुगतान का प्रतिलिपि प्रभार,

2. **<u>टेन्डर (Tender) द्‌वारा नगद का भुगतान --</u>**

न्यायालय में धन का भुगतान सामान्यतः नगद में किया जायेगा जो निर्धारित टेन्डर-फार्म (Tender Form) [449] [प्रारुप सं0 917] की 3 प्रतियों के साथ, जो भुगतानकर्ता द्‌वारा उचित ढंग से हिन्दी या इंग्लिश में, दाखिल किया जायेगा।

3. **<u>टेन्डर की प्रस्तुति --</u>**

भुगतानकर्ता, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रारुप, सामान्यतः सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे के बीच प्रस्तुत करेगा। डिप्यूटी रजिस्ट्रार, वाद के अभिलेख के भारसाधक कर्मचारी से, राशि की उपयुक्तता, अदा किये गये भुगतान की प्रकृति और वाद संख्या, यदि कोई हो, जैसे कि प्रारुप मे प्रविष्ट की गई है और क्या व्यक्ति, जिसकी तरफ से इसे अदा किया गया है, द्‌वारा भुगतान बकाया है, के संबंध मे रिपोर्ट की माँग करेगा। ऐसे संशोधनों, जो आवश्यक पायें जायें के किये जाने के बाद, डिप्यूटी रजिस्ट्रार टेन्डर-फार्म पर उसके हस्ताक्षर करेगा साथ ही साथ यदि उसे 3 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है Cashier को राशि प्राप्त करने और जमा करने के लिये आदेश हस्ताक्षरित करेगा। उसके बाद भुगतानकर्ता को टेन्डर-फार्म Cashier को प्रस्तुत करने एवम् धन के भुगतान के लिये लौटा दिया जायेगा।

डिप्यूटी रजिस्ट्रार सुनिश्चित करेगा यह कि सामान्यतौर पर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे तक भुगतानकर्ता को ठीक ढंग से हस्ताक्षरित टेन्डर-फार्म लौटाया जाये।

4. **<u>कैशियर (Cashier) को भुगतान --</u>**

भुगतानकर्ता से टेन्डर-फार्म और धनराशि प्राप्त करने पर, Cashier, फार्म के 3 हिस्सों में भुगतान की अभिस्वीकृति में उसके हस्ताक्षर करेगा और फार्म के अंतिम हिस्से को

---

449 संस्थित किया गया अधि0 सं0 369/VIII-C-90, दिनांक22.12.1961 द्‌वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक14.04.1964

भुगतानकर्ता को रसीद के माध्यम से हस्तांतरित करेगा। फार्म के दूसरे हिस्से को उसके द्वारा रखा जायेगा और फाइलबुक में लगाया जायेगा। फार्म के प्रथम हिस्से पर, उसके द्वारा की गई प्रविष्टि के लिये वह Day-book में क्रमांक संख्या चढायेगा और इसे [450] [सेक्शन ऑफिसर एकाउण्टस् (अ) डिपार्टमेन्ट] को अग्रसारित करेगा, जो इसे वाद के अभिलेख पर रखे जाने के लिये, बगैर देरी किये संबंधित कर्मचारी को भेजेगा।

5. **<u>भुगतान के लिये समय --</u>**

Cashier को धन के भुगतान के लिये समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा।

6. **<u>मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान --</u>**

न्यायालय के भीतर धन का भुगतान, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को संबोधित मनी ऑर्डर द्वारा भी किया जा सकता है।

मनी ऑर्डर, Cashier द्वारा लिया जायेगा और “Register of money orders “मे प्रविष्ट किया जायेगा तथा रजिस्टर और मनी ऑर्डर को डिप्यूटी रजिस्ट्रार के समक्ष हस्ताक्षर के लिये रखा जायेगा। टेन्डर-फार्म तीन प्रतियों में संबंधित विभाग के अधीक्षक (Superintendent) द्वारा तैयार किया जायेगा और पूर्ववर्ती नियमों में दी हुई प्रक्रिया, जहाँ तक हो सके, अनुसरित की जायेगी।

7. **<u>पेशगी (Deposit), स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को भेजा जायेगा --</u>**

नियम 1 के शीर्षकों (1), [451][***], (3) [452] [तथा (4)] के अधीन जमा की गई राशियों को, फौरन ही उनके संबंधित प्राप्ति रजिस्टरों मे प्रविष्ट किया जायेगा तथा प्रतिदिन स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को, पासबुकों और उनमे की गई प्रविष्टियों की डुप्लीकेट प्रति के साथ, भेजा जायेगा। प्रति की पासबुक से तुलना करने के बाद उसे बैंक द्वारा रखा जायेगा और यथासमय कोषागार (Treasur) को अग्रसारित कर दिया जायेगा, पासबुक न्यायालय को लौटा दी जायेगी।

8. [453][***]

9. **<u>मिसलेनियस डिपाजिट (Miscellaneous Deposit) का भुगतान --</u>**

---

450 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

451 शब्द ' और ' को हटाया गया अधि0 सं0 211/VIII-C-90, दिनांक27.04.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक 20.07.1974

452 जोड़ा गया उसी स्थान पर

453 हटाया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

नियम 1 के शीर्षक (2) के अधीन जमा की गई राशियों को फौरन ही "Register of Miscellaneous Deposits and Repayments" में प्रविष्ट किया जायेगा।

नियम 1 के शीर्षक (2) के उपशीर्षक (v) के अधीन जमा की गई राशियों को यथाशीघ्र कोषागार को भेजा जायेगा और उचित शीर्षक के अधीन केन्द्र सरकार को जमा किया जायेगा।

अन्य उपशीर्षकों के अधीन जमा की गई राशियाँ, यदि यह आशा की जाती है कि धन का जल्द भुगतान किया जायेगा, Cashier द्वारा रखी जायेंगी। अन्यथा धनराशि, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के नाम से कोषागार में बनाये रखे गये, Personal Ledger Account में जमा की जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर डिप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से भुगतान के उद्देश्य के लिये वापस निकाली जा सकेगी। ऐसे किसी प्रकरण में, धन के वास्तविक भुगतान किये जाने से पूर्व इसे रजिस्टर में, जिससे ऐसा डिपाजिट (Deposit) संबंधित है, पुनः प्रविष्ट किया जायेगा।

बची हुई बकाया राशि जिसका अभी भुगतान नहीं हुआ है, को रजिस्ट्रार के आदेशों के अधीन नियम (1) के शीर्षक (ii) के अधीन जमा किया जायेगा।

10. **<u>पुनर्भुगतान का तरीका --</u>**

नियम 1 के शीर्षक (2) के अधीन प्रविष्ट की गई राशियों का भुगतान, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के आदेशों के अधीन Cashier द्वारा उससे मनी ऑर्डर कमीशन घटाने के बाद नगद में या राशि 100 /- रुपये से ज्यादा न हो तो पोस्टल ऑर्डर द्वारा किया जायेगा।

11. **<u>पुनर्भुगतान का आदेश --</u>**

नियम 1 के शीर्षक (1) या (3) [454] [या (4)] के अधीन प्रविष्ट राशियों के पुनर्भुगतान को, निर्धारित प्रारुप में आवेदन करने पर, रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के आदेशों के अधीन ' पुनर्भुगतान आदेश ' के माध्यम से किया जायेगा।

12. **<u>पुनर्भुगतान के लिये आवेदन का प्रस्तुतिकरण --</u>**

नियम 11 के अधीन पुनर्भुगतान के लिये प्रत्येक आवेदन हस्ताक्षरित किया जायेगा उस व्यक्ति द्वारा जिसे धन प्रतिदेय है या उस व्यक्ति द्वारा जिसे उसने ठीक ढंग से सामान्य या विशेष मुख्तार अधिकार द्वारा अधिकृत किया हो। जहाँ आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले

---

454 जोड़ा गया अधि0 सं0 211/VIII-C-90, दिनांक27.04.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक 20.07.1974

व्यक्ति को डिप्यूटी रजिस्ट्रार नहीं जानता है, उसके हस्ताक्षर की गवाही अधिवक्ता या अन्य किसी व्यक्ति जिसे डिप्यूटी रजिस्ट्रार जानता हो, द्वारा की जायेगी।

यदि आवेदक चाहता है यह कि उसकी तरफ से धन का उसके अधिवक्ता को भुगतान किया जाये, वह फार्म पर घोषणा हस्ताक्षरित करेगा यह कि धन का ऐसे अधिवक्ता को भुगतान किया जाये। ऐसा अधिवक्ता भी फार्म पर उसके हस्ताक्षर करेगा।

आवेदक फार्म की पंक्तियों 1 से 4 तक भरेगा। यदि उसको देय निश्चित राशि नहीं ज्ञात है, तो पंक्ति 4 का भरा जाना आवश्यक नहीं होगा। आवेदन पर आवश्यक Court-fee Stamp लगा होगा तथा उसे Working Hours के दौरान डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा।

13. **<u>आवेदक की पहचान --</u>**

यदि व्यक्ति जिसको धन देय है, स्वयं उपस्थित होता है और डिप्यूटी रजिस्ट्रार व्यक्तिगत रुप से उसे नहीं जानता, पुनर्भुगतान के लिये कोई आदेश नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अधिवक्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति जिसे डिप्यूटी रजिस्ट्रार जानता हो, द्वारा पहचान नहीं लिया जाता।

14. **<u>मनी ऑर्डर द्वारा पुनर्भुगतान --</u>**

जहाँ भेजी जाने वाली राशि 500 /- रुपये से ज्यादा नहीं है और आवेदक चाहता है यह कि उसे मनी ऑर्डर द्वारा धनराशि भेजी जाये, वह अपने आवेदन में इस प्रभाव का निवेदन जोड़ेगा और उस पते का वर्णन करेगा जिस पर उसे धनराशि भेजी जायेगी। वह ऐसे आवेदन को डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने के बजाय, न्यायालय की मुहर के अधीन उसकी पहचान के संबंध मे उस पर न्यायाधीश, मुंसिफ या मजिस्ट्रेट के Counter Signature प्राप्त करने के बाद, इसे डाक द्वारा उसे अग्रसारित कर सकता है। ऐसी दशा में मनी ऑर्डर कमीशन घटाने के बाद, शेष धन प्रति देय होगा, जो उसे मनी ऑर्डर द्वारा आवेदन मे दिये गये पते पर भेजा जायेगा।

यदि आवेदक सेना, नौसेना या वायुसेना में कार्यरत है, उसकी पहचान के संबंध में उसके कमाण्डिंग ऑफिसर का Counter Signature, इस नियम के उद्देश्य के लिये पर्याप्त होगा।

15. **<u>विशिष्ट मामलों मे न्यायालय द्वारा आदेश --</u>**

सुप्रीम कोर्ट को [455] [***] अपीलों या [456] [U.P. Urban Buildings (Regulation of letting, Rent and Eviction) Act, 1972, Act XIII, 1972 की धारा 40सहपठित धारा

---

455 हटाया गया अधि0 सं0 211/VIII-C-90, दिनांक27.04.1974द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक 20.07.1974

456 जोड़ा गया उसी स्थान पर

39के अधीन इस न्यायालय को अपीलों तथा पुनरीक्षणों], मे डिप्यूटी रजिस्ट्रार पुनर्भुगतान के आदेश को देने से पहले न्यायालय का ऐसे भुगतान के संबंध में आदेश प्राप्त करेगा। डिप्यूटी रजिस्ट्रार या न्यायालय, पुनर्भुगतान के आदेश को देने से पहले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, कारण दिखाने के लिये कि क्यों न ऐसा पुनर्भुगतान किया जाये, नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

16. **भुगतान का आदेश --**

यदि डिप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन गलत अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है वह इसे आवेदक से सही करवा सकेगा। डिप्यूटी रजिस्ट्रार, उसके बाद यह कि पुर्नभुगतान बकाया [457] [***] है की ऑफिस रिपोर्ट की माँग करने के बाद स्वयं को सन्तुष्ट करेगा। वह [458] [सेक्शन ऑफिसर एकाउण्टस् (अ) डिपार्टमेन्ट] से प्रमाणपत्र भी प्राप्त करेगा जो दर्शायेगा यह कि ऐसे धन या उसके किसी भाग, की कुर्की किये जाने या को रोकने का कोई आदेश प्रभाव में नहीं है।

इस बात के लिये सन्तुष्ट होने पर यह कि आवेदक को कोई पुनर्भुगतान बकाया है, वह पुनर्भुगतान का आदेश देगा और उसके बाद उचित प्रारुप में पुर्नभुगतान आदेश तैयार किया जायेगा।

जहाँ यह वान्छनीय समझा जाता है यह कि पुनर्भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिये, पुनर्भुगतान आदेश को मुहर से मुद्रित किया जायेगा जिस पर "Recoverable through a bank "शब्द मुद्रित होंगे।

जहाँ यह पाया जाता है यह कि आवेदक को कोई धन देय नहीं है, आवेदन को अस्वीकार किया जायेगा और वाद के अभिलेखों पर रखा जायेगा।

17. **पुनर्भुगतान फौरन किया जायेगा --**

डिप्यूटी रजिस्ट्रार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि पुनर्भुगतान के लिये आवेदनों का फौरन निपटारा किया जा रहा है और आवेदन करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, पुनर्भुगतान आदेश आवेदक को देने के लिये सामान्यतः तैयार किया गया होना चाहिये।

18. **कैश बैलेन्स (Cash Balance) की गणना --**

---

457 हटाया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

458 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

(1) Cashier के हाथ में नगद बकाये (Cash Balance) की गणना कम से कम एक बार प्रत्येक माह में रजिस्ट्रार द्वारा की जायेगी, माह के Cash Account के बन्द होने के तुरन्त बाद प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस पर या अगले माह के प्रथम कार्यदिवस पर किसी भुगतान के उसी दिन किये जाने से पहले, भी गणना की जायेगी। यह गणना डिप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा की जा सकेगी।

(2) जब कैशियर (Cashier) के पास कुल नगद बकाया (Cash Balance) उसकी प्रतिभूति की राशि के आधे से ज्यादा हो जाता है और तत्काल घटाने के योग्य नहीं है, अतिरिक्त राशि कोषागार को एकमुश्त ' सिविल डिपाजिट (Civil Deposit) के रुप में भेज दी जायेगी।

19. **<u>रजिस्टर्स (Registers)</u>** -

कैशियर (Cashier), निम्न रजिस्टरों को रखेगा नामतः --

(1) Day-book;

(2) Cash-book;

(3) Pass-book; और

(4) Register of Money Orders

सुपरिटेन्डेन्ट, एकाउन्टस् डिपार्टमेन्ट, निम्न रजिस्टरों को रखेगा; नामतः --

(1) Register of Reciepts and Repayments of Civil Deposits;

(2) Register of Miscellaneous Deposits and Repayments;

(3) Register of Government Credits;

(4) Register of Personal Ledger account;

(5) Contract Contigent register;

(6) Non-Contract Contigent register;

(7) Register of Sales of Paper- book; और

(8) Register of Rents

20. **<u>निस्तारण पंजियाँ (Acquittance Rolls) --</u>**

कैशियर (Cashier), निस्तारण पंजियों (Acquittance Rolls) का भी रखरखाव करेगा। सुपरिटेन्डेन्ट, एकाउन्टस् डिपार्टमेन्ट, जहाँ आवश्यक हो, Register of Works का भी रखरखाव करेगा।

21. **<u>अभुक्त जमा (Unpaid Deposits) की वार्षिक सूचियाँ --</u>**

प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह की शुरुआत में, "Register of Reciepts and Repayments of Deposits" को, सुपरिटेन्डेन्ट, एकाउन्टस् डिपार्टमेन्ट के द्वारा सावधानी पूर्वक परीक्षित किया जायेगा और निम्न की सूची तैयार की जायेगी --

(i) (क) सभी पेशगियों (Deposits) की, जो 5 /- रुपये से अधिक न हो जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम अप्रैल से पहले की तारीख से जमा रखा गया है; और

(ख) सभी अभुक्त बकायों (Unpaid Balances) की, जो 1 /- रुपये से ज्यादा न हों की सभी पेशगियों (Deposits) जिनका भागतः पुनर्भुगतान किया गया है।

(ii) सभी पेशगियों (Deposits) तथा सभी अभुक्त बकायों (Unpaid Balances) की पेशगियाँ (Deposits), जिन्हें फरवरी माह के प्रथम दिन पर, पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम अप्रैल से पहले के दो वर्षों से अधिक की तिथि से जमा रखा गया था।

अंतिम, न्यायालय भवन के परोक्ष भाग मे नोटिस बोर्ड पर नोटिस के साथ लगायी जायेगी जो कथित करेगी यह कि उसमें वर्णित वस्तुये सरकार को निहित हो जायेगी यदि वे आगामी एक अप्रैल से पहले वापस नहीं ली जाती और ऐसी निहित जमा का, उसके बाद Accountant General की अनुमति के बिना पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता।

[459] **[22. <u>अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त पुनर्भुगतान आवेदन --</u>**

यदि General Rules (Civil), 1957, Vol. 1 के नियम 300 के अधीन न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धन के पुनर्भुगतान के लिये आवेदन अग्रसारित किया जाता है, संबंधित मुंसरिम, इसकी प्राप्ति पर, उसके हस्ताक्षर के अधीन आवेदन पत्र के कॉलम 5 से 8 तक में अपेक्षित विवरणों को प्रमाणित करेगा और इसे तुरन्त उस न्यायालय को वापिस करेगा जिससे यह प्राप्त हुआ था।]

---

459 जोड़ा गया अधि0 सं0 121/VIII-C-90, दिनांक07.04.1962 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक19.05.1962

अध्याय XXXVII: प्रक्रियायें और प्रक्रिया फीस

1. **<u>प्रक्रिया फीस</u> - <u>आरम्भिक क्षेत्राधिकार</u> --**

न्यायालय द्वारा इसके वैवाहिक, वसीयती तथा गैर- वसीयती या आरम्भिक सिविल क्षेत्रधिकार, साधारण या असाधारण, के इस्तेमाल में जारी की गई प्रक्रिया की तामीली या कार्यान्वयन के लिये प्रभार योग्य फीस का मापदण्ड, ऐसी प्रक्रिया की तामीली या कार्यान्वयन के लिये प्रभावी नियमों के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ऐसी प्रभारयोग्य फीस के मापदण्ड का दुगना होगा।

2. **<u>प्रक्रिया फीस</u> - <u>अपीलीय क्षेत्राधिकार</u> --**

(1) न्यायालय द्वारा सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में जारी प्रक्रियाओं की तामीली और कार्यान्वयन के लिये प्रभारयोग्य फीस निम्नवत होगी --

(क) प्रतिवादियों को अपील की नोटिस या अन्य नोटिस, जहाँ प्रतिवादियों जिनपर तामीली की जानी है 4 से अधिक नहीं है -- [460] [8 /- रुपये की एक फीस]

जहाँ ऐसे प्रतिवादियों की संख्या 4 से अधिक है, उपरोक्त वर्णित फीस देय होगी प्रथम 4 के लिये उसके साथ [461] [2 /- रुपये] की अतिरिक्त फीस प्रत्येक प्रतिवादी के लिये जो संख्या में 4 से ज्यादा हैं ; [462][∗∗∗]

(ख) गवाहों को समन, जहाँ गवाहों जिन पर तामीली की जानी है की संख्या 4 से अधिक नहीं है -- [463] [6 /- रुपये] की एक फीस

जहाँ ऐसे गवाहों की संख्या 4 से अधिक है, उपरोक्त वर्णित फीस देय होगी प्रथम 4 के लिये उसके साथ [464] [1 /- रुपये] की अतिरिक्त फीस प्रत्येक गवाह के लिये जो संख्या में 4 से ज्यादा हैं।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, के संबंध मे गिरफ्तारी का वारण्ट -- [465] [10 /- रुपये]

(घ) नोटिस, घोषणा या व्यादेश या अन्य आदेश, जिसके लिये अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, जहाँ तामीली के लिये संख्या 4 से अधिक नहीं है -- - [466] [8 /- रुपये] की एक फीस

---

460 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

461 उसी स्थान पर

462 हटाया गया उसी स्थान पर

463 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21, दिनांक18.10.1989 द्वारा

464 उसी स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया

465 उसी स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया

जहाँ संख्या 4 से अधिक है, उपरोक्त वर्णित फीस देय होगी प्रथम 4 के लिये उसके साथ [467] [2 /- रुपये] की अतिरिक्त फीस प्रत्येक व्यक्ति के लिये जो संख्या में 4 से ज्यादा हैं; [468][***]

(2) उपनियम (1), आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, न्यायालय के सिविल पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में प्रक्रियाओं की तामीली और कार्यान्वयन के लिये प्रभार योग्य फीसों को भी लागू होगा।

3. **<u>कब फीस प्रभार योग्य नहीं होगी --</u>**

नियम 1 तथा 2 मे किसी बात के होते हुये भी, कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी --

(क) न्यायालय की इसके स्वयम् के प्रस्ताव द्वारा जारी किसी प्रक्रिया की तामीली या कार्यान्वयन में, जब तक कि न्यायालय आदेश न दे यह कि प्रक्रिया फीस का भुगतान किसी पक्षकार द्वारा किया जायेगा; या

(ख) पक्षकार की ओर से अन्यथा छोड़कर वाद के स्थगन के परिणामस्वरुप जारी की गई किसी प्रक्रिया की तामीली या कार्यान्वयन में; या

(ग) न्यायालय भवन या लोक कार्यालय में, नोटिस, समन, घोषणा या आदेश की प्रति लगाने में; या

(घ) जेल के भारसाधक अधिकारी पर आदेश, जो उसे उसकी अभिरक्षा में समर्पित व्यक्ति को रोके रखने या छोड़ने के लिये निर्देशित करता हो, की तामीली या कार्यान्वयन में; या

(ङ) विभागीय पड़ताल से संबंधित किसी प्रक्रिया या आदेश की तामीली या कार्यान्वयन में।

4. **<u>जब तक फीस का भुगतान नहीं किया जाता प्रक्रिया नहीं जारी की जायेगी--</u>**

कोई प्रक्रिया जिसके संबंध में नियम 1 या 2 के अधीन फीस प्रभार्य है जारी नहीं की जायेगी जब तक कि अपेक्षित फीस का भुगतान न कर दिया गया हो।

5. **<u>फीस का न्यायालयी फीस स्टैम्पों (Court fee Stamps) में भुगतान किया जायेगा --</u>**

(1) फीस का भुगतान न्यायालयी फीस स्टैम्पों (Court fee Stamps) में किया जायेगा और इसे आवेदन पर लगाया जायेगा जिसके द्वारा प्रक्रिया को जारी करने के लिये न्यायालय अग्रसर होता है या यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं है तो अपील या प्रति-आपत्ति या प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये आवेदन, के ज्ञापन पर लगाया जायेगा।

---

466 उसी स्थान पर

467 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-21, दिनांक18.10.1989 द्वारा

468 हटाया गया उसी स्थान पर

[469][परन्तु यह कि न्यायालयी फीस स्टैम्पों (Court fee Stamps) की अनुपलब्धता की दशा में, प्रक्रिया फीस के भुगतान के उद्देश्य के लिये, ऐसी फीस, निर्धारित समय के भीतर, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा (25- क) के उपबन्धो के अनुसार जमा की जायेगी।

(2) जहाँ प्रक्रिया को जारी करने के लिये आवेदन किया गया है, आवेदन पर न्यायालय फीस का भुगतान, ऐसी प्रक्रिया फीस के भाग के रुप में नहीं समझा जायेगा।]

6. **<u>न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर प्रक्रिया की तामीली --</u>**

(1) जहाँ न्यायालय इसके क्षेत्राधिकार के बाहर किसी न्यायालय को प्रक्रिया को तामीली या कार्यान्वयन के लिये भेजता है, यह उस एक प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा यह कि इन नियमों के अधीन प्रभार्य फीस की उगाही की जा चुकी है, इसलिये न्यायालय, जिसे यह भेजी गई है, द्वारा इसकी तामीली या कार्यान्वयन अतिरिक्त प्रभार के बगैर की जा सकेगी।

(2) जहाँ कोई असाधारण स्थानीय खर्च, जैसे कि नाव भाड़े पर लेना, ऐसी प्रक्रिया की तामीली या कार्यान्वयन में वहन किया जाना है, ऐसे खर्चों को समाविष्ट करने वाली पर्याप्त राशि का भुगतान नगद में संबंधित पक्षकार द्वारा किया जायेगा और पोस्टल ऑर्डर द्वारा न्यायालय, जिसे प्रक्रिया तामीली या कार्यान्वयन के लिये भेजी गई है, को भेजा जायेगा।

7. **<u>अन्य न्यायालय द्वारा प्रक्रिया जारी करने के लिये फीस --</u>**

न्यायालय जिसे कमीशन जारी किया गया है, के द्वारा जारी की गई प्रक्रियाओं के लिये फीस ऐसे न्यायालय के नियमों के अनुसार देय होगी। उनका भुगतान संबंधित पक्षकार द्वारा नगद किया जायेगा तथा पोस्टल ऑर्डर द्वारा उस न्यायालय को भेजा जायेगा।

8. **<u>प्रक्रिया फीस की वापसी, जब प्रक्रिया जारी नहीं की जाती --</u>**

जहाँ समझौते के परिणामस्वरुप या किसी अन्य कारण के लिये, किसी प्रक्रिया, जिसके लिये प्रक्रिया फीस का भुगतान किया जा चुका है, को जारी करना अनावश्यक हो जाता है और ऐसी प्रक्रिया जारी नहीं की गई है, आधी प्रक्रिया फीस संबंधित पक्षकार को लौटा दी जायेगी परन्तु यह कि ऐसी वापसी के लिये पहले आवेदन किया गया हो, जिसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया फीस का भुगतान किया गया था, के Court fee Stamps को नष्ट कर दिया गया है।

---

469 जोड़ा गया अधि0 सं0 792/VIII-C-36, दिनांक19.11.1975 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक23.10.1976

उपरोक्त उपबन्धित को छोड़कर किसी प्रक्रिया के संबंध में भुगतान की गई किसी फीस को, ऐसी प्रक्रिया के जारी करने के लिये आदेश के निर्देशित किये जाने के बाद, वापस लौटाया नहीं जायेगा।

9. **<u>भुगतान की गई फीस कारण में (In the Cause) खर्च की जायेगी --</u>**

इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित या न्यायालय द्वारा आदेशित, होने के सिवाय, पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार भुगतान की गई सभी फीस एवम् प्रभार, ' कारण में (In the Cause) ' खर्च की जायेंगी।

परन्तु यह कि कोई फीस या प्रभार, जिसे वापस नहीं किया गया है या जिसके संबंध में पक्षकार आवेदन पर वापसी के लिये आदेश प्राप्त कर लेता है, इस नियम के अर्थों मे भुगतान की गई फीस या प्रभार समझी जायेगी।

10. **<u>अभिलेख को समन करने का खर्च --</u>**

अभिलेख को समन करने का खर्च [470] [10 /-रुपये] होगा तथा नियम 3 (क) तथा (ड़), 4, 5 (2), 6, 7. 8 तथा 9, जहाँ तक हो सके तथा आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, उनकों लागू होंगे। ऐसे खर्च का Cashier को नगद भुगतान किया जायेगा।

---

470 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गज़ट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

अध्याय XXXVIII: रजिस्टर्स

1. **<u>इन्स्टीट्यूशन रजिस्टर (Institution Register) --</u>**

निम्न मे से प्रत्येक वर्ग के वादों के लिये अलग से एक **' Register of Institutions '** निर्धारित प्रारुप में रखा जायेगा।

(1) First Appeals;

(2) Execution First Appeals;

(3) Second Appeals;

(4) Execution Second Appeals;

(5) Appeals from Orders;

(6) Civil Revisions;

(7) Applicationof Review of Judgment;

(8) Matrimonial References;

(9) Matrimonial Suits;

(10) Testamentary Cases;

(11) Testamentary Suits;

(12) Company Cases;

(13) Other Original Suits;

[471] [(14) Tax Writs;

(15) Tax Cases;]

(16) Special Appeals;

(17) Application for Leave to Appeal to Supreme Court;

(18) Civil Miscellaneous Cases;

(19) Criminal Appeals;

(20) Criminal Revisions;

(21) Criminal References;

(22) Cases under [472][Section 366 of Code of Criminal Procedure; 1973];

---

471 जोड़ा गया अधि0 सं0 659/VIII-C-141, दिनांक15.07.1976द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक25.09.1976

472 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

(23) Criminal Miscellaneous Cases;

[473] [(24) Caveat]

सभी वाद रजिस्टर में उनके स्वीकृत होने की तिथि के अनुसार प्रविष्ट किये जायेंगे और कोई भी त्रुटिपूर्ण वाद (Defective Case) उसमें प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

2. **<u>प्रोग्रेस रजिस्टर (Progress Register) --</u>**

प्रत्येक वाद मे होने वाली प्रगति का अभिलेख, समय-समय पर वाद में होने वाले आदेशों के संक्षिप्त नोट एवम् तारीखों, जब और क्रम जिसमें ऐसे आदेशों को संकलित किया गया है, के साथ रखा जायेगा। जब तक कि ऐसी प्रविष्टियाँ **' रजिस्टर ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स (Register of Institutions) '** पर सुविधा पूर्वक नहीं बना ली जाती, नियम 1 में वर्णित, प्रत्येक वर्ग के वादों के लिये निर्धारित प्रारुप में अलग से एक **प्रोग्रेस रजिस्टर (Progress Register)** रखा जायेगा।

3. **<u>त्रुटिपूर्ण वादों (Defective Cases) का रजिस्टर--</u>**

नियम 1 के खण्डों (1), (2), (3), (4), (5), (6), (13) और [474] [(16)] के अधीन वर्णित सभी त्रुटिपूर्ण वादों एवम् कारावास में बन्द कैदियों के, ऐसी जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से प्राप्त सभी आपराधिक अपीलों तथा पुनरीक्षणों, के रखरखाव के लिये निर्धारित प्रारुप में एक रजिस्टर रखा जायेगा। उसमे, प्रस्तुतिकरण की तारीख तथा जैसे अभिलेख रखा जाता है, समय-समय पर त्रुटियों को मिटाने के लिये उठाये गये कदमो, के अनुसार वादों को प्रविष्ट किया जायेगा। जैसे ही त्रुटि दूर कर दी जाती है और वाद स्वीकृत हो जाता है, इसे उचित **' रजिस्टर ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स (Register of Institutions) '** मे प्रविष्ट किया जायेगा।

4. **<u>अन्तर्वर्ती आवेदनों का रजिस्टर --</u>**

अध्याय IX के नियम 2 (1) में वर्णित सभी अन्तर्वर्ती आवेदनों को निर्धारित प्रारुप में एक रजिस्टर में रखा जायेगा।

5. **<u>रजिस्टरों के प्रारुप में परिवर्तन --</u>**

रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से किसी रजिस्टर के प्रारुप में ऐसे परिवर्तन, संयोजन या प्रतिस्थापन कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

---

473 संस्थित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा

474 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 659/VIII-C-141, दिनांक15.07.1976 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट दिनांक 25.09.1976

अध्याय XXXIX: अभिलेखों का निरीक्षण

1. **<u>न्यायालय भवन से अभिलेख का हटाया जाना --</u>**

किसी वाद का कोई अभिलेख न्यायालय भवन से, न्यायाधीश या रजिस्ट्रार के लिखित आदेश के अधीन, छोड़कर नहीं हटाया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि न्यायाधीश उसके निवास पर अभिलेख की अपेक्षा करता है वह इसे ले सकता है। कर्मचारी (Official) जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख है, उस तारीख की जब न्यायाधीश अभिलेख लेता है और उस तारीख की जब वह इसे लौटाता है, एक टिप्पणी (Note) रखेगा।

2. **<u>प्रशासनिक विभाग में अभिलेख का निरीक्षण नहीं किया जायेगा --</u>**

प्रशासनिक विभाग में कोई अभिलेख या कागजात, न्यायाधीश या न्यायालय के राजपत्रित अधिकारी को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा सिवाय [475][मुख्य न्यायाधीश] के लिखित आदेश के अधीन, निरीक्षित नहीं किया जायेगा।

3. **<u>न्यायिक या आपराधिक विभाग में अभिलेख का निरीक्षण --</u>**

अध्याय VI [476] [***] के नियम 17 में उपबन्धित के सिवाय, न्यायिक या आपराधिक विभाग में कोई अभिलेख या कागजात, न्यायाधीश या न्यायालय के राजपत्रित अधिकारी को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश, रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिखित आदेश के बगैर निरीक्षित नहीं किया जायेगा।

4. **<u>निरीक्षण का समय --</u>**

अभिलेख के निरीक्षण के लिये अनुमत किया गया कोई व्यक्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ऐसे दिन या दिनों, जिसके लिये अनुमति दी गई है, पर इसका निरीक्षण कर सकता है।

5. **<u>निरीक्षण का स्थान --</u>**

आपराधिक वाद के किसी अभिलेख का कोई निरीक्षण [477] [सेक्शन ऑफिसर] आपराधिक विभाग के कक्ष में और उसकी उपस्थिति या उसके सहायक की उपस्थिति में, छोड़कर नहीं किया जायेगा और सिविल वाद के अभिलेख का कोई निरीक्षण इन्स्पेक्शन क्लर्क (Inspection Clerk) के कक्ष में और उसकी उपस्थिति में, छोड़कर नहीं किया जायेगा।

---

475 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

476 हटाया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा,

477 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा

6. **<u>पक्षकार द्वारा निरीक्षण --</u>**

वाद का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार का कोई अधिवक्ता या मान्यताप्राप्त ऐजेन्ट, स्वयं या अधिवक्ता होने की दशा में, उसके रजिस्टर्ड क्लर्क द्वारा ऐसे Case के अभिलेख या उसमें किसी कागजात या किन्ही कागजातों, के परीक्षण के लिये आदेश हेतु आवेदन कर सकता है। परन्तु यह कि पक्षकार जिसे लिखित कथन दाखिल करने के लिये आदेशित किया गया है, अन्य पक्षकार द्वारा दाखिल किये गये लिखित कथन का निरीक्षण करने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि इसने इसका स्वयं का लिखित कथन दाखिल न कर दिया हो।

7. **<u>अजनबी व्यक्ति (Stranger) द्वारा निरीक्षण --</u>**

(1) वाद के पक्षकार से भिन्न व्यक्ति भी अभिलेख या उसमें निहित किसी कागजात या किन्ही कागजातों के निरीक्षण के लिये आदेश हेतु आवेदन कर सकता है बशर्ते वह अपने आवेदन में स्पष्ट रुप से कारण बताये कि क्यों ऐसा निरीक्षण इच्छित है।

(2) ऐसा व्यक्ति निरीक्षण के लिये आदेश प्राप्त करने को अधिकार के रुप में अधिकृत नहीं होगा और अभिलेख पर किसी प्रदर्श का निरीक्षण करने के लिये किसी दशा में अनुमत नहीं होगा सिवाय तब कि जब उस व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा प्रदर्श दाखिल किया गया था या उसके हित उत्तराधिकारी, की लिखित सहमति से। ऐसी सहमति निरीक्षण के लिये आवेदन के साथ दाखिल की जायेगी।

8. **<u>आवेदन का फार्म --</u>**

निरीक्षण के लिये प्रत्येक आवेदन प्रिन्टेड प्रारुप में होगा और स्पष्ट रुप से कथन करेगा --

(क) अभिलेख या कागजातों के विवरणों को, जिसका निरीक्षण चाहा गया है।

(ख) पक्षकार या व्यक्ति, जिसकी तरफ से आवेदन किया गया है।

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा निरीक्षण किया जाना है। और

(घ) क्या आवेदन साधारण या अर्जेन्ट एक है।

9. **<u>फीस --</u>**

सिविल या आपराधिक वादों में अभिलेखों के निरीक्षण के लिये फीस का भुगतान Court fee Lables में निम्न मापक्रम के अनुसार किया जायेगा --

(क) पक्षकार, उसके अधिवक्ता या अभिकर्ता द्वारा --

(i) साधारण (Ordinary) [478] [5/- रुपये]

(ii) अर्जेन्ट (Urgent) [479] [10 /- रुपये]

(ख) अजनबी द्वारा [480] [10 /-रुपये]

परन्तु यह कि निम्न दशा में कोई फीस नहीं ली जायेगी

(क) लंबित आपराधिक वाद में, पक्षकार या उसकी तरफ से, साधारण आवेदन द्वारा;

(ख) सरकार के अधिकारियों से, जिसका यह दायित्व है या जिसे सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो, अभिलेखों के निरीक्षण करना / करने हेतु या किसी व्यक्ति, जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रुप से ऐसी फीस के भुगतान से मुक्त किया गया हो।

10. **<u>आवेदन का समय --</u>**

निरीक्षण के लिये प्रत्येक आवेदन डिप्यूटी रजिस्ट्रार के समक्ष, किसी कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से अपराहन 1 बजे के बीच किया जायेगा और उस पर नियम 9 में उपबन्धित Court fee Lables लगे होंगे।

परन्तु यह कि उसी अभिलेख के निरीक्षण के लिये नवीन आवेदन अगले दिवस पर अपराहन 3: 30 बजे तक ग्रहण किया जायेगा।

11. **<u>निरीक्षण का आदेश --</u>**

अभिलेख के निरीक्षण के लिये प्रत्येक आदेश स्पष्ट रुप से अभिलेख, कागजात या कागजातों को बतायेगा जिसके लिये निरीक्षण अनुज्ञात किया गया है और व्यक्ति या व्यक्तियों के नामों का कथन करेगा जो ऐसे निरीक्षण को कर सकेंगे।

12. **<u>आवेदन संबंधित [481][सेक्शन ऑफिसर] को अग्रसारित किया जायेगा --</u>**

निरीक्षण के लिये आदेश बनाये जा चुके जाने के बाद, डिप्यूटी रजिस्ट्रार आवेदन को संबंधित विभाग के [482][सेक्शन ऑफिसर] को अग्रसारित करेगा।

13. **<u>आवेदन को संख्याकित, अद्याक्षरित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा --</u>**

---

478 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/Xd-188 (संशोधन स्लिप सं0 224), दिनांक30.11.1996 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक04.01.1997

479 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

480 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

481 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

482 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा,

[483][सेक्शन ऑफिसर] या उसके सहायकों में से कोई एक, आवेदन को संख्याकित और अद्याक्षरित करेगा और इसे रजिस्टर मे प्रविष्ट करेगा, जिसमे निम्न प्रविष्टियाँ बनाई जायेंगी, नामतः --

(क) आवेदन की क्रम संख्या तथा निरीक्षण की प्रकृति (साधारण या अर्जेन्ट) ;

(ख) निरीक्षित अभिलेख या कागजात का विवरण;

(ग) निरीक्षण के आदेश की तारीख;

(घ) निरीक्षण की तारीख;

(ड़) अभिलेख का निरीक्षण करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम;

(च) अभिलेख या कागजात की प्राप्ति की तिथि तथा इसके वापस करने की तिथि; और

(छ) टिप्पणी, यदि कोई हो।

14. **साधारण और अर्जेन्ट आवेदन --**

साधारण आवेदन पर, निरीक्षण आवेदन करने की तिथि से अगले दिन या आदेश में वर्णित उत्तरवर्ती दिन पर अनुज्ञात किया जायेगा। अर्जेन्ट आवेदन पर निरीक्षण, उसी दिन अनुज्ञात किया जायेगा।

[484][परन्तु यह कि यदि निरीक्षण निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता, ऑफिसर जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया जाने वाला था, अभिलेख को वापस करने से पहले, निरीक्षण के आवेदन पर उसके हस्ताक्षर के अधीन पृष्ठांकन करेगा यह कि निरीक्षण नहीं किया गया है।]

15. **निरीक्षण कक्ष में कोई कलम, स्याही इत्यादि नहीं लाई जायेगी --**

ऑफिसर जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया जाना है, अभिलेख या कागजात का निरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति को, कक्ष में कोई कलम या स्याही लाना या उसके समक्ष किसी अभिलेख या कागजात, पर किसी निशान का बनाया जाना या का किसी तरह से नष्ट किया जाना, अनुज्ञात नहीं करेगा। निरीक्षण के आदेश में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न, कोई व्यक्ति कक्ष, जहाँ निरीक्षण किया गया है, में प्रविष्ट करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, [485] [और निरीक्षण शुरु किये जाने के फौरन बाद, ऑफिसर निरीक्षण के आवेदन पर पृष्ठांकन करेगा जो निरीक्षण करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों के नामों को और निरीक्षण की

483 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

484 जोड़ा गया अधि0 सं0 26/VIII-C-82, दिनांक21.11.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

485 जोड़ा गया अधि0 सं0 26/VIII-C-82, दिनांक21.11.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

तारीख को भी दर्शायेगा।निरीक्षण के आवेदन पर, निरीक्षण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी लिये जायेंगे।]

16. **रजिस्टर का निरीक्षण --**

(1) न्यायाधीश, रजिस्ट्रार या न्यायालय के अन्य राजपत्रित अधिकारी को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति, सिवाय रजिस्ट्रार के लिखित आदेश के और उस ऑफिसर की उपस्थिति में जिसका कर्तव्य ऐसे रजिस्टर को रखना है, किसी रजिस्टर का निरीक्षण नहीं कर सकता। और न्यायाधीश या रजिस्ट्रार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय रजिस्टर का निरीक्षण नहीं कर सकता।

(2) न्यायिक या आपराधिक विभाग में रजिस्टर के निरीक्षण के लिये फीस [486] [5 /- रुपये] होगी। इस अध्याय में दिये गये नियम अन्य संबंधों में किसी वाद या कार्यवाही के अभिलेख के निरीक्षण के संदर्भ में आवश्यक संशोधनों तथा अनुकूलनों के साथ, रजिस्टर के निरीक्षण को लागू होंगे।

---

486 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/Xd-188, दिनांक30.11.1996 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक04.01.1997

अध्याय XL: प्रतियाँ

1. **<u>आदेश के बगैर प्रति नहीं तैयार की जायेगी --</u>**

इन नियमों द्वारा अथवा न्यायाधीश द्वारा अन्यथा आदेशित होने के सिवाय, किसी अभिलेख या किसी अभिलेख के किसी कागजात की कोई प्रति, आवेदन पर, जो इसके बाद बताये गये तरीके से बनाया गया है, न्यायालय, रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के आदेश के बिना नहीं, बनायी जायेगी या बनाने की अनुमति दी जायेगी।

2. **<u>प्रति के लिये आवेदन --</u>**

प्रति के लिये प्रत्येक आवेदन डिप्यूटी रजिस्ट्रार को व्यक्तिगतरुप से किया जायेगा या डाक द्वारा भेजा जायेगा।

परन्तु यह कि वाद से अपरिचित व्यक्ति द्वारा प्रति के लिये आवेदन, जिससे की संबंधित कागजात जिसकी प्रति माँगी गई है, व्यक्तिगतरुप से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी, ---

(क) जब यह वाद मे अंतिम डिक्री या आदेश दिये जाने से पहले किया जाता है; या

(ख) जब माँगी गई प्रति वाद के प्रदर्श की है; चाहे आवेदन अंतिम डिक्री या आदेश पारित करने की तिथि से पूर्व या पश्चात किया गया हो;

3. **<u>आवेदन की अन्तर्वस्तुयें --</u>**

प्रति के लिये प्रत्येक आवेदन निर्धारित प्रारुप में / पर लिखा जायेगा और कथन करेगा --

(क) आवेदक के नाम और पते का;

(ख) क्या आवेदक वाद का पक्षकार है जिससे उससे संबंधित कागजात की प्रति माँगी गई है;

(ग) क्या आवेदन साधारण अथवा अर्जेन्ट एक है;

(घ) क्या प्रति डाक द्वारा भेजी जायेगी;

(ड़) कागजात का, जिसकी प्रति माँगी गई है और अभिलेख जिसमें वह है, का पूर्ण विवरण; प्रकरण को बताते हुये कि वह अपील या पुनरीक्षण या निर्देश है, जिला, जिसमें अपील या पुनरीक्षण के अधीन मामला निर्णीत किया गया था या जिससे निर्देश प्राप्त हुआ था।

(च) क्या वाद का अंतिम रुप से निपटारा किया जा चुका है और निर्णय या अंतिम आदेश की तारीख; यदि कोई हो,

और जब आवेदक कार्यवाही का पक्षकार नहीं है --

(छ) उद्देश्य जिसके लिये प्रति माँगी गई है।

4. **<u>डाक द्वारा प्रति --</u>**

जहाँ यह इच्छित है कि प्रति डाक द्वारा भेजी जाये, वहाँ प्रति या जहाँ आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, इसकी अस्वीकृति की नोटिस, आवेदक को डाक द्वारा भेजी जायेगी; पता जिस पर ऐसी प्रति या नोटिस भेजी जा सकेगी उसे भी आवेदन में दिया जायेगा और अपेक्षित मूल्य का डाक टिकट उससे लगा होगा। जहाँ Cover (आवरण) के रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है यह तथ्य आवेदन में कहा जायेगा और अतिरिक्त डाक टिकट जो रजिस्ट्रेशन खर्च को समाविष्ट करने के लिये पर्याप्त हो उसे भी आवेदन के साथ जोड़ा जायेगा।

5. **<u>प्रस्तुतिकरण का समय --</u>**

प्रति के लिये सभी आवेदन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिये जायेगे। रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, आपवादिक परिस्थितियों में, [487] [यदि न्यायाधीश द्वारा लिखित रुप मे आदेशित हो।] किसी आवेदन को दोपहर 1बजे के बाद ले सकेगा। [488] [परन्तु यह कि जमानत, व्यादेश (Injunction), स्टे (Stay) या किसी अन्य अंतरिम आदेश (Interim Order) की प्रमाणिक प्रति जारी करने के लिये कोई आवेदन तब तक नहीं सुना जायेगा जब तक कि इस पर यह प्रमाणित करने वाली ऑफिस रिपोर्ट न लगी हो यह कि इन नियमों के अध्याय IX के नियम 11 (1) और अध्याय XVIII के नियम 6 को ध्यान में रखते हुये विपक्षी पक्षकार / पक्षकारों पर तामीली के लिये आवश्यक संख्या में प्रतियों को आवश्यक प्रक्रिया फीस के साथ पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और वे अभिलेख पर हैं।] ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, उन पर उसके अद्याक्षरों के अधीन प्राप्त करने की तिथि का पृष्ठांकन करेगा, आवेदनों के प्रदान किये जाने के आदेश पारित करेगा और उन्हें प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट को अग्रसारित करेगा। सुपरिटेन्डेन्ट या उसका सहायक बगैर देरी किये उन पर क्रमसंख्या चढायेंगे और उन्हें नियम 21 मे वर्णित **'Register of Applications for copies '** मे प्रविष्ट करेगा।

6. **<u>लिखित कथन की प्रति --</u>**

---

487 जोड़ा गया अधि0 सं0 217/VIII-C-61, दिनांक19.04.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक26.04.1980

488 जोड़ा गया अधि0 सं0 164/VIII-C-178, दिनांक24.03.1976 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक25.09.1976

पक्षकार, जिसे लिखित कथन दाखिल करने का आदेश किया गया है। अन्य पक्षकार द्वारा दाखिल लिखित कथन को लेने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि इसने इसका स्वयं का लिखित कथन पहले न दाखिल कर दिया हो।

7. **<u>अपरिचित (Stranger) द्वारा आवेदन --</u>**

वाद से अपरिचित व्यक्ति द्वारा, प्रदर्श की प्रति के लिये आवेदन चाहे आवेदन अंतिम या आदेश के दिये जाने से पहले या बाद मे दिया गया हो या किसी अन्य कागजात की प्रति के लिये, जब इसे वाद में अंतिम डिक्री या आदेश पारित किये जाने से पहले किया गया हो, प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रार सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि इसे प्रदान करने के लिये पर्याप्त कारण हैं।

इस नियम के अधीन रजिस्ट्रार किसी आवेदन को न्यायाधीश, जिसे ऐसे आवेदनों को आदेशों के लिये प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया गया है, को निर्देशित कर सकता है।

8. **<u>अपरिचित व्यक्ति (Stranger) को प्रदर्श की प्रति का प्रदान किया जाना --</u>**

प्रदर्श की प्रति के लिये, अपरिचित के द्वारा किये आवेदन पर, उस वाद में जिसमें ऐसा प्रदर्श दाखिल किया गया था, कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन के साथ उस व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा प्रदर्श दाखिल किया गया था, की ऐसी प्रति प्रदान करने के लिये ठीक ढंग से प्रमाणित सहमति नहीं लगायी जाती।

9. **<u>न्यायालय के समक्ष दिये बयान जिसे अभिलिखित किया जा रहा है, की प्रति --</u>**

जहाँ आवेदन, न्यायालय के समक्ष दिये बयान जिसे अभिलिखित किया जा रहा है, की प्रति के लिये किया गया है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार इसे संबंधित बेन्च को आदेशों के लिये निर्देशित करेगा।

यदि आवेदन प्रदान किया जाता है, साधारण प्रक्रिया अनुसरित की जायेगी, सिवाय इसके कि बयान का केवल ऐसा भाग जो प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट को, जिसके विषय मे तर्कसंगत रुप से प्रति बनाया जाना दिवस के दौरान अपेक्षित हो, प्रतिदिन दिया जायेगा। दिवस की समाप्ति पर सुपरिटेन्डेन्ट इसे संबंधित बेन्च- रीडर (Bench Reader) को लौटायेगा।

अर्जेन्ट आवेदन की दशा में, यदि न्यायालय ऐसा निर्देशित करता है, **Judgment Clerk,** जिसके द्वारा बयान आशुलिपि में लिखा गया है, द्वारा ऐसी प्रति तैयार की जा सकेगी और सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा इसे मूल के साथ तुलना करने के बाद जारी किया जायेगा। आवेदक के

निवेदन पर, ऐसे बयान की अप्रमाणित प्रतियाँ सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा ऐसी तुलना के बगैर, देरी का परिवर्जन करने हेतु जारी की जा सकेंगी।

[489] **[(9-क) - <u>आदेशपत्र या उसके भाग की प्रति --</u>**

जहाँ आवेदन आदेशपत्र की सम्पूर्ण प्रति के लिये किया गया है, उसे जारी किया जा सकेगा, जहाँ, जैसे भी हो, आदेशपत्र के किसी भाग के लिये आवेदन किया गया है, वहाँ केवल उस भाग की प्रति जारी की जायेगी जो न्यायाधीश या रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।]

10. **<u>विशिष्ट वादों में प्रति के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा --</u>**

इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, रजिस्ट्रार आदेश दे सकता है यह कि अभिलेख पर किसी कागजात, की प्रति बनायी जायेगी और सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग के प्रमुख या भारत के किसी उच्च न्यायालय या कोई प्रधिकरण, जो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी अन्य देश में किसी मुख्य न्यायालय, के समान क्षेत्राधिकार इस्तेमाल करता हो, की तरफ से आवेदन पर बगैर किसी शुल्क के प्रदान की जायेगी।

11. **<u>मुफ्त प्रति --</u>**

(1) अकिंचन वाद या अपील या आवेदन में आरम्भिक या अपीलीय डिक्री की प्रति, सरकारी विधि अधिकारी को आवेदन पर मुफ्त प्रदान की जा सकेगी।

(2) अभिलेख के किसी या पूरे भाग की प्रति जब किसी विचारण या जाँच को करने के उद्देश्य से या आपराधिक वाद में सरकार की तरफ से किसी न्यायिक कार्यवाही हेतु, आवश्यक हो, आवेदन पर सरकारी विधि अधिकारी को मुफ्त प्रदान की जा सकेगी।

यदि फिर भी रजिस्ट्रार समझता है यह कि आवेदन में कथित उद्देश्य के लिये जो आवश्यक है उससे ज्यादा की माँग की गई है, तो वह किसी या सभी प्रतियों जिनके लिये आवेदन किया गया है, को मुफ्त प्रदान करने से इन्कार कर सकता है।

(3) आपराधिक मामले मे न्यायनिर्णय या आदेश की प्रति, जेल में परिरोधित कैदी को आवेदन पर, जो संबंधित जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, मुफ्त प्रदान की जा सकेगी।

---

489 संस्थित किया गया अधि0 सं0 383/VIII-C-2 (संशोधन स्लिप सं0 219), दिनांक18.10.1989 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.04.1991

यदि आवेदन कैदी की तरफ से कार्य करने वाले या कार्य किया जाना दर्शाने वाले मित्र के माध्यम से किया जाता है तो इसे संबंधित जेल के भारसाधक अधिकारी को कैदी द्वारा सत्यापित होने के लिये भेजा जायेगा और जब ऐसे सत्यापित हो जाती है तो इसे कैदी के उसके अपने आवेदन जैसा व्यवहृत किया जायेगा।

12. **<u>गोपनीय कागजात --</u>**

न्यायालय की किसी प्रशासनिक या गोपनीय फाइल पर किसी कार्यवृत्त के उद्वरण, पत्र या दस्तावेज की कोई प्रति जारी नहीं की जायेगी सिवाय मुख्य न्यायाधीश के लिखित आदेश के अधीन जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित (Counter signed) होगा। ऐसा प्रत्येक आदेश रजिस्ट्रारद्वारा फाइल में रखा जायेगा तथा ऐसे कार्यवृत्त, पत्र या दस्तावेज पर वह उसकी एक टिप्पणी, जो ठीक ढंग से तारीखांकित एवम् उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी, बनायेगा। प्रशासनिक समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका, की कोई प्रति या से कोई उद्वरण, समिति की बैठक पर पारित किये गये किसी प्रस्ताव के अनुसार छोड़कर, नहीं दिया जायेगा।

13. **<u>प्रति की प्रति --</u>**

रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आवेदन पर अभिलिखित विशेष कारणों के सिवाय किसी दस्तावेज की कोई प्रति नहीं दी जायेगी जो कि स्वयं एक प्रति है। जहाँ प्रति की प्रति दी जाती है तथ्य यह कि यह ऐसी प्रति है, लाल स्याही से ऐसी प्रति के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर नोट किया जायेगा।

14. **<u>रजिस्टर्ड क्लर्क को प्रति की सुपुर्दगी --</u>**

अधिवक्ता द्वारा ठीक ढंग से हस्ताक्षरित प्रति के लिये आवेदन उसके रजिस्टर्ड क्लर्क द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और प्रति, जब तैयार हो जायेगी, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने वाले क्लर्क को सुपुर्द की जा सकेगी।

15. **<u>भाषा या संकेताक्षर, जो राज्य में प्रवृत्त नहीं है, में दस्तावेज की प्रति --</u>**

जहाँ उस भाषा या संकेताक्षर में किसी दस्तावेज की प्रति के लिये आवेदन किया गया है जिससे, न्यायालय के स्थापित होते समय कोई प्रतिलिपिकार परिचित नहीं है वहाँ रजिस्ट्रार, यदि संभव होगा, तो ऐसी भाषा या संकेताक्षर को जानने वाले किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रति तैयार किये जाने के लिये व्यवस्था करेगा, जो उसके मत में, ऐसा हो जिस पर उद्देश्य के लिये निर्भर हुआ जा सके। ऐसे प्रकरण में व्यक्ति जो प्रति तैयार करता है, निम्न तरीके से सत्यापित करेगा, नामतः --

“मैं, अ. ब. घोषणा करता हूँ कि मैंने, मूल (Original) की भाषा और संकेताक्षर को समझने के लिये पढा है और यह कि उपरोक्त उसकी सत्य एवम् सही प्रतिलिपि है।”

यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया जा सकता, रजिस्ट्रार ऐसे दस्तावेज को इस नियम की प्रति के साथ अन्य राज्य में स्थित न्यायालय को जहाँ ऐसी भाषा या संकेताक्षर प्रयोग में हो सकेंगे, भेज सकता है और इससे निवेदन कर सकता है कि यह प्रति बनाकर रखे। किसी अतिरिक्त प्रभार का वहन आवेदक द्वारा किया जायेगा। यदि ऐसी प्रति के लिये आवेदन करने वाले पक्षकार से सहमति हो, तो प्रति के स्थान पर रजिस्ट्रार, यदि संभव हो, तो ऐसे दस्तावेज की फोटोग्राफिक प्रति, ऐसे सभी अतिरिक्त प्रभार जो भी हों, के आवेदक द्वारा भुगतान करने पर तैयार करवायेगा।

16. **<u>आवेदन, कॉपी फोलियो (Copy Folios) तथा स्टैम्प लेबलस् (Stamp Lables) के साथ होगा</u>** --

उस दशा को छोड़कर, जहाँ इन नियमो के अधीन प्रति के लिये कोई फीस प्रभार्य नही है, प्रति के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ कॉपी फोलियो (Copy Folios), जिस पर अपेक्षित मूल्य के कॉपी स्टैम्प लेबलस् (Copy Stamp Lables) जो अतिरक्त आसंजक हों, लगे होंगे, लगाये जायेंगे, जब तक कि पुस्तको, रजिस्टर, मैप या प्लान या उससे उद्वरण, की प्रति न माँगी गई हो। यदि आवेदन के साथ लगे कॉपी फोलियो (Copy Folios) पर सम्पूर्ण प्रति को नहीं लिखा जा सकता तो इसे साधारण Foolscap Size Paper पर पूरा किया जायेगा।

परन्तु यह कि जहाँ माँगी गई प्रति न्यायालय की डिक्री की है आवेदन केवल अपेक्षित मूल्य के आसंजक [490][कॉपी] स्टैम्प लेबलस् ([Copy] Stamp Lables) के साथ होगा और प्रति, डिक्री तैयार करने के लिये निर्धारित प्रिन्टेड प्रारुप में पर बनायी जायेगी, जिस पर [491][कॉपी स्टैम्प लेबलस] ([Copy Stamp Lables]) को लगाया जायेगा

17. **<u>प्रभार का मापक्रम --</u>**[492][प्रतियों के लिये प्रभार का निम्न मापक्रम निर्धारित किया गया है। नामतः --

	सामान्य प्रति (रुपये)	अर्जेन्ट प्रति (रुपये)
अन्तर्वर्ती आदेश (Interlocutory	5.00	10.00

490 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 165/VIII-C-90, दिनांक18.04.1964द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक05.12.1964

491 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 322/VIII-C-2, दिनांक02.05.1984द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.10.1984

492 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/Xd-188 (संशोधन स्लिप सं0 224), दिनांक30.11.1996 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक04.01.1997

Order)		
न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश	5.00	10.00
बयान	5.00	10.00
अटार्नी की सामान्य शक्ति का लिखित में समझौते का विलेख	5.00	10.00
पुस्तक, रजिस्टर, मैप या प्लान या उसके किसी उद्वरण को छोड़कर कोई अन्य कागजात	5.00	10.00
डिक्री या औपचारिक आदेश	5.00	10.00

[493] [∗∗∗]

[494] [उस दशा में, जब अन्तर्वर्ती आदेश, न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश, डिक्री या औपचारिक आदेश हिन्दी में है और उसके प्रमाणिक इंग्लिश अनुवाद के साथ है, दोनो हिन्दी और इंग्लिश प्रतियों के संस्करणों को जारी किया जायेगा और प्रत्येक सेट की प्रतियों के लिये, उपरोक्त प्रभार के मापक्रम में कथित आदेशों, न्यायनिर्णयों या डिक्रियों के लिये निर्धारित की गई दर का दुगना प्रभार लगेगा।]

[495] [अध्याय VIII के नियम 32में कही गई शर्तों के अनुसार ऐसे प्रत्येक न्यायनिर्णय या आदेश के लिये प्रति प्रतिलिपि 5 /- रुपये के भुगतान पर अनुमोदित लॉ जानर्लस् के Representatives, न्यायनिर्णयों और आदेशों की प्रति **'Approved for reporting (A.F.R.) '**, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।]

18. **<u>पुस्तकों, इत्यादि की प्रति --</u>**

जहाँ पुस्तक, रजिस्टर, मैप या प्लान या उससे किसी उद्वरण के लिये आवेदन है, प्रतिलिपि विभाग का सुपरिटेन्डेन्ट, जैसे ही यह रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त होता हे, ऐसी प्रति को तैयार करने के खर्च का आकलन करवायेगा और इसे आवेदन के

---

493 हटाया गया अधि0 सं0 217/VIII-C-61, दिनांक19.04.1980द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक24.04.1980

494 जोड़ा गया अधि0 सं0 35/Xe-5दिनांक24.01.1972द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक10.11.1973

495 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 516/Xd-188 (संशोधन स्लिप सं0 224), दिनांक30.11.1996 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक04.01.1997

साथ रजिस्ट्रार को पेश करेगा। रजिस्ट्रार के उसकी आँकलित नोटिस को अनुमोदित किये जाने के बाद, इसे प्रतिलिपि ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर दो क्रमिक कार्यदिवसों पर, आवेदक से सात दिनों के भीतर अनुमानित खर्च जमा करने की अपेक्षा करते हुये, लगाया जायेगा।यदि आवेदन डाक द्वारा प्राप्त किया गया है, नोटिस की प्रति आवेदक को अभुक्त डाक द्वारा अनुमानित मूल्य के 10 दिनों के भीतर, जमा करने की माँग करते हुये, भेजी जायेगी। यदि उपरोक्त कथित समय के भीतर, नोटिस में वर्णित अनुमानित खर्च का Cashier को भुगतान किया जाता है या उसके द्वारा मनी ऑर्डर प्राप्त किया जाता है, वह इसे **' Register of Petty Items '** मे प्रविष्ट करेगा और प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट को सूचित करेगा। सुपरिटेन्डेन्ट, डिप्यूटी रजिस्ट्रार से आवश्यक स्टैम्प की खरीद के लिये आदेश प्राप्त करेगा और उसके बाद प्रति तैयार की जायेगी। यदि उपरोक्त कथित समय के भीतर खर्च Cashier द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

19. **<u>आवेदन की अस्वीकृति --</u>**

यदि किसी कारण से, प्रति जिसके लिये आवेदन किया गया है, नहीं दी जा सकेगी, तो आवेदन को अस्वीकार किया जायेगा।कॉपी फोलियो (Copy Folios) और स्टैम्पस् (Stamps) आवेदक को, **' Register of Applications '** की उपयुक्त पंक्ति में उसके हस्ताक्षर लेने के बाद, लौटा दिये जायेंगे और उसे प्रति प्रदान क्यों नहीं की जा सकेगी इसका कारण सूचित किया जायेगा। यदि आवेदन डाक द्वारा प्राप्त हूआ है, अभुक्त डाक द्वारा आवेदक को सूचना दी जायेगी और कॉपी फोलियो (Copy Folios) और स्टैम्पस् (Stamps) लौटाये जायेंगे। यदि, जैसे भी हो, नियम4 के अधीन कोई डाक टिकट आवेदन के साथ दाखिल किया गया है, उनकों उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया जायेगा। तद्नुसार **' Register of Applications '** की टिप्पणी की पंक्ति में Note लिखा जायेगा।

20. **<u>कॉपी फोलियो (Copy Folios) तथा स्टैम्प (Stamps), जो लौटाये न जा सकें, का नष्ट किया जाना --</u>**

यदि पूर्ववर्ती नियम के अधीन कोई कॉपी फोलियो (Copy Folios) तथा स्टैम्प (Stamps), आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर लौटाये जानें हैं और आवेदक, आवेदन के अस्वीकार होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है, वे उसे डाक द्वारा भेजे जा सकेंगे परन्तु यह कि उसकी तरफ से इस उद्देश्य के लिये आवश्यक डाक टिकट जमा किये जा चुके हों। किन्ही कॉपी फोलियो (Copy Folios) तथा स्टैम्प (Stamps), जो आवेदक को लौटाये न जा सकें या पोस्ट ऑफिस से अप्रदत्त के रुप में वापस प्राप्त हों, को डिप्यूटी रजिस्ट्रार के

आदेशों के अधीन 3 माह की समाप्ति की अवधि के समाप्त होने के बाद, नष्ट किया जा सकेगा। यह तथ्य रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में नोट किया जायेगा।

21. **<u>रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशन्स (Register of Applications) --</u>**

रजिस्टर ऑफ एप्लीकेशन्स (Register of Applications) प्रतियों के लिये प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा नीचे दिये प्रारुप मे रखा जायेगा, साधारण तथा अर्जेन्ट, प्रतियों के लिये अलग रजिस्टर प्रयुक्त किये जायेंगे

(1) क्रमसंख्या;
(2) आवेदन की तिथि;
(3) आवेदक का नाम;
(4) कागजात का वर्णन, जिसकी प्रति के लिये आवेदन किया गया है।;
(5) वाद का वर्णन;
(6) भुगतान की गई फीस;
(7) अभिलेख की प्राप्ति की तिथि;
(8) अभिलेख की वापसी की तिथि;
(9) तारीख जिस पर यह कि प्रति तैयार है की नोटिस, नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है;
(10) तारीख जिस पर प्रति प्रदान की गई है या डाक द्वारा भेजी गई है;
(11) इसे डाक द्वारा भेजने में प्रति प्रदान करने वाले सहायक के हस्ताक्षर ;
(12) प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ; तथा
(13) टिप्पणी

22. **<u>आवेदन का क्रम के अनुसार निपटारा किया जायेगा --</u>**

प्रति के लिये सभी आवेदनों का, उनकी क्रमसंख्या के अनुसार उनके प्रस्तुत करने की तिथि के क्रम में निपटारा किया जायेगा, अर्जेन्ट आवेदनों को सामान्य आवेदनों की तुलना में प्रथमिकता दी जायेगी।

इस नियम से कोई भिन्नता डिप्यूटी रजिस्ट्रार को अविलम्ब, ऐसी भिन्नता के लिये कारणों के साथ, सूचित की जायेगी और उसके आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

23. **<u>अभिलेख के लिये माँग करना --</u>**

दस्तावेज, जिसकी प्रति के लिये माँग की गई है या अभिलेख जिसमें यह है, की माँग की जाती है, की प्रति के लिये आवेदन ज्योंही प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है उचित कर्मचारी (Official) को अग्रसारित किया जायेगा ओर ऐसा कर्मचारी (Official) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को बगैर देरी किये प्रतिलिपि ऑफिस को दे देगा।

यदि ऐसी माँग का अनुपालन करने में कोई देरी होती है या यदि इसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, तो प्रतिलिपि ऑफिस को फौरन कारण संसूचित किया जायेगा।

24. **डिप्यूटी रजिस्ट्रार को संदर्भ --**

यदि प्रति तैयार करने या जारी करने मे कोई समस्या उत्पन्न होती हे, तो मामले को डिप्यूटी रजिस्ट्रार को आदेशों के लिये संदर्भित किया जायेगा।

25. **त्रुटिपूर्ण आवेदनों की नोटिस --**

यदि प्रतिलिपि के लिये आवेदन में, अभिलेख को ढूढने मे सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त जानकारियाँ नहीं हैं या यदि भुगतान की गई फीस अपर्याप्त है या आवेदन अन्यथा त्रुटिपूर्ण है, इस प्रभाव की नोटिस, नोटिसबोर्ड पर लगाई जायेगी।

यदि आवेदन डाक द्वारा प्राप्त किया गया है तो इसकी सूचना आवेदक को अभुक्त डाक द्वारा संसूचित की जायेगी।

यदि त्रुटि को दूर नहीं किया जाता या अपर्याप्तता का भुगतान एक सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता, तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

26. **आवेदकों को प्रति का दिया जाना --** प्रति के तैयार किये जाने के बाद, इसे प्रतिलिपि विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा परीक्षित किया जायेगा और सत्यप्रति प्रमाणित किया जायेगा और प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर न्यायालय की मुहर का ठप्पा लगाया जायेगा। दिन की समाप्ति पर, सुपरिटेन्डेन्ट, सभी प्रतियों जो कि ठीक ढंग से प्रमाणित और मुद्रित की गई हैं, को आवेदक [496] [या उनके लिखित नॉमिनी (Nominee)] या जहाँ आवेदक द्वारा उन्हें डाक द्वारा भेजे जाने के उद्देश्य से अपेक्षित डाक टिकट जमा किया जा चुका है, को प्रदान करवायेगा और रजिस्टर में उपयुक्त कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियाँ करवायेगा।

[497] [प्रैक्टिसिंग एडवोकेट (Practising Advocate) या एडवोकेट का रजिस्टर्ड क्लर्क लिखित में नॉमिनी (Nominee) हो सकेंगें।]

27. तैयार प्रतियों की नोटिस --प्रतियाँ, जिस दिन वे तैयार हैं या आगामी दिवस पर, आवेदक [498][या उनके द्वारा लिखित] में मनोनीत व्यक्तियों को नहीं दी गई थी, को सूची में प्रविष्ट किया जायेगा, जिसे तुरन्त नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा।

---

496 संस्थित किया गया अधि0 सं0 132/VIII-C-161, दिनांक10.04.1972 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक07.04.1973

497 संस्थित किया गया उसी स्थान पर

498 संस्थित किया गया अधि0 सं0 132/VIII-C-161, दिनांक10.04.1972 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक07.04.1973

28. **प्रतियाँ जिन्हें प्रदान नहीं किया जा सकेगा, का नष्ट किया जाना --**

जहाँ प्रति, आवेदक या [499][या उसके द्वारा लिखित] में मनोनीत व्यक्ति को, पूर्ववर्ती नियम के अधीन नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाये जाने के बाद 3 माह की अवधि के हिसाब से अप्रदत्त रहती है, इसे डिप्यूटी रजिस्ट्रार के आदेश के अधीन नष्ट किया जायेगा, और आवेदनों के रजिस्टर (Register of Applications) की टिप्पणी पंक्ति में इस प्रभाव की प्रविष्टि बनाई जायेगी।

जहाँ नियम 26 के अधीन डाक द्वारा आवेदक को भेजी गई प्रति, अप्रदत्त रुप से वापस प्राप्त होती है, इसे समान प्रकार से नष्ट किया जायेगा यदि इसे आवेदक द्वारा, उस तिथि से, जिस पर इसे ऑफिस द्वारा प्राप्त किया गया था, 3 माह के भीतर नही लिया जाता है।

29. **अर्जेन्ट प्रतियों का प्रदान किया जाना --**

अर्जेन्ट आवेदन की दशा में, आवेदक या [500][या उसके द्वारा लिखित] में मनोनीत व्यक्ति को, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बाद के अगले कार्यदिवस की समाप्ति के भीतर, प्रतियाँ प्रदान की जायेंगी परन्तु यह कि आवेदन क्रम में हो और अपेक्षित फीस का ठीक ढंग से भुगतान किया जा चुका हो।

30. **निश्चित आदेशों की प्रतियों को उसी दिन जारी किया जाना --**

न्यायालय द्वारा दिये गये सभी आदेशों, जमानत प्रदान करना या निष्पादन की कार्यवाहियों को रोकना या व्यादेश प्रदान करना या जब न्यायालय ऐसा आदेशित करे, को आवेदन पर और [501] [सामान्य आवेदनों के लिये निर्धारित शुल्क की तीन गुना राशि] के भुगतान पर, पक्षकारों के अधिवक्ता को उसी दिन जिस पर ऐसे आदेश पारित किये गये हैं और यदि यह संभव नही होता तो आगामी दिवस पर, दिये जायेंगे।

31. **डाक द्वारा प्रतियों, फोलियो, इत्यादि का भेजा जाना --**

(1) जहाँ इस अध्याय के अधीन संसूचना आवेदक को अभुक्त डाक द्वारा भेजी जा सकेगी, यह उसे पूर्वदत्त (Prepaid) डाक से भेजी जा सकेगी परन्तु यह कि आवेदक ने पहले ही उद्देश्य के लिये आवश्यक डाक टिकटों को जमा कर दिया हो। यदि डाक टिकटों जिन्हें ऐसे

---

499 संस्थित किया गया अधि0 सं0 132/VIII-C-161, दिनांक10.04.1972 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, दिनांक07.04.1973

500 संस्थित किया गया अधि0 सं0 132/VIII-C-161, दिनांक10.04.1972 द्वारा

501 संस्थित किया गया अधि0 सं0 217/VIII-C-61, दिनांक19.04.1980 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -II दिनांक26.04.1980

जमा किया गया है, रजिस्ट्रेशन प्रभार को भी समाविष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं तो ऐसी संसूचना उसे पूर्वदत्त (Prepaid) रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

(2) जहाँ आवेदक द्वारा जमा किये गये डाक टिकट, उसके द्वारा दर्शाये गये उद्देश्य के लिये अपर्याप्त हैं, प्रतियाँ, फोलियो (Folios) तथा स्टैम्पस् (Stamps) या संसूचना, जैसी भी स्थिति हो, उसे अपर्याप्त टिकट लगे Cover (आवरण) में भेजीं जा सकेंगीं।

(3) जहाँ आवेदक इच्छुक है कि किन्ही प्रतियाँ, फोलियो (Folios) तथा स्टैम्पस् (Stamps) या संसूचना, जैसी भी स्थिति हो, को उसे रजिस्टर्ड आवरण के अन्दर भेजा जाये किन्तु उसके द्वारा जमा किये गये डाक टिकट ऐसी प्रतियाँ, फोलियो (Folios) तथा स्टैम्पस् (Stamps) या संसूचना, जैसी भी स्थिति हो, के रजिस्ट्रेशन प्रभार को समाविष्ट करने के लिये अपर्याप्त हैं तो उसे ऐसी संसूचना साधारण डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(4) जहाँ आवेदक द्वारा जमा किये गये डाक टिकट अपेक्षा से ज्यादा हैं, वहाँ अप्रयुक्त डाक टिकटों को उसे लौटा दिया जायेगा।

(5) जहाँ किन्ही डाक टिकटों को प्रेषक को नहीं लौटाया जा सकेगा, वे **' Stock book of service postage stamps'** में प्रविष्ट किये जाने के बाद **' Service Stamps '** के रुप में प्रयुक्त किये जा सकेंगे।

(6) जहाँ अभुक्त या अपर्याप्त रुप से भुगतान किया हुआ Cover (आवरण) पोस्ट ऑफिस से अप्रदत्त प्राप्त होता है, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रभारित राशि “Contingencies” शीर्षक के अधीन खर्च के मद में चढाया जायेगा।

[502] [**32.** लखनऊ बेन्च में, जैसे भी हो, इस अध्याय के अधीन ' डिप्यूटी रजिस्ट्रार ' के कार्य 'असिसटेन्ट रजिस्ट्रार ' द्वारा किये जायेंगे और उसकी अनुपस्थिति में उस बेन्च के ' ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार ' द्वारा किये जायेंगे।]

---

502 जोड़ा गया अधि0 सं0 209/VIII-C-19, दिनांक25.04.1974 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -II दिनांक29.06.1974

अध्याय XLI: अभिलेखों का प्रबन्धन, संरक्षण और नष्ट किया जाना

निम्न नियम **' Destruction of Records Act, 1917 '** की धारा 3 के अधीन गठित किये गये हैं।

खण्ड (क): सिविल मामले [503] [या रिट मामले]

1. **<u>अभिलेखों का फाइलों में विभाजन --</u>**

प्रत्येक अभिलेख सिविल [504] [या रिट] मामले मे दो फाइलों, फाइल A और फाइल B में विभाजित किया जायेगा।

2. **<u>सामान्य अनुक्रमणिका (General Index) --</u>**

प्रत्येक कागजात जैसे इसे दाखिल किया गया है। जनरल इन्डेक्स में प्रविष्ट किया जायेगा और अक्षर 'A ' तथा ' B' से, उस फाइल के अनुसार जिसके वर्ग में यह आता है चिन्हित किया जायेगा।

3. **<u>सुप्रीम कोर्ट अपीलों मे फाइल 'A ' तथा ' B'--</u>**

सुप्रीम कोर्ट में अपीलों की दशा में, फाइल A मे निम्न कागजात होंगे, नामतः --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) आर्डर शीट (Order Sheet) ;

(3) अपील के लिये अनुमति का आवेदन;

(4) अनुमति प्रदान करने या प्रदान करने से इन्कार करने, के प्रमाणपत्र का न्यायालयी आदेश;

(5) अपील के लिये अनुमति प्रदान करने का औपचारिक प्रमाणपत्र;

(6) प्रतिभूति बॉण्ड (Security Bond) या नगद पेशगी (Cash Deposits) से संबंधित कागजात;

(7) समझौता, अभित्यजन अथवा दोषस्वीकृति का न्यायनिर्णय;

(8) नामों के प्रतिस्थापन के लिये आवेदन और उस पर पारित आदेश;

(9) शपथपत्र;

(10) प्रिन्टेड रिकार्ड की एक प्रति ;

(11) अभिलेखों को सुप्रीम कोर्ट के लिये अग्रसारित करनेवाला पत्र;

---

503 जोड़ा गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग -II दिनांक28.01.1978

504 जोड़ा गया उसी स्थान पर

(12) सुप्रीम कोर्ट का न्यायनिर्णय;

(13) सुप्रीम कोर्ट के सभी अन्य आदेश;

(14) न्यायालय द्वारा फाइल 'A ' मे शामिल करने के लिये निर्देशित कोई अन्य कागजात। सभी अन्य कागजातों को फाइल 'B' मे रखा जायेगा।

4. **<u>फाइल 'A' तथा 'B', सिविल अपीलों इत्यादि में --</u>**

सिविल अपीलों, पुनरीक्षणों और प्रकीर्ण वादों में, फाइल 'A' में नामतः निम्न कागजात होंगे --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) आर्डर शीट (Order Sheet) ;

(3) ज्ञापन या अपीले या आवेदन;

[505] [(4) अपील या पुनरीक्षण के अधीन डिक्री या औपचारिक आदेश या आक्षेपित (Impugned) न्यायनिर्णय या आदेश, की प्रति]:

(5) एकपक्षीय़ मामलों मे तामीली की रिपोर्ट के साथ नोटिस;

(6) संहिता के आदेश XLI के नियम 22 या 26 के अधीन आपत्तियों का ज्ञापन;

(7) आपत्ति या प्रतिक्रिया;

(8) संहिता के आदेश XLI के नियम 25 के अधीन रिमाण्ड का आदेश;

(9) संहिता के आदेश XLI के नियम 25 के अधीन निचले न्यायालय के विचारण के "वादबिन्दुओं पर निष्कर्षों" की प्रति ;

(10) पक्षकारों के नामों की प्रतिस्थापना, जोड़ने या हटाने के लिये आवेदन:

(11) पक्षकार या गवाह द्वारा दिये गये बयान;

(12) संहिता के आदेश XVI के नियम 12 के अधीन गवाह पर लगाये गये जुर्माने का आदेश;

(13) कमिश्नर की रिपोर्ट, कार्यवाही या परीक्षण;

(14) संरक्षक या वादमित्र की नियुक्ति या हटाये जाने का आदेश;

(15) पक्षकारों द्वारा दाखिल दस्तावेज;

(16) दस्तवेजों को जब्त करने का आदेश;

(17) शपथपत्र;

---

505 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

(18) माध्यस्थता करार;

(19) माध्यस्थों का अवार्ड (Award) ;

(20) समझौते, अभित्यजन या दोषस्वीकृति, का न्यायनिर्णय;

(21) पेपरबुक की एक प्रति के साथ, यदि कोई हो, न्यायालय का निर्णय या अंतिम आदेश;

(22) न्यायालय की डिक्री;

(23) रिकार्ड के लौटाये जाने का प्रमाणपत्र;

(24) उच्च न्यायालय को निर्देश का आदेश (Order of reference) ;

(25) वकीलों को देय फीस के भुगतान का प्रमाणपत्र;

(26) कोई अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय फाइल 'A' में शामिल करने के लिये निर्देशित करे।

सभी अन्य कागजातों को फाइल 'B' मे रखा जायेगा।

[506] **[<u>(4-क) - फाइल 'A' में रखे जाने वाले कागजात --</u>**

रिट याचिकाओं में फाइल 'A' में निम्न कागजात होंगे, नामतः --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) आर्डर शीट (Order Sheet) ;

(3) रिट याचिका;

(4) काउण्टर एफिडेविटस् (Counter Affidavits) तथा रिज्वाइन्डर एफिडेविटस् (Rejoinder Affidavits) ;

(5) पक्षकारों के उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने का आदेश;

(6) न्यायालय द्वारा अभिलिखित या अनुमत प्राप्त, साक्ष्य, यदि कोई हो।;

(7) न्यायनिर्णय;

(8) डिक्री;

(9) (Special Appeal to Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका का ज्ञापन, आपत्ति और उनमे न्यायनिर्णय और डिक्री;

(10) किन्ही अन्य कागजातों को फाइल 'B' मे रखा जायेगा।]

5. **<u>फाइल 'A' का नष्ट किया जाना --</u>**

---

506 जोड़ा गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

[507] [सिविल अपीलों, पुनरीक्षण और प्रकीर्ण वादों में फाइल 'A' न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से अथवा जहाँ स्पेशल अपील या अपील सुप्रीम कोर्ट मे की गई है, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल अपील या अपील मे पारित न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश की संसूचना की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से, 12 वर्षो के लिये बनाये रखी जायेगी और तब जनरल इन्डेक्स, समझौते से न्यायनिर्णय, यदि कोई हो, जिस पर डिक्री आधारित है, डिक्रियाँ और नहीं लौटाये गये दस्तावेजों को छोड़कर, नष्ट की जायेगी, और इन्हें हमेशा के लिये बनाये रखा जायेगा। नियम (4-क) के अधीन तैयार की गई फाइल 'A' को हमेशा के लिये बनाये रखा जायेगा।]

[508] [**6. फाइल 'B' का नष्ट किया जाना --**

[509][∗∗∗] फाइल 'B' न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश की तिथि से आगामी जनवारी के प्रथम दिवस से अथवा जहाँ स्पेशल अपील या अपील सुप्रीम कोर्ट मे की गई है, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल अपील या अपील मे पारित न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश की संसूचना की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से, 1 वर्ष के लिये बनाये रखी जायेगी और तब नष्ट की जायेगी।]

7. आरम्भिक विचारण --

न्यायालय के आरम्भिक या असाधारण आरम्भिक, सिविल क्षेत्रधिकार के इस्तेमाल मे, इसके समक्ष आने वाले वादों में, अधीनस्थ न्यायालयों में अभिलेखों की तैयारी, संरक्षण एवम् नष्ट करने कर लिये निर्धारित [510][प्रक्रिया] का अनुसरण किया जायेगा।

खण्ड (ख): वैवाहिक तथा वसीयती मामले

8. अभिलेखों का फाइलों मे विभाजन --

वैवाहिक [511][∗∗∗] निर्देश या वसीयती मामले मे अभिलेख को दो फाइलों में विभाजित किया जायेगा जिन्हें फाइल 'A' तथा फाइल 'B'कहा जायेगा।

---

507 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

508 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

509 हटाया गया अधि0 सं0 118/VIII-C-2, दिनांक10.02.1981द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.06.1981

510 जोड़ा गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

9. <u>सामान्य अनुक्रमणिका (General Index) --</u>

प्रत्येक कागजात जैसे इसे दाखिल किया गया है। जनरल इन्डेक्स में प्रविष्ट किया जायेगा और अक्षर 'A ' तथा ' B' से, उस फाइल के अनुसार जिसके वर्ग में यह आता है चिन्हित किया जायेगा।

10. <u>फाइल 'A' तथा 'B' --</u>

फाइल 'A' मे निम्न कागजात होंगे, नामतः --

(क) वैवाहिक [512][***] निर्देशों मे --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) आर्डर शीट (Order Sheet) ;

(3) याचिका या आवेदन;

(4) लिखित कथन;

(5) वाद बिन्दु (Issues)

(6) पक्षकारों और गवाहों के कथन;

(7) पक्षकारों द्वारा दाखिल दस्तावेज;

(8) न्यायनिर्णय;

(9) डिक्रियाँ;

(10) कोई अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय फाइल 'A' में शामिल करने के लिये निर्देशित करे।

(ख) वसीयती वादों में --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) आर्डर शीट (Order Sheet) ;

(3) प्रोबेट (Probate) या 'लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) 'के अनुदान के लिये याचिका, अनुच्छेदकों (Annuexures) 'A' तथा ' B' और वसीयत की प्रति के साथ, यदि कोई हो।

(4) आवेदन जिनमे शामिल है निष्पादक को नियुक्त या मुक्त करने के लिये या निष्पादक के लिये निर्देश, हेतु आवेदन;

---

511 हटाया गया अधि0 सं0 118/VIII-C-2, दिनांक10.02.1981द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.06.1981

512 हटाया गया उसी स्थान पर

(5) शपथपत्र जिनमे शामिल है मूल्यांकन का शपथपत्र और सत्यापित करने वाले गवाहों के शपथपत्र;

(6) कैवियेट;

(7) आपत्ति या लिखित कथन;

(8) वादबिन्दु (Issues) ;

(9) पक्षकारों और गवाहों के कथन;

(10) पक्षकारों द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज;

(11) न्यायनिर्णय;

(12) डिक्रियाँ;

(13) प्रतिभूति या प्रशासनिक बॉण्ड;

(14) प्रोबेट (Probate) या 'लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) ;

(15) विस्तृत सूची (Inventory) ;

(16) एकाउण्टस् (Accounts) ;

(17) कोई अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय फाइल 'A' में शामिल करने के लिये निर्देशित करे।

सभी अन्य कागजातों को फाइल 'B' मे रखा जायेगा।

मूल वसीयतें, अलग से Iron Safe मे रखी जायेंगी, इस प्रभाव की एक टिप्पणी (Note), जनरल इन्डेक्स मे समरुपी प्रविष्टि के विरुद्ध बनायी जायेगी।

11. <u>वैवाहिक वादों में कागजातों का नष्ट किया जाना --</u> [513] [निरसित]

12. <u>वैवाहिक संदर्भों मे कागजातों का नष्ट किया जाना --</u>

वैवाहिक निर्देशों मे --

(क) फाइल 'A' अंतिम निर्णय की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से 12 वर्षों के लिये बनाये रखी जायेगी और तब, जनरल इन्डेक्स, न्यायनिर्णय और डिक्रियों को छोड़कर नष्ट की जायेगी और इन्हें हमेशा के लिये बनाये रखा जायेगा।

(ख) फाइल 'B' अंतिम निर्णय की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से 2 वर्षों के लिये बनाये रखी जायेगी और तब नष्ट कर दी जायेगी।

13. <u>वसीयती वादों मे कागजातों का नष्ट किया जाना --</u>

---

513 हटाया गया अधि0 सं0 118/VIII-C-2, दिनांक10.02.1981द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक27.06.1981

वसीयती वादों में --

(क) फाइल 'A' अंतिम निर्णय की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से [514] [25] वर्षों के लिये बनाये रखी जायेगी और तब, जनरल इन्डेक्स, याचिका या आवेदन, निर्णय और डिक्री, प्रोबेट (Probate) या 'लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration), और मूल वसीयतों को छोड़कर, नष्ट की जायेगी और इन्हें हमेशा के लिये बनाये रखा जायेगा।

(ख) फाइल 'B' अंतिम निर्णय की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से 2 वर्षों के लिये बनाये रखी जायेगी और तब नष्ट कर दी जायेगी।

खण्ड (ग): [515] [आपराधिक मामले तथा न्यायालय की अवमानना के मामले]

14. <u>अभिलेखों का फाइलों मे विभाजन --</u>

आपराधिक [516] [या न्यायालय की अवमानना] के मामले में अभिलेख को दो फाइलों में विभाजित किया जायेगा जिन्हें फाइल 'A' और फाइल 'B' कहा जायेगा।

15.<u>सामान्य अनुक्रमणिका (General Index) --</u>

प्रत्येक कागजात जैसे इसे दाखिल किया गया है। जनरल इन्डेक्स में प्रविष्ट किया जायेगा और अक्षर 'A ' तथा ' B' से, उस फाइल के अनुसार जिसके वर्ग में यह आता है चिन्हित किया जायेगा।

16. <u>फाइल 'A' तथा 'B' --</u> फाइल 'A' में निम्न कागजात होंगें, नामतः --

(क) आरम्भिक विचारणों में --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) निचले न्यायालय के अभिलेख;

(3) पेपरबुक;

(4) साक्ष्य का अभिलेख;

(5) कमीशन, उससे वापसी तथा बयान (Depositions) ;

(6) प्रधान न्यायाधीश (Presiding Judge) द्वारा दिया गया आदेश;

(7) दण्ड के निष्पादन पर वारण्ट या अन्य कागजात, जो लौटाये गये;

---

514 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

515 प्रतिस्थापित किया गया उसी स्थान पर

516 जोड़ा गया उसी स्थान पर

(8) आदेश की प्रति, जिसमें दण्ड को कम किया गया हे या उसके कार्यान्वयन को निलंबित किया गया है या सजा को माफ किया गया है।;

(9) वे प्रदर्श जिन्हें लौटाया नहीं गया है;

(10) कोई अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय फाइल 'A' में शामिल करने के लिये निर्देशित करे।

(ख) अपीलों, पुनरीक्षणों, निर्देशों और अन्य वादो [517] [जिसमे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन वाद शामिल हैं।] --

(1) जनरल इन्डेक्स (General Index) ;

(2) अपील, आवेदन या निर्देश के आधार;

(3) शपथपत्र;

(4) निचले न्यायालय के न्यायनिर्णय की प्रति;

(5) तामीली की रिपोर्ट के साथ नोटिस;

(6) न्यायनिर्णय

(7) वारण्ट;

(8) प्रिन्टेड पेपरबुक, यदि कोई हो;

(9) कोई अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय फाइल 'A' में शामिल करने के लिये निर्देशित करे।

सभी अन्य कागजातों को फाइल 'B' मे रखा जायेगा।

17. <u>फाइल 'A' का नष्ट किया जाना --</u>

[518] [फाइल 'A' को, अंतिम निर्णय दिये जाने की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से, न्यायालय की अवमानना के मामलों को छोड़कर आपराधिक मामलों में 10 वर्षों के लिये और न्यायालय की अवमानना के मामलों में 2 वर्षों के लिये बनाये रखा जायेगा और तब जनरल इन्डेक्स तथा न्यायालय के न्यायनिर्णय को छोड़कर, नष्ट किया जायेगा और इन्हें हमेशा के लिये बनाये रखा जायेगा।]

18. <u>फाइल 'B' का नष्ट किया जाना --</u>

---

517 जोड़ा गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

518 प्रतिस्थापित किया गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978

फाइल 'B' के कागजात अंतिम निर्णय के दिये जाने की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिये जायेंगे।

खण्ड (घ): सामान्य

19. <u>मामले जिनमे सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है --</u>

वह मामला जिसमे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है, कोई कागजात नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि उस न्यायालय के न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश को न्यायालय को संसूचित नहीं कर दिया जाता और कागजातों को उसके बाद इन नियमों के अनुसार नष्ट किया जायेगा, नष्ट करने की अवधि की गणना ऐसे न्यायनिर्णय या अंतिम आदेश की संसूचना की तिथि से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस से की जायेगी।

20. <u>दस्तावेजों को वापस लेने की तिथि --</u>

एक नोटिस न्यायालय भवन के प्रकट भाग मे लगाई जायेगी जो कथन करेगी यह कि दस्तावेजो, जो वाद मे दाखिल किये गये हैं, जिन्हें संहिता के आदेश XIII के नियम 9 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 294 के उपबन्धो को ध्यान मे रखते हुये लौटाया जा सकेगा। उन्हें जैसे ही वाद का अंतिम रुप से निपटारा किया जाता है, वापस ले लिया जाना चाहिये और यह कि वे न्यायालय मे छोड़े गये हैं तो उन्हें स्वामी (Owner) की उसकी जिम्मेदारी पर रखा जायेगा।

21. <u>न्यायालयी फीस स्टैम्पस् (Court fee stamps) नष्ट किये जायेंगे --</u>

जब Record Keeper, कागजातों को नष्ट करने के लिये एक तरफ रख रहा होगा तो उनमें लगे हुये सभी .न्यायालयी फीस स्टैम्पस् (Court fee stamps) को इस ढंग से नष्ट करेगा कि उन्हें दोबारा प्रयोग मे लाना असंभव हो जाये।

[519] **[(21-क) - <u>कैवियेट आवेदन का नष्ट किया जाना --</u>**

ऐसे मामलों मे जो न्यायालय मे दाखिल नहीं किये गये हैं कैवियेट आवेदन को कैवियेट के दाखिल होने के 6 माह बाद नष्ट किया जायेगा और इस प्रभाव की प्रविष्टि भी ' कैवियेट रजिस्टर ' मे रखी जायेगी।]

22. <u>नष्ट किये गये कागजात, इन्डेक्स (Index) मे नोट (Note) किये जायेंगे --</u>

प्रत्येक नष्ट किये गये अभिलेख की एक टिप्पणी, वाद के जनरल इन्डेक्स (General Index) पर रिकार्ड कीपर (Record Keeper) के हस्ताक्षर के अधीन नष्ट किये जाते समय बनायी जायेगी।

---

519 जोड़ा गया अधि0 सं0 207/VIII-C-2 (संशोधन पर्ची सं0 239), दिनांक30.09.2008

23. <u>अलग किये गये बेकार कागजातों (Weeded papers) का व्ययन --</u>

सभी, अलग किये गये बेकार दस्तावेजों और कागजातों (Weeded Documents and Papers), को निम्न तरीके से व्ययनित किया जायेगा, नामतः --

(क) गोपनीय कागजात, जिनमे शामिल हैं प्रशासनिक मामलों पर टिप्पणियाँ एवम् आदेश तथा स्टैम्पस् (Stamps) तथा न्यायालयी फीस लेबलस् (Court fee lables), Court Officer की उपस्थिति मे टुकडों मे फाड़े जायेंगे।

(ख) सभी अन्य कागजात, जिनमे शामिल है मूल दस्तावेज तथा प्रमाणित प्रतियाँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फाड़े जायेंगे और तब बेकार कागज के रुप में बेचे जायेंगे।

(ग) अतिरिक्त पेपरबुकों को बगैर फाड़े बेकार कागज के रुप मे बेचा जायेगा।

बेकार कागजों के विक्रय की आय को सरकार को जमा किया जायेगा।

[520] [**24.** निम्न वर्णित प्रकार के वादों के संबंध मे रखे गये रजिस्टरों के, रिकार्ड रुम मे संरक्षण की अवधि उसी प्रकार की होगी जैसे कि प्रत्येक प्रकार के वादों के सम्मुख लिखी गई है --

(1) सिविल वादो में	12 वर्षो तक
(2) वैवाहिक तथा वसीयती वादो मे	25 वर्षो तक
(3) वैवाहिक निर्देश	12 वर्षो तक
(4) आपराधिक मामले	12 वर्षो तक
(5) न्यायालय की अवमानना के मामले	2 वर्षो तक

रजिस्टर के संरक्षण के लिये उपरोक्त वर्णित अवधि की गणना, ऐसे रजिस्टरों के रिकार्ड रुम मे भेजे जाने की तिथि से की जायेगी।

उन अवधियों, जैसा कि इस नियम मे निर्धारित किया गया है, की समाप्ति के बाद रजिस्टरों का इस अध्याय के नियम 23 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार व्ययन किया जायेगा।]

520 जोड़ा गया अधि0 सं0 28/X-e-3, दिनांक02.12.1977 द्वारा, प्रकाशित किया गया यू0पी0गजट, भाग-II, दिनांक28.01.1978